पंचम माला, खण्ड 50, अंक 26, मंगलवार, 25 मार्च, 1975, 4 चैत्र, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. L No. 26 Tuesday, March 25, 1975, Chaitra 4, 1897 (Saka)

लोक-सभा-वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

[खण्ड 50 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. L contains Nos. 21 to 30]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price: Two Rupees

मूल्य : दो रुपये

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 26, मंगलवार, 25 मार्च, 1975/4 चैत्र, 1897 (शक)

No. 26, Tuesday, March 25 1975/Chaitra 4, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 484 से 487 और 489	Starred Questions Nos. 484 to 487 and 489 .	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 488 और 490 से 503	Starred Questions Nos. 488 and 490 to 503 .	16—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 4677 से 4693, 4695 से 4722, 4724 से 4726, 4728 से 4731, 4733 से 4854, 4856 से 4861, 4864 से 4870 और 4872 से 4876	Unstarred Questions Nos. 4677 to 4693, 4695 to 4722, 4724 to 4726, 4728 to 4731, 4733 to 4854, 4856 to 4861, 4864 to 4870 and 4872 to 4876.	25—141
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	141—44
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	144—45
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
34 वां प्रतिवेदन	Thirty-fourth Report	145
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
140 वां प्रतिवेदन	Hundred and fortieth Report . . .	145
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from the sittings of the House—	
19 वां प्रतिवेदन .	Nineteenth Report	145
दिल्ली में अध्यापकों के वेतनमान के पुनरीक्षण के बारे में वक्तव्य—	Statement *re* Revision of Pay Scales of Teachers in Delhi—	
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan . . .	146—47
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
54 वां प्रतिवेदन	Fifty fourth Report	147—49

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGE
नियम 377 के अन्तर्गत मामला——	Matter under rule 377	
आकाशवाणी द्वारा सभा में कार्य की कतिपय मदों का प्रसारण न किया जाना	Blacking out of certain items of business in the House by All-India Radio in its news bulletin	149-50
लेखानुदानों की मांगों (नागालैण्ड) के बारे में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 206 के उप–नियम (2) का निलम्बन	Suspension of sub-rule (2) of Rule 206 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in relation to Demands for Grants on Account (Nagaland). .	150-51
नागालैण्ड के सम्बन्ध में उद्घोषणा के अनुमोदन सम्बन्धी संकल्प, नागालैण्ड बजट, 1975–76—— सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगें (नागालैण्ड), 1975–76 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (नागालैण्ड) 1974–75——	Statutory Resolution *re.* approval of proclamation in relation to Nagaland, Nagaland Budget, 1975-76—General Discussion, Demands for Grants on Account (Nagaland), 1975-76 and Supplementary Demands for Grants (Nagaland), 1974-75. . .	151-78
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Bramananda Reddy	151-55, 172-73
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	159-61
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	161-62
श्री ए० केवीचुसा	Shri A. Kevichusa	162-63
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	163-64
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	164-65
श्री तरुण गोगोई	Shri Tarun Gogoi	165
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	165-66
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . .	166-67
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	167-68
श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev	168
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	168-69
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	170
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	170-71
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip	171-72
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee . .	173-74
नागालैण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975——	Nagaland Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975—	
पुरःस्थापित तथा पारित किया गया	*Introduced and passed*	178-80

विषय	SUBJECT	PAGE
वायुसेना और थल सेना विधि (संशोधन) अध्यादेश, के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प, 1975	Statutory Resolution *re.* Disapproval of the Air Force and Army Laws (Amendment) Ordinance, 1975	
तथा	and	
वायुसेना और थल सेना विधि (संशोधन) विधेयक—	Air Force and Army Laws (Amendment) Bill	180—87
विचार किये जाने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	180—81, 185
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik	181—82, 185
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	182—83
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . . .	183
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	183—84
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	184—85
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	186
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	186—87
गुजरात विद्युत् बोर्ड द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में सांविधिक संकल्प—	Statutory Resolution *re.* Fixing of the maximum borrowing limit of Gujarat Electricity Board	187—91
प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद	Prof. Siddheshwar Prasad	187—88, 190
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	188
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri G. P. Yadav	189
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda	189
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	189
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai	190
आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत त्रिपुरा में नजरबंदी के आदेशों के सम्बन्ध में वक्तव्य—	Statement *re.* Orders of detention under M. I. S. A. in Tripura—	
श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	191—93

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 25 मार्च, 1975/4 चैत्र, 1897 (शक)

Tuesday, March 25, 1975/Chaitra 4, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Election Petitions filed after each of the Three Elections to Lok Sabha

†
*484. **Shri Madhavrao Scindia:**
Shri Jagannathrao Joshi:

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of election petitions filed after each of the last three elections to Lok Sabha; and

(b) the number of election petitions out of them disposed of in one, two, three or four years and the number of election petitions lapsed due to the expiry of the term of the concerned Lok Sabha?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) :

(क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1962. 1967 और 1971 में लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के पश्चात् फाइल की गई निर्वाचन याचिकाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

1962 — 46
1967 — 52
1971 — 58

(ख) विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

निम्नलिखित अवधियों के भीतर निपटाई गई निर्वाचन याचिकाएं—

	एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष	चार वर्ष	पांच वर्ष	टिप्पणियां
1962 . . .	28	8	7	2	1	निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निपटाई गई।
1967 . . .	34	14	4	—	—	उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाई गई।
1971 . . .	38	16	1	—	—	तीन याचिकाएं अभी तक लम्बित हैं।

सम्बद्ध लोक सभा के अवसान के कारण कोई निर्वाचन याचिका व्यपगत नहीं हुई।

Shri Jagannathrao Joshi: Mr. Speaker, from the statement it seems that the number of election petitions after each election is constantly increasing instead of decreasing. In 1962 their number was 46, in 1967, 52 and in 1971 their number went up to 58. From the information given by the Minister, it seems that only half of the election petitions are disposed of in a year. Keeping in view the increasing number of election petitions after every election and the necessity of their early disposal, why the demand of the various High Courts for filling up the posts of Judges is not being met? I understand that 10 posts of Judges are vacant in Allahabad High Court, where the case of Prime Minister is going on. These posts have not so far been filled up. I want to know the reasons.

डा० सरोजिनी महिषी

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन के पश्चात, चुनाव अभिकरणों द्वारा किया जाने वाला कार्य उच्च न्यायालयों को सौंप दिया गया था और चुनाव याचिकाओं को शीघ्रता से निपटाने के लिए उच्च न्यायालय जितने न्यायधीश चाहें रख सकते हैं। वे चुनाव याचिकाओं को निपटाने के लिए न्यायधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं और विधि में निहित उपबन्ध में यह स्पष्ट है कि इन याचिकाओं को यथा सम्भव शीघ्र निपटाया जाना चाहिए। यह कहना सही नहीं है कि पहले वर्ष में 50 प्रतिशत से कम याचिकायें निपटायी जाती है। और शेष वैसे ही चलती रहती है। यदि माननीय सदस्य विवरण को ध्यान से पढ़े तो उन्हें पता चलेगा कि 1971 के चुनावों के पश्चात् 58 में से पहले वर्ष में 38, दूसरे वर्ष में 16 और तीसरे वर्ष में एक याचिका निपटाई गई।

Shri Jagannathrao Joshi: Mr. Speaker, I clearly asked about the Allahabad High Court where 10 posts of Judges are vacant: The Minister has not given any information in this regard.

Dr. Sarojini Mahishi: Efforts are made to fill up such vacancies. Sometimes adequate information is not made available and then we have to refer them again. It involves some delay. Even then we try our best to fill up the vacancies.

Shri Jagannathrao Joshi: Three election petitions of 1971 are yet to be disposed of. These have not been disposed of during these five years. Out of these three,

one is against the Prime Minister. If the snap polls take place, then these petitions would remain undisposed of ever after the fresh elections. May I know whether this was referred to the Law Commission in order to simplify the procedure of disposal of election petitions; if so, what was their opinion and if not, the reasons therefor?

Dr. Sarojini Mahishi: After making the amendment in 1966, these election petitions are being disposed of expeditiously. The number which has been given in the statement shows that such petitions are being disposed of quickly. After the 1971 elections 3 election petitions are in High Courts and 4 in Supreme Court. The fact is that usually there is no delay in disposing of these petitions.

Shri Jagannathrao Joshi: I asked this question simply because two three years' period is taken in disposing of these election petitions. Therefore, what is being done to make the procedure more simple. Has this matter been referred to the Law Commission? Why these petitions are not disposed of expeditiously?. These petitions should be disposed of at least within a year.

Dr. Sarojini Mahishi: That is why this matter has been shifted from Election Tribunals to High Courts. If there is inadequate number of Judges in any High Court, the Chief Justice of that Court can appoint more Judges. So, it is baseless to say that these election petitions remain undisposed because of inadequate number of Judges. As the question of Hon. member is based on imagination, I gave such reply.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मेरा प्रश्न चुनाव याचिकाओं को निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के सम्बन्ध में है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह मामला विधि आयोग को सौंपा गया था ?

Mr. Speaker: You leave it.

Shri Naval Kishore Sharma: The Hon. Minister has just now said that the High Courts can appoint desired number of Judges for election side. Does it mean that the High Courts have the right to appoint new Judges? If not, whether the Hon. Minister would accord sanction for appointing new Judges to deal with the election petitions in High Courts?

Dr. Sarojini Mahishi: The services of the Judges of High Courts can be taken in Election Tribunals because these cases are to be disposed of expeditiously. Therefore, if Chief Justice so desires such arrangements can be done.

Shri Naval Kishore Sharma: I want to know whether sanction will be given to appoint new Judges keeping in view the average.

श्री पी० जी० मावलंकर : निस्संदेह चुनाव याचिकायों को निपटाने की वर्तमान प्रणाली में बहुत विलम्ब होता है। विवरण से पता चलता है कि सम्बन्धित लोक सभा के भंगहोनेपर कोई भी चुनाव याचिका समाप्त नहीं हुई। न हीं चुनाव याचिकाएं दो या तीन अथवा चार वर्षों तक लटकी रहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विलम्ब को रोकने की दृष्टि से वर्तमान प्रक्रिया में किसी प्रकार का संशोधन करने की सोच रही है। दूसरे, प्रत्येक चुनाव याचिका को शीघ्रता से निपटाने तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तारीख से 6 महीने की अवधि तक निष्कर्ष निकालने सम्बन्धी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86 (7) के उपबन्ध का पालन नहीं किया गया। क्यों ?

डा० सरोजिनी महिषी : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86(7) जैसे उपबन्धों का पालन करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है। अच्छे प्रयास करने के बावजूद भी कुछ मामले साक्ष्य लेने के कारण लटके रहते हैं और कुछ मामलों को समय-समय पर स्थगित कर दिया जाता है और कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील कर ली जाती है जिससे इन्हें निपटाने में विलम्ब हो जाता है। किन्तु जैसा कि मैं कह चुकी हूं कि इन्हें शीघ्रता से निपटाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : इन मामलों में असाधारण विलम्ब हो जाता है क्योंकि इनमें कई बातें अन्तर्गत होती है और याचिका पेश करने वालों द्वारा कई गंभीर मामले उठा लिए जाते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि इन याचिकाओं को निपटाने में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को रोकने के लिए क्या सरकार इस तरह का कोई विधान पेश कर रही है जिसमें यह उपबन्ध हो कि केवल सीमित मामले ही उठाने दिए जायें ?

डा० सरोजिनी महिषी : इन मामलों का सम्बन्ध न्यायपालिका से है और वही इसका उचित निर्णय कर सकती है कि कौन सी बात व्यर्थ है और कौन सी न्यायोचित।

Shri Mool Chand Daga: I want to know whether you intend to frame any special law for the disposal of the election petitions so that day to day work is not obstructed and the work may be disposed of easily. Do you intend to evolve a new law for expeditious disposal of election petitions?

Dr. Sarojini Mahishi: It a good suggestion.

प्रो० मधु दन्डवते : याचिकाओं की संख्या 46 या 52 से बढ़ कर 58 हो गई है। अन्त में होता क्या है कि ये याचिकाएं जमा हो जात. है। लोक सभा के आगामी चुनावों के होने से पहले तत्काल चुनाव सुधार करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गए है ताकि चुनावों में बारपेटा चुनाव की तरह कदावारों का सहारा न लिया जा सके।

डा० सरोजिनी महिषी : मैंने इस प्रश्न का उत्तर कई बार दे दिया है। चुनाव सुधारों के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए गए हैं और उनमें से कुछ सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयक में नियमित किए गए हैं। आपके सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि विपक्ष के सदस्यों तथा उनके नेताओं से भी चर्चा की जायेगी ताकि आपभी उस समय अपने विचार पेश कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई ऐसा सुधार है जिसमें सभी वर्तमान सदस्यों को पुनःनिर्वाचित किया जा सकता है ?

Shri Ramavatar Shastri: The cases of the election petitions are much expensive and sometimes we incur more expenditure thereon than that we incur on elections. I want to know whether Government have any proposal to reduce the expenditure on election petitions and if so, what is that proposal.

Dr. Sarojini Mahishi: I think it is not so. If the Hon. members incur more expenditure, then what can be done.

Shri Ramavatar Shastri: Your procedure is so cumbersome that one has to incur more expenditure.

Dr. Sarojini Mahishi: It should not be so.

श्री बी० वी० नायक : श्रीमान् मैं जानना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं । मैंने सोचा कि आप मेरी अनुमति लेने के लिए प्रतीक्षा करेंगे । आपने अनुमति लिए बिना प्रश्न पूछने शुरू कर दिए । चलिए अब आप प्रश्न पूछिये ।

श्री बी० वी० नायक : श्रीमान, गत तीन चुनावों में 153 चुनाव याचिकाएं दायर की गई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा नियुक्त चुनाव सुधार समिति द्वारा चुनाव की वैधता के प्रश्न को लेकर, क्या विधि मंत्रालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इन 153 निर्णयों का विश्लेषण कर लिया है और क्या उन्होंने वैध चुनावों की प्रतिशतता की पुष्टि कर ली है ? दूसरे शब्दों में उन्होंने कितने प्रतिशत चुनाव याचिकाएं रद्द की हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं । आप असंगत प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री बी० वी० नायक : श्रीमाम् ठीक है । मंत्री महोदय बताएं कि 153 मामलों में से कितने चुनावों की पुष्टि कर ली गई है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं । अगला प्रश्न । श्रीमती पार्वती कृष्णन् ।

दहेज अधिनियम में संशोधन करने के लिये भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय संघ (नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन वीमेन) से ज्ञापन

*485. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय महिलायों के राष्ट्रीय संघ (एन० एफ० आई० डब्ल्यू) की ओर से एक ज्ञापन मिला है जिसमें सरकार से कहा गया है कि दहेज देने और लेने को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए दहेज अधिनियम में संशोधन किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष—1975 में इस सामाजिक कुरीति को समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां ; एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) . स्त्रियों की प्रास्थिति सम्बन्धी समिति द्वारा इस विषय पर की गई कतिपय सिफारिशों के साथ साथ इस मामले की जांच की जा रही है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या मैं जान सकता हूं कि प्राप्त किए गए ज्ञापन में क्या-क्या मांगें हैं ? और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है।

डा० सरोजिनी महिषी : ज्ञापन भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय संघ से प्राप्त हुआ और उसमें थोड़ी सी मांगें हैं। क्योंकि विधान का अंश गत 14 वर्षों से लागू नहीं रहा। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। उनमें से एक सुझाव यह है कि अपराध को कानून के अन्तर्गत दंडनीय समझा जाये। दूसरा सुझाव यह है कि दण्ड 3 वर्ष या 10,000 रूपये जुर्माना बढ़ा दिया जाये और कम से कम दण्ड 2 हजार रूपये हो। महिला दर्जा सम्बन्धी समिति ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। वे विचाराधीन हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दहेज अधिनियम कार्यान्वयन रूप में लागू नहीं हुआ है, सरकार ऐसा कौन सा तंत्र बना रही है जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि यह अधिनियम प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा। देश में दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है और महिलाओं के लिए यह बहुत ही अनहितकर है। अतः इन मांगों पर विचार करने के अतिरिक्त सरकार इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए क्या करने का विचार कर रही है।

डा० सरोजिनी महिषी : 1959 में एक विधेयक पर चर्चा हुई थी और माननीय सदस्या ने भाषण दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसमें उन्होंने कहा था कि विवाह की दृष्टि से दहेज का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। साथ ही यदि सम्बन्धियों द्वारा स्नेहपूर्वक कुछ उपहार भेंट किए जाते हैं तो उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। किन्तु दोनों के बीच अन्तर करना असम्भव है। कई उपहार के नाम पर दहेज ले लेते हैं। अतः अधिनियम को लागू करना सम्भव नहीं समझा गया। आज यह कानून के अन्तर्गत दंडनीय अपराध नहीं है। कई लोगों ने सुझाव दिया है कि इसे दंडनीय बनाया जाना चाहिए। मामले पर विचार किया गया। परन्तु कठिनाइयों के कारण यह नहीं किया गया। अब विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या इसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए एक कोरड निटिंग सैल होनी चाहिए। कुछ समितियों ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार की मंजूरी के बजाए ग्राम पंचायतों को भी मंजूरी देने का अधिकार होना चाहिए। इन मामलों पर विचार किया जा रहा हैं।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : जैसा कि श्रीमती पार्वती कृष्णन ने कहा है दहेज अधिनियम को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार का विचार इस संदर्भ में विभिन्न स्वयं सेवी महिला संगठनो से सहायता लेने का है। ये स्वयं सेवी संगठन बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि ये दहेज की खराबियों के प्रति जागरूक हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। हम सदा स्वयंसेवी संगठनों की सहायता लेते तथा इस दिशा में उन के प्रयासों की सदा सराहना की जाती है।

श्रीमती माया राय : मैं श्रीमती पार्वती कृष्णन का समर्थन करती हूं। मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार क्या सोच रही है तथा किस के साथ विचार विमर्श कर रही है ? इस बुराई की व्याख्या करने के लिये लम्बी चौड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि आप इस स्थिति में किस प्रकार सुधार करना चाहते हैं ? अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

डा० सरोजिनी महिषी : माननीय सदस्या ने ठीक ही कहा है कि इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है । वस्तुतः समाज में जागृति न होने के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका है । समाज को सहयोग करना होगा तथा अनुभव के आधार पर जो कठिनाइयां सामने आयेंगी उन का मुकाबला करना होगा ।

श्री एस० ए० कादर : महोदय, कोई इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि दहेज एक बुराई है और इस का उन्मूलन किया जाना चाहिये तथा चालू वर्ष में जो कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष है इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । इस में कोई सन्देह नहीं है । चूंकि यह सभा सर्व-शक्तिमान है, इस लिये पहल यहीं से होनी चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि इस सभा का गठन के बाद कितनों ने दहेज को स्वीकार किया है तथा कितनों ने अस्वीकार ?

डा० सरोजिनी महिषी : माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी हमारे पास नहीं है । परन्तु मैं यह बताना चाहती हूं कि विवाह, तलाक आदि विषय समवर्ती सूची की प्रविष्ठि संख्या 5 के अन्तर्गत आता है । इस लिये राज्य सरकार को इसे क्रियान्वित करना होगा तथा उन्होंने कुछ संशोधन के सुझाव दिये हैं । इस लिये केन्द्रीय सरकार इन्हें स्वयं क्रियान्वित नहीं कर सकती । इसे राज्य सरकारों के परामर्श से करना होगा ।

श्री बी० एन० रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि दहेज प्रथा का उन्मूलन करने हेतु क्या तंत्र बनाया गया है श्रीमती पार्वती कृष्णन का मुख्य प्रश्न यही था । चूंकि मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया है, इस से सिद्ध होता है कि सरकार ने इस बुराई के उन्मूलन हेतु कोई निश्चित निर्णय नहीं किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार ने इस बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं किया है ?

डा० सरोजिनी महिषी : इस बारे में कुछ भ्रांति है । वर्ष 1961 में दहेज निवारण अधिनियम पास किया गया था । उक्त अधिनियम के खण्ड 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है । खण्ड 4 में यह उल्लेख किया गया है कि अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर क्या दण्ड दिया जाना चाहिये । इन्हें क्रियान्वित करना राज्य सरकारों का काम है । परन्तु यदि राज्य सरकारें इन्हें प्रभावो ढंग से क्रियान्वित करने के लिये केन्द्र को कुछ संशोधन का सुझाव देतो हैं, तो उन पर अवश्य विचार किया जायेगा । वास्तविकता यह है कि समाज में जागृति के बिना इसे क्रियान्वित करना अति कठिन है । अतः यदि माननीय सदस्य समाज में जागृति पैदा करने में रुचि लें, तो इसे अविलम्ब क्रियान्वित किया जा सकता है ।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या होने वाले दुल्हे द्वारा दहेज अधिनियम के अन्तर्गत कार तथा मकान की मांग किया जाना भी शामिल है ?

डा० सरोजिनी महिषी : यदि विवाह केवल इस शर्त पर होता है कि इन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है तो यह दहेज का अंग है । परन्तु यदि माननीय सदस्य उन मामलों के बारे में सोचते ने जिन में पिता अथवा सुसर द्वारा प्यार के वशीभूत कारें तथा अन्य वस्तुएं दी जाती है, तो इन्हें दहेज नहीं समझा जाना चाहिये ।

Shri Shanker Dayal Singh: It is a social problem. Whatever legislation might be enacted, after all the problem is to be overcome by the Society. This system

can be eradicated? by three ways. Firstly it can be overcome by the mutual consent of the bride and the groom. If they decide against the dowry system, then who can be demand dowry.

Secondly dharna should be launched by the National Women Association when dowry is demanded by someone. Thirdly the marriages in which dowry is demanded should be socially bycotted.

Dr. Sarojini Mahishi: So far as the definition of dowry and gifts was concerned, much was said at the time the bill was passed. As far as the question of dharna by National Women Association is concerned, this question should be asked from them.

The Committee has also given this suggestion that a provision should be included in the conduct rules of the Government servants that in case any body demands dowry for marriage he should be debarred from Government service.

त्रिपुरा में बारामुरा में तेल के भंडार तथा गैस के भंडार

*†486 **श्री डी डी देसाई :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला के समीप बारापुरा में पाये गए तेल और गैस की जांच विशेषज्ञ ने कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ;

(ग) क्या अतिरिक्त कुओं का छिद्रण कार्य भी प्रारम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :(क) और (ख) : त्रिपुरा थे वारापुरा संरचना पर प्रथम कूप का व्यधन करते समय गैस के कुछ संप्तर पाए गए थे; वर्तमान में इनका परीक्षण किया जा रहा है । बारामुरा में तेल नहीं पाया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री डी० दी० देसाई : मेरे प्रश्न का ठीक ढंग से उत्तर नहीं दिया गया है । प्रश्न का भाग (क) इस लिये पूछा गया था कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग प्रतिवेदन में कहा गया है कि अगरताला के निकट गैस तथा तेल पाये गये हैं । पहले ही दो तेल उत्पादक राज्य हैं तथा इन में तीसरा और जोड़ा जा रहा है ।

मेरी समझ में नहीं आता कि भाग (ख) का उत्तर क्यों नहीं दिया गया है । भाग (ग) में पूछा गया था कि क्या अतिरिक्त कुओं का छिद्रण कार्य आरम्भ हो गया है । यह कच्छ तथा बम्बई हाई में छिद्रण कार्य से सम्बन्धित है, जिस का मंत्री महोदय प्रायः उल्लेख करते हैं । यह बंगाल की खाड़ी से भी सम्बन्धित है, जहां कुछ प्रगति की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में और क्या प्रगति हुई है । यह जानकारी दिये जाने के बाद में अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा ।

श्री के० डी० मालवीय : यह प्रश्न बारामुरा से सम्बन्धित है न कि कच्छ तथा किसी अन्य स्थान से। प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मैंने कहा है "जी, नहीं" जब तक प्रथम कूप के परीक्षण के परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते, दूसरे कूप के लिये स्थान का चयन करना संभव नहीं है। अतः यह प्रश्न बारामुरा से सम्बन्धित है और मैंने इस का उत्तर दे दिया है ।

श्री डी० डी० देसाई : यदि आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो यह प्रश्न कि क्या अतिरिक्त कुओं के लिये छिद्रण कार्य आरम्भ हो गया है, बारामुरा से सम्बन्धित नहीं है, हालांकि शीर्षक में "त्रिपुरा में बारामुरा" दिया गया है, तथापि यह प्रश्न मुख्य रूप से समूचे तेल छिद्रण कार्य से सम्बन्धित है । फिर भी मैं तर्क-वितर्क में नहीं पड़ना चाहता । मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्रालय त्रिपुरा में पाये गये तेल और गैस का किस प्रकार उपयोग करेगा तथा पाये गये प्रथम नमूने की संरचना क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि गैस पाई गई है । परन्तु गैस के पाये जाने मात्र का यह अर्थ नहीं होता कि गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी और हम यह योजनायें बनाने लगें कि उस का उपयोग किस प्रकार किया जाये । परीक्षण के प्रथम तथा द्वितीय चरण में एक विशेष स्तर पर गैस पाई गई है । अन्तिम परीक्षण अभी किये जाने हैं। उन के बाद ही हम यह पता लगा सकेंगे कि उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में गैस मिल सकेगी अथवा नहीं तथा और कूएं खोदे जायें अथवा नहीं और यदि हां, तो किन किन स्थानों पर खोदे जायें। अन्ततः पहले ये परीक्षण किये जाने हैं, तत्पश्चात् ही कुछ कहा जा सकता है ?

श्री डी० डी० देसाई : मैं माननीय मंत्री का ध्यान 28-2-1975 के ट्रिब्यून में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में कहा गया है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रवक्ता ने बारामुरा से प्राप्त तेल के नमूने का एक गिलास में प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया है कि तेल विश्लेषण के लिये भेज दिया गया है और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की वार्षिक योजना में बारामुरा को शामिल किया जायेगा।

श्री के० डी० मालवीय : मैं समझता हूं कि यह समाचार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित नहीं है । कहीं किसी ने तेल के पाये जाने और गिलास की बात कह दी होगी। वस्तुतः मैंने जो उत्तर दिया है वह सही है ।

श्री समर गुह : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि गैस के ये प्रथम संच्चर कब पाये गये थे तथा इस के विश्लेषण में जो कि एक दिन में हो सकता है, इतना अधिक समय क्यों लगा । तीसरे क्या यह सच है कि यह क्षेत्र बंगला देश के उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां प्रचुर मात्रा में गैस पाई गई है और यदि हां, तो कुओं के छिद्रण कार्य में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार छिद्रण कार्य में विलम्ब नहीं कर रही है। यह एक पेचिदा संरचना है । पहला कुआं जुलाई, 1972 में आरम्भ किया गया था। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है । हम ने 2807 मीटर की गहराई तक छिद्रण कार्य किया है तथा गैस की कई तहयें पाई गई हैं । हम ने इस से निकलने वाली गैस की मात्रा का पता लगाने का प्रयास किया है ।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है गैस का विश्लेषण करने में कोई कठिनाई नहीं है । परन्तु यह पता लगाना कठिन है कि कितनी मात्रा में गैस उपलब्ध है, क्योंकि अभी तक कूएं का छिद्रण कार्य पूरा नहीं हुआ है । भारी दबाव के कारण उस के छिद्रण कार्य को समाप्त करना पड़ा है । अब हम तीन कुओं का छिद्रण कार्य कर रहे हैं । इस उद्देश्य के लिये सड़कों का निर्माण हो रहा है । सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होते ही इन तीनों कुओं का छिद्रण कार्य पूरा किया जायेगा तथा संरचना सम्बंधी परीक्षण पूरे किये जायेंगे ।

श्री एच० के० एल० भगत : हमारी तेल की कुल खपत की तुलना में देश में तेल के उत्पादन की प्रतिशतता के बारे में हमारी वर्तमान स्थिति क्या है ? पांच वर्ष बाद क्या स्थिति होगी ? क्या हम 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री दशरथ देव : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ कठिनाइयों के कारण पहले कूएं का छिद्रण कार्य समाप्त कर दिया गया हैं । परन्तु जब यह कार्य समाप्त किया गया तो अनेक समाचार प्रकाशित हुए थे कि इस कूएं का छिद्रण कार्य समाप्त कराने में शरारती तत्वों का बहुत बड़ा हाथ है । यह घटना दो बार हुई है । क्या सरकार ने इन घटनाओं की जांच की है और अपराधियों का पता लगाया है ? मंत्री महोदय ने कहा है कि तीन और कूओं पर कार्य आरम्भ करने के लिये सड़कें बनाई जा रही हैं । इस प्रकार की घटनायें दुबारा न हों, क्या इसके लिये आवश्यक एहतियात बरती जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : कूओं पर कार्य रोकने में किसी की शरारत नहीं है । जब हम तेल या गैस की खोज करते हैं तो कई बार हमें कुछ नहीं मिलता । यह प्राय: होता ही रहता है । तीन और कूओं के लिये जगह चुन ली गई है । सड़कें बनते ही इन कूओं की खुदाई शुरू कर देंगे ।

बम्बई में मिट्टी के तेल की सप्लाई

*487. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में प्रत्येक परिवार को हर माह मिट्टी के तेल का कितना कोटा सप्लाई किया जाता है ; और

(ख) क्या यह कोटा गैस स्टोव रखने वाले घरों को सप्लाई की गई एल० पी० जी० (गैस) के अतिरिक्त है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) बम्बई के राशन के क्षेत्र में मिट्टी के तेल की सप्लाई की वर्तमान मासिक मात्रा इस प्रकार है ।

(1) 2 यूनिट के राशन कार्डधारी (चाहे गैस का प्रयोग करनेवाले हों अथवा न करने वाले हों) प्रति कार्ड 8 लीटर

(2) गैस का प्रयोग न करने वाले ग्राहक:

(क)	3 से 9 यूनिट के राशन कार्ड धारी	15 लीटर प्रति कार्ड
(ख)	10 यूनिट तथा इससे अधिक यूनिट तक राशन कार्डधारी।	20 लीटर प्रति कार्ड

(3)	गैस प्रयोग करने वाले ग्राहक (राशन कार्ड धारियों के अतिरिक्त) गैस का प्रयोग करने वाले ग्राहकों में तरल पैट्रोलियम गैस के ग्राहक तथा बम्बई गैस कम्पनी तथा म्यूनिस्पल सिवेज गैस से सप्लाई की गई गैस का प्रयोग करने वाले सम्मिलित हैं।	10 लीटर प्रति कार्ड

श्री बी० वी० नायक : चूंकि यह प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्ध रखता है इसलिये यह राज्य का विषय है। मैंने इस प्रश्न को एक समस्या को हल करने के लिये उठाया है। मैं जानना चाहूंगा कि किन परिस्थितियों में बम्बई को गांवों की अपेक्षा 20 गुना अधिक तेल दिया जाता है। गांवों में जहां बिजली नहीं है प्रत्येक परिवार को एक महीने में केवल एक लिटर तेल सप्लाई किया जाता है। उन्हें अपनी झोंपड़ियों और घरों में रोशनी करने के लिये पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल सप्लाई नहीं किया जाता। इस विषमता को जो देश के बड़े भागों में विद्यमान है वह किस प्रकार दूर करने का विचार रखते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं माननीय सदस्य के इन विचारों से सहमत हूं कि हमें सुदूर गांवों में मिट्टी का तेल अविलम्ब पहुंचाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। इस दृष्टि से, हम मंत्रालय में इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं गृहिणी को खाना पकाने और अपने घर में रोशनी करने के लिये मिट्टी का तेल किस प्रकार उपलब्ध कराया जाये। इसलिये वर्तमान शोधनशालाओं में मिट्टी का तेल अधिक मात्रा में तैयार करना होगा। ऐसा करने से डीजल तेल का उत्पादन कम हो जायेगा। अतः यह डीजल तेल और मिट्टी के तेल की आवश्यकताओं के बीच संतुलन कायम रखने का प्रश्न है। हमने अब और अधिक मिट्टी का तेल तैयार करने का फैसला किया है ताकि यह गांवों मे गृहणियों को उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही हम सोवियत संघ से मिट्टी का तेल आयात कर रहे हैं और यदि संभव हुआ तो अन्य देशों से भी हम आयात करेंगे ताकि हमें वितरण के लिये और अधिक मिट्टी का तेल मिल सके। वास्तव में हमने वितरण के लिये और अधिक मात्रा उपलब्ध करायी है। एल० पी० जी० से गृहिणी को और अधिक सुविधा होती है। चूंकि गैस बम्बई में उपलब्ध है इसलिये इसे सुदूर स्थानों पर भेजना आर्थिक दृष्टि से सुविधाजनक नहीं होगा और इसलिये इसका उपभोग यथासंभव बम्बई में ही करना होगा। इसी कारण बम्बई में अधिक गैस सप्लाई की जाती है। जिस भावना से यह प्रश्न पूछा गया है उसकी सरकार कद्र करती है।

श्री बी० वी० नायक : मैं इस जानकारी के लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पैट्रोलियम उत्पाद और डीजल के वितरण के लिये इतनी मांग नहीं है जितनी कि गरीब क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की उपलब्धि के बारे में है। चूंकि बर्मा शैल को छोड़कर सारा पेट्रोलियम व्यापार सरकारी क्षेत्र में आ रहा है इसलिये क्या सरकार निर्धन क्षेत्रों में और देश के आन्तरिक भागों में और अधिक डिपो खोलने पर विचार करेगी ताकि मिट्टी का तेल समाज के निर्धन वर्ग को उपलब्ध कराया

जा सके और अन्य संस्थाओं की तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी निर्धन और धनी व्यक्तियों के बीच भेदभाव बढ़ाने में सहायक सिद्ध न हो ।

श्री के० डी० मालवीय : जैसा मैंने बताया है, हम मिट्टी के तेल का वितरण बढ़ाने और गांवों में इसे और अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं । हम कुछ योजनाओं पर भी विचार कर रहे हैं । इसलिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे कुछ सप्ताह और प्रतीक्षा करें। तब तक हम कुछ विशेष निर्णय कर लेंगे ।

श्री राजा कुलकर्णी : श्रीमन्, मिट्टी के तेल के वितरण में बम्बई के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है । वास्तव में बम्बई के साथ बहुत अन्याय किया गया है और इसके कोटे में 10 से 15 प्रतिशत की कटौती की गई है ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Sir, the Hon'ble Member has stated in his reply that 8 litres of kerosene oil is supplied for two units and 15 litres for 3 to 9 units. According to my information, it has been stated only for furnishing figures. In actual practice, this quantity of oil is not supplied. Many people use gas and they do not use oil. I want to know as to where the oil thus saved is utilised.

Is it a fact that a large quantity of oil is misused and is not made available to the people for whom it is meant? Has the Hon'ble Minister received complaints to the effect that oil is distributed in adequate quantity in the areas from where M.Ps. and M.L.As. of the ruling party come and the oil is not supplied in the areas represented by the Opposition leaders.

Mr. Speaker: Mr. Kachwai, this question pertains to Bombay.

Shri Hukam Chand Kachwai: I am asking about Bombay only.

Shri K. D. Malviya: The Hon'ble Member is often swayed by political considerations. Of course, sometimes we fail to supply Kerosene oil to those people who actually need it because of the pressure on its demand. You know, crude oil is in short supply. Prices have gone up considerably but we always try to frame rules to ensure satisfactory supply of kerosene oil to the needy persons. Still we agree that Kerosene oil is not being supplied in adequate quantity to the lower strata of the society. Therefore, efforts are being made to supply oil to them.

Shri Hukam Chand Kachwai: Many persons use gas and do not take their quota of oil. Where does the oil so saved goes.

Mr. Speaker: The question pertains to Bombay. When did he visit Bombay last?

Shri Hukam Chand Kachwai: I have come from Bombay today morning.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरे विचार में मंत्री महोदय केवल सहानुभूति ही नहीं दिखा रहे हैं और वह वास्तव में उन लोगों के प्रति चिन्तित हैं जिन्हें मिट्टी का तेल नियमित रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाता है और वह वास्तव में मिट्टी का तेल उन्हें उपलब्ध कराने की आवश्यकता को अनुभव करते हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान वितरण प्रणाली में शहरों को अधिक महत्व दिया जाता है । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि बम्बई के लिये हा

इसकी आवश्यकता क्यों अनुभव की जा रही है। यदि बम्बई में चोर बाजारी की गुंजाइश नहीं रही तो वहां पर उनके दंगे हो जायेंगे। मैं बम्बई के बारे में अच्छी तरह जानता हूं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय को इस बात का एहसास है कि जो भी मिट्टी का तेल आयात द्वारा और अन्य तरीकों से उपलब्ध हो रहा है वह केवल शहरों में ही क्यों बांटा जा रहा है और शहरों के प्रति इस पक्षपात को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? देहाती क्षेत्रों में वितरण के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र एजेन्ट हैं। क्या वह जानते हैं कि वहां पर भारी मात्रा में मुनाफाखोरी की जाती है और लोगों को परेशान किया जाता है? क्या वह देहातों में समुचित वितरण प्रणाली लागू करना चाहते हैं और क्या उन्होंने इन कठिनाइयों के बारे में विचार किया है, यदि हां, तो इन कठिनाइयों को वह दूर करना चाहते हैं?

श्री के० डी० मालवीय : निस्संदेह, मिट्टी के तेल की उपलब्धता के बारे में बम्बई को थोड़ा अधिक महत्व दिया गया है। इसका कारण यह है कि बम्बई में कोयला उपलब्ध नहीं है। वहां पर बिहार और अन्य क्षेत्रों से कोयला पहुंचाना बहुत महंगा पड़ता है। मिट्टी का तेल बम्बई की शोधनशालाओं में तैयार किया जाता है। इसलिये यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बम्बई में मिट्टी का तेल अधिक मात्रा में उपलब्ध है।

जैसा मैंने अभी बताया है, देहातों में मिट्टी के तेल का समुचित वितरण करने की बहुत आवश्यकता है। इस दृष्टि से हम इस योजना में परिवर्तन कर रहे हैं और मिट्टी के तेल के वितरण की प्रणाली में सुधार कर रहे हैं ताकि यह देहातों में उपलब्ध हो सके। सभा को यह भी मालूम होना चाहिये कि पिछले तीन या चार महीनों में हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी जगह मिट्टी के तेल की सप्लाई बढ़ा दी है।

Shri Janeshwar Mishra: Perhaps, the Hon'ble Minister is aware that the consumption and demand of oil goes up in the months of April and May, when the examinations of school and college students take place, in Bombay and other parts of the country. Is the Hon'ble Minister thinking in terms of increasing the present quota of oil, in view of the aforesaid increase demand?

Shri K. D. Malviya: We have increased the quota and will increase it further.

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा संश्लिष्ट प्रक्षालकों की कीमतों में वृद्धि

*489. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने पिछले एक साल के दौरान अपने संश्लिष्ट प्रक्षालकों की कीमतों में छः बार वृद्धि की है, और इस अवधि के दौरान कीमतें दुगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड सर्फ और विम पर आकर्षक उपभोक्ता स्कीमें लागू कर रहे हैं जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह कम्पनी इन उत्पादों की कीमतों में कमी कर सकती है; और

(घ) यदि हां, तो इस विदेशी कम्पनी को अपने संश्लिष्ट प्रक्षालकों की कीमतों को कम करने के लिये राजी कराने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख). हिन्दुस्तान लीवर लि० सहित देश में निर्मित सिंथेटिक डिटरजेंट के मूल्य समय-समय से प्रमुख कच्चे माल डिटरजेंट एल्किलेट पैट्रोरसायन तथा एस टी पी पी की लागत में वृद्धि के कारण बढ़ाए गए हैं । जब कि सर्फ (200 ग्राम) का मूल्य फरवरी, 1974 में 1.77 रुपये था और फरवरी, 1975 से 2.58 रुपये है ।

(ग) और (घ). सिंथेटिक डिटरजेंट के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है । उपभोक्ता को प्रोत्साहन देने की योजनाओं के द्वारा बिक्री में वृद्धि सामान्यतः व्यापार प्रथा है और ज्ञात हुआ है कि मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० ने सर्फ के बारे में ऐसी प्रोत्साहन योजनाओं पर केवल लगभग 30,000 रुपये खर्च किये हैं । विम के बारे में, उपभोक्ता प्रोत्साहन योजनाओं पर उत्पादनकर्ता द्वारा कुल बिक्री का 25 प्रतिशत ब..या गया था ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सत्य है कि एक बहु-राष्ट्रीय निगम, यूनीलिवर, लन्दन की एक सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड को हाल्दिया में एस० टी० पी० पी० के उत्पादन के लिये लाइसेंस दिया गया और उस समय सरकार ने यह समझा कि वह साबुन के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले तेल को बचा सकेगी और इस प्रकार उपभोक्ताओं को संश्लिष्ट प्रक्षालक (सिन्थेटिक डेटरजेंट्स) उपलब्ध हो सकेंगे ? क्या यह भी सत्य है कि हिन्दुस्तान लिवर को 1973 में लाइसेंस मिलने के बाद उनके सर्फ की कीमत 300 प्रतिशत बढ़ गई और अब सर्फ निर्धन लोगों की पहुंच से बाहर हैं ?

क्या सरकार जानती है कि सर्फ, इकोनोमी साइज़ की कीमत जनवरी, 1974 में 4.25 रुपये से बढ़ कर अब 10.75 रु० हो गई । विम जो पिछले वर्ष 1.50 रु० का मिलता था अब 2.75 रुपये का मिलता है ?

वह अपना लाभ न बढ़ायें और उसे लन्दन में न भेजें, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ? 1973 में उन्होंने लन्दन में 146 लाख रुपये भेजे थे ।

श्री के० आर० गणेश : यह सच है कि हिन्दुस्तान लिवर के सर्फ और अन्य प्रक्षालकों की कीमत बढ़ गई है । फरवरी, 1974 में सर्फ 1.77 रु० था । फरवरी, 1975 में इसकी कीमत 2.58 रु० हो गई । निर्माताओं का कहना है कि दिसम्बर, 1972 से जुलाई, 1974 तक प्रमुख कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हुई है । डेटरजेंट अलकाईलेट का मूल्य 2,330 रुपये से बढ़ कर 12,755 रुपये हो गया और एस० टी० पी० पी० का मूल्य 3,258 रुपये से बढ़ कर दिसम्बर, 1974 में 8,216 रुपये हो गया । निर्माताओं का कहना है कि इसी कारण डेटरजेंट्स के मूल्यों में वृद्धि हुई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मौजूदा जैसी अन्य कम्पनियां डेटरजेंट पाउडर 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रही हैं। वह कहती हैं कि उनके माल की किस्म अच्छी है। सर्फ की कीमत सबसे ज्यादा है। क्या यह सत्य है कि अभी हाल ही में हिन्दुस्तान लिवर ने स्थानीय समाचारपत्रों में यह विज्ञापन दिया है कि सर्फ के दो पैकेट खरीदने वालों को केवल 55 पैसे प्रति टिन देना होगा। इसी प्रकार सर्फ के दो पैकेट खरीदने वालों को 0.50 पैसे प्रति टिन देना होगा जबकि सर्फ के एक टिन का मूल्य 2.75 रुपये है। किन्तु वह सर्फ के मूल्य में 2 रुपये या 3 रुपये की कमी नहीं कर सकती। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी और हिन्दुस्तान लिवर के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और क्या इस कम्पनी को अपने हाथ में लेगी।

श्री के० आर० गणेश : यह सच है कि हिन्दुस्तान लिवर उपभोक्ता संवर्धन व्यापार कर रही है। उनके अनुसार व्यापार की यही पद्धति यहां पर विद्यमान है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह रियायत दिल्ली में ही दी जा रही है, अन्य स्थानों पर नहीं। ऐसा क्यों है?

श्री के० आर० गणेश : मुख्य बात यह है कि मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। माननीय सदस्य ने इसे जो अपने हाथ में लेने की बात कही है, इस पर हम विचार करेंगे।

. . . (व्यवधान)

डा० कैलास : श्री बनर्जी ने यह भी कहा है कि दूसरी फर्में कम मूल्य पर बेच रही हैं। तो फिर हिन्दुस्तान लिवर कीमतें क्यों नहीं कम करती?

श्री भागवत झा आजाद : क्या कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। लिवर ब्रादर्स ने देश में तहलका मचा रखा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मूल्य नियंत्रण क्यों हटाया गया?

श्री के० आर० गणेश : डेटरजेंट्स पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : आप लाभ पर नियंत्रण क्यों नहीं करते।

श्री के० आर० गणेश : ठीक है। मैं केवल स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं।

श्री भागवत झा आजाद : यह कोई उत्तर नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि लाभ पर नियंत्रण क्यों नहीं किया गया?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Why is there no profit-control? Housewives ask us as to why the prices of surf are going up. The Hon'ble Minister should reply to it.

अध्यक्ष महोदय : दोपहर के बारह बज चुके हैं। मैंने घोषणा कर दी है कि प्रश्न काल समाप्त हुआ। यदि मंत्री महोदय चाहें तो वह वक्तव्य दे सकते हैं या अगर आप चाहें तो मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे सकता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : हम चर्चा करना चाहते है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत में बहुराष्ट्रीय निगम

***488. श्री सरजू पांडे :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री भारत में बहु-राष्ट्रीय निगमों के बारे में 26 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2197 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराष्ट्रीय निगमों की सहायक कम्पनियों ने 1973–74 और 1974–75 के दौरान औद्योगिक, फार्मास्यूटिकल और उर्वरक क्षेत्रों में कुल कितना पूंजी निवेश किया;

(ख) 1971–72, 1973–74 और 1974–75 में अन्य सभी क्षेत्रों में उनके पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में इन कम्पनियों ने विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत विदेशों को कितनी धनराशि भेजी तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 (1) के अन्तर्गत इन कम्पनियों के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा अपने निदेशक नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) 31–3–1974 तक भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की 200 नियंत्रणाधीन कम्पनियां चल रही थीं। इन नियंत्रणाधीन कम्पनियों के 113 तुलनपत्र वर्ष 1973–74 हेतु आज तक प्राप्य है। इन 113 नियंत्रणाधीनों में फार्मास्यूटीकल सहित औद्योगिक क्षेत्र में 87 आती हैं और 26 अन्य क्षेत्रों में आती है। कुल निवेश अर्थात् फार्मास्यूटिकल उद्योग में चल रही 12 नियंत्रणा-धीनों के विषय में 108.75 करोड़ रु० राशि की परिसम्पत्ति सहित, वर्ष 1973–74 में औद्योगिक क्षेत्र में 87 नियंत्रणाधीनों की परिसम्पत्ति के मूल्य की राशि 828.05 करोड़ रु० थी। 1973–74 में उर्वरकों के विनिर्माण में लगी एक नियंत्रणाधीन कम्पनी थी किन्तु उसका तुलन-पत्र प्राप्य नहीं है। चूंकि इस वर्ष हेतु इन नियंत्रणाधीनों द्वारा अभी तुलन-पत्र प्रस्तुत किये जाने हैं अत: वर्ष 1974–75 हेतु बहुराष्ट्रीय निगमों की नियंत्रणाधीनों की परिसम्पत्ति के मूल्य के विषय में ब्यौरे प्राप्य नहीं है।

(ख) अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित नियंत्रणाधीन अर्थात् औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर, क्षेत्रों की परिसम्पत्ति के मूल्य के विषय में उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार दी जाती है :—

वर्ष	कम्पनियों की संख्या	परिसम्पत्ति का मूल्य (करोड़ रु० में)
1971–72	42	96.10
1973–74	26*	89.24

*113 नियंत्रणाधीनों में से जिसके तुलनपत्र प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग द्वारा रखी जाने वाली सूचना के अनुसार वर्ष 1972–73 ; विभिन्न शीर्षकों के अन्तगत बहुराष्ट्रीय नियंत्रणाधीनों द्वारा विदेश में भेजी गई कुल राशि, निम्न प्रकार है :—

	करोड़ रु.
1. लाभांश	22.88
2. तकनीकी पर्यवेक्ष	1.47
3. रायल्टी	1.09
4. प्रधान कार्यालय व्यय	0.02

अभी वर्ष 1973-74 और 1974-75 हेतु भेजो गई राशियों की सूचना, वित्त मंत्रालय आर्थिक विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार, कम्पनो अधिनियम की धारा 408(1) के अन्तर्गत कम्पनी में निदेशक नियुक्त करती है यदि इसको जांच करने के पश्चात् यह संतोष हो जाता है कि कम्पनी का प्रबन्ध उस विधि से किया जा रहा है जो कम्पनी के किसी सदस्य को पीड़ित करता है या उस विधि में जो कम्पनी या जनहित के विपरीत है। इन नियंत्रणाधीनों के विषय में सरकार की सूचना में कोई इस प्रकार का मामला नहीं आया हैं।

Contract for supply of Grocery to Chandausi Training School, Northern Railway

***490. Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have enquired into the fact that contracts for supply of grocery to the Mess of Chandausi Training School in Uttar Pradesh have been given in an arbitrary manner to persons other than these who have submitted tenders, with a view to serve personal interests which has resulted in loss of about Rs. 55,000 to the mess; and

(b) whether instructions have been issued to take stringent action against the officers found guilty in this regard?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No such complaint has come to the notice of the Government. However, a complaint received in 1972 alleging *inter alia* favouritism by the Principal of the School in the award of a contract for supply of Milk in consideration for illegal gratification was enquired into and found to be without substance.

(b) Does not arise.

राज्य विधान सभाओं और संसद् के लिये उप-निर्वाचन

*491. **श्री विजयपाल सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान सभाओं और संसद् के लिये होने वाले उप–निर्वाचनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1972–73 और 1974–75 में राज्य विधान सभाओं और संसद के लिये हुए उप–निर्वाचनों के परिणामों के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को कितने मत मिले तथा उक्त निर्वाचनों से सम्बन्धित अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) उप–निर्वाचन से पहले हुए निर्वाचन में इनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या सहित निर्वाचन परिणाम क्या थे; और

(घ) क्या उन सभी स्थानों के लिये, जो अब रिक्त हैं, उप–निर्वाचन करवाये जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री (डा० सरोजिनी महिषी) :

(क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9319/75]

(ख) और (ग) जानकारी इकटठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) निर्वाचन आयोग 12 विधान–सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप–निर्वाचनों के लिए कार्यक्रम का अनुमोदन कर चुका है। शेष उप–निर्वाचन यथा संभव शीघ्र कराए जाएंगे।

बम्बई हाई से अशोधित तेल का वाणिज्यिक उत्पादन

*492. **श्री हरिकिशोर सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

बम्बई 'हाई' से वाणिज्यिक आधार पर अशोधित तेल निकालने में वहां लगाई गई मशीनों पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा सहित कितनी धन राशि व्यय होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : सम्पूर्ण उत्पादन सम्भाव्यता का मूल्यांकन कर लेने तथा विस्तरित प्रायोजना के तैयार कर लिए जाने के बाद ही, बम्बई हाई से प्राप्त कच्चे तैल के उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्ष 1973–74 के अन्तर्गत बम्बई क्षेत्र पर 7.67 करोड़ रुपये का व्यय किया गया और वर्ष 1974–75 के अन्तर्गत इस व्यय का 13.29 करोड़ रुपये का अनुमान है। वर्ष 1975–76 के लिए 51.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

गुजरात में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

*493. **श्री एन० आर० बोकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में एक उर्वरक संयंत्र लगाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कहां और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). जी एस एफ सी बड़ौद को, पांचवीं योजना अवधि के दौरान यूरिया के 5,28,000 मी० टन के उत्पादन द्वारा अतिरिक्त अवधि के दौरान अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया है। छठी योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त उर्वरक क्षमता स्थापित करने के लिए कार्यक्रम अब तक तैयार नहीं किया गया है।

Funds for setting up of Fertilizer plants

*494. **Shri Banamali Babu:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the present plans for setting up fertilizer units in the country;

(b) the provision envisaged for this purpose; and

(c) the other resources being tapped for raising funds for setting up fertilizer factories?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh): (a) to (c). Presently, 18 fertilizer units (11 in the public and 7 in the private sectors) with a capacity of 19.81 lakh tonnes of nitrogen are in operation. 5 projects (2 public, 2 private and 1 cooperative sector) with a capacity of 7.8 lakh tonnes of nitrogen are in advance stages of completion, bringing the total to 27.61 lakh tonnes of nitrogen. This is also inclusive of fertilizers produced as by-product in the steel plants. For phosphatic fertilizers, the capacity already developed or to be developed with projects in advance stages of completion likewise comes to 8.6 lakh tonnes in terms of P 205.

In addition, 14 projects are in different stages of implementation and 10 others have been sanctioned/approved in principle. With the implementation of all these projects, the total capacity is expected to aggregate to 65 lakh tonnes of nitrogen and 17.82 lakh tonnes of P 205 as detailed below:

(*In lakhs tonnes*)

	Public Sector		Private Sector		Cooperative/Joint Sector	
	Nitrogen (N)	P205	Nitrogen (N)	P 205	Nitrogen (N)	P 205
(i) Units under operation.	11·28	2·02	8·53	3·58		
(ii) Projects in advance stages of completion .	3·04	0·90	2·61	0·82	2·15	1·27
(iii) Other projects under implementation .	15·36	4·58	1·60			
(iv) Projects approved/approved in principle	9·45	3·00	5·73	0·82	5·22	0·83
	39·13	10·50	18·47	5·22	7·37	2·10

TOTAL N (39·13+18·47+7·37)=64·97 lakhs tonnes or 65·00
Total P205 (10·50+5·22+2·1)=17·82 lakh tonnes.

As a 'core' sector industry, adequate priority is given to fertilizer projects in the matter of allocation of resources. In regard to rupee resources, the Fifth Plan document envisages an allocation of Rs. 560 crores for the new projects to be taken up in the public sector. For projects in private and cooperative/joint sectors, the entrepreneurs concerned would have to mobilise the necessary resources.

Besides rupee resources, the fertilizer projects would require foreign exchange for supplies and services not available in the country. Here also, adequate priority is given to all the projects in the matter of allocation of suitable credits or free foreign exchange, as may be appropriate.

Effect of Coal Shortage on Running of Goods Trains in Ratlam Division

***495. Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether many goods trains could not be run according to schedule in Ratlam Division on Western Railway due to coal shortage;

(b) whether this has had an adverse effect on railway booking in Jaora, Mandasor and Neemuch resulting in financial loss to Railways indirectly; and

(c) the steps taken to remove this shortage?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Only the frequency of a few unimportant sectional goods trains were reduced on some metre gauge portions of Ratlam Division in January and February 1975 due to inadequate availability of coal.

(b) No, Sir.

(c) The loco coal receipts have since improved and there is no difficulty now in running the train service on Ratlam Division.

नई दिल्ली (उत्तर रलवे) के विभागीय लेखा अधिकारी (डी० ए० ओ०) के कार्यालय में काम कर रहे सब-हैड पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*496. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **रेल** मंत्री नई दिल्ली (उत्तर रेलवे के विभागीय लेखा अधिकारी (डी० ए० ओ०) के कार्यालय में काम कर रहे सब-हैड पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायत के बारे में 19 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 1032 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच पड़ताल का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जिन तथ्यों का पता चला है, उनके आधार पर कठोर दण्ड के लिए सब-हैड पदाधिकारियों को आरोप-पत्र दिये गये हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). इस मामले में छान-बीन पूरी हो गयी है। रिपोर्ट की जांच हो जाने के बाद यथावश्यक आगे कार्रवाई की जायेगी।

दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये आवास

*497. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त आवास की व्यवस्था करने हेतु **मंत्रालय** की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण का कार्य सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और प्रति वर्ष जितना धन उपलब्ध होता है उसीके अनुसार कार्यक्रम बना कर निर्माण किया जाता है।

(ख) दिल्ली क्षेत्र में टाइप I के 42 यूनिट, टाइप II के 154 यूनिट, टाइप III के 28 यूनिट, टाइप IV के 51 यूनिट, टाइप IV विशेष के 36 यूनिट और टाइप V के 2 यूनिट क्वार्टर निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल कर्मचारियों का सेवा में बहाल किया जाना

***498. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० ग्राई० ग्रार० एफ० से सम्बद्ध साउथ ईस्टर्न रेलवे मेन्स यूनियन अब भी मान्यता-प्राप्त संगठन है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रशासन ने इस यूनियन के शाखा और डिवीजन के स्तरों पर पदाधिकारियों और परिषद् सदस्यों को मई, 1974 की हड़ताल के सम्बन्ध में सेवा से बर्खास्त करने और मुअत्तिल करने के लिए चुन लिया है ;

(ग) इस रेलवे में, डिवीजनवार, ऐसे स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अभी तक सेवा में नहीं लिए गये ; और

(घ) क्या उनको निकट भविष्य में सेवा में बहाल किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । मई 1974 की अवैध हड़ताल के सदंर्भ में, रेल कर्मचारियों के विरूद्ध केवल उनकी गतिविधियों और उनके आचरण के आधार पर कार्रवाही की गई थी, न कि किसी यूनियन विशेष में उनके पदाधिकारी होने के आधार पर ।

(ग) और (घ). सेवा से बर्खास्त किए गये/हटाये गये/ सेवा समाप्त किए गए कुल 2108 कर्मचारियों में से 490 को अभी वापस नहीं लिया गया है । मण्डलवार आंकड़ों का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । उनके मामलों पर यथासम्भव पूरी तत्परता से पुनर्विचार किया जा रहा है ।

विवरण

मण्डल/कारखाना/यूनिट	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें अभी सेवा में वापस नहीं लिया गया ।
मण्डल	
खड़गपुर	129
आद्रा .	150
चक्रधरपुर	33
विलासपुर	18
नागपुर .	25
खार्धा रोड	3
वाल्तेरु .	26
कारखाना	77
भण्डार डिपो	18
प्रधान कार्यालय .	11
जोड़ .	490

कलकत्ता में महानगरीय रेल परियोजना को पूरा करने सम्बन्धी कार्यक्रम

***499. श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कलकत्ता में महानगरीय रेल–परियोजना के कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है।

(ख) अब तक किये गये कार्य की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) भूमिगत रेल परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है और यह कब तक पूरी हो जाएगी।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1.8 किलोमीटर लम्बे दो ठेका खण्डों में वास्तव में जो निर्माण कार्य हो रहा है, वह 1975–76 में जारी रहेगा। कुछ और ठेका खण्डों के लिए टेन्डर प्राप्त हो गये हैं। कुछ और ठेके दिये जाये की सम्भावना है। 1975–76 के बजट में इसके लिए 8.4 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है।

(ख) 1972 से निर्माण कार्य के लिए इस संगठन का कार्य तेज कर दिया गया है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, दो ठेका खण्डों में वास्तविक कार्य शुरू कर दिया गया था। 45.73 हेक्टयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। बिजली, सिगनल और दूर-संचार इंजीनियरिंग, वातानुकूलन और वायू-संचालन प्रणालियों आदि के अभिकल्प और उनकी योजनाओं को तैयार किया जा रहा है। फरवरी, 1975 के अन्त तक कुल मिलाकर 5.90 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ग) इस समय परियोजना की संशोधित लागत लगभग 250 करोड़ रुपये है। साधनों की वर्तमान तंगी के अनुरूप ही निर्माण-कार्यों की गति को नियमित करना होगा। बहेतर साधन उपलब्ध होने पर और स्थिति के कुछ अधिक स्पष्ट होते ही इस काम को पूरा होने की तारीख निर्धारित कर दी जायगी जो कि 1981 से पहले नहीं हो सकेगी।

कार्य गति धीमी करने के कारण बिहार में कर्मचारियों की छंटनी

***500. श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार्य की गति धीमी करने और इसके परिणामस्वरूप बिहार में कर्मचारियों की छंटनी होने के बारे में दिनांक 12 फरवरी, 1975 के हिन्दी दैनिक नवभारत टाइम्स (नई दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कार्य-गति धीमी करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय किस स्तर पर और किस तारीख को किया गया था।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) समाचार में उल्लिखित किसी कार्य को धीमा करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात राज्य में कार्यरत उर्वरक संयंत्र

*501. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने उर्वरक संयंत्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) वर्ष 1974 में इनका वार्षिक उत्पादन कितना था ;

(ग) क्या यह उत्पादन इनके निर्धारित उत्पादन की तुलना में कम है ; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) गुजरात में गैर-सरकारी/संयुक्त क्षेत्र में इस समय चार उर्वरक यूनिट चालू हैं जिन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं०, बड़ौदा।
2. आदर्श कैमिकल्ज एण्ड फर्टिलाइजर्स, उधना।
3. अलेम्बिक कैमिकल वर्क्स, बड़ौदा।
4. अनिल स्टार्च प्राडक्ट्स, भावनगर।

इनमें से जी एस एफ सी के संयंत्र, जो संयुक्त क्षेत्र में है, नाइट्रोजन तथा फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माण के लिए बड़े आकार के संयंत्र है जबकि अन्य तीन सिंगल सुपर-फास्फेट यूनिट है। इन संयंत्रों को अतिरिक्त इंडियन फार्मर्ज फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० के सहकारी क्षेत्र में कलोल तथा कांडला स्थित संयंत्र है जिन की 215,000 मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 127,000 मीटरी टन फास्फेट का निर्माण करने की क्षमता है। आई एफ एफ को० के संयंत्रों में फरवरी, 1975 में उत्पादन होना शुरू हो गया था।

(ख) क्षमता का लक्ष्य और उत्पादन /000 मीटरी टन पौषक तत्वों में

यूनिट	वार्षिक स्थापित क्षमता		1974-75			
			वार्षिक लक्ष्य		उत्पादन	
	एन०	पी2ओ5	एन०	पी2ओ5	एन०	पी2ओ5 (अप्रैल 1974—फरवरी 1975)
1. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं० बड़ौदा	216.0	50.0	164.0	30.0	150.4	22.7
2. आदर्श कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर	—	11.2	—	6.5	—	5.0
3. अलेम्बिक कैमिकल वर्क्स	—	3.9	—	3.6	—	3.1
4. अनिल स्टार्च प्राडक्टस	—	5.6	—	4.1	—	2.2

(ग) और (घ) : दूसरे यूरिया संयंत्र के यूरिया रिएक्टर में खराबी हो जाने तथा बिजली की बाधाओं के कारण वर्ष के दौरान जी० एस० एफ० सी० में कम उत्पादन हुआ। अनिल स्टार्च को छोड़कर अन्य सुपर फास्फेट यूनिटों में सिंगल सुपर फास्फेट की मांग के संदर्भ में संतोषजनक ढंग से कार्य हुआ। यांत्रिक समस्याओं के कारण मैसर्स अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स में उत्पादन व्यय हुआ था।

केरल सरकार को 1974–75 में माल डिब्बों का आवंटन

*502. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को उसकी मांग की तुलना में बहुत कम रेल माल-डिब्बे आवंटित किये गये ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974–75 के लिए कुल कितने माल डिब्बों की मांग थी तथा राज्य सरकार की मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नामरूप उर्वरक कारखाना

*503. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नामरूप उर्वरक कारखाने पर कुल कितनी लागत आई और इस कारखाने की मूल अनुमानित लागत की तुलना में यह कितनी कम या अधिक है ; और

(ख) इस कारखाने की लागत में इतनी अधिक वृद्धि हो जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 29.46 करोड़ रुपये के पूर्ववत अनुमान की तुलना में, अब इस प्रायोजना पर 58.62 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(ख) लागत में वृद्धि मुख्य रूप से उपकरणों को देर से प्राप्त करने और निर्माण कार्य में विलम्ब होने तथा मध्यावधि के दौरान मूल्यों में वृद्धि हो जाने के परिनाण-स्वरूप हुई।

बीकानेर डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में कर्मचारियों के सेवाकाल में वृद्धि

4677. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु के बाद उनके सेवा-काल में वृद्धि न देने की आम नीति का विशेषतया उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीज़न में कड़ाई से पालन किया जा रहा है ; और

(ख) बीकानेर डिवीज़न के उन रेलवे अधिकारियों के क्या नाम हैं जिनको वर्ष 1975 की पहली तिमाही में सेवा काल में वृद्धि का लाभ दिया गया है अथवा दिया जाना है तथा प्रत्येक मामले में उक्त वृद्धि प्रदान करने के क्या आधार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, लोक सेवाओं की अपेक्षाओं और मई, 1974 की हड़ताल के दौरान निष्ठावान कर्मचारियों के सुपात्र मामलों को छोड़ कर ।

(ख) मई, 1974 की हड़ताल में निष्ठावान कर्मचारी के रूप में श्री सोहन सिंह, मंडल परिचालन अधिकारी को ।

रेलवे कर्मचारियों की बहाली (मध्य तथा पश्चिम रेलवे)

4678. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य तथा पश्चिम रेलवे के उन स्थायी, अस्थायी तथा मासिक एवम् दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों की डिवीज़न-वार तथा वर्कशाप-वार संख्या कितनी है जिन्हें मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था अथवा सेवा से पृथक कर दिया गया था; और

(ख) उनमें से बहाल किये गये कर्मचारियों की, श्रेणी-वार, संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–9306/75] ।

(ख) रेलें कोटिवार आंकड़े नहीं रखती हैं । भारतीय रेलों में कर्मचारियों की 700 से अधिक कोटि होने के कारण ऐसा करना बिल्कुल असंभव है । 8 मार्च, 1975 को मध्य और पश्चिम रेलवे पर जो स्थिति थी वह इस प्रकार है :

	मध्य	पश्चिम
(i) स्थायी कर्मचारी जो सेवा से बर्खास्त/हटाये गये .	457	1,436
(ii) (i) में से नौकरी में वापस बुलाये गये कर्मचारीयों की संख्या	316	1,297
(iii) स्थायी कर्मचारी जिनकी सेवा समाप्त की गयी .	1,244	2,071
(iv) (iii) में से वापस बुलाये गये कर्मचारियों की संख्या	1,240	2,063
(v) बर्खास्त किये गये नैमित्तिक मज़दूर/एवज़ी कर्मचारी .	4,267	3,224
(vi) (v) में से फिर काम पर लगाये गये नैमित्तिक मजदूर .	4,178	1,525

नैमित्तिक मजदूरों को काम पर फिर से लगाना काम की आवश्यकता और साधन की स्थिति पर निर्भर करता है ।

Request made for running Passenger Trains at some places in Madhya Pradesh

4679. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a representation has been received from the people of Adivasi areas or from the Members of Parliament and Legislative Assembly of Madhya Pradesh about a year back in which a request has been made for running a passenger train at some places in Adivasi areas of Madhya Pradesh;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the time by which the said request is likely to be acceded to?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Representations have been received for introduction of a mixed train between New Katni and Beohari on Katni-Singrauli section and another train between Kottavalasa and Kirandul section.

(b) and (c). In the present working conditions of Katni-Singrauli section, running of a passenger train is not desirable. Some of the stations are 18 to 31 kilometres apart and provision of control communications is essential with a view to ensure safety of passengers. Introduction of a Passenger train will be considered when necessary facilities become available.

As is known, the Kirandul-Kottavalasa rail line was primarily built for movement of iron ore traffic for export. The line capacity of this section would thus almost be completely committed to these requirements. Even during the interregnum, the time required for electrification in progress is proving a serious strain on the available capacity. In this context, therefore, it has not been found feasible to accede to the request for introduction of any additional mixed train on this section at this stage.

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव

4680. **श्री वीरभद्र सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का है जहां मामलों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है तथा इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या को निपटाने की दृष्टि से न्यायाधीशों की संख्या को नियत करने के संबंध में शाह समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्रियों से अगस्त, 1972 में अनुरोध किया गया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में कार्य की स्थिति का नियमित पुनर्विलोकन हर तीन वर्ष में किया जाना चाहिए और न्यायाधीशों की संख्या इस बात को ध्यान में रख कर फिर से नियत की जानी चाहिए कि कितने मामले संस्थित किए गए हैं, कितने निपटाए

गए हैं और कितने मामलों को निपटाया जाना है । प्रथम पुनर्विलोकन तत्काल ही किया जाना था जिससे कि वह 1 जनवरी, 1973 से प्रभावी हो जाए। इस पुनर्विलोकन के आधार पर अनेक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कुल संख्या 1–1–1972 को 307 और 1–1–1975 को 338 थी। इस समय किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मैसर्स टाटा मिल्स लिमिटेड

4681. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स टाटा मिल्स लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी तथा किस तरह की विभिन्न अनियमिततायें कीं ;

(ख) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या इन विभिन्न अनियमितताओं के बारे में कोई जांच समिति बनाने का विचार है, यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय के पते का सरनामे में उल्लेख न करना और अपने नाम के पश्चात् "लिमिटेड" शब्द न जोड़ना तथा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रदर्शित करता हुआ व्यापार के स्थान पर बोर्ड न लगाना जैसी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 147 के अनुपालन न करने के सम्बन्ध में फरवरी, 1973 में शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(ख) मामला कम्पनी के साथ उठाया गया, जिसने अनजाने की गई गलतियों को मान लिया तथा भविष्य में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 147 के अनुपालन का आश्वासन दिया ।

(ग) इस मामले में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत निरीक्षण का आदेश दे दिया गया है ।

विदेशी औषध फर्मों की मूल तथा वर्तमान इक्विटी पूंजी

4682. **श्री भोलजी भाई रावजी भाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी पूंजी वाली विदेशी फर्मों ने गत तीन वर्षों में बल्क औषधियों और फारमूलेशन्ज का जिन लाइसेंसों/आशयपत्रों/अनुमति पत्रों/अनापत्ति पत्रों के आधार पर उत्पादन किया उनका विवरण क्या है और कम्पनियों की मूल इक्विटी पूंजी क्या थी और वर्तमान इक्विटी पूंजी कितनी है ;

(ख) भारतीय फर्मों के समान मानते हुए भी इन फर्मों को क्या रियायतें दी गयी थी और इसके क्या कारण थे ;

(ग) फर्मवार, औषधिवार लाइसेंस प्राप्त क्षमता की मुख्य बातें क्या हैं और वर्तमान बिक्री कितनी है ; और

(घ) क्या जुलाई, 1974 में अन्तरिम मूल्य नियंत्रण के लिये जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्त ओ०पी०पी० आई० क्षेत्र की सहायता के लिये थे, यदि हां, तो क्या विभिन्न संघों से पहले बातचीत की गई थीं और इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कोई महत्व न देने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). 18-3-75 को लोक सभा में आ०ता० प्रश्न संख्या 3797 के उत्तर में ऐसी कम्पनियां जिनकी विदेशी पूंजी 26.1 से 40 प्रतिशत के बीच है के संबंध में मूल साक्ष्य पूंजी वर्तमान कुछ प्रदत्त पूंजी और वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान कुछ विक्रय टर्न-ओवर के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई है ।

अनुमोदन संख्या एवं तिथि जिनके आधार गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन हुआ लाइसेंस क्षमता इत्यादि एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

उद्यमकर्ता से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों पर विचार उनके गुण-दोषों के आधार पर किया जाता है । भारतीय कम्पनियों तथा ऐसी कम्पनियों जिनकी विदेशी साक्ष्य पूंजी 26 प्रतिशत से कम है को अधिक विदेशी साक्ष्य पूंजी वाली कम्पनियों की उपेक्षा निर्माण योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है उन्हें प्रर्पुज औषधों का अधिकतर प्रतिशत अपने उपभोग के लिए रखने की भी अनुमति दी जाती है ।

(घ) जी नहीं । औषध उद्योग के समस्त क्षेत्रों पर मार्ग सूचक सिद्धान्त लागू होते हैं । 18-2-75 को अ०प० सं० 161 के उत्तर में मार्ग सूचक सिद्धान्तों की एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत की गई है । वर्ष 1973 में तेल संकट के कारण प्रर्पुंज औषधों तथा मध्यवर्ती रसायनों के मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और उनकी उपलब्धी भी कठिन हो गई । आई०डी०एम०ए०, ए० आई० एम० ओ०, ओ० पी० पी० आई० तथा अन्यों से कच्चे माल तथा पेकिंग सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारण औषधियों के मूल्य के वृद्धि के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । इन्हीं सभी औषध उद्योग की परोक्त तीन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया था और औषध (मूल्य निर्धारण) आदेश, 1970 के सीमा के अन्दर मार्ग दर्शक सिद्धान्त तैयार किये गये ।

भारतीय क्षेत्र से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मार्ग सूचक सिद्धान्तों की समीक्षा की जांच की जा रही है ।

गुन्टूर-मचरेला लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4683. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुन्टूर-मचरेला मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिये अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर कब तक कार्य आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). यह एक अनुमोदित परियोजना है और इसके लिए 1974–75 और 1975–76 के बजट में धन की व्यवस्था की गयी है। बड़े आमान की नदिकुडे-बीबीनगर नई बड़ी लाइन और गुन्टूर-मचरेला मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने की मिली-जुली परियोजना के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सम्बन्धी सर्वेक्षण की स्वीकृति दी जा चुकी है और सर्वेक्षण हो रहा है । सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद मिली-जुली परियोजना पर निर्माण-कार्य शुरू किया जायेगा ।

पूना तथा लोनावला के बीच पृथक लाइन

4684. **श्री अनन्त राव पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना और लोनावला के बीच उपनगरीय रेल के लिए एक पृथक लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो इसको कब पूरा किये जाने की सभावना है ;

(ख) क्या पूना तथा तालेगांव के बीच प्रतिदिन हजारों कर्मचारी स्थानीय गाड़ियों से यात्रा करते हैं और उन्हें अपने काम पर पहुंचने में विलम्ब हो जाता है क्योंकि सीधे जाने वाली गाड़ियों के कारण उनकी स्थानीय गाड़ियों को विलम्ब हो जाता है ;

(ग) क्या सीधे जाने वाली इन गाड़ियों को कर्मचारियों द्वारा रोके जाने की घटनायें अक्सर हो रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो एक पृथक उपनगरीय लाइन आरम्भ कर इन कर्मचारियों को कब राहत दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पुणे और लोनावला के बीच उपनगरीय गाड़ियों के लिए अलग से रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) पुणे और लोनावला के बीच थ्रू गाड़ियों के कारण कर्मचारियों को ले जाने वाली गाड़ियां नहीं रोकी जाती हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Commode Type Toilet in Trains between Gonda and Bahraich

4685. **Shri B. R. Shukla:** Will the Minister of **Railways** be pleased to **state**:

(a) whether only Commode type of toilet is provided in the first class compartments of the trains operating between Gonda and Bahraich; and

(b) the reasons why Indian style toilets have not been provided therein?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b). In a few composite first and second class coaches, where only one first class compartment is available, western style toilet is provided. On 6 of such coaches running on this section, toilets will be changed to Indian style shortly when the coaches will be due into workshops for periodic overhaul.

टैट्रासाक्लीन का उत्पादन करने के लिये मैसर्स फाइजर्स द्वारा तकनीकी जानकारी देने का प्रस्ताव

4686. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता को विनियमित करने के लिए मै० फाइजर्स के अनुरोध के बारे में 25 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न सं० 1093 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने क कृपा करेंगे कि अगर मैसर्स फाइजर्स के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सभी एन्टी बायोटिक औषधियों के उत्पादन में अनुमानतः कुल कितनी वृद्धि होगी और कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी और इससे भारतीय उद्योगों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैसर्स फाइज़र्स के निवेदन में टैट्रासइक्लीन और ओक्सी–ट्रैट्रासाइक्लीन के लिए उन की उत्पादन क्षमता में, वर्तमान 14000 कि० ग्रा० को लाइसेंसकृत क्षमता 35,000 कि० ग्रा० तक वृद्धि करने और डौक्सो साइक्लीन के 5000 मिलियन यूनिटों के उत्पादन के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। विदेशी मुद्रा बचत यदि कोई हो, और हाथी समिति की रिपोर्ट, जिसके अप्रैल, 1975 तक मिल जाने की आशा है के संदर्भ में सरकार द्वारा देशीय उद्योगों के प्रस्ताव पर पड़ने वाले प्रभाव सहित समूचे प्रश्न पर एकीकृत रूप से विचार किया जायेगा।

Inspection of work done in Offices in Hindi

+ 4687. **Shri Sudhakar Pandey:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether officers of his Ministry go on inspection of the offices under it to see that all the work in these offices is carried out in Hindi according to Government's policy in this regard;

(b) the number of officers who carried out such inspections during the last year and the total number of the offices inspected;

(c) the position, in general, as revealed in the inspection reports; and

(d) the steps taken to improve the position in case of those offices where Hindi is not being used even now?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi): (a) and (b) Two officers conducted inspections of three offices during the year 1974.

(c) Sufficient progress has been made in the use of Hindi in these offices.

(d) All offices are being encouraged to use Hindi in their work as far as possible.

न्यू बोंगई गांव से गोहाटी तक की मीटर गेज लाइन को उखाड़ना

4688. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कुछ वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संगठनों ने न्यू बोंगई गांव से गोहाटी तक की वर्तमान मीटर-गेज लाइन को उखड़ाकर उसके स्थान पर ब्राड गेज लाईन बिछाने के बारे में रेल प्राधिकारियों के निर्णय पर कड़ा विरोध प्रकट करते हुए सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और उन्होंने एक समानान्तर ब्राड गेज लाइन की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) न्यू बोंगई गांव से गोहाटी तक की प्रस्तावित ब्राड गेज लाईन पर कितने पूंजीगत व्यय का अनुमान है और इसके कब तक पूरा होने का अनुमान है और वर्तमान मीटर गेज लाईन को उखाड़े बिना न्यू बोंगई गांव से गोहाटी तक यदि समानान्तर ब्राड गेज लाईन बिछाई जाये तो उस पर कितना पूंजीगत व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) (1) वर्तमान मीटर लाइन का सीधे आमान परिवर्तन और (2) वर्तमान मीटर लाइन को बनाये रखकर, एक अतिरिक्त बड़ी लाइन का निर्माण इन दोनों विकल्पों के सापेक्षिक गुण-दोष की नये सिरे से जांच की जा रही है और ऐसा करते समय निर्माण, अनुरक्षण और परिचालन की सापेक्षिक लागत, परियोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय और संभावित यातायात की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही ब्यौरा मालुम हो सकेगा।

उत्तर रेलवे में खान-पान व्यवस्था करने वाले ठेकेदार

4689. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के प्रत्येक जंक्शन, स्टेशन पर खान-पान व्यवस्था करने वाले ठेकेदारों के नाम एवं पते क्या हैं ;

(ख) ये ठेकेदार किन-किन तिथियों से काम कर रहे हैं; और

(ग) लाइसेंसों का लगातार उनके नाम पर नवीकरण करते रहने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स की प्रवन्ध निदेशक की नियुक्ति

4690. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स के प्रबन्ध निदेशक का पद भर लिया गया है, यदि नहीं, तो क्यों; और

(ख) क्या इस पद के लिये चुने गये प्रत्याशी ने यह पद संभालने से इंकार कर दिया है; यदि हां, तो क्यों ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख). हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार का चयन किया गया है और आशा की जाती है कि वे इस पद को शीघ्र ग्रहण करेंगे।

पेट्रोल की खपत में कमी करने संबंधी योजनायें

4691. **श्रीमती प्रेमलताबाई दाजीसाहेब चव्हाण :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोल की खपत कम करने के लिये कौन-कौन सी विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव है या पहले ही लागू की जा चुकी हैं ;

(ख) इन योजनाओं का पेट्राल की खपत पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या सरकार किसी निश्चित 'हार्स पावर' से अधिक शक्ति के इंजन वाली आयतित यात्री कारों के चलने पर पूर्ण रोक लगाने या उन पर भारी कर लगाने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). पेट्रोल की खपत कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय अपनाये गये थे :—

(i) 31-1-75 से पेट्रोल का मूल्य बढ़ाया गया था।

(ii) नवम्बर, 1975 में भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सरकारी गाड़ियों के प्रयोग को कम करने के लिए अनुदेश जारी किये गये थे।

1973 की तुलना में 1974 में मोटर स्पिरिट (पैट्रोल) की कुल खपत देश भर में लगभग 21.5 प्रतिशत कम हो गई।

(ग) इस समय ऐसा कई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। कारों आदि पर मोटर गाड़ी कर राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हैं।

Bomb Explosion on the Railway Line on which Shri Jayaprakash Narayan was to travel on 9-2-1975

4692. **Shri Janeshwar Misra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of a bomb explosion near Nawadah on the railway line on which Shri Jayaprakash Narayan was to travel by railway from Luckeesarai to Gaya on the 9th February, 1975;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत कम्पनियां

4693. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में 4 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2156 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस अवधि में राष्ट्रीयकृत कम्पनियां राष्ट्रीयकरण के बाद घाटे में चल रही हैं या मुनाफे में ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से विदेशों द्वारा की गई परामर्शदात्री पूछताछ

4695. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से विदेशों से काफी परामर्शदात्री पूछताछ की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उन्होंने किस प्रकार की पूछताछ की है; और

(ग) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने कौन से प्रस्ताव स्वीकार किये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) : इंजीनियर्स इंडिया लि० ने यूके, नैदरलैण्ड, कोवियत, सेरिया, मलेशिया, श्रीलंका, ईरान अबू दानी, ईराक और बर्मा से तकनीकी सहायता तथा प्रयोजनाओं में साझेदारी, तीसरे देश में प्रायोजनाओं के निष्पादन के लिए समुद्री पार इंजीनियरी कम्पनियों के साथ सहयोग शोधन-शाला पाइपलाइन का निर्माण, ल्यूब विलेंडिंग संयंत्र, डेटरजेंट प्रायोजना तथा तेल जेटी शोधन-शाला के विस्तार आदि तथा विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए व्यवस्था करने जैसी सेवायें देने, संबंधी पूछताछ प्रस्तुत की है। सेरिया (होम्स पर तेल शोधनशाला के लिए उपस्करों का निरीक्षण तथा अनुरक्षण) श्री लंका (सीलान पेट्रोलियम निगम की पेट्रोलियम शोधनशाला का अनुरक्षण) यूके (मैसर्स फोस्टर बीलट के लिए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति) नैदरलैण्ड (हीट ऐक्सचेंजरों की थर्मल डिजाइन पर मैसर्स ल्यूमस्क को सहायता) ईराक (पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोरसायन उर्वरक पाइपलाइन आदि के क्षेत्र में प्रायोजनाओं की डिजाइन, इंजीनियरी, तथा निर्माण के लिए सहायता) और ईरान (मैसर्स सन्म प्रोगेती के लिए उप-ठेकेदार के रूप में तबरिज शोधनशाला के लिए विस्तृत इंजीनियरी तथा सेवाएं उपलब्ध करने की व्यवस्थाओं के बारे में प्रस्ताव, इंजीनियर्स इंडिया लि० द्वारा स्वीकृत किए गए हैं ।

कुछ विदेशी औषध फर्मों द्वारा 1972 में अर्जित मुनाफा

4696. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसस सैंडोज, वरोज्स् वेलकम, वेयर सियरले और वार्नेर हिन्दुस्तान ने वर्ष 1972 में क्रमशः 23.88 प्रतिशत, 18.80 प्रतिशत, 17.49 प्रतिशत, 18.75 प्रतिशत और 15.80 प्रतिशत मुनाफा अर्जित किया;

(ख) क्या 15 प्रतिशत से अधिक मुनाफे के अर्जन से औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 का उल्लंघन होता है ;

(ग) यदि हां, तो इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1972 में हर कम्पनी द्वारा अर्जित कुल लाभ का सविस्तार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	कुल बिक्री (71–72) लाख रु०	लाभ 72–73 लाख रु०	कालम 4 की कालम 3 से प्रतिशतता
1.	सैन्डोज (इंडिया लि०)	1006.56 ×(12/71)	92.38	9.1
2.	वोरोग्स वेल्कम एण्ड कं०	321.52×(8/71)	55.69	17.3
3.	वेयर (इंडिया) लि०	1050.95×(11/71)	159.60	15.2
4.	सरले (इंडिया) लि०	107.73×(12/71)	17.51	16.3
5.	वार्नर हिन्दुस्तान लि०	521.89	76.01	14.56

जैसा कि कं० द्वारा बताया गया है (× लेखा वर्ष के अन्त का संकेत हैं)

(ख) और (ग). औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 14 (i) (iv) में यह व्यवस्था की गई है कि लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित उस वर्ष की कुल बिक्री के लेखा परीक्षित निर्माता या आयाति लेखों में यथा दर्शाए गए औषध कार्य कलाप के बारे में किसी विशिष्ट वर्ष के लिए कर से पूर्व वास्तविक सकल लाभ के मामले में 15 प्रतिशत से अधिक हो तो अधिक लाभ को अलग से जमा किया जाएगा और उसे लाभांश के वितरण के लिए प्रभाग नहीं किया जाएगा किन्तु उसे निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से इस्तेमाल किया जाएगा।

(क) अनुसंधान का विकास व्यय

(ख) भावी लाभ या हानियों का समायोजन करने हेतु और

(ग) उसी प्रकार से अन्य प्रयोजन जिन्हें समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के उपबन्धों के अधीन सूचना चाहे औषध कार्यकलाप पर कर से पूर्व कुल लाभ 15 प्रतिशत से अधिक की हो और चाहे इस प्रकार के लाभों को अलग से जमा किया हो एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Allotment of Indane Gas Agency in Udaipur

4697. **Shri Lalji Bhai**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a proposal to give agency for Indane Gas in Udaipur, Rajasthan;

(b) if so, by what time this agency will be given; and

(c) in case it has already been given, the name of the party to whom the agency has been given?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi): (a) to (c). The Indian Oil Corporation have already appointed in partnership, Mrs. Asha Kumari and Mrs. Suraj Sharma, nominated by the Director General of Resettlement, Ministry of Defence as its Indane distributor in Udaipur, Rajasthan in the month of June, 1974.

हल्दिया तेल शोधक कारखाने के चालू होने में बिलम्ब से हुआ घाटा

4698. **श्री गजाधर माझी :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :--

(क) क्या हल्दिया तेलशोधक कारखाने के चालू होने में हुए विलम्ब से बहुत बड़ा घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) : हल्दिया शोधन का ईंधन क्षेत्र विस्त्रेकर के सिवाय जनवरी, 1975 में व्यापारिक उत्पादन करने लगा है। लूब क्षेत्र की इस वर्ष के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है। पूर्ण होने में देरी एवं इसके फलस्वरूप पूंजीगत लाभ मूल्य में वृद्धि होने के कारण शोधनशाला को अतिरिक्त मूल्यह्रास एवं संरक्षण लागत व्यय करनी पड़ेगी। शोधनशाला के वित्तीय परिणामों के बारे में स्थिति की पूरी जानकारी, लूब क्षेत्र के पूर्ण होने और शोधनशाला के स्थायी रूप में उत्पादन होब पर ही होगी।

पेंटेपुर और महमूदाबाद के बीच रेल गाड़ी में बम विस्फोट

4699. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 फरवरी, 1975 को पूर्वोत्तर रेलवे के वढ़वाल सीतापुर सेक्शन में पेंटेपुर और महमूदाबाद के बीच चलती हुई रेलगाड़ी में एक सामान यान में एक बम फटा था;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पुलिस द्वारा अभी इस मामले की जांच की जा रही है।

Condonation of Cases of Break-in-service

4700. **Shri Ramavatar Shastri:**

Shri Madhu Dandavate:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether during his Railway Budget speech he had announced condonation of break-in-service of the Railway employees suffered during the last May Strike;

(b) if so, the number of employees in whose cases break-in-service has since been condoned;

(c) the number of employees in whose cases break in service has not been condoned together with the reasons therefor; and

(d) the action proposed to be taken by Government in their cases?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes, as stated in the House, I have decided to condone the break-in-service of all railway employees who participated in the strike during May 1974 except those charged with sabotage and violence including intimidation.

(b) to (d). So far, out of a total 5.91 lakhs, break-in-service of 5.80 lakh employees has been condoned. The process of condonation is continuing with all possible promptitude.

वैतरण पुल के स्तम्भ का डूबना

4701. **श्री शशि भूषण :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैतरण पुल का एक स्तम्भ डूब गया है और इसके परिणामस्वरूप पश्चिम रेलवे के बम्बई-दिल्ली तथा बम्बई–अहमदाबाद सेक्शनों पर चलने वाली रेलगाड़ियों का पुल पर से आना–जाना बंद हो गया है;

(ख) इस कारण से कितनी गाड़ियां रद्द की गई या पहले के स्टेशनों पर ही समाप्त कर दी गई;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों का इस बीच पता लगा लिया गया है;

(घ) पुल की मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की गई है और पुल की मरम्मत कब तक हो जायेगी और उस पर रेलगाड़ियों का आना जाना कब से पुनः शुरू हो जायेगा; और

(ङ) यात्रियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 24–2–75 के ज्वार से दक्षिण वैतरण पुल के पाये नं० 16 को क्षति पहुंची थी जिसके फलस्वरूप 24–2–75 और 27–2–75 के बीच कुछ दिन के लिए यातायात रुक गया।

(ख) अलग–अलग अवधियों के लिए 15 जोड़ी गाड़ियां या तो रद्द रही या गन्तव्य स्टेशन से पहले ही समाप्त कर दी गयी थीं।

(ग) जी हां।

(घ) नुकसान का पता चलते ही, सुरक्षात्मक उपाय किये गये और, पुल पर रफ्तार पर पाबन्दी तथा इकहरी लाइन-संचालन के साथ, 27–2–75 से यातायात फिर शुरू कर दिया गया। पुराने पुल के बदल एक नये पुल की व्यवस्था भी विचाराधीन है और उसे अगले मानसून से पूर्व ही पूरा कर देने का कार्यक्रम है।

(ङ) 151/152 राजधानी एक्सप्रैस, 39/40 बम्बई–अहमदावाद और 45 46 बम्बई–बड़ोदरा सवारी गाड़ियों के सिवाय सभी गाड़ियां दक्षिण वैतरण पुल के रास्ते फिर से चालू हो चुकी हैं। स्थिति सामान्य होते ही, शेष गाड़ियों को फिर से चलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा सऊदी अरब से अशोधित तेल की ढुलाई का कार्य अपने अधिकार में लेना

4702. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन ने सऊदी अरब के टैंकरों द्वारा अशोधित तेल की ढुलाई का कार्य एक्सौन से अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) एवं (ख). अपनी तेल शोधनशाला के लिए ऐसो स्टैण्डर्ड टैंकर्ज लिमिटेड एवं भारत के राष्ट्रपति के बीच कच्चे तेल की संविदा के समाप्त होने पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन भारतीय तेल निगम के परामर्श से ट्रांस-पोर्ट द्वारा कच्चे तेल की संविदा के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध कर रहा है ।

मद्रास स्थित इंटेग्रल कोच फैक्टरी की उत्पादन क्षमता

4703. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंटेग्रल कोच फैक्टरी मद्रास की क्षमता कितनी है और वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान वस्तुतः कितने सवारी डिब्बे बनाये गये;

(ख) वर्ष 1975–76 के दौरान कितने सवारी डिब्बों का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) सवारी डिब्बों के निर्माण में कमी होने के यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सवारी डिब्बा कारखाने की संस्थापित क्षमता प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के 750 सवारी डिब्बे बनाने की है । सवारी डिब्बों का वास्तविक उत्पादन इस प्रकार रहा :—

1972–73	705
1973–74	750
1974–75 (आयोजित)	570

(ख) 1975–76 के दौरान, अन्तिम रूप से, 477 सवारी डिब्बों के उत्पादन की योजना बनायी गयी है ।

(ग) यह उत्पादन धन के आवंटन पर निर्भर है । 1975–76 में उत्पादन में गिरावट का कारण है धन के आवंटन में कटौती ।

सवारी डिब्बा कारखाने के कार्यकलापों में विविधता उत्पन्न करके उपलब्ध कर्मचारियों और सुविधाओं का उपयोग करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र से संसदीय उप-निर्वाचन

4704. **श्री मधु दण्डवते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 फरवरी, 1975 को आसाम में बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र में संसदीय उप-निर्वाचन के लिए समाजवादी दल के उम्मीदवार श्री विश्व गोस्वामी ने मतों की पुनः गणना कराने तथा निर्वाचन क्षेत्र के "चर" क्षेत्रों में पुनः मतदान कराने को इस आधार पर मांग की थी कि यद्यपि बहुत से मतदाता गत वर्ष बाढ़ के कारण इन क्षेत्रों से चले गये थे तथापि इन क्षेत्रों में अविद्यमान मतदाताओं द्वारा बहुत अधिक मतदान अभिलिखित किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या मतों की पुनः गणना करने तथा पुनः मतदान कराने की मांग को रद्द कर दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग). उपर्युक्त उप-निर्वाचन में मतों की पुनः गणना कराने के लिए श्री विश्व गोस्वामी की अर्जी में बताया गया आधार नीचे उद्धृत किया जाता है :

> "इसके लिए मतदान केन्द्रों के रूप में चुने गए अनेक चर क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी में बह गए थे, किन्तु यह रिपोर्ट मिली है कि मतदान वहां भी कराए गए। यदि नियत केन्द्र बह चुका है तो वहां मतदान नहीं कराया जा सकता है। अतः इस असंगति से मतदान के परिणाम पर प्रभाव पड़ा है।"

ब्रह्मपुत्र के चर क्षेत्र गत वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ से प्रभावित हुए थे, किन्तु उन क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जो डूबे नहीं थे, रहने के लिए चले गये थे। उन्होंने ऐसे मतदान केन्द्रों पर, जो आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 के अधीन अनुमोदित किए गए थे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

उस निर्वाचन क्षेत्र के चर क्षेत्रों में मतदान बहुत अधिक नहीं हुआ था।

अर्जी में लिखी बातों पर विचार करने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर ने पुनः गणना कराने या पुनः मतदान कराने का आदेश देने के लिए कोई विधिमान्य आधार नहीं पाया और उसने उस अर्जी को नामंजूर कर दिया।

Streamlining of Management of Fertilizer Units

4705. **Shri Jambuwant Dhote:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state the steps proposed to be taken by Government to streamline management of the present fertilizer units and to improve their slow pace of production?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh): Government are considering certain proposals for streamlining the management structure in the public sector fertilizer units in the country. The

measures necessary in this regard were also discussed in a meeting of the Chief Executives and top level management of public sector fertilizer units held in Delhi on 27-2-1975.

हिन्दू विधि में संशोधन

4706. **श्री भगतराम राज राम मनहर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दू विधि को गतिशील और प्रगतिशील बनाने के लिए तथा जहां तक विधि के विभिन्न उपबन्धों का सम्बन्ध है, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा देने के लिए, उस विधि में संशोधन करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) हिन्दू विधि के अधीन, आम तौर पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया है। तथापि, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1935 में संशोधन करने के विषय में विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में जो कतिपय सुझाव दिए हैं उनकी जांच की जा रही है।

(ख) विधि आयोग के सुझावों के अन्तर्गत वे आधार भी हैं, जिन पर विवाह-विच्छेद का दावा किया जा सकता है, जैसे क्रूरता, जारता अभित्यजन, भरण-पोषण या न्यायिक पृथक्करण के लिए आदेश या डिक्री का पारित किया जाना तथा उन प्रतीक्षा अवधियों को समाप्त करना, जिनके पूर्व विवाह-विच्छेद के लिए कोई अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती या जिनके पूर्व विवाह-विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह नहीं कर सकते।

विदेशी सहयोग से चल रही उर्वरक परियोजनायें

4707. **श्री झारखंडे राय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में विदेशी सहयोग से कितनी उर्वरक परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) सहयोग देने वाले प्रत्येक देश ने इन प्रत्येक उर्वरक परियोजनाओं पर कितनी पूंजी लगायी है;

(ग) उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(घ) इन उर्वरक परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनकी उत्पादन दर क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ). एक विवरण पत्र संलग्न है जिसमें विदेशी साम्यपूंजी साझेदारी रखने वाले उर्वरक एककों का ब्यौरा दिया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

फैक्टरी का नाम	स्थापित क्षमता		उत्पादन	
	नाइट्राजन	पी 2 ओ 5	नाइट्रोजन (अप्रैल 74–फरवरी 75)	पी 2 ओ 5 (अप्रैल 74–जन० 75)
(क) सरकारी क्षेत्र :				
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	164	85	71.8	37.3
(ख) गैर सरकारी क्षेत्र :				
1. न्यू सेण्ट्रल जूट मिल्स वाराणसी	10	—	4.8	—
2. ई आई डी पैरी (इन्नौर) .	16	10	9.1	7.3
3. कोरोमण्डल (बिजाग) .	80	73	41.4	38.8
4. आई ई एल (कानपुर) .	200	—	177.4	—
5. जुआरी एग्रो कैमिकल्स (गोआ)	171	—	120.5	—
6. जी एस एफ सी (बड़ोदा) .	216	50	150	21.6

बम्बई के गहरे समुद्र में तेल का उत्पादन

4708. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के गहरे समुद्र में तेल के उत्पादन के पहले चरण में वर्ष 1976 के मध्य में पूरे जोरों पर काम शुरू हो जाएगा;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अपेक्षित संख्या में स्थिर प्लेटफ़ार्म, तथा अन्य उपकरण समय पर उपलब्ध हो जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 1980 में प्रति वर्ष 10 लाख टन उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने का सभी प्रबन्ध पूरा कर लिया है; और

(ङ) इस समय बम्बई के गहरे समुद्र में उत्पादन कितना होता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ङ). इस समय बम्बई हाई संरचना से तेल का उत्पादन नहीं हो रहा है तथापि वहां पर खोदे गये 3 कुओं में तेल युक्त संस्तर पाये गये हैं तथा उत्पादन परीक्षणों में अच्छा तेल पाया गया है । संरचना के चौथे कुएं में

व्यधन कार्य हो रहा है संरचना के उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कुछ कुंए खोदें जाने की आवश्यकता है जहां से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अपने उत्पादन कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने में समर्थ होगा। इस बीच प्रतिवर्ष लगभग 1 मि० मी० टन की दर से बाम्बे हाई से तेल उत्पादन करने के सम्बन्ध में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 1976–77 के दौरान उत्पादन के मध्यवर्ती स्तरों की स्थापना करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आयोग आवश्यक नियत प्लेटफ़ार्म (प्लेटफार्मों) तथा अन्य उपकरणों को प्राप्त करने के लिए समय पर कार्यवाही कर रहा है।

कुछ विदेशी औषधि फर्मों द्वारा जेन्टामाइसीन सल्फेट का आयात

4709. श्री खेम चन्द भाई चावडा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फार्मूलेशनों का निर्माण करनेके लिए मैसर्स सी०एफ० फुलफोर्ड और मैसर्स इण्डिया शेरिंग ने जेंटामाइसीन सल्फेट का कितनी मात्रा में आयात किया ;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान जेन्टामाइसीन फार्मूलेशनों का निर्माण करने के लिए भारतीय कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया था और यदि हां, तो आवेदनपत्र की तारीख और फर्म के नाम का ब्यौरा क्या है और आवेदन-पत्र अस्वीकार करने का क्या कारण है ;

(ग) इन भारतीय कम्पनियों ने कितना अंश आयात करने के लिए अनुरोध किया था; और

(घ) क्या वैध औद्योगिक लाइसेंस के बगैर मैसर्स इण्डियन शेरिंग और सी०एफ० फुलफोर्ड विदेशी मुद्रा की भारी धनराशि विदेशों में भेज रही हैं यदि हां, तो भारतीय फर्मों को अनुमति क्यों नहीं दी गई, जिससे वे बड़ी बड़ी विदेशी फ़र्मों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसर्स इण्डियन सेरिंग लि० और मैसर्स सी० ई० फुलफोर्ड (इण्डिया) प्रा० लि० द्वारा आयात किये गये जेन्टामाइसीन सल्फेट के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

क्रम सं० कम्पनी का नाम	वर्ष	आयातित मात्रा	मूल्य (लाख रु० में)
1. इण्डियन शेरिंग लि०	1972	6.93 कि० ग्रा०	4.28
	1973	21.39 ,,	13.92
	1974	32.36 ,,	21.76
2. सी० ई० फुलफोर्ड (इण्डिया) प्रा० लि०	1971–72	8 कि० ग्रा०	5.15
	1972–73	21 ,,	12.93
	1973–74	37 ,,	23.87

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान अस्वीकृत भारतीय कम्पनियों के प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

(घ) मैसर्स सी० ई० फुलफोर्ड (इण्डिया) प्रा० लि० और मैसर्स इण्डियन शेयरिंग लि० द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बाहर भेजी गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र० सं० कम्पनी का नाम	वर्ष	बाहर भेजी गई राशि (लाख रुपयों में)
1. इण्डियन शेरिंग लि०	1971-72	8.0
	1972-73	3.9
	1973-74	3.95
2. सी० ई० फुलफोर्ड (इण्डिया) प्रा० लि०	1971-72	शून्य
	1972-73	1.52
	1973-74	0.75

ये कम्पनियां अब तक गैर-संगठित क्षेत्र में कार्य कर रही थी। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या इन कम्पनियों को कारोबार चालू रखने का लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं।

जैन्टामइसीन सल्फेट के सूत्रयोगों के निर्माण को अस्वीकृत किये जाने के विरुद्ध भारतीय कम्पनियों का प्रतिवेदन विचाराधीन है।

विवरण

क्र० सं० भारतीय कम्पनी का नाम	आवेदन की तिथि	अस्वीकार करने के कारण	इन कम्पनियों द्वारा मांगा गया आयात का माल: मात्रा	मूल्य
1. कैमिकल इण्डस्ट्रियल एण्ड फार्मस्युटिकल्स लेबोरेटरीज लि०	22-11-73	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, जो कि एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, ने जैन्टामाइसीन सूत्र-योगों के निर्माण हेतु अपेक्षित प्रपुंज औषधों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है और इसलिये सूत्र-योगों के निर्माण को भी हाथ में लेने के लिये प्रपुंज औषध का निर्माण करना वांछनीय है।	400 कि० ग्राम०	12 लाख रुपये
2. थेमिस कैमिक्ल्ज	23-5-73	प्रपुंज औषध के मूल निर्माण का प्रस्ताव नहीं रखा गया	48 कि० ग्रा०	4.32 लाख रुपये

प्रति वर्ष मोटर कारों की दौड़ पर पैंट्रोल की खपत

4710. चौधरी राम प्रकाश : क्या **पैंट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रति वर्ष मोटर-कारों की दौड़ पर खर्च होने वाले पैंट्रोल की मात्रा का पता है ; और

(ख) क्या पैंट्रोल की अत्यधिक कमी को घ्यान में रखते हुए सरकार का विचार मोटर-कारों की दौड़ पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

पैंट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) इस सम्बन्ध में कोई सांख्की नहीं रखी जाती है ।

(ख) मोटर व्हीकिल एक्ट 1939 के अनुसरण में, राज्य सरकारों को गाडियों की दौड़ की गति को, नियंत्रित करने का अधिकार है। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

पश्चिम तट रेलवे के आप्टा दसगांव सैक्शन के लिये स्वीकृति

4711. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े क्षेत्रों की कौन सी रेलवे परियोजनायें योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए पड़ी हुई हैं ;

(ख) पश्चिम तट रेलवे के आप्टा—दसगांव सैक्शन को स्वीकृति देने में वर्ष प्रतिवर्ष विलम्ब क्यों किया जा रहा है ; और

(ग) इस सैक्शन पर वास्तविक कार्य कब प्रारम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). पिछड़े क्षेत्रों की कोई रेल परियोजना योजना आयोग के पास विचारार्थ नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में वेस्ट कोस्ट रेलवे के आप्टा दसगांव खण्ड को उच्च प्राथमिकता देना सम्भव नहीं हो सका है ।

कलकत्ता भूमिगत रेलवे के लिये भूमि के अधिग्रहण के लागत-व्यय में वृद्धि

4712. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता भूमिगत रेलवे के लिये भूमि का अधिग्रहण लागत व्यय जो वर्ष 1971 में 4 करोड़ रुपये था, वह वर्ष 1974 में बढ़ कर 10 करोड़ रुपया हो गया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार वर्ष 1971 में अधिग्रहण के लागत-व्यय के एक अंश को वहन करने के लिये राजी हो गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वही व्यवस्था अभी भी लागू है और 10 करोड़ रुपये के इस लागत व्यय को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार क्रमशः किस प्रकार वहन करेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) स्वीकृत अनुमान में भूमि और सम्पत्ति की लागत 1970 के मूल्यों के आधार पर 7.118 करोड़ रुपये है। अब यह लागत 13 करोड़ रुपये हो गई है।

(ख) और (ग). परियोजना की मंजूरी इस शर्त पर दी गई थी कि राज्य सरकार के हिस्से की रकम का निर्णय बाद में किया जायेगा। इस समय इस मामले की जांच जिसमें, विशेष रूप से परियोजना के लिये आवश्यक भूमि और सम्पत्ति का प्रश्न शामिल है, राज्य सरकार के परामर्श से योजना आयोग द्वारा की जा रही है और अभी इस पर निर्णय लिया जाना है।

यात्री गाड़ियों का रद्द किया जाना

4713. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की अत्यधिक कमी की वजह से दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 के महीनों में अनेक यात्री गाड़ियों को रद्द कर दिया गया था ;

(ख) क्या राष्ट्रीय कोयला विभाग के प्रवक्ता के इस आशय के वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में कोयला है, परन्तु रेलवे उसे उठा नहीं रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 की अवधि में प्रति दिन औसतन 276 जोड़ी सवारी गाड़ियां कोयले की कमी के कारण रद्द रहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Upgradation of Posts of Class III and IV

4714. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether at the time presenting the budget on the 20th February, 1975 he had given an assurance to the effect that some of the Class IV and Class III posts would be upgraded; and

(b) if so, the reasons why the post of Radiographer of the Railway Hospital, Block 'B' Amritsar has not been upgraded so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes. Proposals for the restructuring of non-gazetted cadres are under the consideration of Government.

(b) Does not arise.

निर्वाचन सुधारों सम्बन्धी तारकुन्डे समिति की रिपोर्ट

4715. **श्री नूरुल हुडा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन सुधारो संम्बन्धी तारकुण्डे समिति के विस्तृत निष्कर्षो की ओर उनके मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) क्या अगले साधारण निर्वाचनों से काफी पूर्व निर्वाचन प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिये विरोधी पार्टियों और अन्य लोगों के साथ मिल बैठ कर, यथा सम्भव शीघ्र ही उपाय ढूंढने और समिति की रिपोर्ट पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने का सरकार का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख). कुछ समाचार पत्रों में निर्वाचन विषयक सुधारों से सम्बन्धित उन सुझावों के, जिनकी बाबत यह कहा जाता है कि वे श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा नियुक्त तारकुण्डे समिति द्वारा दिये गये हैं, बारे में समाचार प्रकाशित किये हैं । निर्वाचन विधि के संशोधन के प्रस्तावों पर संसद की एक संयुक्त समिति ने विचार किया था और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिश की थीं, सामान्यत: उनके आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 में व्यापक रूप से संशोधन करने के लिये एक विधेयक लोक सभा में पुरःस्थापित किय गया था और उस सदन में वह अभी विचाराधीन है । इस विषय में सरकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं है और वह इस बारे में राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करेगी ।

सऊदी अरब के साथ संयुक्त आयोग को स्थापना के लिये समझौता

4716. **श्री एन० एस० पुरती :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सऊदी अरब ने दोनों में संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिये एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने का निर्णय किया है, जिसके लिये सऊदी अरब आसान शर्तों पर दीर्घावधि के लिये ऋण देगा ;

(ख) क्या सऊदी अरब के पैट्रोलियम मंत्री शेख यामानी ने हाल ही में तेल की सप्लाई के बारे में भारत को कुछ आश्वासन दिये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिये सऊदी अरब के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना करने का प्रश्न अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण रेलवे पर डीजल इंजन चलाना

4717. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण रेलवे पर डीजल इंजन चलाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की योजना की रूप रेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). सरकार की नीति यह है कि संतृप्त मुख्य मार्गों पर माल और यात्री गाड़ियों को उत्तरोत्तर डीजल इंजनों से चलाया जाये ताकि संचालन कार्य में तेजी आ सके और इन मार्गों पर अधिक यातायात हो सके। उन रेलों को तरजीह भी दी गयी है जो कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित हैं। लेकिन सीमित संख्या में डीजल रेल इंजन उपलब्ध होने के कारण आवंटन में माल यातायात को प्राथमिकता दी गई है। अनिवार्य माल यातायात की अवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उपलब्ध रेल इंजनों को चुनींदा आधार पर लम्बी दूरी की उन डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों में लगाया जाता है जिनमें अधिक भीड़ रहती है।

अब तक दक्षिण रेलवे को 15 डीजल शंटरो के अलावा बड़ी लाइन के 150 और मीटर लाइन के 117 डीजल रेल इंजन आवंटित किये गये हैं जिनसे मुख्य मार्गों पर माल गाड़ियों का डीजलीकरण करना सम्भव हो सका है। इसके अलावा, दक्षिण रेलवे में बड़ी लाइन की 12 जोड़ी और मीटर लाइन की 14 जोड़ी गाड़ियों को भी डीजल रेल इंजनों से चलाया जा रहा है।

Licences Granted to Foreign Drug Companies Under 'Key Industries Category'

4718. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the number of licences granted to foreign drug manufacturing companies under the category of 'key industries' in 1973 and 1974; and

(b) the names of those foreign companies which have been granted licences during the last two years?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh): (a) and (b). Essential drugs and pharmaceuticals (including intermediates and contraceptives) were included in the list of key industries in accordance with the industrial licensing policy announced in 1970. Drugs and Pharmaceutical Industry is included in Appendix I to the Policy announced by the Ministry of Industry and Civil Supplies in their Press Note dated 16th February, 1973.

Names of foreign companies who were granted industrial licences for the manufacture of drugs and pharmaceuticals during the year 1973 and 1974 and the num-

ber of licences granted to each are given below:—

S. No.	Name of the foreign company	No. of industrial licences granted
1.	M/s. Boehringer Knoll Ltd.	2
2.	M/s. Ciba of India Ltd. (Ciba-Geigy)	1
3.	M/s. Bayer (India) Ltd.	1
4.	M/s. Boots Company (India) Ltd.	1
5.	M/s. Smith Kline & French (India) Ltd.	1
6.	M/s. Laboratories Grimault (Pvt.) Ltd.	1
7.	M/s. Glaxo Laboratories (India) Ltd.	1
8.	M/s. Burroughs Wellcome and Co. (India) Ltd.	1
9.	M/s. Roche Products Ltd.	1
10.	M/s. Merck Sharp & Dohme of (India) Ltd.	2
11.	M/s. Pfizer Ltd.	1
12.	M/s. Alkali & Chemical Corporation of India Ltd.	1

हाई स्पीड डीजल और अन्य पैट्रोलियम उत्पादों का आयात

4719. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाई स्पीड डीजल और अन्य पैट्रोलियम उत्पादों का प्राथमिकता के आधार पर आयात करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). 1975–76 के दौरान लगभग 1.2 मि० मी० टन मध्यवर्ती आसुतों (हाई स्पीड डीजल आयल और मिट्टी का तेल), 1.75 मि० मी० टन ईंधन तेल की विमानन गैस तथा ल्यूब की कुछ मात्रा को आयात करने का प्रस्ताव है ।

बड़े पैमाने पर द्रुतगति वाली परिवहन प्रणाली के लिये तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

4720. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या रेल मंत्री राजधानी रिंग रेलवे के निर्माण के बारे में 19 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3679 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिये बड़े पैमाने पर द्रुत गति वाली परिवहन प्रणाली के लिये तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता सर्वेक्षण कराने के लिये नियुक्त रेलवे दल की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और यह रिपोर्ट कब तक सरकार को प्रस्तुत की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) महानगर परिवहन परियोजना संगठन (रेलवे) दिल्ली से व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली की लाइनों और अग्रताओं के बारे में एक रिपोर्ट मिली है। आशा है कि 1975 में मुख्य तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता रिपोर्टें मिल जायेंगी।

(ख) और (ग). रिपोर्ट में समन्वित व्यापक परिवहन प्रणाली में द्रुत परिवहन लाइनों और बस मार्गों के बारे में यह बताया गया है कि द्रुत परिवहन लाइनों की लम्बाई और उनकी कुल लागत क्या होगी और इस सम्बन्ध में 20 वर्षों में चरणबद्ध निर्माण कार्य किया जायेगा। सरकार इस रिपोर्ट की जांच कर रही है और जब तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता रिपोर्टें मिल जायेंगी और उनकी जांच पूरी हो जायेगी उसके बाद ही सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

अनुमान है कि बाद में मिलने वाली रिपोर्टें 1975 के उत्तरार्ध में पूरी हो जायेंगी क्योंकि महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) के काम बहुत व्यापक हैं जिसमें दिल्ली के लिये तीसरे टर्मिनल की व्यवस्था और अन्तरनगर व्यापक परिवहन प्रणाली के अलावा उपनगरीय रेल सेवाओं का क्षेत्र भी शामिल है।

तेल की खोज के लिये दो अमरीकी फर्मों के साथ करार

4721. **श्री वरके जार्ज :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल और कच्छ बेसिनों में समुद्र तट से दूर तेल की खोज करने के लिए दो अमरीकी फर्मों अर्थात् पलबेरी इण्डिया ग्रुप और राडिंग एण्ड वेट्स ग्रुप के साथ भारत सरकार ने करार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां।

(ख) उपरोक्त दो ठेकों की मुख्य शर्तें 25 जुलाई, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर से संबन्धित विवरण पत्र में सभा पटल पर रखी गई थी।

तेल कम्पनियों द्वारा खनिज तेल के मूल्यों में वृद्धि की मांग

4722. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तेल कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अक्तूबर, 1973 के बाद खनिज तेल के मूल्यों में वृद्धि की मांग की है ;

(ख) प्रत्येक तेल कम्पनी ने मूल्य वृद्धि की मांग कितनी बार की है और प्रत्येक बार मूल्य में कितनी वृद्धि की मांग की गई ;

(ग) खनिज तेल के मूल्यों में वृद्धि की मांग सरकार ने कितनी बार मानी और प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की अनुमति दी गई ;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक बार तेल कम्पनियों से यह स्पष्टीकरण देने को कहा है कि वे खनिज तेल के मूल्यों में वृद्धि की मांग किन कारणों से कर रही हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) बर्मा शैल, काल्टेक्स और एस्सो (ऐक्सोन)।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 9307/75]।

(ग), (घ) और (ङ). कम्पनियों से कहा गया था कि उनके द्वारा समय-समय पर की गई मूल्यों में वृद्धि के कारणों को स्पष्ट करें जो उनकी दृष्टि मे आवश्यक था जिन तेल-उत्पादक देशों ने दर्ज शुदा मूल्यों, रायल्टी दरों, कर और साझीदारी में वृद्धि की थी उनकी सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप तेल कम्पनियों ने मूल्य वृद्धि करने की अनुमति दी थी। तेल कम्पनियों द्वारा की गई इन वृद्धियों को तेल उत्पादक निर्यातक देश द्वारा किए गए विभिन्न निर्णयों से किया गया। विदेशी तेल कम्पनियों को आवंटित विदेशी मुद्रा की अधिकतम सीमा के अन्दर उनको कच्चे तेल का आयात करने की अनुमति दी गई थी किन्तु तेल कम्पनियों द्वारा उद्धृत किए गए मूल्य को उत्पाद मूल्य निर्धारण प्रणाली से पूर्णत: वसूली करने वाले नहीं माने गए।

Allotment of Petrol Pumps

4724. **Shri Mulki Raj Saini**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the number of petrol pumps all over the country during 1974-75;

(b) the number of new petrol pumps allotted during 1974-75;

(c) the number of petrol pumps allotted in Uttar Pradesh during 1974-75;

(d) the number of petrol pumps allotted to persons belonging to Scheduled Caste; and

(e) the number of those allotted to persons belonging to other backward castes?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi): (a) and (b). The total number of Retail outlets all over the country are indicated below:—

	As on 1-1-74	As on 1-1-75
(1) IOC	3349	3553
(2) Burmah-Shell	3262	3173
(3) H. P. C.	1887	1868
(4) Caltex	1359	1206
(5) I.B.P.	435	480
(6) A.O.C.	164	164
TOTAL :	10456	10444

The decrease in the figure as on 1-1-1975 compared to those on 1-1-1974 in case of certain oil companies is on account of more outlets having been closed down by them than the new outlets opened.

(c) IOC during 1974-75 (so far) and IBP during 1974 have commissioned/issued letters of appointment in U.P. for 10 and 7 retail outlets respectively. IOC's figure includes two outlets taken over from Caltex.

(d) and (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भावनगर-तारापुर रेल-लाइन का निर्माण

4725. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वर्तमान अभाव की स्थिति और इसके फलस्वरूप वहां राहत कार्य शुरू करने की आवश्यकता को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए गुजरात में भावनगर-तारापुर रेल लाइन के निर्माण कार्य को द्रुत गति से करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कैसे और कब ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). भावनगर तारापुर बड़ी लाइन के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण इंजीनियरिंग-एवं-यातायात सर्वेक्षण का काम चल रहा है और शीघ्र ही इसके पूरा हो जाने की आशा है । इस लाइन के निर्माण के प्रस्ताव पर आगे विचार सर्वेक्षण पूरा हो जाने और रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही किया जाएगा लेकिन कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए अकाल की वर्तमान परिस्थितियों में इस परियोजना को हाथ में लेना संभव न हो पायेगा ।

मथुरा परियोजना को समाप्त करने का प्रयास

4726. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 मार्च, 1975 के "इकानामिक टाइम्स" में "फ्रेश बिड टू स्क्टल मथुरा प्राजेक्ट" शीषक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उठाये गये विभिन्न मुद्दों/अभिमतों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त मामले के तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग). सरकार को इसकी सूचना है मथुरा शोधनशाला प्रायोजना को पूनः चरणबद्ध करने के सम्बन्ध में कुछ विचार विमर्श किये गये हैं। तथापि प्रायोजना के सम्बन्ध में सरकार द्वारा पहले लिए गये निर्देश में सशोधन करने पर कोई निर्णय नहीं किया गया है शोधनशाला प्रायोजना पर कार्य जारी है ।

भारतीय विधि संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा

4728. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधि संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसके निर्देश पर क्या हैं ; और

(ग) समिति अपनी अन्तिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) :

(क) जी हां ।

(ख) समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

(i) श्री डी० वी० पटेल, मुम्बई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश एवं भारत के उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ अधिवक्ता . अध्यक्ष

(ii) श्री आर० एन० शर्मा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश एवं भारत के उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ अधिवक्ता. सदस्य

(iii) श्री वी० एन० लोकूर, सयुक्त सचिव और विधि सलाहकार विधि कार्य विभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय . सदस्य

(iv) श्री प्रेमनाथ, व्यय विभाग के संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय के नामनिर्देशिती — सदस्य

(v) श्री एन० डी० सिन्हा, अवर सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय — सदस्य-सचिव

यह समिति, भारतीय विधि संस्थान को भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की बाबत उसकी उपलब्धियों और कार्यों का पुनर्विलोकन करने के लिए गठित की गई है ।

(ग) समिति में विचार विमर्श का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है और आशा है कि वह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी ।

दिल्ली में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण

4729. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों को पुनरीक्षित करने का काम पूरा हो चुका है ;

(ख) क्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज नहीं किये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इसके कारणों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की पुनरीक्षित निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम रूप से प्रकाशन के लिए नियत तारीख 31 मार्च, 1975 है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नवपाड़ा और बड़ानगर में नये रेलवे स्टेशन/हाल्ट का खोला जाना

4730. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के अधीन बेलधरिया और दम दम जंक्शन के बीच नावपाड़ा और बड़ानगर में नये रेलवे स्टेशन/हाल्ट को खोलने के बारे में नावपाड़ा उन्नयन समिति, कलकत्ता—50 से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). पूर्वी रेलवे के सियालदह मण्डल के उपनगरीय खण्ड में डमडम और बेलधरिया स्टेशनों के बीच नवापाड़ा में हाल्ट स्टेशन खोलने के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है । उक्त ज्ञापन में इस तरह के स्टेशन की आवश्यकता पर बल दिया गया है । इस मामले पर विस्तार से विचार किया गया है । वित्तीय दृष्टि से सक्षम न होने के अलावा, इंजीनियरिंग और परिचालन की दृष्टि से भी यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है ।

उड़ीसा में रेल दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा

4731. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **रेल** मंत्री पिछले एक वर्ष के दौरान उड़ीसा में रेल दुर्घटनाओं के बारे में 19 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1087 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को दिये जाने वाले मुआवज़े के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). सूचना राज्य-वार संकलित न करके रेलवेवार संकलित की जाती है । 19 नवम्बर, 1974 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1087 के उत्तर में उल्लिखित दुर्घटनाओं के फलस्वरूप रेलवे अधिनियम, घातक दुर्घटना अधिनियम तथा ला आफ टार्ट्स के अन्तर्गत मृतकों के आश्रित से दक्षिण पूर्व रेलवे को मुआवज़े के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है ।

दुर्घटनाओं में मारे गये गाड़ी गार्डों के छः मामलों में से पांच मामलों में दस-दस हजार रुपये का मुआवज़ा कर्मकार मुआवज़ा आयुक्त के पास जमा करा दिया गया है, जैसा कि कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत स्वीकार्य है । बाकी बचे एक मामले के सम्बन्ध में मुआवज़े के भुगतान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों की मरम्मत और उनका विस्तार

4733. **श्री बसन्त साठे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कुछ रेलवे स्टेशनों की मरम्मत और उनका विस्तार करने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिए चालू वर्ष में धन की व्यवस्था की है तथा वर्ष 1975–76 के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क). यातायात की वर्तमान मात्रा के लिए महाराष्ट्र स्थित रेलवे स्टेशनों का कोई बड़ा विस्तार करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(ख) और (ग). स्टशनों पर अनुरक्षण और मरम्मत, यात्री सुविधाओं और मामूली परिवर्धन और परिवर्तन के कार्यों के लिए प्रति वर्ष धन की व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष भी एसी ही व्यवस्था है । धन का आबंटन रेलवेवार किया जाता है और अलग से राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता ।

सरकारी उपक्रमों द्वारा बनाई जाने वाली औषधियां

4734. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा बनायी जाने वाली औषधियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) प्रत्येक अोद्य कारखाने में बनाई जाने वाली औषधियों और दवाइयों के नाम क्या क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). भारत सरकार के प्रत्येक उपक्रम द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधों के नाम, लाईसेंसीकृत/स्थापित क्षमता और 1971–72, 1972–73, 1973–74 (फरवरी तक) और 1974–75 (फरवरी तक) के दौरान वास्तविक उत्पादन युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है। [ग्रंन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०—9308/75] ।

केरल स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा नये कारखानों की स्थापना

4735. **श्री बलायार रवी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का विचार हंगरी के सहयोग से, जिसके लिए वे पहले ही सहमत हो चुके हैं, नये कारखाने स्थापित करने का हैं ;

(ख) क्या अन्तिम रूप से बात चीत करने के लिए हंगरी के प्रतिनिधि के भारत आने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के बारे में केरल स्टेट इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज़ लिमिटेड का अनुरोध अभी तक उसके मंत्रालय में विचाराधीन पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और मत प्रमाण-पत्र कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). केरल राज्य औषध एवं भेषज लि० केरल सरकार को एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हंग्री के सहयोग के साथ एटमेटिक नीडल सूचरस तथा मूल औषध निर्माण का विचार कर रही हैं। केरल राज्य औद्योगिक उद्यम लि० केरल सरकार को एक होल्डिंग कंपनी ने सूचना दी है कि सहयोगियों के चयन तथा उनके सक्षम के मूल्यांकन के लिए हंग्री में प्रारम्भिक विचार विमर्श का प्रस्ताव है।

केरल राज्य औद्योगिक उद्यम लि० और केरल राज्य औषध एवं भेषज लि० को सूचित किया गया है कि सरकार का सिद्धान्त रूप से हंग्री के साथ सहयोग के लिये समझौते पर तथा इस उद्देश्य के लिए उनके हंग्री जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

सी० एफ० फुलफोर्ड को औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी

4736. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जैन्टामाइसीम सल्फेट के उत्पादन के लिये 2 करोड़ रुपये की लागत का कारखाना लगाने के लिये सी० एफ० फुलफोर्ड नामक पूर्णतया विदेशी स्वामित्व की औषध कम्पनी को औद्योगिक लाइसेंस देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ऐसा आरोप लगाया गया है कि उक्त फर्म बिना औद्योगिक अथवा सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त किये ही चल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). 13 सितम्बर, 1974 को प्राप्त, औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत दिये गये अपने आवेदन में मैसर्स सी० ई० फुलफोर्ड इंडिया प्रा० लि० ने निम्नलिखित मदों के उत्पादन का प्रस्ताव रखा है ;

क्र० सं०	उत्पादन की मद	वार्षिक क्षमता
1.	जैन्टामाइसीन सल्फेट	1000 कि० ग्राम
2.	मोलिया	360 मिलियन
3.	इंजैक्टेबल्स	8100 लीटर
4.	आइन्टमेण्ट और क्रीम	25000 कि० ग्राम
5.	सौल्यूसं	16000 लीटर
6.	कैप्सूल्स	5000 मिलियन

उन्होंने अपनी साम्य पूंजी को 200 लाख रुपये तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है। इस यूनिट को कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है और उनके आवेदन पत्र की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ): यह यूनिट अब तक गैर संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा था। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि, क्या इस कम्पनी को कारोबार चालू रखने का लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं।

Decline in production at Fertilizer Factories

4737. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether production in the fertilizer factories in the country is declining due to power shortage, technical difficulties and defective management; and

(b) the measures being taken to increase production by effecting improvements in the management of the fertilizer factories?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh): (a) and (b). A production of nearly 12 lakh tonnes is expected to be achieve during 1974-75, as against 10.6 lakh tonnes during the previous year. The overall production could have been even better but for constraints like power and raw material shortages, technical problems, etc. Measures are continuing to minimise to the extent possible the impact of these constraints and also to streamline management procedures and practices towards maximization of efficiency.

औषधियों का उत्पादन

4738. **श्री शरद यादव:** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972, 1973 तथा 1974 में औषधियों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इसमें से कितना उत्पदान पूर्णतया विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा किया गया, कितना आंशिक विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा तथा कितना स्वदेशी कम्पनियों द्वारा; और

(ग) स्वदेशी कम्पनियों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है। और यथा शीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध उद्योग के विभिन्न पहलूओं की करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। समिति के विचाराधीन विषय में अन्य वर्गों के साथ-साथ यह भी सम्मिलित है कि वह औषध उद्योग के प्रगतिशील विकास के लिए विशेष रूप से भारतीय और लघु पैमाने के क्षेत्र में सिफारिशें करेगी। अपनी सिफारिशें करते समय समिति उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय फैलाव की अवश्यकता को ध्यान में रखेगी। सरकार जनता को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में और आवश्यक औषध एवं घरेलू दवाइयों की उपलब्धि के लिये उपायों पर समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक औषध एवं घरेलू दवाइयों जिनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता होगी का अनुमान लगाया जा रहा है।

सरकार ने भारतीय क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए निम्न उपाय किये हैं :

(i) उद्योग को भारतीय क्षेत्र की निर्माण योजनाओं में अनुमोदन के लिए प्राथमिकता दी जाती है ।

(ii) सरकारी उपक्रमों द्वारा अधिक संख्या में प्रपुंज औषधों का निर्माण ।

(iii) आम तौर पर विदेशी कम्पनियों को सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये जाते जब तक वे प्रपुंज औषध उत्पादन से सम्बद्ध न हो ।

(iv) उनसे प्रपुंज औषधों का उत्पादन और अधिक मूल स्तर से आरम्भ करने के लिए कहा जाता है । और क्षमता में विस्तार करने के लिये या नई क्रिया आरम्भ करने के लिए शर्त के तौर पर उनसे प्रपुंज औषध उत्पादन का अन्तिम भाग देश में अन्य सूत्रयोगों को उपलब्ध करने के लिए कहा जाता है ।

उपयुक्त निर्यात दायित्व भी उन पर लगाया जाता है ।

(v) निर्माण प्रक्रियों में विस्तार की अनुमति के समय विदेशी साम्य पूंजी में निरन्तर कमी करके भारतीय शेयर होल्डिंग की वृद्धि की शर्त लगाई जाती है ।

(vi) जिन कम्पनियों की विदेशी पूंजी 40% से अधिक है और विदेशी कम्पनियों की शाखायें जो भारत में काम कर रही हैं को वाणिज्यक और औद्योगिक प्रक्रिया के लिए या नई प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है ।

इण्डियन मैडीकल ऐसोसियेशन तथा इण्डियन ड्रग्ज मैनुफैक्चर ऐसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ यथेष्ट मात्रा में औषध उपलब्ध करने के लिए स्वदेशी क्षेत्र की भूमिका निभाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया है । इस क्षेत्र से बड़े पैमाने में उपयोग होने वाली औषधें सस्ते दामों पर उत्पादन करने के लिए तथा ऐसी औषधों को समिति द्वारा दी गई सूची से अभिन्न करने के लिए कहा गया है । औषध निर्माण करने वाले सरकारी उपक्रमों और औषध उद्योग में भारतीय क्षेत्र के साथ आवश्यक जीवन रक्षा औषधें अधिक मात्रा में उपलब्ध करने तथा उत्पादन लागत को कम करने के उपायों पर विचार विमर्श आरम्भ किया गया है । ये विचार विमर्श चल रहा है और विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक कार्यवाही अप्रैल में समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जायेगी ।

निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के बारे में कलकत्ता में नागरिक सम्मेलन

4739. **श्री समर गुह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों की मांग के सम्बन्ध में 26 फरवरी, 1975 को कलकत्ता में हुये नागरिक सम्मेलन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई मांगों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) सरकार का ध्यान 26 फरवरी, 1975 को कलकत्ता में हुए एक नागरिक सम्मेलन के संबंध में समाचार-पत्र में छपी खबर की ओर दिलाया गया है ।

(ख) उस सम्मेलन में पारित निर्वाचन सुधारों संबंधी मुख्य संकल्प, समाचारपत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार निम्नलिखित हैं :––

(1) निर्वाचन आयोग की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाए जिससे कि उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके;

(2) सम्पूर्ण लोक सभा या सम्पूर्ण विधान सभा के लिए निर्वाचन कराए जाने के तीन मास पूर्व, समुचित सरकार सत्ता से हट जाएगी;

(3) प्रधान मंत्री को या किसी भी अन्य मंत्री को निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए सरकारी परिवहन और अन्य शासकीय सुविधाओं का उपयोग करने की इजाजत न दी जाए;

(4) एक मतदान बूथ पर कई मत पेटियों के स्थान पर केवल एक बड़ी मत पेटी का उपयोग किया जाए और अभिकर्ताओं या अभ्यर्थियों को गणना करने के समय तक उन मत पेटियों की रक्षा करने की सुविधाएं दी जाएं;

(5) प्रत्येक मतदान बूथ में डाले गए मतों की गणना मतदान होने के तुरन्त बाद मतदान के स्थान पर की जाए;

(6) आनुपातिक प्रतिनिधित्व

(7) अभ्यर्थियों, निर्वाचन, मतदान और गणना अभिकर्ताओं तथा निर्वाचन कार्यकर्ताओं तथा निर्वाचन अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की शारीरिक और अन्य क्षति की धमकियों तथा अभित्रास के विरुद्ध वैयक्तिक सुरक्षा के पूर्वोपाय किए जाएं;

(8) प्रत्येक अभ्यर्थी निर्विघ्न रूप से निर्वाचन कार्य करने के अधिकार का उपयोग करेगा ।

(ग) सरकार का, निर्वाचन विधि में संशोधनों के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करने का विचार है ।

राज्यों को मिट्टी के तेल का आवंटन

4740. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं के लिये विभिन्न राज्यों तथा महत्वपूर्ण केन्द्रों से मिट्टी के तेल का विक्रय मूल्य निश्चित किया है; और

(ख) क्या दुकानदार उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य लेते हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार, मुख्य बन्दरगाहों पर स्थित तेल कम्पनियों के प्रतिष्ठानों के वार तथा शोधनशाला केन्द्रों पर प्रपुंज पैट्रोलियम उत्पादों, जिनमें मिट्टी का तेल भी शामिल है, के मूल अधिकतम विक्रय मूल्यों का निर्धारण करती है। फुटकर विक्रय मूल्य, रेल भाड़ा, विक्रेताओं को ही दिये जाने वाली कमीशन, विक्रय कर और असाधारण खर्चा जो राज्य सरकारें संघ/शासित क्षेत्रों द्वारा विक्रेताओं को स्थानीय परिस्थितियों में मंजूर किए जाते हैं, के अतिरिक्त, मूल्य निर्धारण विक्रय मूल्यों से तैयार किए जाते हैं। मिट्टी के तेल के बारे में अनिवार्य पदार्थ अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश 1974 (निर्धारण मूल्यों का निर्धारण) द्वारा राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न स्थानों पर फुटकर विक्रय मूल्य निर्धारित करने तथा यदि कोई अनाचार हो, तो उसके प्रति कार्रवाई करने के भी अधिकार दिए गए हैं।

असम के तेलशोधक कारखानों का विस्तार

4741. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के तेलशोधक कारखानों का विस्तार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कितना विस्तार किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी. पी. माझी) : (क) और (ख) : भारतीय तेल निगम और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक स्थापित भंडारों के आधार पर असम तेल क्षेत्रों से 1978–79 तक प्रति वर्ष 530 मिलियन मी० टन का अशोधित तेल उपलब्ध होने की संभावना है। यह असम अशोधित तेल पर आधारित वर्तमान शोधनशालाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान प्रायोजित शोधनशालाओं की आवश्यकताओं से ऊपर अतिरिक्त अशोधित तेल के उपलब्ध होने की, इस समय कोई संभावना नहीं है।

भारतीय तेल निगम के चेयरमैन की नियुक्ति

4742. **श्री मधु लिमये :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सी० आर० दास गुप्त को भारतीय तेल निगम लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त करने के सम्बन्ध में एक संसद सदस्य ने 2 मई, 1974 को एक पत्र भेजा था ;

(ख) पाईपलाइन कांड की जांच कर रहे टकरु आयोग के सामने झूठा शपथ पत्र देने के लिये सी० आर० दास गुप्त के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) गंगा जलदूषण जांच आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल के निर्देशों को क्रियान्वित न करने के लिये श्री सी० आर० दास गुप्त के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां, इस पत्र का उत्तर 25 मई, 1974 को भेजा गया था ।

(ख) अपने 2 मई, 1974 के पत्र में माननीय सदस्य ने एक झूठे शपथ पत्र का हवाला दिया था । जिसके द्वारा श्री दास गुप्ता ने सरकारी उपक्रमों की समिति के तथ्यों के परिणामों पर दोषारोपण करने की कोशिश की थी । इस मामले में विशेषाधिकार पर उठाये गये प्रश्न की माननीय अध्यक्ष महोदय ने जांच की थी और अपने 2 अगस्त, 1974 के निर्णय में उन्होंने यह ठहराया कि श्री दास गुप्ता ने अपने शपथ पत्र में सरकारी उपक्रमों की समिति को प्रयत्क्ष अथवा परोक्ष रूप में कोई उद्धरण नहीं दिया था ।

(ग) पैट्रोलियम और रसायन मंत्री ने इस विषय पर एक विस्तृत विवरण 10 मई, 1974 को सभा पटल पर प्रस्तुत किया था ।

वर्ष 1974 में सियालदह डिवीजन में दुर्घटनायें

4743. श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 में सियालदह डिवीजन में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1974 में पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल में 8 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं अर्थात् गाड़ियों की टक्कर होने की, गाड़ियों के पटरी से उतरने की 6 और समपार पर 1 दुर्घटनाएं हुईं ।

(ख) संरक्षा संगठन के संचलन से संबंधित कर्मचारियों में संरक्षा की चेतना जाग्रत करने के लिए प्रयत्नशील है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें नियमों की अवहेलना करके आसान तरीके न अपनायें । इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं । कर्मचारियों के प्रारम्भिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जा रहा है । सभी दुर्घटनाओं की विस्तारपूर्वक जांच की जाती है और इसी प्रकार की दुर्घटनाओं की आवृत्ति न होने देने के लिए उचित उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं ।

पैट्रोल पर लगे अतिरिक्त शुल्क का परिवहन उद्योग पर प्रभाव

4744. श्री राजदेव सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अक्तूबर, 1973 से पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में पांच गुनी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पैट्रोल पर 10 पैसे प्रति लिटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने से परिवहन उद्योग के संचालन व्यय में और अधिक वृद्धि होगी ;

(ख) क्या देश में अशोधित पैट्रोलियम का पतन पर लागत-मूल्य पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों से काफ़ी कम है;

(ग) यदि हां, तो अशोधित पैट्रोलियम का पतन पर लागत-मूल्य परिवहन, शोधन व्यय, पेट्रोल पम्प मालिकों के कमीशन के पृथक-पृथक व्यय सहित पैट्रोलियम उत्पादों की प्रति लीटर कीमत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या एक लीटर पैट्रोल की 3.39 रु० की कीमत में 2.45 रु० तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्री कर के रूप में ही अदा करने होते हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) पैट्रोल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि से सामान्यत, परिवहन जो पैट्रोल का प्रयोग करते हैं की संचालन लागत में वृद्धि होने की संभावना है ।

(ख) उर्वरकों के निर्माण के लिए प्रयोग में आने वाले विटूमन (प्रपुंज) तथा नेपथा का निर्धारण विक्रय मूल्य अशोधित तेल के पत्तन मूल्य से कम है । अन्य प्रपुंज शोधित पैट्रोलियम उत्पादों के बारे में निर्धारित विक्रय मूल्य पत्तन लागत से अधिक है क्योंकि विक्रय मूल्यों में उत्पाद शुल्क अन्दर के केन्द्रों के बारे में यातायात, संभालने और विपणन खर्च शामिल है ।

(ग) वर्तमान मूल्य प्रबन्धों की शर्तों में, पैट्रोलियम उत्पादों के बाहर के मूल्य आयात साम्य के सिद्धान्तों की शर्तों में प्रमुख बंदरगाहों/शोधनशालाओं पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और न कि अशोधित तेल की लागत, शोधन की लागत, शोधनशाला ईंधन पर आधारित है । रेल भाड़े में, निकट प्रमुख बंदरगाह/शोधनशाला केन्द्र वास्तविक खर्च शामिल है । पैट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर विक्रेताओं की कमीशन क्रमशः रु० 41.80 कि० ली और रु० 17.60 कि० लि० है ।

(घ) दिल्ली में उत्पाद शुल्क और विक्रय कर 2.36 रुपये प्रति लिटर है ।

पैर और मुंह के रोगों के लिये टीका बनाने वाली फर्में

4745. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पैर और मुंह के रोगों के लिए टीकों का उत्पादन करने वाली कुछ फ़र्में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इस टीके के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना का उत्पादन लक्ष्य 150 लाख खुराकें हैं और भारतीय एग्रो फ़ाउन्डेशन के लिए मंजूर की गई क्षमता 130 लाख खुराकें हैं; और

(घ) क्या इस टीके के लिए जानकारी भारतीय संस्थानों के पास भी उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ख) : जी हां। देश में केवल मैसर्स होयस्ट फ़ार्मेस्यूटिकल्स लि० तथा भारतीय पशु-चिकित्सा संस्थान, मुक्तेश्वर ही पैरों और मुंह की बीमारी के टीकों का निर्माण करते हैं और उनकी वार्षिक स्थापित क्षमता क्रमश: 5 लाख खुराकें तथा 2 लाख खुराकें हैं।

इस टीके के निर्माण के लिये जानकारी भारतीय पशु-चिकित्सा संस्थान के पास है जो कि इसका सीमित माला में निर्माण करते हैं,

(ग) पैरों और मुंह की बीमारी के टीकों के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि का लक्ष्य 15 मिलियन खुराकें है और मैसर्स भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फ़ाउन्डेशन को इस टीके की 3.2 मिलियन खुराकों की वार्षिक क्षमता के लिये एक आशय पत्र दिया गया है।

कलकत्ता के एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन देने के लिये आवेदन पत्रों को मंजूर न करना

4746. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से प्रकाशित दैनिक गणपति और लोक सभा में मुख्य विरोधी दल भारतीय साम्यवादी दल-मार्क्सवादी का बंगाली मुखपत्न गत दो वर्षों से उचित प्राधिकारियों को रेलवे विज्ञापनों के लिये आवेदन पत्न दे रहा है और मंत्नी तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को भेजे गये अनेक समर्ण-पत्रों के बावजूद इस समाचार पत्न को विज्ञापन नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं हालांकि रेलवे मंत्नालय की घोषित नीति यह रही है कि दैनिक समाचार पत्नों को विज्ञापन देते समय राजनीतिक रूप से भेदभाव नहीं किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। विज्ञापन देने के लिए सम्बधित रेलवे को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल की खुदाई के लिये विदेशी तेल विशेषज्ञों के साथ अनुबन्ध

4747. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्नी यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष में तेल की खुदाई के नए कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) तेल की खुदाई के कार्यों में सहायता देने हेतु विदेश, तेल विशेषज्ञों के साथ कितने अनुबन्ध किए गए हैं ; और

(ग) उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) भू-भौतिकीय आदि विचारों पर आधारित किसी वर्ष में व्यधन कार्य करना एक प्रक्रिया है। 1975—76 के दौरान देश के विभिन्न भागों में लगभग 2,40,000 मीटर व्यधन करने के लिए भूमि पर 40 रिंग लगाये गये हैं । इसके अतिरिक्त 3 व्यधन यूनिटों (पहले से कार्यरत 'सागर सम्राट' सहित) को लगाकर आयोग की अपटतीय क्षेत्रों में व्यधन कार्यों को तीव्र करने की योजना है । आयोग 1975—76 के दौरान लगभग 25000 मी० टन व्यधन करने की आशा करती है । आयल इण्डिया लि० उस वर्ष के दौरान असम एवं अरुणाचल प्रदेश में 4 रिंग लगाकर अपने व्यधन कार्यों को जारी रखेगा ।

(ख) और (ग) जम्मू एवं काश्मीर में सुरसर सरगना पर गहन व्यधन कार्यों पर तकनीकी सलाह की व्यवस्था करने के लिए एक ठेकेदार की नियुक्ति के अतिरिक्त देश में (व्यधन कार्य सहित) तेल अन्वेषण कार्य में 12 विदेशी तेल विशेषज्ञ लगाये गये हैं । इसके अतिरिक्त तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के बम्बई अपतटीय प्रायोजना हेतु कार्य कर रहे विभिन्न ठेकेदारों द्वारा कुछ विदेशी तकनीशियन लगाये गये हैं ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज के लिये नौ-सेना से मांगी गयी सहायता

4748. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तट-दूर की खोज के लिये भारतीय नौसेना से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो नौ-सेना से मांगी गई सहायता सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और नौसेना तेल की खोज के कार्य में कहां तक सहायक सिद्ध हुई है ; और

(ग) गुजरात राज्य में वर्ष 1974—75 के दौरान की गई तेल की खोज के नवीनतम परिणाम क्या निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) एव (ख) भारतीय नौसेना से ओ० एन० जी० सी० के भूकम्पीय एवं व्यधन के लिए जल-पोतों एवं पनडुब्बियों पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के रूप में सहायता मांगी गई है । भारतीय नौ-सेना ने इन कार्मिकों की व्यवस्था की है।

(ग) 1974-75 के दौरान गुजरात में तेल की खोज के लिए किए गए कार्य के परिणामस्वरूप ओ० एन० जी० सी० ने तेल वाली तीन अतिरिक्त संरचनाओं की खोज की है, जिनके नाम हैं असजोल, सिसवा एवं सनाए खुर्द ।

ईराक और अन्य देशों द्वारा भारत को तेल की सप्लाई

4749. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में भारत को कुल कितने खनिज तेल की आवश्यकता होगी ; और

(ख) ईराक तथा अन्य तेल उत्पादक देशों द्वारा पहले ही दिये गये वचनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1975 में यह तेल भारत की आवश्यकता से कितना कम रहेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : : (क) और (ख) वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण भी अशोधित तेल के अधिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए 1975–76 के दौरान कुल अशोधित तेल की उपलब्धता लगभग 22.4 मि० मी० टन होने की आशा है । इसमें से लगभग 8.25 मि० मी० टन देशीय और शेष आयातित अशोधित तेल होगा । सरकारी स्तर पर तेल उत्पादक देशों से निर्धारित अशोधित तेल के आयात को ध्यान में रखने के पश्चात शेष अपेक्षित अशोधित तेल का बर्माशैल और काल्टैक्स द्वारा उनके अपने स्रोतों से आयात किया जायेगा ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट दिये जाने की शक्ति

4750. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेल मंत्री वाणिज्यिक लिपिकों द्वारा पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक और मुख्य अधीक्षक को ज्ञापन के बारे में 9 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6121 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रशासन संहिता में कोई ऐसा नियम है जिसके द्वारा प्रशासन को 6 वर्ष पूर्व की गई भर्ती के मामले में पात्रता के लिये निर्धारित अर्हताओं में छूट देने की शक्ति प्राप्त है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : भारतीय रेल स्थापना संहिता, भाग 1 के नियम 158 के अंतर्गत, महाप्रबन्धकों को अपने नियन्त्रण में काम करने वाले गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों के संबंध में नियम बनाने का पूरा अधिकार है, बशर्ते कि वे नियम राष्ट्रपति द्वारा अथवा रेलवे बोर्ड द्वारा बनाये गये किसी नियम से असंगत न हों । अतएव, महाप्रबन्धक पदोन्नति की सरणि से व्यक्तिक्रम की अनुमति दे सकते हैं ।

त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कर्मचारियों की भर्ती

4751. **श्री बीरेन दत्त :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्राधिकारी तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी कर्मचारियों की सीधी भर्ती त्रिपुरा से नहीं करते ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) आयोग की त्रिपुरा प्रायोजना सहित समस्त प्रायोजनाएं, तकनीकी तथा गैर-तकनीकी, दोनों विकेन्द्रित पदों पर नियुक्तियां स्थानीय आधार पर करती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

त्रिपुरा राज्य में काम कर रहे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी

4752. **श्री दशरथ देव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कितने प्रतिशत हैं ;

(ग) क्या त्रिपुरा में विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के त्रिपुरा प्रायोजना में 1–2–1975 को 578 नियमित कर्मचारी कार्य कर रहे थे ।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बधित कर्मचारियों की प्रतिशतता क्रमशः 5 प्रतिशत और 2. 25 प्रतिशत है ।

(ग) और (घ) जी हां । केन्द्रीय सरकार के सेवा तथा पदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षणों के सम्बन्ध में समय समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेश आयोग में सम्पूर्ण रूप में लागू किये गये हैं ।

गले की बीमारियों का 'लेसर बीम' द्वारा इलाज

4753. **श्री पी० वेंकटसुब्बया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्दर्न रेलवे सेंट्रल हास्पिटल, नई दिल्ली ने गले की बीमारियों का इलाज करने के लिए 'लेसर बीम' का प्रयोग आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का यह इलाज अन्य अस्पतालों में आरम्भ करने के लिये किन उपायों पर विचार किया गया है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इस चिकित्सा को आम आदमी को सुलभ करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

814 L. S.—6.

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सलादीपुरा पाइराइट परियोजना

4754. **श्री बयालार रवि :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलादीपुरा पाइराइट परियोजना में काफी विलम्ब हो गया है ;

(ख) क्या इस परियोजना से उर्वरक उत्पादन के लिये आवश्यक सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करके विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता मिलेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) पाइराइट फोस्फट एण्ड केमिकल्स लि० द्वारा तैयार की गई सम्भाव्यता रिपोर्ट के अनुसार 6 लाख मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र की सलादीपुर में उपलब्ध पाइराइट भण्डारों के आधार पर स्थापना की जा सकती है। आयातित सल्फेर के बजाय देशीय उपलब्ध पाइराइटों पर आधारित सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पाद से विदेशी मुद्रा में बचत होगी । राज्य में उपलब्ध पाइराइट और राकफोस्फेट पर आधारित राजस्थान के फर्टीलाइजैर कम्प्लेक्स की स्थापना के साथ यह परियोजना बिल्कुल सम्बद्ध है । ये अत्यधिक भारी पूंजी की हैं और पांचवीं योजना के प्रलेख में यथा परिकल्पित फर्टिलाइजर प्रोग्राम में इन्हें शामिल नहीं किया गया है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले राक फास्फेट के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

4755. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अपनाये गये उदासीन रवैये के कारण राजस्थान खनिज तथा धातु लिमिटेड के पास खान के मुहानों पर राक फास्फेट का स्टाक जमा हो रहा है जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम राजस्थान से अपनी आवश्यकता का माल आदि और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बेकार जाने से रोकते हुए अपना आयात न्यूनतम करे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) इस समय राकफास्फेट का स्वदेशी उत्पादन देश में उसकी कुल मांग से कम है और मांग को पूरा करने के लिए यथा संभव इसका आयात किया जाता है । अधिकतम

फास्फेटिक उर्वरक निर्माता दोनों स्वदेशी और आयातित राकफास्फेट प्राप्त करते हैं। हाल ही में रिपोर्ट मिली है कि राजस्थान के झमरकोटरा में स्वदेशी राकफास्फेट का स्टाक इकट्ठा हो गया है और इसका मुख्य कारण था अनुमानित स्तर से अधिक उत्पादन तथा उर्वरक निर्माताओं की स्वदेशी राक के प्रयोग में आने वाली तकनीकी कठिनाइयां। स्वदेशी में उपलब्ध राक का अधिकतम प्रयोग करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है।

सेवा निवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पुर्नानियुक्ति

4756. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी काय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों के नाम क्या हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद गत तीन वर्षों में वर्षवार विभिन्न पदों पर नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी अवधि के लिये नियुक्ति की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटड में शल्य चिकित्सा औज़ारों का स्टाक

4757. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास स्थित इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के शल्य चिकित्सा यूनिट में शल्य-चिकित्सा औजारों का भारी स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) भारी स्टाक जमा होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्टाक को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नये एकाधिकार गृह

4758. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजारी समिति की रिपोर्ट में 75 एकाधिकार गृहों का उल्लेख होने के पश्चात् भारत में कितने एकाधिकार गृहों की वृद्धि हुई है ;

(ख) उन नये एकाधिकार गृहों के नाम क्या हैं जो लाइसेंसिंग समिति के अनुसार बड़े औद्योगिक गृहों के अन्तर्गत आते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार एकाधिकार गृहों को सीमित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) से (घ). संभवतः यह निर्देश इडिन्स्ट्रियल प्लानिंग एण्ड लाइसेंसिंग पोलिसी रिपोर्टस (अन्तरिम तथा अन्तिम) शीर्षक के अन्तर्गत प्रोफसर आर० के० हजारी की रिपोर्टों की ओर है, जिसमें 75 घरानों को एकाधिकारी निर्धारित नहीं किया है।

एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अभिस्वीकरण के लिये वृहद औद्योगिक घरानों की परिभाषा, दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई, इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण से सम्बन्धित तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 2 से 3 तक ब्यौरेवार दी गई है जिसमें साथ साथ बताया गया था कि औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति रिपोर्ट में अभिस्वीकृत वृहद औद्योगिक घरानों की परिभाषा, अन्तःसम्बन्धित उपक्रमों की परिसम्पत्तियों सहित, 35 करोड़ रुपये से अधिक की परिसम्पत्तियों के आधार पर थी, एवं लाइसेंस निबन्धनों के लिये अभिस्वीकृति की जाने वाली वृहद औद्योगिक घरानों की परिभाषा, एकाधिकार एवं निर्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के सर्वथा समनुरुप अर्थात् अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों की परिसम्पत्तियों सहित, 20 करोड़ रु० से कम नहीं, की परिसम्पत्तियों की न्यूनतम सीमा के आधार पर निर्धारित की गई है। एकाधिकार जांच आयोग अथवा औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति रिपोर्ट, की परिभाषा के आधार पर कोई सूची संधारित नहीं की जा रही है। जैसा कि एकाधिकार जांच आयोग द्वारा (1965) अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 165 पर विनिर्दिष्ट किया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के निदेशिक सिद्धान्त के अनुसार, आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को जब तक दण्डनीय नहीं ठहाराया जा सकता, तब तक कि यह आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण जनहित के विरुद्ध न हो। एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की योजना के अन्तर्गत, अन्तःसम्बन्धित उपक्रम, कुछ परिस्थितियों में, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना 25 प्रतिशत तक सारवान विस्तार करने के लिये भी समर्थ हैं। एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की कुचेष्टाओं के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों की परिसम्पत्तियों की वृद्धि को बाबत स्थिति, तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 3(8) में दो गई है।

हिमाचल एक्सप्रेस गाड़ी के कीरतपुर रेलवे स्टेशन पर रुकने के समय को बढ़ाने की मांग

4759. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिये कीरतपुर रेलवे स्टेशन के महत्व को देखते हुए हिमाचल एक्सप्रेस गाड़ी के इस स्टेशन पर रुकने के समय को बढ़ाने की कोई मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां तो क्या उतर रेलवे अधिकारियों ने इस मांग को मान लिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1-5-1975 से कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर हिमाचल एक्सप्रेस के ठहराव का समय 2 मिनट से बढ़ा कर 4 मिनट किया जा रहा है ।

सेवा में व्यवधान को माफ करने सम्बन्धी निर्णय की क्रियान्विति

4760. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान को माफ करने के बारे में 20 फरवरी, 1975 को अपने बजट भाषण में रेल मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को इस बीच क्षेत्रीय प्राधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय की क्रियान्विति सभी स्तरों पर आरम्भ हो गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा क्रियान्विति अनुमानतः किन तारीखों को आरम्भ होगी तथा पूर्ण होगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सिलीगुड़ी के लोगों से अभ्यावेदन

4761. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोगों की लम्बे अरसे से चली आ रही शिकायतों को दूर करने के लिये एक उपरिपुल की व्यवस्था करने हेतु पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या एन० जी० पी० रंगपानी लाइन को सिलीगुड़ी कटिहार लाइन से जोड़ते हुए 5 किलोमीटर की रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिये कोई वैकल्पिक योजना भी प्रस्तुत की गई है जिससे एन० जी० पी० को नार्थ जंक्शन के साथ जोड़ा जा सके ;

(ग) क्या सरकार ने इन दोनों प्रस्तावों पर विचार किया है और इस मामले में कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो किस प्रकार निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). सिलीगुड़ी में ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्ताव की जांच की गयी है और वह न तो व्यावहारिक पाया गया और न ही औचित्यपूर्ण। 5 कि० मी० लम्बे रेल-सम्पर्क की व्यवस्था का विकल्प और भी अधिक खर्चीला होगा और उसके बारे में एक विस्तृत सर्वेक्षण करना अपेक्षित होगा। फिर भी, विस्तृत जांच-पड़ताल के पश्चात् उस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

गत पांच वर्षों के दौरान किये गये अन्तिम स्थान (लोकेशन) सर्वेक्षण

4762. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोन-वार उन रेल लाइनों के नाम क्या हैं जो कि गत पांच वर्षों के दौरान निर्माणधीन रही अथवा जिनका निर्माण किया गया तथा जिन पर अंतिम स्थान सर्वेक्षण और निर्माण कार्य साथ-साथ किया गया ; और

(ख) प्रत्येक मामले में ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (ग) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उन नयी लाइनों के नाम जो या तो बनायी गयी हैं या पिछले 5 वर्षों में निर्माणाधीन रही हैं, जिन पर निर्माण कार्य अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा होने से पहले ही शुरू कर दिया गया था और जिन पर दोनों काम साथ साथ चालू थे, नीचे क्षेत्रवार दिये जा रहे हैं ।

क्रम सं	लाइन का नाम	निर्माण कार्य और मार्ग निर्धारण साथ साथ करने के कारण
1	2	3
1	शाहदरा-सहारनपुर बड़ी लाइन	भूत पूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्र की यातायात की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा होने के पहले ही निर्माण कार्य प्राधिकृत कर दिया गया था।

1	2	3
2	रोहतक-भिवानी बड़ी लाइन रेल सम्पर्क	अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा होने के पहले ही निर्माण कार्य प्राधिकृत कर दिया गया था ताकि रेलें शीघ्रतापूर्वक भूमि का अधिग्रहण कर सकें क्योंकि भूमि का दाम तेजी से बढ़ता जा रहा है।
3	गोहाना-पानीपत बड़ी लाइन	ये निर्माण कार्य फिर से लाइन बिछाने के सम्बन्ध में है जो अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा होने से पहले ही स्थानीय जनता की पुरानी और लगातार की जाने वाली मांग को पूरा करने के लिए अनुमोदित किये गये हैं ताकि रेलें बुवाई के मौसम से पहले ही भूमि का अधिग्रहण कर सकें ताकि भूमि का अधिक दाम न देना पड़े ।
4	डलमऊ-दरयापुर बड़ी लाइन	
	पूर्वोत्तर रेलवे	
5	सरायगढ़—प्रतापगंज मीटर लाइन	ये लाइन को फिर से बिछाने के निर्माण कार्य हैं। बुवाई से पहले इन निर्माणकार्यों को तत्काल शुरु करना आवश्यक था। इसलिए, अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा होने से पहले निर्माणकार्य प्राधिकृत कर दिया गया था ताकि रेलें भूमि पर कब्जा कर सकें।
6	प्रतापगंज—फारबिसगंज मीटर लाइन	

मैसर्स वेल्कम को 'एमिटिन' के उत्पादन के लिये लाइसेंस जारी करना

4763. **श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वैकल्म एण्ड कम्पनी 'ए मिटिन' औषधि जो टीके में काम आती है, का उत्पादन नहीं कर रही है, हालांकि उसे इसके लिये लाइसेंस दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) मैसर्स वैल्कम एण्ड कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिवर्ष 250 किलो ग्राम इमेटाइन एच0 सी0 एल0 का उत्पादन करने का लाइसेंस दिया गया है। पिछले चार वर्षों के दौरान कम्पनी के वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

वर्ष	उत्पादन की मात्रा
1970–71	127.92 कि० ग्रा०
1971–72	65.91 कि० ग्रा०
1972–73	23.83 कि० ग्रा०
1973–74	15.23 कि० ग्रा०

इस सम्बन्ध में, कि क्या कम्पनी में इस औषध का उत्पादन बन्द कर दिया है उत्पादन में कटौती के बारे में पता लगाया जा रहा है। और सभा पटल पर रख दी जाएगी। इसके बाद उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे।

एटू मैट्रिक नीडल स्यूटुयुग्रर्स का उत्पादन करने वाली कम्पनियां

4764. **श्री बयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रासयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियो के क्या नाम हैं जो देश में एटूमैट्रिक नीडल स्यूटुयुग्रर्स का उत्पादन करती है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ये कम्पनियां इन उत्पादों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की तुलना में बहुत अधिक मूल्य वसूल करती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और उन फर्मों के क्या नाम हैं जो इस मद का उत्पादन करना चाहती है तथा इस सम्बन्ध में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :

(क) देश में संगठित क्षेत्र में केवल मैसर्स जानसन एण्ड जानसन (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई एटूमैटिक नीडल स्यूटुयुग्रर्स का निर्माण कर रहे हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) केवल स्टेट ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, जोकि केरल सरकार के स्वामित्व वाला एक यूनिट है, हंगरी के सहयोग से नीडल स्यूटुयुग्रर्स का निर्माण करने की संभावनाओं की खोज कर रहा है।

Proposal for Setting up a Chemical Factory in Madhya Pradesh

4765. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh Government have submitted any proposal to the Central Government for setting up a chemical factory in the State;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the reaction of the Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh): (a) to (c) No proposal has been recently received. However, the position is being checked up with Madhya Pradesh Government.

Overbridges proposed to be constructed in Bhusawal Division

†4766. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the particulars of new overbridges proposed to be constructed in Bhusawal Division in Madhya Pradesh during 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): There are no new proposals for construction of overbridges in replacement of existing busy level crossings in Bhusawal Division in Madhya Pradesh during 1974-75.

1974–75 के लिये रेलवे विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धनराशि

4767. **श्री बीरभद्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 के दौरान रेल लाइनों के विद्युतीकरण संबंधी लक्ष्य क्या है और इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशी नियत की गई है ;

(ख) क्या विभिन्न लाइनों का विद्युतीकरण कार्यक्रम समयावलि के अनुसार चल रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विरार साबरमती रेल बिजलीकरण परियोजना के भेस्तान-विरार खण्ड के 200 मार्ग किलो-मीटर पर और पांशकुडा-हल्दिया रेल बिजलीकरण परियोजना के 69 मार्ग किलोमीटर पर 1974–75 के दौरान बिजलीकरण का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य बनाया गया है।

1974–75 में इन दो परियोजनाओं के लिए क्रमशः 4.00 करोड़ रुपये और 0·70 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) **खण्ड**	**लक्ष्य**	**कारण**
विरार—मई, 74 भेस्तान		इस खण्ड का बिजलीकरण अलग-अलग चरणों में दिसम्बर 74 तक किया गया था। विलम्ब का कारण यह था कि दूर संचार केबलों के मिलने में देरी हो गयी थी।
पांशकुड़ा-हल्दिया	1974–75	पांशकुड़ा से दुर्गाचक तक के खण्ड का बिजलीकरण फरवरी, 75 में कर दिया गया था। आशा, है शेष भाग का बिजलीकरण जून, 75 तक पूरा हो जायेगा। विलम्ब के कारण इस प्रकार हैं :— (i) कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर द्वारा भारी माल सप्लाई यार्ड में पटरी बिछाने के काम में हुआ विलम्ब। (ii) इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बेंगलूरू द्वारा रिपीटर स्टेशन और केबल हट के उपस्कर की सप्लाई में हुआ विलम्ब।

सितम्बर—दिसम्बर, 1974 के दौरान यात्री यातायात में कमी की प्रवृत्ति

4768. **श्री बीरभद्र सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर-दिसम्बर 1974 के दौरान रेलवे में यात्री यातायात में कमी की प्रवृत्ति रही है ; और

(ख) क्या इस मामले में सरकार ने कोई अध्ययन किया है ; यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं इसके विपरीत यात्री यातायात का रुझान वृद्धि की ओर रहा है। सितम्बर से दिसम्बर 1974 तक की अवधि में प्रति महीने यात्रियों की औसत संख्या 2041.8 लाख थी जब कि अप्रैल से अगस्त 1974 की अवधि में प्रति महीने यात्रियों की औसत संख्या 2025.7 लाख थी। इसमें मई 1974 का महीना शामिल नहीं है जोकि रेल कर्मचारियों की आम हड़ताल के कारण एक असामान्य महीना था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीराम बियरिंग लिमिटेड

4769. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स श्रीराम बीयरिंग लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार की कितनी तथा कैसी अनियमिततायें की गयीं ;

(ख) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ग) क्या विभिन्न अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक जांच समिति बनाने का विचार है, यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार के पास, कम्पनी के अभिलेखों के अनुसार इस कम्पनी द्वारा, गत तीनों वर्षों में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के पालन करने में कोई अनियमितता की गई प्रतीत नहीं होती ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कम्पनी की लेखा-बहियों के निरीक्षण का कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत आदेश दे दिया गया है ।

मैसर्स गोआ कार्बन लिमिटेड

4770. श्री सतपाल कपूर : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गोआ कार्बन-लिमिटेद द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार की कितनी तथा कैसी अनियमिततायें की गयीं ।

(ख) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ग) क्या विभिन्न अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक जांच समिति बनाने का विचार है, यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख). कम्पनी रजिस्ट्रार ने सूचित किया है कि इस कम्पनी ने गत तीन वर्षों के मध्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 303, 159, 264 व 125 के पालन करने में देरी की है । कम्पनी रजिस्ट्रार ने इन अनियमितताओं के लिए कम्पनी से सम्पर्क किया एवं कम्पनी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों की दृष्टि से आगे कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया था ।

1974 के वर्ष में ये आरोपयुक्त अनेक पत्र प्राप्त हुए थे कि कम्पनी ने 10 रु० की दर के 4,50,000 साम्य हिस्सों के जनता को निर्गमन के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन-पत्र धन के लिये बंटन पत्रों/वापसी आदेशों में देरी की ।

यह विषय कम्पनी के साथ उठाया गया था, एवं जांच पर कम्पनी ने उत्तर दिया कि वृहद् संख्या में आवदन पत्रों के होने की दृष्टि से वापसी आदेश तथा खेद व्यक्त करने वाले पत्रों के भेजने में देर हुई है । तथापि, कम्पनी ने आश्वासन दिया कि व्यक्तिगत रूप से अथवा

उनके घर के पतों से पूछी गई सभी पृच्छाओं पर तुरन्त ध्यान दिया गया है। कम्पनी ने पुनः स्पष्ट किया कि फरवरी 1974 के मास में भेजे गये 1,45,000 से अधिक तथा विक्रम वापिसी आदेशों में से 15-6-1974 तक केवल 1000 के लगभग, भुनाये जाने से शेष रहे थे।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी।

मैसर्स जय इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड

4771. श्री सतपाल कपूर : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार की कितनी तथा कैसी अनियमिततायें की गयी हैं ;

(ख) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या विभिन्न अनियमितताओं के बारे में जांच करने के लिए एक जांच समिति बनाने का विचार है, यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख). इस मामले में, कम्पनी रजिस्ट्रार ने सूचित किया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कोई अनियमितता नहीं की गई है, तथापि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा-बाहियों के निरीक्षण का आदेश दे दिया गया है, अगर कोई अनियमितताएं हुई हैं तो केवल निरीक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात ही जानी जा सकेंगी।

(ग) इस कम्पनी के कार्यों की जांच के लिए औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत 17-10-1973 को एक समिति नियुक्त की गई है।

वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में माल भाड़े से आय सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त करना

4772. चौधरी राम प्रकाश : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में रेलवे माल भाड़े से हुई आय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के दौरान इस बारे में सरकार के लक्ष्य क्या थे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पिछले दो वर्षों में अर्जित रेल भाड़े की रकम इस प्रकार थी :—

1972-73	720.68 करोड़ रुपये
1973-74	680.41 करोड़ रुपये

(ख) यह सूचना नीचे की तालिका में दी गयी है। नीचे की तालिका में 1974–75 के भाड़ा प्रभारों की जो रकम दिखायी गयी है वह केवल 10 महीनों अर्थात् जनवरी, 75 तक के लिए है। अभी तक इसी महीने तक के लेखे पूरे किये गये हैं।

	1973–74	1974–75
(i) लक्ष्य		
(बजट अनुमान के अनुसार)	784.70	899.82
(ii) लक्ष्य		
(संशोधित अनुमान के अनुसार)	709.56	899.82
वास्तविक अर्जित भाड़ा	680.41	745.33*
		*(जनवरी 1975 तक)

'जनता साबुन' की लोकप्रियता

4773. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'जनता साबुन' की लोकप्रियता का मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) क्या 'जनता साबुन' उपभोक्ताओं में लोकप्रिय नहीं है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). साबुन उद्योग के संगठित क्षेत्र का 19 सितम्बर 1974 से जब अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण हटा लिया गया, 3 से 6 महीनों के अन्तर्गत जनता नहाने के साबुन को बाजार में लाना था, ग्राहकों में जनता नहाने के साबुनों की लोकप्रियता का कुछ समय में उचित मूल्यांकन किया जा सकेगा। लोकप्रियता का मूल्यांकन प्रारम्भ किया जा रहा है।

अंग्रेजी दवाई निर्माता कम्पनियां

4774. **श्री महादीपक सिंह शक्य :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में अंग्रेजी दवाई निर्माता कम्पनियां कितनी हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनमें लगी वास्तविक पूंजी तथा उनके द्वारा अर्जित लाभ का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ख) लम्बे समय से उठाये जा रहे लाभ को कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश में 2300 से अधिक एलोपैथिक औषध उत्पाद यूनिट हैं जिसमें से 119 यूनिट संगठित क्षेत्र में हैं। इन कम्पनियों द्वारा लगाई गई पूंजी, इनके मुख्य उद्देश्य तथा इन यूनिटों द्वारा अर्जित किए गए लाभ की राशि के बारे में आंकड़े नहीं रखे गये हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों सहित संगठित क्षेत्र के 88 कम्पनियों का अध्ययन करने से यह पता चला है कि विधियों एवं ऋण सहित उनके द्वारा लगाई गई पूंजी लगभग 363 करोड़ रुपया है। विदेशी कम्पनियों द्वारा अर्जित की गई लाभांश की राशि से युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9309/75] 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच विदेशी साम्य पूंजी वाले कम्पनियों द्वारा अर्जित की गई लाभ की राशि के बारे में 18-3-75 को लोक सभा अ० प्र० सं० 3797 एवं 3846 के उत्तर में पहले ही बताया गया है।

(ख) औषधों के मूल्य पर औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत साविधिक नियंत्रण है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अधिक लाभ की कम करने की भी व्यवस्था है।

कथित आदेश में कुल बिक्री 15 प्रतिशत कर से पूर्व अधिकतम सकल लाभ की भी व्यवस्था है तथा अधिक लाभ के सम्बन्ध में अधिक राशि को अलग निधि में जमा करना चाहिए तथा उसे लाभांश के वितरण हेतु उपयोग में नहीं लाना चाहिए किन्तु उनका प्रयोग आदेश में सरकार द्वारा निर्दिष्ट कार्यों हेतु सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। श्री जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में गठित औषध एवं भेषज उद्योग समिति औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है तथा इसके विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित है।

"उपभोक्ताओं के लिए औषध मूल्यों को कम करने के लिए अब तक किये गये उपायों का निरीक्षण करना और मूल औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने के लिए जो उपाय आवश्यक हो उन उपायों की सिफ़ारिश करना"।

कमेटी द्वारा अप्रैल 1975 के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की आशा है तथा इसके बाद सरकार लाभ के मामले में विचार करेगी।

तेल की खोज की परियोजनाओं में भारत के साथ सहयोग करने वाले देश

4775. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज की परियोजनाओं में कितने देश भारत सरकार से सहयोग कर रहे हैं ;

(ख) इस समय देश में तेल सम्बन्धी कितनी परियोजनायें चल रही हैं ; और

(ग) उनके नाम क्या हैं और 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में उनकी उत्पादन दर क्या थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क), (ख) और (ग). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि० दो प्रमुख एजेंसियां देश में तेल अन्वेषण का कार्य कर रही हैं। जहां तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है। आयल इंडिया

लि० में भारत सरकार और बर्मा आयल कंपनी, यू० के० का बराबर शेयर है। बंगाल की थाला के लिये यू० एस० ए० के कार्ल्सवर्ग इंडिया ग्रुप और कच्छ के थाला के लिये यू० एस० ए० के ही रीडिंग एण्ड केट्स के साथ अपतटीय अन्वेषण हेतु करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि० द्वारा 1972-73, 1973-74 और 1974-75 (अनुमानित) के दौरान तेल का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की उत्पादन दर	आयल इंडिया लि० की उत्पादन दर
	(मी० टनों में)	(मी० टनों में)
1972-73	4.11	3.13
1973-74	4.03	3.08
1974-75 (अनुमानित) . . .	4.51	3.08

औषध उद्योग का विकास

4776. श्री डी० डी० देसाई :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय प्रबन्ध के अन्तर्गत सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के औषध उद्योग का निर्बाध विकास करने पर विचार कर रही है।

(ख) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) तक:—औषध निर्माण नियंत्रित तथा शीघ्रगामी विकास सुनिश्चित करने हेतु तथा यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को समस्त आवश्यक औषधों को उचित मूल्यों में उपलब्ध कराया जा सके, सरकार ने औषध और भषज उद्योग पर श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। जिसके कार्यकलापों में से एक निम्नलिखित कार्य भी है :—

"मूल औषधों और सूत्रयोगों के निर्माण तथा अनुसंधान तथा विकास क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के लिए नेतृत्व की भूमिका निभा सकने को सुनिश्चित कराने हेतु, आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।"

"औषध–उद्योग विशेष रूप से भारतीय क्षेत्र और लघु क्षेत्र के शीघ्रगामी विकास को प्रोत्साहन देने के बारे में सिफारिशें देना । अपनी सिफारिशें देते समय समिति उद्योगों के क्षेत्रीय वितरण के संतुलन को ध्यान में रखेगी" इस समिति द्वारा अप्रैल, 1975 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है ।

इसी दौरान जीवन रक्षा संबंधी आवश्यक औषधों को बड़ी मात्रा में सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने सहित कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धि, संबंधित उत्पादन कार्य-क्रम तथा आवश्यक सांस्थनिक प्रबन्धों, आदि जैसे उद्योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में उद्योग के भारतीय क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के साथ विचार विमर्श किया गया है ।

उपरोक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में, सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

बम्बई हाई में सागर सम्राट का ले जाया जाना

4777. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पी० गंगादेव :
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर सम्राट को फरवरी 1975 के अंतिम सप्ताह में बम्बई हाई में चौथे स्थान पर ले जाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां ।

(ख) 20–3–1975 को यह कूप 1159 मीटर की गहराई तक खोदा जा चुका था । अग्रिम व्यधन प्रगति पर है ।

त्रिपुरा में बरामुरा में तेल तथा गैस के भंडार

4778. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री अनादि चरण दास :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में हाल ही में 4000 मीटर की गहराई पर गैस का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या 2000 मीटर तक परीक्षणात्मक खुदाई-कार्य पूरा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) : त्रिपुरा में तारामुरा संरचना पर 2813 मीटर की गहराई तक खोदे गये प्रथम कुए में कुछ गैस संस्तर पाये गये हैं । इस कुएं में व्यवहारिक परीक्षण हो रहे हैं ।

कर्मकारों को कानूनी सहायता

4779. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री कर्मकारों को कानूनी सहायता के बारे में 3 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2897 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानूनी सहायता सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की, जिनका शीर्षक "प्रोसेसुअल जस्टिस टु दी पीपुल" है, इस बीच जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उस पर इस बीच कोई निर्णय किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) निर्णयों को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख). कानूनी सहायता से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों की जांच का कार्य चल रहा है ।

(ग) और (घ). जी नहीं । इस विषय में अन्तिम विनिश्चय उन राज्य सरकारों आदि के, जिनका प्रस्तावित स्कीम के क्रियान्वयन से गहरा सम्बन्ध है और जिनसे इस विषय में पहले ही सम्पर्क किया जा चुका है, विचार जानने तथा उनका विश्लेषण करने के पश्चात ही किया जा सकता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए यह बताना कठिन है कि निश्चित रूप से किस तारीख तक इस बारे में विनिश्चय किया जाएगा ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्डस लिमिटेड की जांच

4780. **श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोबनी में 'साल्ट वर्क्स' के लिये मैसर्स बल्लारपुर पेपर एंड स्ट्रा बोर्डस लिमिटेड का आवेदन-पत्र, एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के अन्तर्गत एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग की जांच करने के लिये भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

रेल कर्मचारियों का भाषा के आधार पर वर्गीकरण

4781. **श्री बालकृष्ण वेन्कन्न नायक :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के भाषा के आधार पर वर्गीकरण के बारे में प्रस्ताव पर विचार करने संबंधी आश्वासन को ध्यान में रखते हुये रेल प्रशासन द्वारा ऐसे वर्गीकरण के बारे में अनुमान लगाने के लिये आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). रेलों से संबंधित आंकड़े राज्यवार, क्षेत्रवार या भाषागत धारणाओं के अनुसार नहीं बल्कि केवल रेलवेवार आधार पर रखे जाते हैं । रेल कर्मचारियों के भाषावार वर्गीकरण का मूल्यांकन करने के लिये आंकड़े संकलित करने के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है । दरअसल व्यापक व्यवस्था किये बिना ऐसे आंकड़ों का संकलन करना संभव नहीं है ।

फिर भी, तीसरी श्रेणी में निचले ग्रेडों की भर्ती और चौथी श्रेणी में सभी भर्ती स्थानीय आधार पर की जाती है अर्थात् देश के अन्य भागों में उसका विज्ञापन निकालने के बजाय केवल उसी क्षेत्र में रिक्तियों की घोषणा की जाती है ।

अधिक दूषण की सम्भावनाओं वाले रसायन उद्योग

4782. **श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में अधिक दूषण फैलाने वाले रासायनिक उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ख) दूषण से होने वाली क्षति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायगी ।

लोको रनिंग स्टाफ, अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) की वरिष्टता सूची

4783. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजन सुपरिटेनडेंड अजमेर ने लोको रनिंग स्टाफ की विभिन्न वरिष्ठता सूचियां जारी की हैं तथा कर्मचारियों ने वरिष्ठता सूची में अपने नाम की स्थिति तथा उसमें अपनाये गये सिद्धान्तों के बारे में समय समय पर इन आदेशों के विरूद्ध अपील की है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न वरिष्ठता सूचियों को बनाने में अपनाये गये सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या हैं तथा सिद्धान्तों को बदलने के क्या कारण हैं ;

(ग) कितने कर्मचारियों ने इन आदेशों के विरूद्ध अपील की है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी अपीलें अभी भी अनिर्णित पड़ी हैं तथा किसके पास पड़ी है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अपीलों का निपटान करने के लिये अपीलार्थियों को बुलाने हेतु महाप्रबंधक को निदेश देने का है तथा इन अपीलों पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1965 में, उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति तथा वरिष्ठता नियमित करने की कसौटी, पदोन्नति पाठ्यक्रम परीक्षा पास करने की तारीख अपनायी गई थी । इस सिद्धान्त के आधार पर अजमेर मंडल के रनिंग कर्मचारियों की वरिष्ठता तैयार की गई और उसे 13–7–67 तथा 26–3–68 को अधिसूचित कर दिया गया । पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने इसपर आपत्ति की । जांच कर लेने पर, अजमेर के मंडल अधीक्षक ने वरिष्ठता में संशोधन कर दिया । आधार यह माना गया था कि जिन वरिष्ठ व्यक्तियों ने प्रथम प्रयास में परीक्षा पास कर ली हैं उनकी मूल वरिष्ठता बनी रहेगी अपेक्षाकृत उन कनिष्ठ व्यक्तियों के जिन्होंने परीक्षा पहले पास कर ली है । यदि किसी मामले में कोई वरिष्ठ व्यक्ति पहली बार में असफल हो जाय और बाद की परीक्षा में सफल हो तो वह उन कनिष्ठ व्यक्तियों से कनिष्ठ हो जायगा जो उससे पहले परीक्षा में सफल हो चुके हैं । वरिष्ठता निर्धारण के लिये बाद की परीक्षा में सफल होने की तारीख की निर्णायक कारक होना था । इस विनिश्चय के आधार पर ड्राइवर 'सी' और शंटर 'बी' की वरिष्ठता सूचीक्रमशः 22–4–72 और 13–4–72 को संशोधित कर दी गई । इस संशोधन का विरोध पश्चिम रेलवे इम्प्लाइज यूनियन तथा अनेक कर्मचारियों ने किया । बाद में, इस विषय पर दोनों ट्रेड यूनियमों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान कार्यालय स्तर पर, विचार विमर्श किया गया । इस विचार विमर्श के परिणामस्वरूप एक समान नीति के उद्देश्य मंडलों को निम्नलिखित अन्तिम अनुदेश जारी कर दिये गये :–

(i) जब एक वरिष्ठ व्यक्ति, जिसका प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है किन्तु यथा समय प्रशिक्षण के लिये नहीं भेजा जाता किन्तु उससे कनिष्ठ व्यक्ति भेज दिये जाते हैं, और सफल हो जाते हैं, तब केवल परीक्षा में पहले सफल हो जाने के कारण उन्हें, वरिष्ठ की तुलना में अनभिप्रेत लाभ नहीं मिलेगा । अतः जब किसी वरिष्ठ व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिये बाद में भेजा जाता है और वह पहली बार में ही सफल हो जाता है तो उसके सफल होने की अवास्तविक तारीख कनिष्ठ व्यक्तियों से पहले मान ली जायेगी–यह मानकर गोया उसे प्रशिक्षण के लिये यथा समय भेजा गया था ।

(ii) यदि एक वरिष्ठ व्यक्ति पहली बार में असफल हो जाता है तब अर्हक परीक्षा के 6 महीने के बाद ही उसकी दुबारा परीक्षा ली जानी चाहिये। यदि दूसरी परीक्षा किसी कारणवश 9 महीने से अधिक समय के बाद ली जाती है और वह दूसरी बार 9 महीनों की अवधि के बाद किसी समय परीक्षा में सफल हो जाये, तब यह माना जायेगा कि उसने परीक्षा उस कल्पित तारीख को पास की जो पहली बार असफल होने की तारीख से 9 महीने पूरे होने पर पड़ती हो।

(ग) सूचना एकट्टी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(घ) जी नहीं।

फायरमैन 'ए' और शंटर 'ए' के पदों का भरा जाना

4784. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर ने निर्णय किया था कि 2 जुलाई, 1959 से फायरमैन 'ए' और शंटर 'ए' के 25 प्रतिशत पद फायरमैन 'बी' और शंटर 'बी' को पदोन्नत करके भरें जायेंगे जैसा कि 13 दिसम्बर, 1965 को जनरल मैनेजर, पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ के बीच हुई पी० एन० एम० बैठक की मद संख्या 97/65 में लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं और क्या यह निर्णय पश्चिम रेलवे में क्रियान्वित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक डिवीजन में 25 प्रतिशत पदों की तुलना में शंटर 'बी' और फायरमैन 'बी' को पदोन्नति करके कितने पद भरे गये ; और

(घ) यदि नहीं, तो जनरल मैनेजर का निर्णय क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं और उसको क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ). जहां तक फायरमैन 'बी' से फायरमैन 'ए' के रूप में पदोन्नति का संबंध है, उत्तर हां में है।

फायरमैन 'बी' की फायरमैन 'ए' के रूप में पदोन्नति का मंडलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शंटर 'बी' की शंटर 'ए' के रूप में पदोन्नति से संबंधित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

मंडल	2-7-59 से प्रत्येक मंडल में फायरमैन 'ए' की खाली जगहों की संख्या	25% कोटे के अधीन फायरमैन 'बी' के लिये आरक्षित खाली जगहों की संख्या	पदोन्नत व्यक्तियों की संख्या
बड़ौदा	64	16	10 शेष पदों को भरने की व्यवस्था की जा रही है।
अजमेर	84	21	15 शेष पदों को भरने की व्यवस्था की जा रही है।
जयपुर	60	15	15
रतलाम	88	22	22
बम्बई	121	30	30
राजकोट	84	21	21
भावनगर	116	29	29
कोटा	75	19	19

फायरमैन 'बी' ग्रेड की फायरमैन 'ए' ग्रेड के पदों पर पदोन्नति

4785. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर ने निर्णय किया था कि फायरमैन 'ए' के 25 प्रतिशत पद 'बी' ग्रेड के फायरमैनों को पदोन्नत करके भरे जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में कितने पद उपलब्ध थे और निर्णय की तिथि से 'बी' ग्रेड के फायरमैन के लिये कितने पद आरक्षित रखे गये और क्या आरक्षित पद 'बी' ग्रेड के फायरमैन को पदोन्नत करके भरे गये हैं और इन पदों पर नियुक्त कर्मचारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो आरक्षित पदों पर इन कर्मचारियों को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) आरक्षित पदों को भरने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9310/75]

Copying allowed in Examination in Training School, Chandausi

4786. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that open copying in the examinations has been allowed by taking money in the form of subscriptions from the candidates of the Chandausi Training School in Uttar Pradesh and the Instructors and officers objecting to it have been treated shabbily;

(b) if so, the action taken by Government against the offenders;

(c) whether Government are also aware that the Principal of that school made the students to work in the garden and field of his bungalow during the school hours in the name of *shramdan;* and

(d) if so, the action taken by Government against it?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b). A complaint alleging mass copying by the trainees of the Zonal Training School, Chandausi, in December 1974 has been received in February, 1975. After verifying the genuineness of the complainant the allegation will be investigated as per extant procedure and appropriate action taken. A few complaints had also been received in the past in this regard, which on enquiry were found to be without substance.

(c). No.

(d) Suitable action will be taken after the results of investigation are available.

पश्चिम रेलवे में 1973 और 1974 में दुर्घटनायें

4787. **श्री एन० आर० वेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या रेल **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में 1973 और 1974 में कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) उन दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनमें कितने व्यक्ति मारे गये ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख). पश्चिम रेलवे पर कैलेंडर वर्ष 1973 और 1974 के दौरान क्रमशः 134 और 120 गाड़ी दुर्घटनायें हुईं। इन दुर्घटनाओं का विवरण इस प्रकार है:—

गाड़ी दुर्घटना की कोटि	1-1-1973 से 31-12-1973	1-1-1974 से 31-12-1974
टक्कर होने	6	8
गाड़ियों के पटरी से उतरने	106	90
समपार दुर्घटनाएं होने	19	17
गाड़ियों में आग लगने	3	5
	134	120

(ग) इन दुर्घटनाओं में कैलेंडर वर्ष 1973 में 34 व्यक्तियों और कैलेंडर वर्ष 1974 में 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

पश्चिम रेलवे में रद्द की गई रेलगाड़ियां

4788. **श्री एन० आर० वेकारिया :**

श्री अरविंद एम० पटेल :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी के कारण पश्चिम रेलवे में रद्द की गई रेलगाड़ियों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त सेवाएं कब तक पुनः चालू की जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कोयले की कमी के कारण 18-3-1975 को पश्चिम रेलवे पर 53.5 जोड़ी गाड़ियां बन्द रहीं। एक विवरण संलग्न है जिसमें उन गाड़ियों का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–9311/75]

(ख) हाल में लोको कोयले के लदान में वृद्धि हुई है और उसी के अनुरूप रेलें कुछ चुनी हुई सवारी गाड़ियों को पुनः चला रही है।

पश्चिम रेलवे में 1974 में बिना टिकट यात्रा

4789. **श्री एन० आर० वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में वर्ष 1974 के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने यात्री पकड़े गये;

(ख) उनसे जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) जुर्माना अदा न करने पर कितने व्यक्तियों को कारावास का दंड दिया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 2,79,846.

(ख) रेलवे का जुर्माना — 21,47,126 रुपये।
अदालती जुर्माना — 69,920 रुपये।

(ग) 19,449.

बम्बई में पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी

4790. **श्री बनमाली बाबू :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

श्री मधु दण्डवते :

श्री भऊ साहिब धामनकर :

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्रीमती सावित्रि श्याम :

श्री बसन्त साठे :

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ गिरोह पकड़े गये थे जो पेट्रोल, मट्टी तेल, लाइट डीजल तेल और हाई स्पीड डीजल तेल टैंकरों में से उस समय चुरा लेते थे जब ये उत्पाद तेल के डिपुओं से बम्बई में चेम्बूर और पूर्वी उपनगरों के गंतव्य स्थानों को भेजे जा रहे होते थे;

(ख) विभिन्न पेट्रोलियम उत्पाद कितनी कितनी मात्रा में पकड़े गये; और

(ग) अन्तर्गत व्यक्तियों के विरुद्ध और भविष्य में इस प्रकार की चोरी की घटनाएं रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग). ठेकेदारों के वाहक ट्रकों अथवा ग्राहकों द्वारा किराये पर लिये गये ट्रकों के जरिए इस उत्पाद को आई०ओ०सी० के प्रतिष्ठापन से ग्राहकों तक ले जाते समय किये गये कदाचारों के बारे में समाचार-पत्रों में कुछ रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इन सभी मामलों में आई०ओ०सी० द्वारा यह उत्पाद ग्राहकों को मुख्य प्रतिष्ठापन से दिया गया था और इस्तेमाल किये गये टैंक ट्रकों का प्रबन्ध ग्राहकों द्वारा किया गया था। ऐसे मामलों में निगम की जिम्मेवारी उसी समय समाप्त हो जाती है जब प्रतिष्ठापन पर उत्पाद ग्राहकों के हवाले कर दिया जाता है।

तथापि आई०ओ०सी० इस स्थिति पर निगरानी रख रहा है और जब कभी कोई सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस को सर्तक कर देता है।

तथापि, हाल ही में बम्बई में एक घटना हुई थी जब एक ग्राहक, जिसने आई०ओ०सी० से सुपुर्दगी आधार पर उत्पाद प्राप्त किया था, ने कम प्राप्ति के बारे में शिकायत की थी। आवश्यक जांच के पश्चात् जिम्मेवारी ठेकेदार पर डाली गई थी। कमी के बराबर राशि ठेकेदार के बिल से काट ली गई थी और यह पार्टी के नाम डाल दी गई थी। उस ट्रक, जिसमें यह घटना घटी थी को दस दिन के लिये आई०ओ०सी० का कार्य करने से रोक दिया गया था।

विवाह-विच्छेद सम्बन्धी उपबन्धों को उदार बनाने का प्रस्ताव

4791. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दू विधि में विवाह-विच्छेद सम्बन्धी उपबंधों को उदार बनाने और इस सम्बन्ध में हिन्दू विवाह अधिनियम में एक उपयुक्त संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) सरकार के निर्देश पर, विधि आयोग ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया है। उसकी सिफारिशें 59वीं रिपोर्ट में दी हुई हैं, जो 19 नवम्बर, 1974 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई थीं। इन सिफारिशों में विवाह-विच्छेद से सम्बन्धित उपबंधों को उदार बनाये जाने संबंधी सिफारिशें भी हैं। विधि आयोग की इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ख) विधि आयोग के सुझावों के अन्तर्गत वे आधार भी हैं, जिन पर विवाह-विच्छेद का दावा किया जा सकता है, जैसे क्रूरता, जारता, अधित्यजन, भरण-पोषण या न्यायिक पृथक्करण के लिए आदेश या डिक्री का पारित किया जाना तथा उन प्रतीक्षा अवधियों को समाप्त करना जिनके पूर्व विवाह-विच्छेद के लिए कोई अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती या जिनके पूर्व विवाह-विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह नहीं कर सकते।

Import of Oil from Saudi Arabia

4792. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the quantity of oil India is getting every year from Saudi Arabia at present;

(b) whether Government are going to enter into a new agreement in order to get more crude oil; and

(c) if so, the broad features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi): (a) The existing contract is for the supply of 1.1 million tonnes per year for three years from 1973 to 1975.

(b) There is no proposal at present.

(c) Does not arise.

नई दिल्ली स्टेशन पर नियुक्त पार्सल क्लर्क को कालका स्टेशन पर स्थानान्तरित करना

4793. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **रेल** मंत्री नई दिल्ली स्टेशन पर नियुक्त पार्सल क्लर्कों का कालका स्टेशन पर स्थानान्तर रद्द करने के बारे में 3 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5812 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की जांच पूरी हो गई है और सम्बन्धित पार्सल क्लर्क को अनुशासन तथा अपील नियमों के अधीन कड़ा दण्ड देने के लिए आरोप-पत्र दिया गया है;

(ख) क्या इस पार्सल क्लर्क को दुराचार और अन्य गम्भीर अनियमितताओं के आरोप में अनेक बार दण्ड दिया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों को किसी महत्वहीन स्टेशन पर स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) प्रारम्भिक जांच पूरी हो गयी है और आरोप-पत्र दे दिया गया है। अनुशासन औ अपील नियमों के अधीन जांच हो रही है।

(ख) जी हां।

(ग) उन्हें अनुग्रह के आधार पर नयी दिल्ली में रहने दिया गया है।

भारतीय तेल निगम के पूर्वी क्षेत्र के कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप

4794. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम (पूर्वी क्षेत्र) के उन कर्मचारियों को संख्या कितनी है जिनको अप्रैल, 1974 से जनवरी, 1975 के बीच आरोप-पत्र दिये गये, मुअत्तल किये गये, ज्ञापन दिये गये और वेतन की कटौती की गई;

(ख) औद्योगिक विवादों, समझौतों के उल्लंघन के मामलों और विभिन्न सांविधिक उपबन्धों की संख्या कितनी है जो इंडियन आयल अम्पलाईजस यूनियन, पूर्वी क्षेत्र, ने उक्त अवधि में प्रबन्धकों के विरुद्ध उठाये थे; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

इण्डियन आयल करपोरेशन के मार्केटिंग डिवीजन में अधिकारियों तथा कर्मचारियों का अनुपात

4795. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन के मार्केटिंग डिवीजन में इस समय अधिकारियों तथा कर्मचारियों का अनुपात क्या है;

(ख) गत दो वर्षों में (एक) अधिकारियों और (दो) कर्मचारियों पर वेतनों, भत्तों, बोनस तथा अन्य लाभों के रूप में कुल कितना धन व्यय हुआ; और

(ग) क्या पर्यवेक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापों पर उपरि व्यय घटाने की कोई योजना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन के विपणन प्रभाग में अधिकारियों और कामगरों की वर्तमान औसत 1 : 4 है।

(ख) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वेतन आदि पर किया गया लगभग कुल व्यय निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	अधिकारी	कामगर
1972–73 . .	386.99	552.99
1973–74	423.27	721.33

(ग) निगम पर्यवेक्षी कार्यों सहित उन सभी अतिरिक्त लागतों को कम करने के लिए निरंतर प्रयास करती है।

भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से कुछ कामों का निष्पादन

4796. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के विपणन प्रभाग के प्रबन्धक बहुत से काम और कृत्य ठेकेदारों से करवा रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे कृत्यों में वेतन बिल, सप्लाई बिल, लेखे और लेखा विवरण तैयार करना, पेट्रोलियम उत्पादों को चढ़ाना और उतारना, विमानों में पुनः तेल भरना, परिवहन और रख-रखाव, कर्मचारियों और श्रमिकों का प्रबन्ध भी शामिल है;

(ग) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक काम के लिये नियुक्त ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार भारतीय तेल निगम की स्वयं की सीधी रोजगार क्षमता को सीमित करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है तथा समय पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भारतीय तेल निगम द्वारा सवारी भत्ते का भुगतान

4797. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के प्रबन्धक 1973 से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को सवारी भत्ता अदा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों एवं कामगारों को अदा किए जाने वाले ऐसे सवारी भत्ते की दरें क्या हैं; और

(ग) क्या अधिकारियों को अदा किए जाने वाले सवारी भत्ते पर आय कर नहीं कटता है जबकि सबसे अधिक वेतन पाने वाले कामगार के सवारी भत्ते पर आयकर कटता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). जिन मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के पास अपनी पास गाड़ी है और उसे बनाए रखे हैं, उनको 1–7–1973 से गाड़ी के अनुरक्षण और चलाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 300 रुपये प्रति मास तक की जा रही है। कनिष्ठ अधिकार. और कर्मचारी वर्ग में से जो कुछ सदस्य पर्यवेक्षी कार्यों पर नियुक्त होते हैं उनको भी 21–7–1973 से प्रतिशस 75 रुपये की मात्रा तक इस प्रकार की प्रतिपूर्ति की जा रही है बशर्ते कि उनके पास अपना स्कूटर हो और उस स्कूटर/मोटर साइकिल का अनुरक्षण करते हों।

कर्मचारियों की मांग के सिलसिले के सन्दर्भ में कर्मचारियों के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत नवम्बर 1973 से वाहन भत्ता के रुपयों 25/– रुपये प्रति मास नियत भत्ता सभी कर्मचारियो को दिया जा रहा है।

(ग) नियत भत्ते के रूप में सारे कर्मचारियों को प्रदत्त 25/– रु० प्रतिमास की राशि का अनुमान है जोकि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर देने योग्य है चूंकि यह अदायगी किसी कर्मचारी को किसी आटो वाहन का अनुरक्षण किए बिना दी जाती है तथापि अधिकारियों के मामले में उनको प्रदत्त राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है जो कार्यालय प्रयोजन के लिए कम्पनी कार/स्कूटर/मोटर साइकल का इस्तेमाल करने के लिए उनके द्वारा वास्तविक रूप में पहले खर्च की जाती है अत: आयकर अधिनियम के अधीन यह कर योग्य है।

हावड़ा स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधायें

4798. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) अब तक क्या काम किया गया है और यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हावड़ा स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में हाल ही में जो रकम खर्च की गयी है उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1973–74	415,305.00 रु०
1974–75 (फरवरी, 75 तक)	473,486.00 रु०
जोड़	888,791.00 रु०

(ख) निर्माण कार्यों की स्थिति इस प्रकार है :—

	कार्य का विवरण	कार्य की प्रगति
(1)	महत्वपूर्ण डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों में तैयार भोजन परोसने के लिए हवड़ा स्टेशन के मुख्य रसोई का आधुनिकीकरण।	यह काम अक्तूबर, 1973 में पूरा किया गया।
(2)	स्टेशन को आकर्षक बनाने के लिए हवड़ा स्टेशन के प्लेटफार्म नं० 9 पर ए सी शीट छत की व्यवस्था।	यह काम मार्च, 1974 में पूरा किया गया।
(3)	सतही उपनगरीय बुकिंग कार्यालय के बदले उप मार्ग के किनारे भूमिगत उपनगरीय बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था।	मई, 1975 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों में नई लाइनों का निर्माण

4799. **श्री शंकर नाराण सिंह देव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्यों में इस समय राज्य-वार कितनी रेल लाइनें चल रही हैं ;

(ख) इन राज्यों में नई लाइनों के लिए इस समय विचाराधीन प्रस्तावों का राज्य-वार, ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन राज्यों में गत पांच वर्षों के दौरान निर्मित नई लाइनों का वर्षवार तथा लाइन वार मुख्य ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में इस समय कितने-कितने मील लंबी लाइनें हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, 31–3–1974 को, जितनी मार्ग किलोमीटर रेलवे लाइनें पड़ती थीं उनका राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य/संघ	मार्ग कि० मी०
पश्चिम बंगाल	3,707
असम	2,194
मिजोरम	—
मणिपुर	—
मेघालय	—
नागालैंड	9
त्रिपुरा	12
अरुणाचल प्रदेश	—

(ख) वड़गाच्छिग्रा से चम्माडांगा की शाखा लाइन ग्रौर हवड़ा से शियाखाला तक लाइन सहित हवड़ा से ग्रामता तक बड़ी लाइन जो पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ती है के निर्माण कार्य की स्वीकृति दे दी गयी है। पांशकुडा-हल्दिया रेल सम्पर्क के दुर्गाचक-हल्दिया खंड के रेल सम्पर्क के निर्माण का कार्य चालू है।

जिन नई लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) इकालाखी-वलूरघाट

(ii) सिल्चर-जिरिवाम (मणिपुर ग्रौर ग्रसम)

(iii) धर्मनगर—ग्रगरतला (त्रिपुरा)

(iv) धर्मनगर-कुमारघाट केला शहर (त्रिपुरा)

(v) ग्रगरतला-सबरूम (त्रिपुरा)

(vi) पंच रतनघाट-दुधनाली—दारानागिरी (ग्रसम ग्रौर मेघालय)

(vii) गुवाहाटी-बरनीहाट (ग्रसम ग्रौर मेघालय)

(viii) लालाघाट-सैरंग

(ix) रंगापाड़ा-वालीपाड़ा भालूकपुंग (ग्रसम ग्रौर ग्ररूणाचल प्रदेश)

(x) टिरजिंग-ईटानगर (ग्रसम ग्रौर ग्ररूणाचल प्रदेश)

(xi) मरकंगसलेक-पासीघाट (ग्रसम ग्रौर ग्ररूणाचल प्रदेश)

(xii) गुवाहाटी-दुधनाई (ग्रसम)

(xiii) ग्रखौरा (बंगलादेश) ग्रौर ग्रगरतला (त्रिपुरा) ग्रौर वैलोनिया स्टेशन (बंगलादेश) ग्रौर वलोनिया सिटी (त्रिपुरा) के बीच साइडिंगें बनाना।

(ग)

(i)	तिलडांगा-फरक्का लाइन का फीडर नहर पर एक पुल सहित बांध के दक्षिणी ग्रत्याधार तक स्थायी मार्ग परिवर्तन (पश्चिम बंगाल)	बड़ी लाइन	7.82 कि०मी०	11-11-71
(ii)	फरक्का बांध बड़ी लाइन का रेलवे पुल बनाना (पश्चिम बंगाल)	बड़ी लाइन	2.24 कि०मी०	11-11-71
(iii)	मालदा पर ग्रदला-बदली के प्वाइंट को छोड़ कर फरक्का बांध के ग्रन्तयाधार के बायें किनारे ग्रौर चाम ग्राम के बीच बड़ी लाइन की लाइन बनाना	बड़ी लाइन	2.40 कि०मी०	11-11-71
(iv)	फीडर नहर के बायें किनारे के साथ तिलाडांगा-वल्लालपुर हाल्ट लाइन का मार्ग परिवर्तन (पश्चिम बंगाल)	बड़ी लाइन	5.98 कि०मी०	28-1-72

धर्मनगर से कुमारघाट तक रेल लाइन के लिये आवंटन

4800. श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान रेल बजट में त्रिपुरा में धर्मनगर से कुमारघाट तथा रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). धर्मनगर से कुमारघाट तक नयी मीटर लाइन बिछाने के काम को 1974–75 में शुरू करने का विचार था बशर्तें कि उत्तरपूर्वी परिषद् द्वारा धन उपलब्ध कर दिया गया होता। चूंकि उत्तरपूर्वी परिषद् द्वारा अभी तक धन की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए इस परियोजना को शुरू करना सम्भव नहीं हुआ है। इस काम के लिए रेलवे बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

राजकोट जिले में इंडियन आयल गैस ऐजेंसियां

4801. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में राजकोट जिले में, शहरवार, इंडियन आयल गैस एजेंसियां कितनी हैं ;

(ख) प्रत्येक एजेंसी में उनके कितने ग्राहक हैं ; और

(ग) दिसम्बर, 1974 तक प्रत्येक एजेंसी के पास कितने आवेदन-पत्र अनिर्णित पड़े थे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग). गुजरात के जिला राजकोट में इन्डेन गैस की एजेन्सियों की संख्या, उनके ग्राहको की संख्या और उनके पास विचाराधीन नए कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्रों की लगभग संख्या नीचे दी गई है :—

	एजेन्सियों के नाम	ग्राहकों की संख्या	(लगभग) विचाराधीन आवेदन पत्र
1.	अलाइड इण्डस्ट्रियल राजकोट . .	7304	2000
2.	कोठारी इण्डस्ट्रीज राजकोट . . .	4584	2000
3.	राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी राजकोट	3039	2500
4.	पी जी सम्मत मोरवी . . .	1906	1000

केरल में गैर-सरकारी तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियां

4802. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में काम कर रही गैर-सरकारी तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियों की संख्या और नाम क्या हैं और उनमें में से प्रत्येक में गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितनी धनराशि लगाई गई; और

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो उक्त अवधि में बन्द हो गई हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) गत तीन वर्षों, अर्थात् 1973–74, 1972–73 व 1971–72 के मध्य, केरल राज्य में कार्य कर रहीं, पब्लिक तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की संख्या तथा प्रदत्त पूंजी नीचे दी गई है :—

करोड़ रुपयों में

वर्ष	पब्लिक		प्राइवेट		योग	
	संख्या	प्रदत्त पूंजी	संख्या	प्रदत्त पूंजी	संख्या	प्रदत्त पूंजी
1973–74 . .	358	112.5	907	52.2	1265	164.7
1972–73 . . .	352	105.2	823	27.2	1175	132.4
1971–72 . . .	342	79.9	762	24.4	1104	97.3

इन कम्पनियों के नाम की बाबत, विभाग ने भारत में संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों की एक निर्देशिका प्रकाशित की है, जिसमें 31–3–70 तक कार्यरत कम्पनियों के नाम दिये गये हैं। वार्षिक ब्ल्यू बुक तथा मासिक 'कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स' में नवीन पंजीकृत कम्पनियों तथा वर्ष में कार्य समाप्त कर देने वाली कम्पनियों के नाम दिये जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद भवन पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) केरल राज्य में 1971–72 में 16, 1972–73 में 8 व 1973–74 में 9 कम्पनियों समेत कुल 33 कम्पनियों के बारे में या तो परिसमपित हो जाने पर, अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (5) के अन्तर्गत उन्मूलित हो जाने पर कार्य बन्द कर दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**–9312/75]

अशोधित तेल के उत्पादन की लागत में वृद्धि

4803. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में विभिन्न तेल उत्पादक और निर्यात कर्ता देशों में अशोधित तेल के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश में प्रति बैरल मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है और वह भारत में उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कितनी न्यूनाधिक है ; और

(ग) क्या इन तेल निर्यात कर्ता देशों ने निर्णय किया है कि उत्पादन लागत में इस वृद्धि का बोझा उपभोक्ता देशो पर डाला जाये, यदि हां, तो इन देशों से भारत में आयातित अशोधित तेल की कीमत में कितनी वृद्धि करने का विचार है और इसका इस देश में पैट्रोलियम उद्योग की समुचय अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ख). विभिन्न देशों में चालू वष के लिए कच्चे तेल का उत्पादन करने में वास्तविक लागत पता नहीं है। तथापि यह बतलाया गया है कि ईरान ने अपने विभिन्न कच्चे तेलों का उत्पादन करने की लागत में 4 सेन्ट प्रति बैरल की वृद्धि करने की अधिसूचना दी हैं। फिर भी यह सारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

कुछ विदेशी औषध फर्मों द्वारा वर्ष 1973 में अर्जित लाभ

4804. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसस वेयर, सियरले और बार्नेर हिन्दुस्तान ने वर्ष 1973 में क्रमशः 20·03, 17·43 और 15·80 प्रतिशत लाभ (बिक्री के लिए कर देने से पहले लाभ) अर्जित किया था ;

(ख) क्या 15 प्रतिशत से अधिक लाभ कमाना औषध मूल्य नियंत्रण आदेश का उल्लघंन करना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1973 में हर कम्पनी द्वारा अर्जित कुल लाभ का सविस्तार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रमशः	कम्पनी का नाम	कर से पूर्व बिक्री तक सरल लाभ की प्रतिशतता
1.	मैसर्स वेयर (इण्डिया) लि०	19.6
2.	मैसर्स सरले (इण्डिया) लि०	12.7
3.	मैसस वार्नेर (हिन्दुस्तान) लि०	14.57

(ख) और (ग) : औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 14 (1) (4) में यह व्यवस्था है कि लेखापरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित, उस वर्ष की कुल बिक्री के लेखा परीक्षक लेखों में यथा दर्शाए गए औषध कार्यकलाप के बारे में किसी विशिष्ट वर्ष के लिए कर से पूर्व वास्तविक कुल

लाभ क मामले में यदि निर्माता या आयातकर्त्ता का लाभ 15 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो उस अधिक लाभ को अलग से जमा किया जाएगा और उसे लाभांश के वितरण हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा किन्तु उसे निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से इस्तेमाल किया जाएगा

(क) अनुसंधान और विकास व्यय;

(ख) भावी लाभ या हानियों का समायोजन करने हेतु; और

(ग) इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन जिन्हें समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 की कथित व्यवस्था के अधीन चाहे औषध कार्यकलाप पर कर से पूर्व कुल लाभ 15 प्रतिशत से अधिक हो और चाहे इस प्रकार के लाभों को अलग से जमा किया गया हो उसकी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Railway Line in Chhatisgarh and Western Nimar Areas of Madhya Pradesh

4805. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government had taken a decision to connect backward areas with railway lines; and

(b) if so, the reasons why railway line has not been constructed in Chhatisgarh and Western Nimar areas of Madhya Pradesh which are backward areas?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes, it is intended to extend the railway network to these areas progressively within the limited resources available for the purpose.

(b) A Final Location Survey has recently been completed and reports are under examination for the construction of a rail link from Dhalli Rajhara to Jagdalpur (length—251 kms.—Approx. cost Rs. 27.60 crores) falling in the Chhatisgarh region of Madhya Pradesh. Construction of this line and other lines in backward areas will have to be phased out suitably taking into account the availability of funds.

रेलवे सेक्शनल आफिसरों के पदों को बना रखने के बारे में निर्णय

4806. **श्री लालजी भाई** : क्या **रेल** मंत्री रेलवे सेक्शनल आफिसरों के पदों को समाप्त किये जाने के बारे में 10 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3827 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए रेलवे सेक्शनल आफिसरों के पदों को 1974 के बाद बनाये रखने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). जी हां । रेलवे सेक्शनल अधिकारियों के 42 पदों में से 38 का कार्यकाल 31–12–1977 तक बढ़ा दिया गया है ।

विदेशी फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस देना

4807. **श्री भालजी भाई राव जी भाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशी फर्मों को कितने सी० ओ० बी० लाइसेंस दिये गये तथा कितने मामलों में क्षमताओं को समेकित किया गया तथा इस समेकन की रूपरेखा क्या है और इस समय प्रत्येक वस्तु का उत्पादन क्या है तथा सी० ओ० बी० लाइसेंस कब दिये गये ; और

(ख) जब आई० (डी० आर०) अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक नई वस्तु के लिये आशय पत्र दिये जाने की व्यवस्था है तब सी० ओ० बी० लाइसेंस में क्षमताओं का समेकन किस प्राधिकार के अन्तर्गत तथा किसकी सिफारिशों पर किया गया ?

पैट्रोयियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

मैसर्स एम० एस० डी० द्वारा इंडोमेथासिन का आयात

4808. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री इंडोमेथासिन का आयात के बारे में 18 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4500 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत दर से आयात किया गया इंडोमेथासिन प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में दस गुना महंगा था;

(ख) मैसर्स एम० एस० डी० द्वारा इस इंडोमेथासिन में से बनाये गये फार्म्यूलेशनज का बिक्री मूल्य क्या था और इंडोमेथासिन के एक किलोग्राम में से बनाए गये बिक्री 'फार्म्यूलेशनज' का बिक्री मूल्य कितना है ;

(ग) क्या यह सच है कि मैसस एम० एस० डी० इस मद के बारे में अधिक राशि बीजक बना रहा है और इसके बारे में मंत्रालय को कई बार शिकायत की गई थी परन्तु इस पर कोई कार्यवाही करने को बजाय सरकार ने शिकायतकर्ताओं के ध्यान को हटाने के लिए इस मद का आयात सरकारी एजेंसी के माध्यम से किया है, यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार अधिक राशि के बीजक बनाने के लिए विदेशी फर्मों पर मुकदमा चलाने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ). सरकार को सूचित किया गया था कि मैसर्स एम० एस० डी० अपनी यू० एस० ए० में स्थित मुख्य कम्पनियों से इन्डोमेथासिन का आयात उच्च मूल्यों पर कर रहे थे यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो गये थे । प्रतियोगी मल्यों पर राज्य व्यापार निगम द्वारा इस औषध के आयात को सुनिश्चित करने

के लिए 1973–74 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से इन्डो-मेथासिन के आयात को सारणीबद्ध किया जाता था । इस मद के बारे में अधिक राशि के बीजक बनाने के प्रश्न को अभी जांच की जा रही है ।

यद्यपि मैसर्स एम० एस० डी० 4500 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत दर से आयात करते थे, सूत्रयोगों के मूल्यों को 1970 में 3771.59 रुपये प्रति कि० ग्रा० और 17–8–1973 से 2828.69 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने की अनुमति थी । मैसर्स एम० एस० डी० द्वारा उत्पादित इन्डो-मेथासिन सूत्रयोगों के बिक्री मूल्य निम्न-प्रकार थे :—

पैक साइज		1970 में मूल्य	17–8–1973 को संशोधित
25 एम जी	25 × 10 कैप्सूल्स	53.30 रुपये	44.50 रुपये
50 एम जी	10 × 10 ,,	96.00 ,,	82.60 ,,

2828.69 रुपये प्रति किलोग्राम के प्रपुंज औषध मूल्य पर प्रक्रिया हानि सहित 100 प्रतिशत शुद्ध प्रपुंज इंडो-मेथासिन का एक किलोग्राम के आधार पर सूत्रयोगों की बिक्री मूल्य निम्न प्रकार था :—

25 एम जी 37,200 कैप्सूल्स	0.445	16,554/– रुपये
50 एम जी 18,600 ,,	0.826	15,364/– ,,

जसा कि 18–2–1975 को लोक-सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के भाग (क) के उत्तर में बताया गया था, वर्ष 1967 से 1971 के दौरान विश्व में प्रचलित मूल्य उपलब्ध नहीं हैं ।

Akhil Bhartiya R. P. Sangh decision in Gauhati

4809. **Shri Janeshwar Misra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Akhil Bhartiya R.P. Sangh (All India R.P. Union) took a decision in Gauhati that the Jawans of R.P.F. will not draw their pay packet in instalments;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the former Railway Minister had given an assurance that the Jawans of R.P.F. would be given pay at par with the pay of the Jawans of C.R.P.; and

(d) if so, the action taken in that regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) & (b). At a meeting held at Gauhati from 21-1-1975 to 23-1-1975 by the All India R.P.F. Association (not Akhil Bhartiya R.P. Sangh or Union) which is not a recognised body, it was decided to "refuse pay packets in phased manner" as the revised pay scales of R.P.F. had not been announced.

(c) Yes, the former Railway Minister had made a statement to this effect.

(d) The matter is still under consideration of the Government and it is expected that some improvement in their remunerations can be effected shortly Pending a final decision by Government two special "on account" lump-sum payments have been sanctioned by the Railways for R.P.F. staff against arrears of pay and allowances that may be due to them on their coming over to the revised scales of pay.

Purchase of Wagons

4810. **Shri Janeshwar Misra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a decision was taken some time back to purchase 14,000 wagons and if so, the number of wagons purchased out of them;

(b) the names of the firms with whom orders for these wagons were placed; and

(c) the number of wagons, out of them, received so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Tenders for procurement of 13,461 wagons in terms of four wheelers are under various stages of scrutiny. No orders have been placed so far and placement of orders will depend upon the availability of funds.

(b) & (c). Do not arise.

Proposal to Convert Tal Junction halt into Station

4811. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is any halt named Tal Junction in Mokameh Ghat on the Eastern Railway; and

(b) whether Government propose to convert it into a station and if so, when?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No. There is only a Block hut provided for operation purposes.

(b) Does not arise.

Resolution adopted by All India Railway Employees Confederation at Secunderabad

4812. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a convention of the All India Railway Employees Confederation was held in Secunderabad (Andhra Pradesh) on the 22nd and 23rd February, 1975 and it was inaugurated by a Congress M.P.;

(b) whether Government have the knowledge of the resolutions adopted therein;

(c) if so, the main contents thereof; and

(d) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) to (c). According to the information received, the Conference referred to was held on these dates, and among others, resolutions were passed regarding (i) early implementation of the concessions agreed to by Government as a result of negotiations held with the Labour Representatives in April '74 and (ii) review of cases of employees against whom action was taken in the context of May '74 Strike.

(d) The concessions agreed to in April '74 are in the process of implementation, and in regard to employees dealt with in the context of May '74 strike review is being constantly made in the light of the declared policy of the Government.

Remittances Abroad by Foreign Drug Firms

4813. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether foreign drug companies in India remit huge amount of profit abroad every year;

(b) if so, the break-up of the amount of profit remitted to foreign countries during 1972-73, 1973-74 and 1974-75; and

(c) whether Government propose to impose restriction on remitting the amount of profit aborad?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh): (a) & (b). Details of remittances made by foreign companies during the year 1972-73 and 1973-74 are given in the attached statement. [Placed in the Library See No. LT-93313/75]. Details of remittances for the year 1974-75 are not yet available.

(c) Certain restrictions as detailed in the attached annexure have been imposed on 100 per cent foreign owned companies in regard to drawal from reserves to declare dividends. Foreign incorporated companies as well as Indian companies having foreign equity of more than 40 per cent are required to obtain the approval of the Reserve Bank of India for continuing their activities, entering into new lines of business etc.

Committee on drugs and pharmaceutical industry headed by Shri Jaisukhlal Hathi is also looking into the various aspects of drug industry. The Committee is likely to submit its report by April, 1975.

As per Government's present policy, remittances of profits and dividends are normally allowed after the payment of Indian taxes thereon. However, in the case of 100 per cent foreign owned companies, if the declaration of dividends involves drawals from reserves the remittance facility will be subject to the Reserve Bank of India being satisfied regarding following:

(i) that the reserves have been drawn upon only for maintaining the dividends quantum at the average of the previous 5 years or at 10 per cent of the paid-up capital, whichever is more;

(ii) that the drawal on reserves does not exceed 10 per cent of the total of the paid up capital and free reserves of the company at the beginning of the year; and

(iii) that the balance of free reserves left after the drawal does not fall below 15 per cent of the total of the paid up capital and reserves as in (ii) above.

Damage caused to Trains and other property during Bihar Band.

4814. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state;

(a) whether Shri Jayaprakash Narayan had given a call for a Bihar Band from 3rd to 5th October, 1974;

(b) whether trains and other railway property were damaged during the band;

(c) If so, the particulars thereof; and

(d) the measures taken by Government to protect the Railway property during such disturbances?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) There were 184 cases of uprooting of rails and tempering with track, 400 cases of wire cuttings and damage to Signalling equipments, 54 cases of damage to Railway property. All these cases have cost the Railways Rs. 6 Lakhs approximately.

(d) Constant liaison is maintained with the State Governments and in coordination with them, Police Forces and Railway Protection Force are posted to safeguard the railway property and maintain law and order.

किन्हीं कम्पनियों के कार्यकरण तथा उत्पादों के बारे में जांच

4815. **श्री शशि भूषण : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलकली एंड कैमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, इम्केमेक्स, कैमिकल्स एण्ड फाइबर्स आफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन एक्सपलोजिव लिमिटेड, अतुल प्राडक्टस लिमिटेड, हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड, फिलिप्स कार्बन लिमिटेड, आई० सी० आई० (इंडिया) लिमिटेड, क्लोराइड इंडिया लिमिटेड, गुडईयर लिमिटेड, त्रिवेणी लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, सेन्डीज डन्लप (इंडिया) लिमिटेड, बैयर, एंग्लोफ्रैंच कम्पनी लिमिटेड, मर्क, शार्प एण्ड धीमे, सायनामाइड, ग्लैक्सो लेबोरिटरीज, फाईजर, पार्क डेविस, सीबा, पोलिफिन्स एंड अलब्राइट कम्पनियों के कार्यकरण और उत्पादों के बारे में कोई जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकें द्वारा बनाये तथा बेचे जाने वाले उत्पादों, विशेष रूप से औषधियों की किस्म तथा मूल्यों के सम्बन्ध में की गई जांच कार्यवाहियों के क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). इन कम्पनियों के कार्यकरण तथा उत्पाद के सम्बन्ध में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा कोई

विशिष्ट जांच नहीं की गई है, तथापि फरवरी, 1974 में सरकार द्वारा औषध एवं भेषज उद्योग पर गठित समिति औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है । अन्य बातों के साथ-साथ समिति की विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित है ।

1—उपभोक्ताओं के लिए औषध मूल्यों को कम करने के लिए अन्त तक किये गये उपायों का निरीक्षण करना और मूल औषधों एवं सूत्रयोगों के मूल्यों को युक्ति संगत बनाने के लिए जो उपाय हों उन उपायों की सिफारिश करना ।

निम्न लिखित उत्पादों के सम्बन्ध में बी आई सी पी के सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा गत लागत जांच की अनुमति दिये जाने से कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण एक आन्तरिक मूल्य संशोधन की आवश्यकता हुई ।

विटामिन–ए

क्लोररमफेनीकोल पाउडर

एमोडियेक्वीन

क्लोरप्रोमाइड

आइमोनिका-टिनिक एसिड हाइड्राजाइड

परा एमिनो सलीसलीक एसिड

मैसर्स सीवा एण्ड ग्लैक्सो के निम्नलिखित उत्पादों की लागत जांच कार्य बी आई सी पी की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल द्वारा की गई थी तथा ग्रुप बी आई सी पी के सिफारिशों के आधार पर उनके मूल्य नियत किये गये थे ।

मैसस सिवा	एल्पाथियाजोल
	सल्फाफेनीजोल
	एल्फासोमेडाइन
	सल्फासोमाडी नमाइक्रो
मैसर्स ग्लैक्सो	वैटामेथलोन

मैसर्स फाइबर द्वारा उत्पादित वनमिथ के मूल्य बी आई सी पी के सिफारिशों के आधार पर नियत किये गये थे जिन्हों इस प्रपुंज औषध के लागत की जांच की थी । विभिन्न उत्पादों द्वारा देश में उत्पादित अनेक अनेक सूत्रयोग सूत्रयोग दस हजारों के हैं । बी आई सी पी जिसे औषधों के मूल्य में संशोधन/नियतन के लिए आवेदन पत्रों की जांच करने का कार्य सौंपा गया, ने अनेक आवेदन पत्र प्राप्त किये । अगस्त, 1974 से 10 फरवरी, 1975 के दौरान बी आई सी पी ने अनेक उत्पादों से सूत्र योगों के मूल्यों में संशोधन करने के लिए कुल 3029 आवेदन पत्र प्राप्त किये—एक आवेदन पत्र में अनेक सूत्रयोगों का उल्लेख था । औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के व्यवस्थाओ के अनुसार बी आई सी पी द्वारा सूत्रयोगों के मूल्यों का नियतन संशोधन के लिए आवेदन पत्रों की जांच की जाती है तथा उनके द्वारा किये गये सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा मूल्यों के अनुमोदन में स्वीकृति दी जाती है । पूछे गये समस्त कम्पनियों के सूत्र योगों तथा सरकार द्वारा स्वीकृत उनके मूल्यों को अलग से संकलन करना संभव नहीं होगा ।

(ii) औषधों के प्रभावी गुण नियन्त्रण के लिए तथा इस सम्बन्ध में लघु उद्योगों के एककों को सहायता देने के लिए उपायों की सिफारिश करना :

कम्पनी कार्य विभाग (कम्पनी विधि निकाय) ने सूचित किया है कि निम्नलिखित तीन कम्पनियों के लेखा पुस्तिका तथा अन्य कागजातों का निरीक्षण समवाद अधिनियम, 1956 के खंड 209(4) के अन्तर्गत किया गया था :—

(i) कैमिकल्स एण्ड फाइबर आफ इण्डिया लि०

(ii) इण्डियन एक्सप्लोसिव लि० तथा

(iii) हिन्दुस्तान लीवर लि०

इन निरीक्षणों का उद्देश्य कम्पनी के कार्यकरण तथा प्रबन्ध मण्डल के कार्यों की जांच करना था। कैमिकल्स एण्ड फाइबर आफ इण्डिया लि० पेसिएस्टर स्टैपल फाइबर एवं मैथालोन का उत्पादन करता है। इण्डियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड विस्फोटक पदार्थ डिटोनेटर सेफ्टी फ्यूज तथा उर्वरकों का उत्पादन करता है। हिन्दुस्तान लीवर लि० के उत्पादित उत्पाद हैं—वनस्पति तेल उत्पाद, साबुन तथा पक्षालक, डायरी का उत्पाद, पशु चारा उपकरण तथा नहाने के साबुन इत्यादि अन्य बातों के साथ साथ निरीक्षण में साबुन तथा पाउडर के भार के सम्बन्ध में आरोपों की जांच की गई। यह सूचित किया गया कि 1968 से 1972 के दौरान साबुन उत्पादों के बिक्री मूल्य में कोई अन्तर नहीं था। 1969 में प्रति यूनिट भार में कमी की गई।

प्रपुंज औषधों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कम्पनयिों की लागत जांच प्रत्येक कम्पनी के सामने दी गई है। जिस का जांच कार्य 1966–68 के दौरान टैरिफआयोग द्वारा की गई थी तथा उनकी सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा मूल्य नियत किये गये थे।

कम्पनी का नाम	उत्पाद
1—ग्लैक्सो	विटामिन 'ए'
2—मर्कशाप एण्ड डोहमे	विटामिन बी–12
3—पनइजर	क्लोरोप्रोपामाइड
	आई एन एच पी ए एस
4—	टैट्रासाइक्लीन
5—पार्क डेविस	एमिडियक्वीन

निम्नलिखित उत्पादों के सम्बन्धमें बी आई सी पी के सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा गत लागत जांच की अनुमति दिये जाने से कच्चे माल की लागत में वृद्धि के कारण एक आन्तरिक मूल्य संशोधन की आवश्यकता हुई :—

विटामिन–ए

एक्लोरमफोनिकोल पाउडर

एमोडियोक्वीन

क्लोरप्रोयामाइड आइमोनिका-टिनिक एसिड हाइड्रोजाइड

पारा एमिनो एलीसबलिक एसिड

मैसर्स सीवा एण्ड ग्लैक्सो के निम्नलिखित उत्पादों की लागत जांच कार्य वी आई सी पी के अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल द्वारा की गई थी तथा ग्रुप/वी आई सी पी के सिफारिशों के आधार पर उनके मूल्य नियत किये गये थे ।

मैसर्स सिवा——	एल्काथियाजोल
	सल्काफेनीजोल
	एल्फासोमोडाइन
	सल्फासोमेडीनमाइक्रो
मैसर्स ग्लैक्सो	वैटामेथलोन

मैसर्स फाइबर द्वारा उत्पादित वनमिथ के मूल्य वी आई सी पी के सिफारिशों के आधार पर नियत किये गये थे जिन्होंने इस प्रपुंज औषध के लागत की जांच की थी । विभिन्न उत्पादों द्वारा देश में उत्पादित अनेक औषध सूत्रयोग दस हजारों के हैं । वी आई सी पी जिसे औषधियों के मूल्य में संशोधन/नियतन के लिए आवेदन पत्रों की जांच करने का कार्य सौंपा गया, ने अनेक आवेदन पत्र प्राप्त किये । अगस्त 1974 से 10 फरवरी, 1975 के दौरान वी/आई सी पी अनेक उत्पादकों से सूत्रयोगों के मूल्यों में संशोधन करने के लिए कुल 3029 आवेदन पत्र प्राप्त किये :—एक आवेदन पत्र में अनेक सूत्र योगों का उल्लेख था । औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के व्यवस्थाओं के अनुसार वी आई सी पी द्वारा सूत्र योगों के मूल्यों का नियतन संशोधन के लिए आवेदन पत्रों की जांच की जाती है तथा उनके द्वारा किये गये सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा मूल्यों के अनुमोदन में स्वीकृति दी जाती है । पूछे गये समस्त कम्पनियों के सूत्र योगों तथा सरकार द्वारा स्वीकृत उनके मूल्यों को अलग से संकल्प करना सम्भव नहीं होगा ।

छिद्रण कार्यों के लिये ट्यूबलरों की उपलब्धता

4816. **श्री शशि भूषण :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विश्व भर में तेल के लिये छिद्रण कार्यों में वृद्धि होने के कारण विश्व के सभी स्थानों पर बड़े पैमाने पर ट्यूबलरों की खरीद की जा रही है तथा इनको जमा किया जा रहा है । तथा उनकी कमी होने की संभावना है ।

(ख) उपर्युक्त आशंका को ध्यान में रख कर, तेल के लिये व्यापक छिद्रण कार्यों तथा तेल की खोज के लिये उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त संख्या में ट्यूबलर प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) ट्यूबलरों की अपने देश में उत्पादन क्षमता क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) : यद्यपि यह सत्य है कि विश्व भर में तेल अन्वेषण कार्यकलाप में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण ट्यूबलरों की सप्लाई स्थिति में तंगी हुई है, देश में, तेल अन्वेशण में लगी हुई दो प्रमुख संगठनों तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आइल इंडिया लि० ट्यूबलों की अपनी आवश्यकताओं को उपलब्ध करने के लिये पर्याप्त कदम उठा रहे हैं । अन्य देश किस हद तक ट्यूबलरों को जमा कर रहे हैं इसकी सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) लाइन पाइपों की बड़ी मांग देशीय स्रोतों से पूरी की जाती है। ट्यूबिंगों तथा केसिंग पाइपों के कुछ ग्रेडों को देश में निर्मित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। इसी प्रकार ड्रिल पाइपों के उत्पादन के लिये सम्भावनाओं की भी छानबीन की जा रही है।

आसाम में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों के लिये छिद्रण उपकरणों की कमी

4817. श्री शशि भूषण : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ड्रिल पाइपों, केसिंग तथा फ्लो-लाइनों की कमी के कारण गेलकी तेल क्षेत्र में आधे से अधिक छिद्रण कार्य बन्द कर दिये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी०पी० माझी) : जी नहीं।

बी० आई० ई० सी० सी० ओ० लारी लिमिटेड और इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड और बालमेर लारी लिमिटेड के बीच सम्बन्ध

4818. श्री शशि भूषण : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० आई० ई० सी० सी० ओ० लारी लिमिटेड के (21, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता पर पंजीकृत कार्यालय) इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड और बालमेर लारी लिमिटेड के साथ क्या संबंध है ; और

(ख) विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले बी० आई० ई० सी० सी० ओ० लारी लिमिटेड के वर्तमान निदेशक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं, उनके पास कितने कितने शेयर हैं और शेयरों की प्रतिशतता क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) बालमेर लारी एंड कम्पनी लिमिटेड के वीयको लारी लिमिटेड में 60.2 प्रतिशत हिस्से हैं, एवं इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड के बालमेर लारी एंड कम्पनी लिमिटेड में 80.2 प्रतिशत हिस्से हैं। अतः वीयको लारी लिमिटेड बालमेर लारी एंड कम्पनी लिमिटेड की एक सहायक है, एवं बालमेर लारी एंड कम्पनी लिमिटेड, इंडो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी है।

(ख) दिनांक 16 अगस्त, 1974 तक बनाई गई, कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल को प्रस्तुत की गई नवीनतम वार्षिक विवरणी के अनुसार, वीयको लारी लिमिटेड के वर्तमान निदेशक मंडल की संरचना निम्न प्रकार है :—

1. श्री आत्मा प्रकाश वर्मा।
2. श्री अशित कुमार गुप्ता।
3. श्री चक्रवर्ती सुन्दरचार श्रीनिवासन

वीयको लारी लि० में अनेक हितार्थियों की हिस्सेधारिता का प्रतिशत, संलग्न विवरण पत्र में दिया जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—9314/75]

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक

4819. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और सर्वोच्च प्रबंधकों की बैठक आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में जिन विषयों पर बातचीत हुई उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां। सरकारी क्षेत्र के उर्वरक यूनिटों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा सर्वोच्च प्रबंधकों की 27-2-75 को नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी।

(ख) और (ग). उस बैठक में उपक्रमों के संस्थानिक ढांचे को कारगर बनाने की जरूरत उत्पादन करने संबंधी कार्य तथा क्षमता प्रयोग, अनुरक्षण समस्याओं, बिजली के कैपटिव जेनेरेशन के लिये सुविधायें स्थापित किये जाने, प्रशिक्षण एवं प्रबंधकीय विकास और विपणन एवं मूल्य निर्धारण की नीतियों आदि विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया था। विभिन्न प्रकार के इन मामलों के बारे में बैठक में दिये गये सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

नई दिल्ली और बम्बई सेन्ट्रल के बीच पश्चिम एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस का बन्द किया जाना

4820. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और बम्बई सैंट्रल के बीच चलने वाली वातानुकूलित पश्चिम एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। अस्थायी तौरपर।

(ख) 23/24 फरवरी, 1975 की रात में भारी ज्वार आने से सफाला और विरार के बीच वैतरणा पुल सं० 92 (दक्षिण) का एक पाया क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण।

(ग) क्षतिग्रस्त मेहरावों की मरम्मत का काम तुरन्त प्रारम्भ कर दिया गया था। पुल पर यातायात रफ्तार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाकर यातायात फिर से प्रारम्भ कर दिया गया है। केवल पुल वाले भाग पर इकहरी लाइन संचालन के लिए पुल के सिरों पर पार की व्यवस्था सम्बन्धी अस्थायी काम भी पूरा हो चुका है और गाड़ियों के आवागमन में और भी वृद्धि हुई है। मौजूदा पुल के स्थान पर नया पुल बनाने के काम में शीघ्रता की जा रही है ताकि उसे अगले मानसून से पहले पूरा किया जा सके।

(घ) बम्बई और दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रस को छोड़कर और 25/26 वातानुकल पश्चिम एक्सप्रेस सहित सभी गाड़ियों पुनः चलायी जा चुकी है। स्थिति सुदढ़ होने पर राजधानी एक्सप्रेस को भी पुनः चलाया जायगा।

इन्टेगरल कोच फैक्टरी, मद्रास के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

4821. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटेगरल कोच फैक्टरी मद्रास के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बंगलौर के निकट स्थित रेलवे की व्हील्स फैक्टरी में स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो समूचे प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने से कर्नाटक राज्य में रोजगार के अवसर कम नहीं हो जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इंटेगरल कोच फैक्ट्री के कर्मचारियों को तमिलनाडु राज्य में ही स्थानान्तरित करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

आप्ता-दासगांव लाइन पर मिट्टी का काम

4822. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने सूखा राहत उपायों के अन्तर्गत आप्ता से रेलवे लाइन के विस्तारण हेतु आप्ता और दासगांव के बीच मिट्टी का काम पुनः आरम्भ करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो रेल मंत्रालय उक्त काम को कब तक पुनः आरम्भ करेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) आप्ता और दासगांव के बीच रेल लाइन के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच पूरी हो जाने के बाद, धन की उपलब्धता होने पर इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जायेगा।

निर्वाचन सुधारों को क्रियान्वित करने सम्बन्धी आश्वासन

4823. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पार्टियों ने यह घोषणा की है कि निर्वाचन सुधारों पर चर्चा करने के लिए पार्टी प्रतिनिधियों के साथ प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित क. जाने वाली बैठक में सुझाये जाने वाले निर्वाचन सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए अगर प्रधान मंत्री ने आश्वासन नहीं दिया, तो वे उक्त बैठक का बहिष्कार करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख). इस आशय के कतिपय समाचार कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। सरकार का इस विषय में कोई पूर्वाग्रह नहीं है और वह निर्वाचन में सुधारों के प्रश्न पर विरोधी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करेगी।

राजस्थान में जैसलमेर में तेल की खोज

4824. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री श्री किशन मोदी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज के कार्य का अन्तिम चरण सम्भवतः कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ कुएं खोदे हैं जिनसे बहुत आशाजनक परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) अब तक राजस्थान और जैसलमेर क्षेत्र में वाणिज्यिक मतलब का कोई तेल/गैस प्राप्त नहीं हुआ है अन्वेषणात्मक काय जारी है। इस समय सुमेर वाली तलाई में एक कुआं खोदा जा रहा है। जिसकी 15-3-75 तक 3519 मीटर की गहराई तक खोदा गया जब कि इसकी प्रायोजन गहराई 3600 मीटर थी इस क्षेत्र में खुदाई के लिए कुछ अन्य स्थानों को मुक्त किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रूस द्वारा भारत को पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

4825 **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री अनादि चरण दास :

श्री श्री किशन मोदी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 में रूस भारत को पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पाद सप्लाई करेगा;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में;

(ग) कितना मिट्टी का तेल और कितना डीजल सप्लाई किया जायेगा;

(घ) क्या इस सप्लाई से भारत की आवश्यकता पूरी हो जायेगी; और

(ङ) इस बारे में हुए करार की मुख्य बातें क्या हैं।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां। तथापि मोटर स्पिरिट (पैट्रोल) के आयात करने का कोई विचार नहीं किया गया है।

(ख) प्रत्येक प्रयोगकर्ता के लिए रूस में बने प्लांट एवं मशीनरी हेतु विशेष प्रकार के स्नेहक तेलों की थोड़ी मात्रा के साथ 1975 में रूस से लगभग 1.2 मिलियन मी० टन मिट्टी का तेल तथा एच० एस० डी० का आयात किए जाने का अनुमान है।

(ग) 1975 के दौरान मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल प्रत्येक के आयात का 0.6 मि० मी० टन का अनुमान है।

(घ) विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता तथा मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण चालू वर्ष के दौरान देश में मिट्टी के तेल सहित पैट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूर्ण करना सम्भव नहीं है।

ऊंचे मूल्यों तथा इसके द्वारा देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों अत्याधिक बोझ को ध्यान में रखते हुए पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में मितव्ययता करना जारी है।

(ङ) आई० ओ० सी० तथा रूसी निर्यातकों के बीच अभी कोई औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

तेल की सप्लाई के बारे में संयुक्त अरब अमीरात के पैट्रोलियम मंत्री के साथ चर्चा

4826. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात के पैट्रोलियम मंत्री ने जनवरी, 1975 के आरम्भ में उनसे नई दिल्ली में भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे भारत को तेल की सप्लाई के बारे में कोई बातचीत हुई थी;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(घ) क्या इस बारे में कोई निर्णय किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (ङ) संयुक्त अरब अमीरात से 1975 में 1 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल का आयात करने के लिए व्यवस्था की गई है।

मैसर्स होयेस्ट को जारी किये गये आशय पत्र

4827. **श्री खेम चन्द भाई चावडा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स होयेस्ट को कितने आशय पत्र जारी किये गये हैं तथा प्रत्येक आशय पत्र में किन-किन वस्तुओं को शामिल किया गया है तथा इन आशय पत्रों में क्या शर्तें निर्धारित की गई है ;

(ख) इनमें से कितने आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदला गया है तथा इन लाइसेंसों में क्या शर्तें लागू की गई हैं ;

(ग) क्या आशय पत्रों को लाइसेंस में बदलते समय कोई छूट दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की छूट दी गई थी तथा किस अधिकार के अन्तर्गत दी गई थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

कतिपय विदेशी औषध फर्मों को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों में शर्तें लागू करना

4828. **श्री खेम चन्द भाई चावडा :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स रोश एण्ड वोरोज वैलकम लिमिटेड को ट्रि मेथोप्रिम और सल्पन में थाएक्जाजोल तथा उसके फ़ार्मूलेशन बनाने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों में क्या शर्तें लागू की गई है ;

(ख) क्या इन कम्पनियों के आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों में लागू शर्तें को पूरा किया है, यदि नहीं, तो सरकार का विचार इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) इन फ़ार्मूलेशनों को बनाने हेतु कितने भारतीय फर्मों को अनुमति देने से इंकार कर दिया गया था तथा इसके क्या कारण हैं तथा उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने कितनी क्षमता की मांग की थी तथा कितनी विदेशी मुद्रा की बचत करने का प्रस्ताव दिया था; और

(घ) क्या सरकार उनके मामलों पर पुनः विचार करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसर्स वरोज वैलकम (इंडिया) प्रा० लि० तथा मैसर्स रोश प्राडक्ट लि० को क्रमशः ट्राइ-मेथोप्रीमा तथा सलफनमेथेक्साजन और उनके सूत्रयोगों को निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के शर्तों की सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है। [*ग्रन्थालय में रखा गया देखिए* **संख्या एल० टी०-9315/75**]

(ख) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

विदेशी औषध निर्माताओं पर सरकारी नियंत्रण

4829. श्री शंकरराव सावन्त : क्या पैट्रोलियम **और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार औषधियों के निर्माण तथा उनके मानकीकरण, औषधियों के मूल्य निर्धारण तथा वितरण तथा औषधियों के आयात तथा निर्यात के मामले में विदेशी पूंजी अथवा विदेशी प्रबन्ध की बहुलता वाले औषध निर्माताओं पर किस प्रकार का नियन्त्रण रखती है;

(ख) क्या इनमें से कुछ निर्माता अपनी औषधियों का बहुत ऊंचा मूल्य ले रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कौन-कौन सी कम्पनियां तथा औषधियां आती हैं और इस अनुचित व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औद्योगिक विकास मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 1973 के प्रैस नोट के अनुसार औषध उद्योग को उसके परिशिष्ट 2 में सम्मिलित किया गया है तथा विदेशी कंपनियों एवं उसकी सहायक कंपनियां एवं विदेशी कंपनियों की शाखाएं इसमें भाग लेने के योग्य हैं किन्तु उनका निवेश विदेशी साम्य पूंजी को कम करने के मार्ग सूचक सिद्धान्तों पर होगा। उनके आवेदन पत्रों की जांच, प्रौद्योगिकी पहलुओं, निर्यात सम्भावनाओं तथा भुगतान शेष पर समग्र प्रभाव के संदर्भ में, की जायेगी। वे कंपनियां जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी लगी हो, तथा भारत में कार्य कर रही विदेशी कंपनियों की शाखाओं को अपने वर्तमान कार्य कलापों को करने, नये शाखाओं को खोलने, नये कार्यों को प्रारंभ करने आदि के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्वीकृति लेनी होती है। औषधों के मानकीकरण पर नियंत्रण औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के माध्यम से किया जाता है। समय-समय पर प्रभावी आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अन्तर्गत आयात लाइसेंस दिये जाते हैं।

(ख) एक व्यापक औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 है तथा औषधों के मूल्यों का सांविधिक नियंत्रण कथित आदेश के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य औषध उत्पादकों के लाभ को कम

करना है। तथा इसमें व्यवस्था है कि आवध उत्पादक अथवा आयात करने वालों के कर से पूर्व सम्पूर्ण सकल लाभ कुल बिक्री के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए तथा इसके अधिक होने पर इसे अलग निधि में रखा जायेगा तथा लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाना चाहिए किन्तु निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के साथ इसका उपयोग किया जाना चाहिए :

(क) अनुसंधान और विकास व्यय के लिए

(ख) भविष्य के लाभ अथवा हानि के समायोजन के लिए

(ग) समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बताये गये अन्य कार्यों के लिए

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी औषधि कम्पनियों को जारी किये गये लाइसेंस

4830. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधियों और रसायनों का उत्पादन करने के लिये किन-किन विदेशी प्रभुत्व वाली औषधि कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं और वे लाइसेंस किन-किन औषधियों और रसायनों के लिये जारी किये गये हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या सावधानी बरती गई है कि इन कम्पनियों का उन औषधियों और रसायनों पर एकाधिकार न होने पाये और वे अपने उत्पादों के लिये अत्यधिक कीमत वसूल न करें ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1972, 1973 एवं 1974 के दौरान स्वीकृत विदेशी कम्पनियों के नाम लाइसेंस संख्या एवं तारीख तथा प्रपुंज औषधि/औषधों के रसायन मध्यवर्ती पदार्थों से युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–9316/75**]

(ख) विदेशी कम्पनियों के एकाधिकार को दूर करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(i) औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विदेशी मुद्रा की सीमा पर तकनीकी विकास महानिदेशक के साथ पंजीकरण की सुविधा भारतीय कंपनियों को उपलब्ध हैं जब कि यह सुविधा विदेशी कंपनियों तथा एम०आर०टी०पी० एक्ट 1969 के भाग-III के अन्तर्गत दिये गये कंपनियों को उपलब्ध नहीं हैं।

(ii) उत्पादक योजनाओं को स्वीकृति देने में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को तरजीह दी जाती हैं।

(iii) सरकारी क्षेत्र के माध्यम से प्रपुंज औषधों की बढ़ती हुई मात्रा का उत्पादन।

(iv) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अधिक से अधिक प्रपुंज औषधों को सरणीबद्ध करना।

(v) विदेशी कंपनियों को कहा गया है कि अपने प्रपुंज औषधों के अपने उत्पादन के एक उपयुक्त भाग को असम्बद्ध सूत्रयोगकों को उपलब्ध करायें।

(vi) सभी अनावासी, भारत में कार्य कर रही विदेशी कंपनियों की शाखायें, और भारतीय कंपनियों, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक अनावासी शेयर पूंजी है, को नया तथा वर्तमान कार्यकलाप आदि करने के लिए नई शाखाएं खोलने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। एक विस्तृत औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 जारी किया गया है तथा औषधों को सांवधिक रूप में उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है। केवल प्रति वर्ष 50 लाख रुपये तक की औषधों की कुल बिक्री करने वाला कंपनियों को इससे छूट दी गई है।

सरकार ने औषध एवं भेषज उद्योग पर श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है तथा इसके विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(i) औषध उद्योग की तीव्र गति से विकास करने की सिफारिश करना और विशेष रूप से भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्र की सिफारिश करना। समिति अपनी सिफारिश करते हुए इस बात का ध्यान रखेगी कि उद्योग का क्षेत्रीय फैलाव सन्तुलित हो।

(ii) उपभोक्ताओं हेतु औषध मूल्यों को कम करने के लिए अब तक किये गये उपायों का निरीक्षण करना और मूल औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने के लिए जो उपाय आवश्यक हों उन उपायों की सिफारिश करना।

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1975 में प्रस्तुत कर देने की आशा है तथा उसके बाद विभिन्न पहलुओं पर निर्णय किया जायेगा।

काल्टैक्स द्वारा परिसम्पत्तियों का बेचा जाना

4831. श्री शंकरराव सावन्त : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि कालटैक्स कम्पनी का सरकार द्वारा शीघ्र राष्ट्रीयकरण किये जाने को ध्यान में रखते हुए यह कम्पनी अपनी मशीनरी, टैंकों और गोदामों को बेच रही है;

(ख) क्या इन शिकायतों की जांच की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) सरकार की जानकारी में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

आल इंडिया रेलवे मेन्ज फेडेरेशन की मान्यता समाप्त करने की धमकी

4832. **श्री मधु लिमये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने किसी समय आल इंडिया रेलवेमेन्ज फेडरेशन की मान्यता को समाप्त करने की धमकी दी थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी धमकी देने के क्या कारण थे;

(ग) क्या आल इंडिया रेलवेमेन्ज फेडेरेशन ने मान्यता से सम्बद्ध किसी शर्त का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या यह धमकी 20 लाख रेलवे कर्मचारियों के लिये तनाव पैदा करने वाली नहीं थी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ). आल इण्डिया रेलवेमेन्ज फेडेरेशन रेलों द्वारा मान्यता-प्राप्त फेडेरेशन है और इसलिए उससे यह आशा की जाती है कि वह ट्रेड यूनियन की सही दिशा में श्रमिकों का मार्ग-दर्शन करेगा। जब प्रशासन ने यह देखा कि पूर्वी अंचल में रेल कर्मचारियों को उस क्षेत्र में चल रहे राजनीतिक आन्दोलनों से अपने को जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया है, तो एक चेतावनी देनी पड़ी कि यदि ऐसी कोशिश की गयी तो हो सकता है कि प्रशासन को फेडेरेशन की मान्यता समाप्त करने के लिए कदम उठाने के बारे में विचार करना पड़े।

Upgradation of post of Assistant Medical Officer-in-charge, Amritsar (Northern Railway)

*4833. **Shri B. S. Chowhan:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the post of Assistant Medical Officer-in-charge, B-Block, Railway Hospital, Amritsar has now been upgraded to that of District Divisional Medical Officer;

(b) whether the post of radiographer in Amritsar is a lower grade post; and

(c) the reasons why the post of Radiographer has not been upgraded so far?

Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The necessity has not been felt.

दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से नकद राशि की वसूली

4834. **श्री नूरुल हुडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से बहुत कम नकद राशि वसूल हुई है;

(ख) क्या इन दोनों संस्थाओं की ओर ही 8–7 करोड़ रुपये की राशि बकाया है; और

(ग) बकाया राशि को शीघ्र वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) इस मामले में उच्च स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।

बिहार के मिट्टी के तेल के कोटे में कमी

4835. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 1975 के महीने में बिहार राज्य के मिट्टी के तेल के कोटे में कमी की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). बिहार राज्य को माह फरवरी 1975 के लिए 12,444 मी० टन के मिट्टी के तेल का कोटा आवंटित किया गया था जबकि यह जनवरी 1975 में 14,200 मी० टन और फरवरी 1974 में 10,396 मी० टन था। फरवरी में आवंटित कोटा जनवरी 1975 से कम किन्तु पिछले वर्ष की फरवरी से अधिक था। राज्यों को दिये जाने वाले मिट्टी के तेल के कोटे, पिछली बिक्री की प्रवृत्तियों और सामयिक कारणों के अनुसार प्रत्येक माह में बदलते रहते हैं। छोटा महीना होने के कारण फरवरी में इस उत्पाद का आवंटन अन्य महीनों से कम होता है। नवम्बर 1974 से राज्यों को मिट्टी व तेल के कोटा का आवंटन करने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

पांचवीं योजना में तेल की खोज सम्बन्धी योजना

4836. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में तेल की खोज सम्बन्धी कार्य में तेजी लाने के लिए अपनी कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस योजना की राज्यवार मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और ख). तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अशोधित तेल के देशीय उत्पादन को अधिकतम करने तथा अन्वेषण

प्रयत्नों को गहन करने के लिए उठाये गये/उठाये जाने वाले उपायों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है। पांचवीं योजना में निर्दिष्ट उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) भूभौतिकीय बातों के आधार पर जहां कहीं हाइड्रोकार्बन उपलब्ध होने की सम्भावना है, भारत में भूमि तथा अपतटीय क्षेत्रों की सीमित सीमा में, प्रायः, सभी तलछटी थालों में, अन्वेषण कार्य का गिस्तार करना;

(2) पहले से प्राप्त तेल क्षेत्रों में तीव्रगति से विकास करना।

(3) वर्तमान उत्पादन कुओं का अधिकतम उपयोग।

(4) द्वितीय प्राप्त पद्धति का विस्तृत उपयोग।

असम एवं गुजरात के साथ-साथ अपतटीय क्षेत्रों में विशेषकर बाम्बेहाई क्षेत्रों में चल रहे अन्वेषण तथा विकास कार्यों के अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, नागालैण्ड तथा तामिलनाडु में भूमि पर अन्वेषण कार्यों को गहन करने की योजना है।

असम में मोदन तथा बाहरकटिया पर अपने दो महत्वपूर्ण तेल क्षेत्रों के संसाधनों का सीमा एवं विकास की व्यवस्था करने के अतिरिक्त आयल इण्डिया लि० में टंगा खटना जिसमें जोराजन तथा ताराजन क्षेत्रों (समस्त असम में) और अरुणाचल प्रदेश में खारसंग पर तेल के गहन अन्वेषण कार्य कर रहा है।

Break-in-service for non-participants in strike

4837. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Members of Indian Railway Conference Association had served notice on Railways for strike in May 1974 or their Union had participated in the strike along with the employees; and

(b) if not, the reasons why Indian Railway Conference Association have treated the employees of Indian Railway Conference as striking railway employees and imposed break in service even in the case of the employees who had got their leave sanctioned in advance or after availing of leave?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways: (Shri Buta Singh): (a) and (b). No. However, 14 employees of the I.R.C.A: who absented themselves unauthorisedly during the whole or part of the period of strike in May 1974, were treated as strikes, and as a result suffered break in their service. Condonation of break-in-service has since been granted to all the 14 employees and the period has been treated as 'dies-non'.

Overbridges to be constructed in Rajasthan during 1975-76

*4833. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of new overbridges proposed to be constructed in Rajasthan during the financial year 1975-76;

(b) the number of overbridges for the construction of which the State Government has submitted proposals to the Centre; and

(c) the amount proposed to be spent on the construction of new bridges and overbridges in the State during the above period?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) to (c). No new work of road over/under bridges in lieu of existing level crossings in Rajasthan State has been included in the 1975-76 Budget. However, 3 works of road over/under bridges in lieu of existing level crossings have been included as throw-forward works in the 1975-76 Budget.

In addition to the throw-forward works mentioned above, there are 7 more proposals from the State Government for construction of road over/under bridges. These are in various stages of preliminary investigations and planning.

Railways' share of expenditure on construction of road over|under bridges in Rajasthan State during 1975-76 is expected to be Rs. 3.00 lakhs.

सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंककारी कम्पनियों पर लागू होने वाले विनियमों को कठोर बनाना

4839. **श्री के० मालन्ना :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक जमा राशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंककारी कम्पनियों पर लागू होने वाले विनियमों को कठोर बनाने के बारे में कम्पनी कार्य-विभाग और रिजर्व बैंक के बीच बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उनका सार क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख). कम्पनी अधिनियम की धारा 58क, केन्द्रीय सरकार को, रिजर्व बैंक के परामर्श से, सीमा, जिस तक, प्रकार जिसमें, तथा निबन्धन, जिनके अधीन, एक कम्पनी द्वारा जमा राशियां आमन्त्रित अथवा स्वीकृत करनी हैं, को विहित करने का प्राधिकार प्रदान करती है। इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये कम्पनी (जमा प्रतिग्रहण) नियम, 1975 निर्मित किये गये हैं, एवं यह 3 फरवरी, 1975 से लागू हो गये ह।

आवश्यकता को पूरा करने के लिये डीजल का आयात

4840. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की आवश्यता को पूरा करने के लिए 1974-75 के दौरान कितने डीजल का आयात किया गया ;

(ख) प्रत्येक राज्य ने कितना-कितना डीजल सप्लाई किए जाने की मांग की; और

(ग) सिंचाई कार्यों के लिए राज्यों का डीजल की सप्लाई के बारे में सरकार की नीति की रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) 1974–75 के दौरान लगभग 3.4 लाख मीटरी टन हाई स्पीड डीजल आयल का आयात किया जायेगा ।

(ख) डीजल तेल की प्रायोजना मांग को राज्यवार नहीं रखा जाता ।

(ग) राज्य सरकारों को आश्वासन दिया गया है कि कृषि क्षेत्र के लिये उनकी डीजल आयल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिये पर्याप्त सप्लाई की जायेगी । किसी प्रकार की कमी हो जाने की हालत में, कृषकों की डीजल आयल की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो कोटा कार्डों के जरिए, सुनिश्चित करने और जमाखोरी तथा चोर-बाजारी आदि कदाचारों को सख्ती से दबाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है । अब तक सभी राज्यों में डीजल की उपलब्धि पर्याप्त रही है और तेल कम्पनियों के फुटकर बिक्री केन्द्रों से खुली बिक्री की गई है । प्राथमिकता आधार पर कोटा कार्ड पर सप्लाई किये जाने की पद्धति चालू करने की असरा के बगैर कृषि के क्षेत्र की मांग निर्बाध रूप से भी पूरी की गई है ।

पांचवीं योजना के दौरान कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

4841. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कोयले पर आधारित उर्वरक सन्यन्त्र स्थापित करने का है;

(ख) कर्नाटक में उर्वरक संयन्त्र कहां-कहां स्थापित किए जा रहे हैं; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) रामगुण्डम, तालचेर और कोर्बा में कोयले पर आधारित 3 बड़े उर्वरक संयन्त्रों की कार्यान्वियन किया जा रहा है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त क्षमता के लिए कोयले पर आधारित किसी अन्य सन्यन्त्र की स्थापना के बारे में परिकल्पना नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). कर्नाटक में मंगलोर पर प्रतिवर्ष, 1,60,000 मीटरी टन नाइट्रोजन उत्पादन करने के लिए एक बड़ा उर्वरक सन्यन्त्र निर्माण के अग्रिम चरणों में है । यह सन्यन्त्र नैप्था को सम्भरण सामग्री के रूप में प्रयोग करेगा ।

निर्धन व्यक्तियों को उचित न्याय दिया जाना

4842. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने 28 दिसम्बर, 1974 को इंटक द्वारा मुम्बई में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में यह कहा था कि निर्धन व्यक्तियों को वर्तमान व्यवस्था में उचित न्याय नहीं मिलता है तथा हमें इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा ताकि निर्धन व्यक्तियों को उचित न्याय मिल सके;

(ख) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). नई दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा, जो 1–4–74 से प्रभावी हुई है, मामलों का निपटारा शीघ्र किए जाने, दक्षता बढ़ाने, समाज के निर्धन वर्गों को सहायता प्रदान करने, सभी सेशन मामलों में अभियुक्त को निःशुल्क कानूनी सहायता देने और अन्य श्रेणियों के मामलों में ऐसा करने के लिए राज्य सरकार को समर्थ बनाने, भरण-पोषण आदेशों के उपबन्धों को उदार बनाने और अन्वेषणों के दौरान पुलिस द्वारा बुलाए गए साक्षियों के खर्च की प्रतिपूर्ति करने की दृष्टि से पुरानी प्रक्रियात्मक विधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं जिनका आशय निर्धनों की कठिनाइयों को दूर करना है। समन-विचारण प्रतिस्थापित करके, साक्षियों पर डाक द्वारा तामीली की व्यवस्था करके और सेशन मामले में प्राथमिक जांच-पड़ताल की व्यवस्था समाप्त करके न्यायालय द्वारा विचारण में होने वाले विलम्ब को कम कर दिया गया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1974 में भी, जो इस समय संसद् के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन हैं, ऐसे उपबन्ध हैं, जिनका आशय समाज के निधन वर्गों को सहायता प्रदान करना है। इनके अतिरिक्त, सरकार निर्धन व्यक्तियों को कानूनी सहायता देश सम्बन्धी एक व्यापक स्कीम की जांच कर रही है।

सावरमती से गांधीनगर तक बड़ी रेलवे लाइन

4843. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबरमती गांधी नगर बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तथा सन्तोषजनक ढंग से प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). 30 किलोमीटर लम्बी बड़े आमान की इस लाइन के निर्माण की मंजूरी 12–1–1973 को दी गयी थी। इस पर 2.85 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस लाइन को माल यातायात के लिए खोलने की तारीख प्रारम्भ में दिसम्बर, 1974 निर्धारित की गयी थी। सामान की प्राप्ति में हुए विलम्ब और गुजरात राज्य की सरकार द्वारा गांधी नगर स्टेशन की इमारत के नकशे के अनुमोदन में हुए विलम्ब के कारण इस लाइन के काम में मामूली सा फेर बदल किया गया है और अब आशा है कि इस लाइन को माल यातायात के लिए जून, 1975 में और यात्री यातायात के लिए दिसम्बर, 1975 तक खोल दिया जायेगा।

गुजरात में तेल क्षेत्रों का विशेष सर्वेक्षण

4844. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में और अधिक तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिये कोई विशेष अथवा अतिरिक्त सर्वेक्षण किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 1974 से पहले से ज्ञात हाईड्रोकार्बन युक्त संस्तर से अधिक गहराई से उचित समतल जानकारी प्राप्त करने के लिये गुजरात में भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिये "डिजिटल सस्मिक यूनिट" का प्रयोग कर रहे हैं।

भारत तेल की खोज के लिये विदेशों द्वारा सहायता की पेशकश

4845. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल की खोज के लिए कई देशों ने तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की पेश कश की है; और

(ख) यदि हां, तो जिन प्रस्तावों के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है, उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख). तटीय तेल अन्वेषण में उपकरणों की सप्लाई, प्रशिक्षण सुविधाओं तथा विशेषज्ञों के रूप में सोवियत संघ की तकनीकी सहायता निरन्तर आधार पर है। फ्रांस की एक पार्टी की तकनीकी सहायता से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तेल अन्वेषण के क्षेत्र में एक भण्डार अध्ययन संस्थान की स्थापना कर रहा है। तेल के अन्वेषण तथा उत्पादन में तकनीकी सहायता देने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में प्रशिक्षण सुविधाएं तथा विशेषज्ञ देने की पेशकश की है। इस पेशकश की आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जायेगा। तेल के अन्वेषण में, और बातों के साथ-साथ, विभिन्न ऋणों द्वारा वित्तीय सहायता देने के बारे में कई देशों ने पेशकश की है।

Demand for providing halt to Janta Express train in Adivasi region of Pali District

4846. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the people belonging to Grasia and Bhil community of the entire adivasi region of Pali District work as labourers in Ahmedabad and Bombay and they go to and fro these places from Nana Railway station;

(b) whether the people of the area have made repeated demands to his Ministry for providing halt there for the Janta Express Train (31 UP and 32 DOWN) operating between Delhi and Ahmedabad; and

(c) if so, the decisions Government have taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No.

(b) Yes.

(c) At present Nana station to adequately served by two pairs of passenger trains, viz., 5 UP/6 DN, 19 UP/20 DN. Fast Passengers. If a stoppage of 31 UP/32 DN is conceded in favour of Nana, it would be difficult to resist similar demands from other stations of equal or more importance, which would decelerate these trains causing inconvenience to passengers. Therefore. stoppage of 31 UP/32 DN Janata Express at Nana is not considered financially justified.

Strength and expenditure of Railway Department

4847. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the strength of the employees in the Railway Department in 1972 and the number of the officers out of them and the amount of expenditure incurred on all the categories of services in the Department as also the strength of the employees at present and the number of officers out of them and the total amount of expenditure incurred on the employees as a whole?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): Staff statistics are maintained financial year-wise and the latest information available is for the year 1973-74. The number and the wages of regular staff in 1973-74 and 1972-73 were as under:—

	1972-73	1973-74
Total staff strength.	1,411,840	1,431,469
Number of officers.	8,557	8,763
Total wage bill (in thousands of rupees).	5,18,08,38	5,70,22,34

जलपाई गुडी के समीप कामरूप एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

4848. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 26 फरवरी, 1975 को जलपाईगुड़ी के समीप 59 अप कामरुप एक्सप्रैस गाड़ी पटरी से उतर गई थी, और

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस दुर्घटना की जांच पूर्वोत्तर ग्रांचल, गोरखपुर स्थित रेल संरक्षा के ग्रपर ग्रायुक्त द्वारा की गयी है। उनके ग्रनंतिम निष्कर्षों के ग्रनुसार, गाड़ी के पटरी से उतरने की घटना रेल कर्मचारी की विफलता के कारण हुई।

खडगपुर के सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों तथा विधवा पेंशन भोगियों की ग्रोर से ज्ञापन

4849. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खडगपुर के सवा–निवृत्त रेल कमचारियों तथा विधवा पेंशन भोगियों की ग्रोर से दिनांक 20 फरवरी, 1975 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुग्रा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; ग्रौर

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) ग्रौर (ग). प्रश्न नहीं उठता।

इटारसी, इलाहाबाद, झांसी तथा नागपुर में रनिंग रूम/रेस्ट रूम सुविधायें

4850. **श्री बसन्त साठ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल रेलवे टिकट चैकिंग स्टाफ यूनियन ने रेल ग्रधिकारियों से कहा है कि इटारसी, इलाहबाद, झांसी तथा नागपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर रनिंग/रैस्ट रूम सुविधायें ग्रपर्याप्त तथा ग्रनुपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है/ करने का विचार है; ग्रौर

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मध्य रेलवे के टिकट जांच कर्मचारियों ने ग्रपनी यूनियनों की मार्फत यह ग्रभ्यावेदन किया है कि इलाहाबाद, झांसी, इटारसी ग्रौर बल्हारशाह स्टेशनों के रनिंग कक्षों/विश्राम कक्षों में पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं।

(ख) ग्रौर (ग). इटारसी में ग्रतिरिक्त विस्तरों की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। इलाहाबाद में भी यह व्यवस्था की जा रही है। बल्हारशाह में रनिंग कर्मचारियों के लिए नये रनिंग कक्ष का निर्माण पूरा हो जाने पर, वहां भी टिकट जांच कर्मचारियों के लिए ग्रतिरिक्त ग्रावास उपलब्ध हो जायेगा। झांसी ग्रौर इटारसी में नयी चद्दरों, गद्दों ग्रादि की व्यवस्था कर दी गयी है। इटारसी ग्रौर बल्हारशाह में ग्रतिरिक्त छत के पंखों ग्रौर पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था जैसी ग्रन्य सुविधाग्रों की व्यवस्था भी कर दी गयी है।

महाराष्ट्र में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4851. **श्री बसन्त साठे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कितनी परियोजनाए स्वीकृत की गयी हैं और इनका ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और परियोजनाओं को पूरा करने के लिये कितनी अवधि निर्धारित की गई है; और

(ख) पांचवीं योजनावधि में इस प्रकार की कितनी परियोजनायें हैं और उनका ब्यौरा क्या है और वर्षवार इनका कितना कार्य पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मन्माड से पर्ली बैजनाथ तक मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना की मंजूरी 1973–74 में दी गयी थी। ब्यौरेवार इंजीनियरी सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं। रेलों द्वारा सर्वेक्षण, रिपोर्टें तैयार की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही मिल जायेंगी। धन संबंधी कठिन स्थिति को देखते हुए आमान परिवर्तन के काम को पूरा करने के लिए कोई समय–क्रम निश्चित करना सम्भव नहीं हो सका।

(ख) **अभी** पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

हैदराबाद-दिल्ली के बीच रेल गाड़ी चलाया जाना

4852. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हैदराबाद से दिल्ली के बीच एक पृथक् रेलगाड़ी चलाने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : नयी दिल्ली और हैदराबाद के बीच साप्ताहिक जयन्ती जनता एक्सप्रैस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

कावेरी बेसिन में तेल की खोज के लिये विदेशी कम्पनियों के साथ बात-चीत

4853. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कावेरी तट दूर बेसिन में तेल की खोज के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ व्यापारिक समझौते के बारे में बातचीत की जाती है;

(ख) यदि हां, तो किन कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही है और उस समझौते को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त व्यापारिक समझौते की क्या सम्भावित शर्तें हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) कुछ विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कावेरी उपतटीय थाला पर तेल अन्वेषण करने संबंधी दिए गए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग). इस बारे में ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

रिवाड़ी जंकशन (उत्तर रेलवे) तक बड़ी रेल लाइन

4854. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में बड़ी रेल लाइन को दिल्ली से रिवाड़ी जंकशन तक बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, दिल्ली-अहमदाबाद खण्ड के आमान परिवर्तन की सम्पूर्ण योजना के भाग के रूप में।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हाशीमारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पश्चिम बंगाल

4856. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाशीमारा इंस्ट्रीज लिमिटेड, पश्चिम बंगाल के निदेशक मंडल के सदस्य कौन-कौन से हैं;

(ख) इसके मुख्य शेयर होल्डर कौन-कौन से हैं और प्रत्येक शेयर होल्डर के पास कितने और कितने मूल्य के शेयर हैं;

(ग) क्या यह कम्पनी सूरजमल नागरमल औद्योगिक गृह के नियंत्रण में हैं; यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या मिस्टरी आफ बाजोरिया जलान हाऊस" नामक शीर्षक से प्रकाशित अपनी पुस्तक में श्री एन० सी० राय ने हाशीमारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबन्ध में किये गये अनेक कदाचारों का उद्घाटन किया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व कम्पनी कार्य मंत्री, श्री रघुनाथ रेड्डी ने इस कंपनी के कार्यों के बारे में जांच पड़ताल करने के निदेश दिये हैं और यदि हां तो इसके बाद क्या हुआ है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) कंपनी द्वारा 30 सितम्बर, 1974 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना निम्नप्रकार है :--

1. श्री सुमत प्रसाद
2. श्री हरी राम शाह

3. श्री प्रह्लाद राय भगत

4. श्री मोहन कुमार मखर्जी

(ख) एक विवरण–पत्र संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9317/75] ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति, 1969 की रिपोर्ट के अनुसार, इस कम्पनी का सूरजमल नागरमल समूह से सम्बन्ध था।

(घ) तथा (ङ). कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237(ख) के अन्तर्गत कंपनी के कार्यों में जांच–पड़ताल का कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन अधिसूचना के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 जून, 1973 को आदेश दिया गया है । जांच का आदेश न भूतपूर्व कम्पनी कार्य मंत्री के निर्देश पर दिया गया था न या श्री एन० सी० राय द्वारा "मिस्टरी ऑफ बाजोरिया––जालान हाऊस" नामक पुस्तक में उल्लिखित प्रगटीकरण के आधार पर किया गया था।

कम्पनी ने जांच के आदेश के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित याचिका प्रस्तुत की थी तथा आगे कार्यवाही कथित उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई है।

विदेशी औषध कम्पनियों के लाइसेंसों को रोकना

4857. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि विदेशी औषध कम्पनियों से सम्बन्धित समस्याओं पर पुनर्विचार का कार्य पूरा हो जाने तक इन कम्पनियों के लाइसेंस रोक दिये जाने चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ग) दिये गये सुझाव के आधार पर यदि कोई अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है;

(घ) विदेशी औषध कम्पनियों की समस्याओं पर पुनर्विचार करने वाली समिति अथवा अध्ययन दल के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ङ) इसके निर्देश पद क्या हैं; और

(च) पुनर्विचार का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). उद्योग तथा सिविल पूर्ति मंत्रालय को यह सुझाव दिया गया है कि विदेशी स्वाम्य पूंजी वाली कंपनियों से प्राप्त आवेदन पत्रों को अगले 2–3 महीने के लिए निलंबित रखा जाय, विशेष रूप से मैसर्स बोरांज वैलकम (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड से सक्सानिल कोलीन क्लोराईड की क्षमता विस्तार तथा

मैसर्स सी० ई० फुलफोर्ड (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के जैन्मा जैन्टामाइसीन सल्फेट आदि के निर्माण से संबंधित मामलों, जिनके बारे में लाइसेंसिंग कमेटी द्वारा विचार-विमर्श किया गया है, पर निर्णय रोक दिया गया है।

(घ) से (च). औषध निर्माण के नियंत्रित एवं शीघ्रगामी विकास को सुनिश्चित करने तथा यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को समस्त आवश्यक औषधें उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें, सरकार ने औषध और भेषज उद्योग के बारे में एक समिति की नियुक्ति की है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1.	श्री जयसुखलाल हाथी .	अध्यक्ष
2.	श्री यशपाल कपूर, संसद् सदस्य	सदस्य
3.	श्री वसंत साठे, संसद् सदस्य .	,,
4.	श्री रानेन सेन, संसद् सदस्य .	,,
5.	श्री के० एस० चावडा, संसद् सदस्य . .	,,
6.	श्री ओ० एम० स्टेफैन, संसद् सदस्य	,,
7.	डा० एम० एल० धर डाइरैक्टर सैन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ .	,,
8.	डा० बी० डी० तिलक डाइरैक्टर नेशनल कैमिकल लैबोरेटरीज, पूना	,,
9.	श्री एस० एस० मराठे, अध्यक्ष औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो .	,,
10.	श्री विनोद कुमार, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	,,
11.	श्री पी० एस० रामचन्द्रन, औषध नियंत्रक, डी०जी०एच०एस०	,,
12.	डा० बी० शाह, उपमहानिदेशक, तकनीकी विकास महानिदेशालय . .	,,
13.	डा० वी० वी० रंगाराव, विज्ञान नीति अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय	,,
14.	श्री एम० के० रंगनेकर, आयुक्त, खाद्य और औषध प्रशासन महाराष्ट्र सरकार, बम्बई .	,,
15.	डा० पी० आर० गुप्ता, सलाहकार (औषध), पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	सदस्य सचिव

इस समिति के निम्नलिखित कार्यकलाप हैं :—

(1) उद्योग द्वारा की गई प्रगति तथा उसको प्राप्त स्तर की जांच।

(2) ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो मूल औषधों तथा सूत्रयोगों के निर्माण में, तथा अनुसंधान तथा विकास कार्यों में सरकारी क्षेत्र को नेतृत्व का स्थान दिलाने के लिए आवश्यक हो।

(3) औषध उद्योग, विशेष रूप से भारतीय तथा लघु क्षेत्र उद्योग के शीघ्रगामी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, शिफारिशें देना; अपनी सिफारिशें देते समय, यह समिति उद्योग के क्षेत्रीय वितरण संतुलन को ध्यान में रखेगी।

(4) उद्योग में नई प्रद्योगिकी के अंतर्वाह हेतु किये गये वर्तमान उपायों की जांच तथा उसके लिए सिफारिशें देना।

(5) औषधों के प्रभावशील नियंत्रण तथा इस बारे में लघु एककों को सहायता प्रदान करने संबंधी उपायों के बारे में सिफारिशें देना।

(6) उपभोक्ताओं के लिए औषधों के मूल्यों में कमी करने के लिए अब तक किये गये उपायों की जांच करना तथा ऐसे अन्य उपायों की सिफारिश करना जो मूल औषधों तथा सूत्रयोगों के मूल्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक हों।

(7) आम जनता को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आवश्यक औषधें तथा आम घरेलू दवाइयां उपलब्ध कराने के उपायों के बारे में सिफारिशें देना।

(8) मूल औषधों और कच्चे माल की विशेष रूप से लघु क्षेत्र को, उपलब्धि सुनिश्चित कराने हेतु सांस्थनिक तथा अन्य व्यवस्थाओं के बारे में सिफारिशें देना।

इस समिति ने औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण और संबंधित मामलों तथा आवश्यक औषधों को आम जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराने के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन पर विचार किया जा रहा है।

इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1975 तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है। समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में दिये गये सिफारिशों के संदर्भ में, औषध उद्योग संबंधी प्राथमिकता निर्धारण करने के बारे में समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

वर्ष 1975–76 के लिये उर्वरक में कटौती

4858. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 की वार्षिक योजना के महत्वपूर्ण उर्वरक कार्यक्रम में वास्तव में 25 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इतनी अधिक कटौती करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). दो सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं अर्थात् कोरबा और पारादीप को छोड़ कर जिन्हें संसाधनों की स्थिति के बारे में पुनः चरणी बद्ध किया जा रहा है, कार्यान्वयन के लिए हाथ में ली गई प्रायोजनाओं की आवश्यक निधि आवश्यकताओं के लिए 1975–76 की वार्षिक योजना में व्यवस्था की गई है।

उल्टाडांगा में रेल दुर्घटना

4859. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 फरवरी, 1975 के कलकत्ता से प्रकाशित बंगाली साप्ताहिक पत्र के पृष्ठ 1 पर "बंगलादेश" में "एलिगेशन्स आफ रिमूविंग सीक्रेटली डेड बाडीज आफ मैनी परशन्स किल्ड इन दि रेलवे एक्सीडेन्ट एट उल्टाडांगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) 7-2-75 के साप्ताहिक "बंगला देश" में प्रकाशित जिस समाचार में यह आरोप लगाया गया है कि 29-1-75 को उल्टाडांगा रोड स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना में मरने वालों के शव चुपचाप हटा दिये गये थे वह तथ्यों पर आधारित नहीं है।

हिन्दू विधि पर विधि आयोग की रिपोर्ट

4860. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विधि आयोग ने हिन्दू विधि के विभिन्न पहलुओं पर, महिलाओं को अधिक अधिकार देने के लिए इनमें संशोधनों का सुझाव देते हुए, कुछ रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं;

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर उनकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) भारत के विधि आयोग ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 पर अपनी 59वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) आयोग के सुझावों के अन्तर्गत वे सभी आधार आ जाते हैं जिन पर विवाह-विच्छेद का दावा किया जा सकता है, जैसे क्रूरता, जारता, अभित्यजन, भरण-पोषण या न्यायिक पृथक्करण के लिए आदेश या डिक्री का पारित किया जाना तथा उन प्रतीक्षा अवधियों को समाप्त करना, जिनके पूर्व कोई अर्जी वांछित नहीं की जा सकती या जिनके पूर्वविवाह-विच्छेदप्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह नहीं कर सकते।

(ग) विधि आयोग की उस रिपोर्ट की जांच का कार्य शीघ्रता से किया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिये विधेयक

4861. **श्री समर गुह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि करने के लिये सरकार किसी विधेयक पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यू बोंगाई गांव से मेघालय तक रेलवे लाइन का निर्माण

4864. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुधुई में न्यू बोंगाई गांव से मेघालय तक रेलवे लाइन का निर्माण करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) न्यू बोंगाई गांव बड़ी लाइन द्वारा जोगीधोपा के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। दुधनी के रास्ते जोगीधोपा से दारनगिरि तक बड़ी लाइन के विस्तार के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल भी बनाना पड़ेगा या जोगीधोपा और पंचरत्नघाट के बीच फ़ेरी सेवा चलानी पड़ेगी। हाल ही में गुवाहाटी से दुधनी तक यातायात एवं इंजीनियरी टोह सर्वेक्षण किये जाने की भी मंजूरी दी गयी है।

(ख) दुधनी के रास्ते जोगीधोपा से दारनगिरि तक प्रस्तावित लाइन 110 किलोमीटर लम्बी होगी और नयी लाइन गुवाहाटी से दुधनी तक लगभग 100 किलोमीटर लम्बी होगी। इसपर आने वाली लागत और यातायात की सम्भावनाओं का पता सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही चलेगा।

Decision to stop Rajdhani Express at Ratlam

4865. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government had decided to stop Rajdhani Express at Ratlam with effect from the 23rd February, 1975; and

(b) if so, the reasons for which the Rajdhani Express is not being stopped at Kota (Rajasthan) which is an industrial area and a Divisional Headquarter of the Western Railway?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) 151/152 New Delhi-Bombay Central Rajdhani Expresses were stopping at Ratlam for operating purposes from the beginning. Booking of passengers to and from Ratlam has been permitted by these trains from 22nd February, 1975.

(b) No halt for operational purposes has been provided at Kota. Provision of stoppage to this train at Kota and other stations will decelerate this service defeating the objective behind its introduction.

औषधियों के मूल्यों में वृद्धि का मूल्यांकन

4866. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों में औषधियों के मूल्यों में वृद्धि हो जाने का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली अधिक महत्वपूर्ण औषधियों के मूल्यों में कितना अंतर आया है ;

(ग) भाग (ख) के अन्तर्गत न आने वाली जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में कितना अन्तर आया है; और

(घ) औषधियों, विशेष रूप से विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित औषधियों के मूल्यों को कम करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ). मूल वर्ष के रूप में 1961–62 में औषध एवं दवाइयों के थोक बिक्री मूल्य के सूचकांक नीचे दिये गये हैं :–

वर्ष	सूचांक
1972–73 . .	148.7
1973–74	148.7
1974–75 (अक्तूबर, 1974 तक) .	149.9

समय-समय पर प्रभावी आयातित प्रपुंज औषधों के मूल्य युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या** एल० टी०-9318/-57] । (परिशिष्ट 1) देशीय एवं आयातित दोनों, कुल कच्चे माल के मूल्यों जो सितम्बर, 73 से अप्रैल, 74 तक प्रचलित थे। की एक विस्तृत सूची युक्त विवरण परिशिष्ट 2 संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल०टी०-9318/75] । औषधों पर विस्तृत मूल्य नियन्त्रण है । तथापि प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये तक कुल बिक्री वाले औषध एवं भेषज एककों को उनके उत्पादों के मूल्य नियतन/संशोधन हेतु सरकारी स्वीकृति से छूट दी गई है । सक्षम प्राधिकारी अर्थात् बी०आई०सी० पी०/सम्बन्धित मन्त्रालय, द्वारा उचित जांच के पश्चात् कच्चे माल तथा पैकिंग सामग्री के मूल्यों के वृद्धि एवं प्रपुंज औषधों के सम्बन्ध में मुल्य कच्चे माल तथा निवेश के कारण सूत्र योगों के अन्तरिम मूल्य संशोधन को करने की स्वीकृति दी गई है / दी जा रही है ।

सरकार ने औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति का गठन किया है जिसके विचारार्थ विषय में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

> "उपभोक्ताओं के लिए औषध मूल्यों को कम करने के लिए अब तक किये गये उपायों का निरीक्षण करना और मूल औषधों तथा सूत्रयोगों के मूल्यों को युक्तिसंगत बनानेके लिए जो उपाय आवश्यक हों उन उपायों की सिफ़ारिश करना ।"

समिति द्वारा अप्रैल, 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की आशा है । समिति की सिफ़ारिशों को ध्यान में रख कर औषध एवं दवाइयों के वर्तमान मूल्य निर्धारण की समीक्षा की जायेगी ।

विदेशी औषध फर्मों का विस्तार

4867. श्री मधु लिमये : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों के निर्माण में लगी हुई विदेशी फ़र्मों के विस्तार के बारे में कोई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उस नीति का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणश) : (क) और (ख). जी नहीं ।

फ़िर भी, औद्योगिक विकास मन्त्रालय के तारीख 16 फ़रवरी, 1973 के प्रेस नोट के अनुसार विदेशी कम्पनियां और विदेशी कम्पनियों क. शाखाएं तथा सहायक कम्पनियां अन्य आवेदकों के साथ उसके (औषध और भेषज ऐसे उद्योगों में से एक ऐसा उद्योग है ।) परिशिष्ट-1 में निर्दिष्ट उद्योगों में भाग लेने के लिए पात्र है किन्तु विदेशी इक्विटिकी विलय के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन उनका निवेश होगा और तकनीकी पहलुओं निर्यात संभाव्यताओं और अदायगी के शेष के कुल प्रभाव के विशिष्ट सन्दर्भ में उनकी जांच की जाएगी । तथापि सरकार ने विदेशी कम्पनियों के विस्तार का नियमन करने के लिए और भारतीय क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित उपायों को हाथ में लिया है:—

(1) उद्योग के भारतीय क्षेत्र को निर्माण योजनाओं को अनुमति देने में अग्रता प्रदान की जाती है ।

(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से प्रपुंज औषधों को संख्या के निर्माण में वृद्धि करना ।

(3) सूत्रयोगों का उत्पादन करने के लिए विदेशी फ़र्मों को सामान्यत: औद्योगिक लाइसेंसों को तब तक जारी नहीं किया जाता है जब तक उनको प्रपुंज औषधों के उत्पादन के साथ सम्बद्ध नहीं कर दिया जाता है ।

(4) उनसे अनुरोध किया गया है कि वे और मूल स्तर से प्रपुंज औषध का उत्पादन करने का कार्य हाथ में ले और क्षमता का विस्तार करने के लिए दी जा रही अनुमति के लिए या नए कार्यकलापों शुरू करने के लिए शर्त के रूप में देश के अन्दर गैर-सम्बद्ध सुत्र योग निर्माताओं को अपने प्रपुंज औषधों का उचित भाग उपलब्ध करायें । उचित निर्यात दायित्वों को भी लागू किया जाता है ।

(5) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्रपुंज औषधों और मध्यवर्ती पदार्थों की बढ़ती हुई संख्या में आयात किया जाता है और यह आयात प्रपुंज औषधों और मध्यवर्ती औषधों के कुल आयात से 60 प्रतिशत से अधिक होता है ।

(6) जब उनको अपने निर्माण कार्यकलापों का विस्तार करने की अनुमति दी जाती है तब भारतीय शेयर पूंजी में तदनुरूप वृद्धि से विदेशी इक्विटी साझेदारी को उत्तरोत्तर घटना इसके अलावा 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली सारी कम्पनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एफ़०ई०आर०ए० 1973 के अधीन सरकार की अनुमति प्राप्त करे ।

औषध निर्माण के तीव्र और नियमित विकास की सुनिश्चित करने की दृष्टि से और इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सारी आवश्यक औषधें उपलब्ध करवाए सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है जिसके अन्य बातों के साथ विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैः——

"सरकारी क्षेत्र मूल औषधों और सूत्रयोगों के निर्माण में और अनुसन्धान तथा विकास में अग्रणी स्थान प्राप्त करें यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफ़ारिश करना।"

"औषध उद्योग की तीव्र गति से विकास करने की सिफ़ारिश करना और विशेष रूप से भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्र की सिफ़ारिश करना समिति अपनी सिफ़ारिश करते हुए इस बात की आवश्यकता का ध्यान रखेगी कि उद्योग का क्षेत्रीय फ़ैलाव सन्तुलित हो।"

समिति ने मई 1974 में औषध गुण नियन्त्रण और उससे सम्बद्ध मामलों पर एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश की है। आम जनता को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अत्यावश्यक औषधों और आम घरेलू दवाइयां उपलब्ध कराने के उपायों पर समिति की रिपोर्ट जिसमें जातीय नामों द्वारा औषध ब्राण्ड नामों के प्रति स्थापन के पहलू शामिल है हाल ही मिली है ये दोनों रिपोर्ट विचाराधीन हैं।

आशा की जाती है कि समिति अप्रैल 1975 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश कर देगी।

इसके अतिरिक्त पांचवीं योजना में औषधों की आवश्यकता जिसे वर्तमान के 3300 टन के उत्पादन को 10000 टन करता है, के सन्दर्भ में सरकारी तथा भारतीय क्षेत्र के साथ आवश्यक एन्टीबायोटिक्स और सिन्थेटिक्स औषधों (जिनकी संख्या 48 है) के उत्पादन से सम्बन्धित उनकी भूमिका के बारे में विचार-विमर्श किया गया। 12 और 13 मार्च 1975 को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में एक सम्मेलन किया गया था उस बैठक में यह नोट किया गया कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने वर्तमान 15000 टन के उत्पादन को 5000 टन से भी अधिक कर देंगे।

भारतीय क्षेत्र ने राज्य मन्त्री को एक प्रारूप प्रस्तुत किया है जिससे यह दिखाया गया है कि भविष्य में 23 एकक 27 औषधों का उत्पादन करना आरम्भ कर देंगे।

मुगल सराय रेलवे यार्ड में चोरी

4868. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाल क्षेत्र में फैले हुए मुगल सराय रेलवे यार्ड में चोरी की समस्या से निपटने के लिये कोई नया तरीका अपनाया गया है ;

(ख) क्या आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० की संख्या को इस बीच बढ़ाया गया है; और

(ग) क्या चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं की अधिकता को देखते हुए चार दीवारी का निर्माण करने तथा उसमें कुछ द्वारों पर भली भांति चौकसी करने के लिए चौकीदार नियुक्त करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मुगलसराय यार्ड में चोरियों की रोकथाम के लिए कोई नया तरीका नहीं अपनाया गया है।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पर्यवेक्षण कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गयी है। लेकिन, सरकारी रेलवे पुलिस की संख्या में 1972 के बाद कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं। लेकिन बाड़ और निगरानी-मीनारों की व्यवस्था के रूप में प्राथमिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार कर दिया गया है।

फैजाबाद सेक्शन में जौनपुर स्टेशन

4869. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के फैजाबाद सैक्शन में जौनपुर जंक्शन वार्षिक आय की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्लेटफार्म नम्बर एक पर एक बहुत पुराने तथा तंग बरामदे के सिवाय कोई शेड नहीं है ;

(ग) क्या समूचे प्लेटफार्म नम्बर एक को ढकने के लिये वर्ष 1974–75 के निर्माण कार्य-क्रम के अन्तर्गत निर्माण करने की मंजूरी दी गई थी परन्तु आज तक निर्माण का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई देता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में उपेक्षा बरतने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। 155′ × 15′ के एक बरामदे के अलावा 50′ × 30′ का एक शेड भी मौजूद है।

(ग) और (घ). 1974–75 के बजट में 215′ × 20′ आकार के एक प्लेटफार्म शेड के लिये मंजूरी दी गई थी। लेकिन, धन की कमी के कारण काम शुरू नहीं किया जा [illegible]
निधि की स्थिति में सुधार होगा, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायगा।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा वाष्प चालित रेल इंजनों का निर्माण करने के लिये आवश्यक विदेशी कलपुर्जे

4870. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में वाष्प चालित रेल इंजनों का निर्माण पूरी तरह से बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या वाष्प चालित रेल इंजनों का निर्माण पूरा करने में कुछ प्रतिशत विदेशी कल पुर्जे प्रयोग किये जाते थे ; और

(ग) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में विद्युत चालित रेल इंजनों का निर्माण करने में आजकल कितने प्रतिशत विदेशी कल पुर्जों का प्रयोग किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। चितरंजन रेल इंजन कारखाने में भाप रेल इंजनों का निर्माण बन्द कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) चितरंजन रेल इंजन कारखाने में बिजली रेल इंजनों के निर्माण में, इस समय लगभग 25 प्रतिशत आयातित पुर्जों का इस्तेमाल होता है।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

4872. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधन कारखाना घाटे में चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल वितरक

4873. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय बिहार में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कितने तेल वितरक कार्य कर रहे है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग शोधनशालाओं को अपने तेल क्षेत्रों से तेल को सीधी सप्लाई करता है।

कलकत्ता स्थित जोनल कार्यालयों द्वारा दिये गये रेलवे विज्ञापन

4874. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के उन दैनिक समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें कलकत्ता स्थित जोनल कार्यालयों द्वारा रेलवे विज्ञापन दिये जाते हैं।

(ख) दैनिक "गणशक्ति" नामक समाचार पत्र द्वारा उचित अधिकारियों को भेजे गये बारम्बार आवेदन-पत्रों और स्मरण पत्रों के बावजूद वर्ष 1972–73 और वर्ष 1973–74 में इस समाचार पत्र को सूची में शामिल न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) गणशक्ति के मामले में इस राजनीतिक भेदभाव के क्या कारण हैं, जबकि अन्य राजनीतिक दलों के कुछ दैनिक समाचार पत्रों को ये विज्ञापन दिये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों द्वारा कलकत्ता के जिन दैनिक समाचार पत्रों को रेलवे विज्ञापन दिये जाते हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं:-

1. अमृत बाजार पत्रिका
2. हिन्दुस्थान स्टैंडर्ड
3. आनन्द बाजार पत्रिका
4. युगान्तर
5. बसुमति
6. कालांतर
7. सत्ययुग
8. विश्वमित्र
9. सन्मार्ग
10. छपते छपते
11. रोजाना हिंद
12. असरे जदीद
13. आजाद हिंद
14. नव प्रभात
15. स्टेट्समैन
16. जननी
17. पैगाम

(ख) और (ग) जैसी कि नीति है, विज्ञापन और दृष्य प्रचार निदेशालय द्वारा अनुमोदित पत्रों को ही विज्ञापन दिये जाते हैं। चूंकि दैनिक "गणशक्ति" 1972–73 और 1973–74 में विज्ञापन और दृष्य प्रचार निदेशालय द्वारा अनुमोदित नहीं था, इसलिये उत्तर रेलवे विज्ञापन देने का प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्ज फाइजर्स की विदेशी इक्विटी का परिसमापन

4875. श्री खेम चन्द भाई चावडा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फाइजर्स का इक्विटी को 75 प्रतिशत से परिसमाप्त करके 60 प्रतिशत कर देने की अन्तिम तिथि 10 जून, 1975 है जैसा कि वर्ष 1968 के उनके दूसरे विस्तार के अनुमति-पत्र में कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस शर्त को लागू करने के लिये प्रशासनिक मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं तथा वह इसकी तुरन्त ही क्रियान्विति का सुनिश्चय किस प्रकार करेगी ; और

(ग) क्या सरकार दूसरे विस्तार के लिये अनुमति देने के समय इक्विटी का परिसमापन करने के बारे में निर्णय लेने वाली लाइसेंस समिति को स्थिति से अवगत न कराने के लिये किसी को उत्तरदायी ठहरायेगी, अथवा मैसर्स फाइजर्स के इस मामले (जिसमें औद्योगिक लाइसेंस तथा अनाधिकृत विस्तार भी शामिल है) को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपेगी ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) तक सरकार ने 3–12–70 को मैसर्स फाइजर्स लिमिटेड को बिना अनिवेश के, कम्पनी में 10 जून, 1975 तक भारतीय शेयर पूंजी में 25% तक वृद्धि करने की इजाजत दे दी थी और उन्हें उस तारीख से पहले प्रभावकारी कदम उठाने हैं । वित मंत्रालय (पूंजीगत मामलों के नियंत्रक) इस संबंध में आवश्यक कदम उठा रहा है ।

क्योंकि विदेशी साम्या पूंजी में कमी किये जाने का मामला वित मंत्रालय (पूंजीगत मामलों के नियंत्रक) से संबंधित हैं, इस बारे में लाइसेंसिंग समिति की अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

मैसर्स डेन्टल प्रोडक्ट्स तथा अन्य औषध फर्मों में मालिकों की प्रारम्भिक साम्य पूंजी

4876. **श्री खेम चन्द भाई चावडा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स डेंटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मैसर्स एथनौर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मैसर्स सी० ई० फुलबोर्ड लिमिटेड और मैसर्स इंडियन शोरिंग्स लिमिटेड में इनके मालिकों की प्रारम्भिक साम्य पूंजी कितनी थी और उनके द्वारा प्रारंम्भ में किये गये प्रत्येक सहयोग समझौते की प्रमुख बातें क्या हैं ;

(ख) क्या प्रारम्भ में किये गये सहयोग समझौतो में कोई संशोधन किये गये हैं और संशोधन किस प्रकार के हैं ; और

(ग) क्या ये फर्में विशिष्ट औद्योगिक लाइसेंसों के बिना कोई फार्मूलेशन बना रही हैं यदि हां, तो उन फार्मूलेशनों के नाम क्या हैं, गत तीन वर्षों में उनका कितना उत्पादन किया गया और उन्हें उत्पादन करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) प्रत्येक कम्पनी की प्रारम्भिक साम्य पूंजी के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(लाख रुपयों में)

कम्पनी का नाम	प्रारंभिक साम्य पूंजी
1. डेंटल प्रोडक्ट	2.0
2. इथनौर प्रोडक्ट्स	उपलब्ध नहीं है
3. सी० ई० फुलफोर्ड लि०	4.0
4. इंडियन स्टेरिंग लि०	0.84

इन कम्पनियों द्वारा किये गये सहयोग करारों, यदि कोई हो तो, और उनमें किये गये संशोधनों तथा उनके स्वरूप और इथनौर प्राडक्ट्स लि० में प्रारंभिक साम्य पूंजी को मुख्य मुख्य बातों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी हां । इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या उनके मामले सी० ओ० बी० लाइसेंस की आवश्यकता है अथवा नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी....

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे स्वीकार नहीं किया । यह सरकार की नहीं नगर निगम की विफलता से सम्बन्धित है। मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

प्रो० एस० मधु दण्डवते : कृपया स्थगन प्रस्ताव के अस्वीकार किये जाने के कारण बतायें। पहले आप ऐसा बताते आये हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह स्थगन प्रस्ताव है ही नहीं। **(व्यवधान)**

नगर निगमों का भंग किया जाना स्थगन प्रस्ताव का मामला नहीं बनता। आप चाहें तो इस पर चर्चा कर सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

औषध तथा भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं।

(1) आम जनता को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक औषधियां तथा आम घरेलू दवाइयां उपलब्ध कराने सम्बन्धी उपायों के बारे में औषध तथा भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी संस्करण)।

(2) "ग्राम जनता को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक औषधियां तथा आम घरेलू दवाइयां उपलब्ध कराने सम्बन्धी उपायों" के बारे में औषध तथा भेषज उद्योग सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(3) औषधियां के गुण-प्रकार नियंत्रण तथा संबंधित मामलों के बारे में औषध तथा भेषज सम्बन्धी समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन की एक प्रति।

(4) औषधियों के गुण-प्रकार नियंत्रण तथा सम्बन्धित मामलों के बारे में औषध तथा भेषज सम्बन्धी समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में एक विवरण।

(5) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9298/75]।

परिसीमन आयोग का आदेश तथा विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं लिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हू :—

(1) परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 30 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 702(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मेघालय राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 35 जो दिनांक 15 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 98(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) बिहार राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 38 जो दिनांक 10 मार्च 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 130 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित आदेशों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 9299/75]

राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पांचवीं निर्गम) (संशोधन) नियम,

आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम और आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (संशोधन) स्कीम

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (पांचवीं निर्गम) संशोधन नियम, 1975, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 13 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 148 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रख गये। देखिए संख्या एल० टी० 9300/75]

(2) आपात जोखिम (माल) बीमा अधियिम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 143(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 9300/75]

(3) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 18 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 144 (ङ) में प्रकाशित हुई थीं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 9301/75]

18 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3818 के उत्तर के सम्बन्ध में कतिपय और जानकारी देने वाला वक्तव्य

विधि-न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विभिन्न कम्पनियों के विरुद्ध एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग में दायर किये गये आरोपों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3818 के 18 मार्च, 1975 को दिये गये उत्तर के संबंध में कतिपय और जानकारी देने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रख गये। देखिए संख्या एल० टी० 9302/75]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 311 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा मैसर्स ऊषा म्युचुअल बैनिफिट सोसाइटी लिमिटेड को, जिसका पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल में है, 'म्यूचुअल बैनिफिट सोसायटी' घोषित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये खिए संख्या एल० टी० 9303/75]

पैराफिन वैक्स (पूर्ति, वितरण तथा मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पैराफिन वैक्स (पूर्ति, वितरण तथा मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 149(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 9304/75]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुई छमाही के लिये रेलवे में भर्ती और पदोन्नति के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर उनकी भर्ती/पदोन्नति के सम्बन्ध में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 9305/75]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना देना है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 24 मार्च, 1975 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें लोक सभा से बाल दत्तक गृहण विधेयक, 1972 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में श्री प्रताप सिंह के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा का एक सदस्य नियुक्त किये जाने की सिफारिश की गयी है।

(दो) कि राज्य सभा को विनियोग विधेयक, 1975 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 1975 को पास किया गया था लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करना है।

(तीन) कि राज्य सभा को पाण्डिचेरी विनियोग विधेयक, 1975 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 1975 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा को पाण्डिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975 के बारे में, जो लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 1975 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

34 वां प्रतिवेदन

श्री डी बसुमतारी (कोकराझार) : मैं भूतपूर्व भारी उद्योग मन्त्रालय—हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण तथा नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 30 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में 34 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

140 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर)

मैं रक्षा उत्पादन के बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) में दिये गये पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति के 121 वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का 140 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

19वां प्रतिवेदन

Shri Chandrike Prasad (Balia): I beg to represent Ninteenth report of the committee on absence of Members from the sittings of the House.

दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. REVISION OF PAY SCALES OF TEACHERS IN DELHI

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस नूरुल हसन) : जैसा कि सदन को मालूम है, दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों द्वारा कथित बैठ–हड़ताल पर एक ध्यानाकर्षण नोटिस के उत्तर में मैंने 18 मार्च, 1975 को लोक सभा में एक वक्तव्य दिया था। इस सम्बन्ध में मैंने यह बताया था कि सरकार के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों से हटना सम्भव नहीं है, जिसने इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया था। तथापि मैंने सदन को यह आश्वासन दिया था कि सरकार तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के ढांचे के अन्दर अध्यापकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों की जांच करेगी।

2. सरकार ने इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार किया है तथा प्राथमिक और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के लिए निम्नलिखित वेतन–मानों को अन्तिम रूप से अनुमोदित किया है :—

वर्तमान वेतनमान	तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमान	सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित वेतन मान
प्राथमिक स्कूल अध्यापक		
165–10–215–15–275–द० रो०–15–350	330–10–380–द० रो०–12–500–द० रो०–15–560	330–10–350–द० रो०–380–15–500–द० रो० 15–560
प्रवरणग्रेड		
340–20–400	530–15–560–20–620	530–20–630
प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक		
250–20–450–द० रो०–25–550	440–15–515–द० रो०–15–560–20–700–द०रो० 25–750	440–20–500–द० रो०–25 700–द० रो०–25–750

जहां तक दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का सम्बन्ध है, उनके लिए केवल एक ही वेतन मान होगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है :

जहां तक अध्यापक के अन्य वर्गों का सम्बन्ध है, वेतनमान वही होंगे जिनकी सिफारिश तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई है।

3. जैसा कि मैंने पहले कहा है तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतन निर्धारण के सूत्र तथा सरकार द्वारा अब अन्तिम रूप से अनुमोदित किए गए वेतनमानों के आधार पर विद्यमान अध्यापक अर्थात् ऐसे अध्यापक जिनकी नियुक्ति 1–1–73 से पहले की गई थी, संशोधित वेतनमानों को 1971 के वेतनमानों से भी अधिक अनुकूल पाएंगे, यदि ये उपलब्ध विकल्पों का विवेकपूर्ण प्रयोग करें।

4. सरकार ने प्रवरण ग्रेडों के पदों की संख्या प्रत्येक वर्ष में स्थायी पदों के 15 प्र० श० से बढ़ाकर, स्थायी तथा उन अस्थायी पदों का 20 प्र० श० करने का निर्णय किया है, जो तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से अस्तित्व में हैं। इससे अध्यापकों को बड़ी संख्या में प्रवरण ग्रेड का लाभ मिलेगा। हाई स्कूलों के मुख्याध्यापकों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के वाईस प्रिंसिपलों तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपलों के लिए कोई प्रवरण ग्रेड नहीं होगा।

5. स्कूल शिक्षा की नई पद्धति (10+12) को आरम्भ करने और शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यचर्याओं को पुनर्गठित करने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय से आशा है कि अध्यापकों के लिए पदोन्नति के अवसरों में और वृद्धि होगी।

6. संशोधित वेतनमानों को केन्द्रीय वेतनमानों वाले अन्य संघ शासित प्रदेशों और संगठनों, जैसे, अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पाडिचेरी, लक्ष द्वीप, गोआ, दमन और दीव तथा केन्द्रीय स्कूलों में लागू किया जाएगा।

7. मुझे पूरी आशा है कि अध्यापक सरकार के इन निर्णयों का स्वागत करेंगे और अपने आंदोलन को तत्काल समाप्त कर देंगें तथा अपना कार्य करना आरम्भ कर देंगे।

8. दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली अनावश्यक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शीघ्रातिशीघ्र परीक्षा आयोजित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे पता चला है कि शिक्षकों से परामर्श नहीं किया गया था। अतएव मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय शिक्षकों से मिलें। (व्यवधान)

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisory Committee

54वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रमैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 54वें प्रतिवेदन से, जो 24 मार्च, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन के प्रस्तुत करते समय कोई संशोधन नहीं रखा जा सकता। जब मंत्री महोदय आगामी सप्ताह की कार्यवाही की घोषणा करते हैं आपको पर्याप्त अवसर दिये जाते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस समय मंत्री महोदय, श्री रघुरमैया जी कह देते हैं, "हम आपको नहीं सुनेंगे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन यहां पर स्वीकृति के लिये आता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : कम से कम संशोधनों को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये ।

श्री के० रघुरमैया : सदन में जो कुछ भी कहा जाता है मैं उसे अवश्य ही सम्बन्धित मंत्री के पास भेज देता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के मामले पर बहस की मांग करता रहा हूं । कृषि मंत्री श्री जगजीवन राम ने 18 जनवरी, 1975 को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था । इसे कार्य सूची में सम्मिलित किया जाये ।

श्री के० रघु रमैया : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य नई मद जोड़ना चाहते हैं । मेरा मत है कि ऐसा नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का व्यवस्था का प्रश्न ठीक है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : वित्त मंत्री महोदय विदेश जा रहे हैं । अतएव मैं चाहता हूं कि महंगाई भत्ते के मामले पर वह वक्तव्य दें ।

श्री सेझियान (कुरबकोणम) : श्री बनर्जी इस मामले को बार बार उठाते रहे हैं । आप सरकार को वक्तव्य देने के लिए कहें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : कृपया मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने दें ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में बहुत से प्रस्ताव हो सकते हैं । यदि सभी सदस्य सभा में ऐसे प्रस्ताव लाने लगें तो क्या स्थिति होगी ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि प्रति सप्ताह दो विषयों पर अल्प अवधि के लिये विचार किया जायेगा । संसदीय कार्य मंत्री यह कह कर बच जाते हैं कि वह मंत्री महोदय को सूचित कर देंगे । परन्तु कई सप्ताहों के बाद भी वक्तव्य नहीं दिया जाता । इसलिए आप हमें संरक्षण दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदा आपको अवसर देने के यत्न करता हूं । कार्य मंत्रणा समिति में भी आपको समय दिया गया था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महंगाई भत्ते के मामले एवं तोड़-फोड़ में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों के मामले के सम्बन्ध, में मैंने आपको लिखा था । मंत्री महोदय ने पश्चिम बंगाल के विस्थापितों के लिये 25 करोड़ रुपये दिये हैं जो कि प्रति व्यक्ति 100 रुपया भी नहीं बैठता । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं देता ।

श्री सेझियान : मंत्री महोदय कल अपना वक्तव्य दें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : महंगाई भत्ते के बारे में या तो श्री सुब्रह्मण्यम या श्री मुखर्जी अपना वक्तव्य दें । यदि वह यह कह दें कि मेरा प्रस्ताव गलत है तो मैं नियम 290 के परन्तुक के अन्तर्गत एक मूल प्रस्ताव पेश करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता करता है और जब आप इसके निर्णय के बारे में कुछ कहते हैं तो मुझे उसे स्पष्ट करने में कठिनाई हो जाती है। यह मामला आपके और सरकार के बीच है। अच्छा यही है कि हम इसी प्रथा को निभाते रहें और अगले सप्ताह के लिए सभा के कार्य पर बोलते हुए आप इन सब बातों का उल्लेख कर सकते हैं।

श्री के० रघुरामैया : 7 अप्रैल से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये कार्य पहले ही समाचार में है, यदि विपक्ष के सदस्य उचित समझें तो मैं कल वक्तव्य दूंगा।

श्री सेझियान (कुम्बकोणन) : विपक्ष नहीं अपितु सभा।

श्री एस० एम० बनर्जी : कल के पश्चात् सभा 10 दिन के लिए स्थगित हो रही है। कहा गया है कि 15 मार्च को बैठक हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि अभी घोषणा कर दी जाये किन्तु कल वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : नहीं, किन्तु आप उन्हें वक्तव्य देने के लिए कह दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :—

"कि यह सभा 24 मार्च, 1975 को सभा में पेश किए कार्य मंत्रणा समिति के 59वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

Matter under Rule 377

आकाशवाणी द्वारा सभा में कार्य की कतिपय मदों का प्रसारण न किया जाना

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : लगभग दो सप्ताह पूर्व मैंने श्री इन्द्रकुमार गुजराल के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी। उसमें मैंने कहा था कि आकाशवाणी ने कार्य की दो मदों का जान बूझकर प्रसारण नहीं किया क्योंकि उनसे सरकार पर आघात पहुंचता। एक श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा गलती करने पर क्षमा मांगने के बारे में थी और दूसरी धातु और खनन व्यापार निगम द्वारा गंभीर त्रुटियों के बारे में थी। ये दोनों ही बातें आल इंडिया रेडियो से प्रसारित नहीं की। मेरा इतना ही कहना है कि इस तरह के सरकारी निकाय को संसद् में होने वाली बातों को सही रूप से प्रकाशित करना चाहिये। दूसरे दिन समाचार पत्रों में इसका विस्तृत उल्लेख था। जो बात सरकार के पक्ष में होती है उसे विस्तृत रूप में प्रसारित किया जाता है और जो विपक्ष में होती है उसे छिपाने का प्रयास किया जाता है।

मैं विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर जोर नहीं दे रहा हूं किन्तु आप उन्हें कह दीजिए कि वे सभी बातों का समुचित तथा ईमानदारी से प्रसारण करें।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : माननीय सदस्य ने संसद् समीक्षा का उल्लेख किया है । 12 मार्च की संसद् समीक्षा अर्थात् "टु डे इन पार्लियामेंट" "इकोनोमिक टाइम्ज" के श्री ए० एन० प्रभु ने लिखी । संसदीय समीक्षा लिखने का कार्य बारी-बारी से अनुभवी पत्रकारों को सौंपा जाता है जो अपने समाचार पत्रों के लिए प्रेस दीर्घा से संसद् की कार्यवाही को भी लेते हैं । 12 मार्च को श्री प्रभु को इस तरह की कोई हिदायत नहीं दी गई कि वह संसद समीक्षा में किसी प्रकार का परिवर्तन करें । उन्होंने जो कुछ तैयार किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया । समयाभाव के कारण प्रसारण के समय कुछ पंक्तियां हटा दी गईं । ये पंक्तियां कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बजट पर दिये गये भाषणों के सम्बन्ध में थी न कि उन मामलों के बारे में जिनका उल्लेख श्री ज्योतिर्मय बसु ने किया । अतः श्री ज्योतिर्मय बसु का कहना सही नहीं है । समाचार सेवा प्रभाग द्वारा इन विषयों पर लिखी गई किसी भी बात को नहीं काटा गया । मैंने उस दिन की संसद् समीक्षा की प्रति आपको भेजी है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : गत सत्र के दौरान आपने कहा था कि मैं सभा की कार्यवाही के बारे में प्रसारित की जाने वाली बातों को देखूंगा कि क्या उन्हें तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है । हमने कई उदाहरण दे दिये हैं । आपको व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर ध्यान देना चाहिये या फिर सामान्य प्रयोजन समिति को इसकी जांच के लिए कहना चाहिए कि संसदीय कार्यवाही के प्रसारण में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं की जाती ।

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य मामले को व्यापक बना रहे हैं । मैंने तो श्री बसु को झूठे आरोप लगाने के लिए शान्त किया । उन्होंने सभा में आरोप लगाया कि स्क्रिप्ट में परिवर्तन किया गया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह नहीं कहा कि मैं सिद्ध कर दूंगा । मैंने कहा है कि मुझे इस बारे में जानकारी मिली है । वह झूठ बोल रहे हैं**

अध्यक्ष महोदय : आप समुचित भाषा का प्रयोग कीजिये । यह वाक्य रिकार्ड में नहीं रखा जायेगा ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सभा की कार्यवाही के बारे में प्रसारण में किसी तरह का हेर-फेर न हो ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस तरह की कोई बात मेरे ध्यान में लाई गई तो मैं उस पर विचार करूंगा ।

लेखानुदानों की मांगों (नागालैण्ड) के बारे में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 206 के उपनियम (2) का निलम्बन

SUSPENSION OF SUB-RULE (2) OF RULE 206 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA IN RELATION TO DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (NAGALAND)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 के दौरान नागालैण्ड सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 206 के उप-नियम (2) को जहां तक यह मदों में विभाजित प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत विस्तृत अनुमान के विवरण से सम्बन्ध रखता है, इस सभा द्वारा लेखानुदान स्वीकृत किये जाने के प्रयोजनार्थ निलम्बित किया जाये।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : परिचालित समाचार भाग-दो में कहा गया है कि नागालैण्ड सरकार के बारे में 1975–76 के लिये वित्त मंत्रालय से प्राप्त प्रतियां सदस्यों के प्रयोजनार्थ संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। हमारी प्रतियों कहां हैं? यह कैसे सम्भव है कि दोनों सभाओं के 776 सदस्य पुस्तकालय में जाकर बजट कागजों को देखें? वहां की सरकार को गिराने की क्या जल्दी पड़ी है?

अध्यक्ष महोदय: आप केवल तकनीकी आपत्तियां उठा सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा अनुरोध है कि यह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति न दी जाये। यदि ऐसा किया गया तो सभा की गरिमा पर ठेस पहुंचेगी।

श्री सेझियान : मैं तो यह बात मंत्री जी को सहायता देने के लिये उठा रहा हूं। वह लेखानुदानों के मामले में नियम 206 (2) का निलम्बन करना चाहते हैं। यदि आप कार्य सूची देखें तो अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर भी मतदान किया जाना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (बर्दवान) : कोई भी नियम पूर्णतया निलम्बित किया जा सकता है न कि आंशिक रूप से। मैंने यह प्रश्न पहले भी उठाया था किन्तु उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अतः या तो पूरा नियम ही निलम्बित किया जाये या फिर कदापि न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में कठिनाई वास्तविक है। पहले भी ऐसे ही अन्तिम दिन था और ऐसा किया गया। अब यह कहा जा सकता है कि जब पहले ऐसा किया गया है तो अब क्यों नहीं किया जा सकता। आप ही इस पर निर्णय लीजिये। क्या ही सेझियान कोई सुझाव देना चाहते हैं। अब देखना यह है कि राज्य के हितों में हमें क्या करना है। जो गलती हो गई है उसका क्या किया जा सकता है। प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 के दौरान नागालैण्ड सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 206 के उप-नियम (2) को, जहां तक यह मदों में विभाजित प्रत्येक अनुदान के अन्तर्गत विस्तृत अनुमान के विवरण के सम्बन्ध में रखता है, इस सभा द्वारा लेखानुदान स्वीकृत किए जाने के प्रयोजनार्थ निलम्बित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

नागालैण्ड के सम्बन्ध में उद्घोषणा के अनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प, नागालैण्ड बजट, 1975–76 सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें (नागालैण्ड), 1975-76 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (नागालैण्ड) 1974–75.

STATUTORY RESOLUTION RE. APPROVAL OF PROCLAMATION IN RELATION TO NAGALAND, NAGALAND BUDGET, 1975-76—GENERAL DISCUSSION—DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (NAGALAND), 1975-76 AND SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (NAGALAND), 1974-75.

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 मार्च, 1975 को नागालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

1974 में हुये सामान्य चुनावों के बाद नागालैण्ड में संयुक्त प्रजातंत्र मोर्चे ने श्री विजोल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। तदुपरान्त 9 मार्च, को संयुक्त प्रजातंत्र मोर्चे के 13 सदस्य नागालैण्ड राष्ट्रवादी संगठन के सदस्य बन गये और विजोल मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद श्री जसोकी के अध्यक्षता में नागालैण्ड राष्ट्रवादी संगठन का मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया। 19 मार्च, 1975 को संयुक्त प्रजातंत्र मोर्चे के नेता ने राज्य पाल को कहा कि उनके दल का विधान सभा में परिषद् में बहुमत है। राज्यपाल ने कहा चूंकि सत्र जारी है, इस बात की जांच सभा में ही की जा सकती है कि किस दल का बहुमत है। 20 मार्च, 1975 को यद्यपि परिषद् की बैठक तो हुई पर अध्यक्ष महोदय ने उसे अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया। अतः इस बात का पता न लगाया जा सका कि किस दल का बहुमत है। विधान परिषद् के सचिव की ओर से राज्यपाल को एक पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय ने सभा को अनिश्चित काल के लिये इसलिये स्थगित किया क्योंकि मंत्री महोदय ने विरोधी पक्ष पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने उनके तीन मंत्रियों के अतिरिक्त सात सदस्यों को भी अपनी ओर मिला लिया है और जब तक इस बारे में आवश्यक जांच नहीं कर ली जाती तब तक सदन की बैठक कुछ दिनों बाद पुनः चालू की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह संवैधानिक पेचीदिगियां से भली भांति अवगत है और उन्होंने यह फैसला कर लिया है कि वह एक महीने तक सभा की बैठक नहीं होने देंगे। इतना समय तो तनाव समाप्त होने तथा सामान्य वातावरण के निर्माण में लग जायेगा। 26 मार्च, 1975 को राज्यपाल की रिपोर्ट में भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत वहां की विद्यमान स्थितियों में उद्घोषणा जारी करने की आवश्यकता बताई गई है। राष्ट्रपति ने 22 मार्च, 1975 को उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया। सदन उद्घोषणा को अपनी स्वीकृति दे दे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : नियम 206 को आंशिक रूप से निलम्बित किया गया है। नियम 214 का निलम्बन नहीं किया गया है। लेखानुदान नियम 206 के अन्तर्गत नहीं आता। अतः लेखानुदान पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सरकार ने 22 मार्च, 1975 को नागालैण्ड की स्थिति के बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा को प्रस्तुत किया है। इस उद्घोषणा के अन्तर्गत 19 मदों को निलम्बित किया गया है। जिन्हें मेरे विचारानुसार इस उद्घोषणा के द्वारा निलम्बित नहीं किया जा सकता।

इस उद्घोषणा ने संविधान के अनुच्छेद 151 (2) का निलम्बन किया है इस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य के लेखों से सम्बद्ध नियंत्रक और हम लेखा परीक्षक की रिपार्ट उस राज्य में राज्यपाल को दी जानी चाहिये जो कि उन्हें राज्य की विधान सभा के समक्ष नहीं रखी जा सकती है और इस संसद् को अपने उन अधिकारों जो कि उसे अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं, से वंचित रखा गया है और यह संवैधानिक उपबन्ध के विरुद्ध है।

मुझे अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की मद संख्या 19 के बारे में भी आपत्ति है। उसमें लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य आयोग प्रतिवर्ष राज्यपाल को एक रिपोर्ट देगा और राज्यपाल उस रिपोर्ट को सभा के समक्ष रखेगा लेकिन उस उपबन्ध का निलम्बन करके सरकार इस सदन को उस आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के अधिकार से वंचित कर रही है।

श्री ए० केवीचुसा (नागालैण्ड) : महोदय, हाल में नागालैण्ड में हुई दल बदल और पुनः दल बदल की घटनाओं से नागालैण्ड तथा नागालैण्ड विधान सभा की प्रतिष्ठा गिरी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको बाद में अवसर दिया जायेगा। कुछ संवैधानिक आपत्तियां उठाई गई हैं, पहले उनको सुनने दीजिए। जब चर्चा आरम्भ होगी, तो आपको अवश्य अवसर दिया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हमें अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 151 को एक साथ पढ़ना चाहिये। इस मामले का कानूनी तथा संवैधानिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस से संसद् के अधिकार तथा संसद् के प्रति दायित्वों पर आंच आती है।

यह सच है कि अनुच्छेद 356 (1) (ग) में स्पष्ट रूप से कहा गया है :

> "राज्य में के किसी निकाय या प्राधिकारी से सम्बद्ध इस संविधान के किन्हीं उपबन्धो के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित करने के लिये उपबन्ध सहित ऐसे प्रासंगिक और आनुषगिक उपबन्ध बना सकेगा जैसा कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिये आवश्यक या वांछनीय दिखाई दें।"

"प्रासंगिक और आनुषंगिक" शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है कयोंकि इसका प्रभाव संसद् की शक्तियों पर पड़ता है। संविधान के अनुच्छेद 151 (2) का निलम्बन कर देने से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल द्वारा विधान सभा के समक्ष नहीं रखे जा सकेंगे और इसका अर्थ यह होगा कि वे प्रतिवेदन संसद् के समक्ष नहीं आयेंगे और संसद उनकी जांच कर पायेगी। इसलिये अनुच्छेद 356 (ग) के अन्तर्गत हमें इस विशिष्ट पहलू को आनुषंगिक और प्रासंगिक नहीं बनने देना चाहिये, क्योंकि इससे संसद् के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बार बार अनुच्छेद 356 का सहारा लिया जाता है। मैं समझता हूं कि हमारे लिये इस अनुच्छेद को भली भांति समझना अति आवश्यक है। इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्य में किसी निकाय या प्राधिकारी संबद्ध इस संविधान के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित करने के लिये उपबन्ध सहित ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध बना सकेगा जैसा कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिये आवश्यक या वांछनीय दिखाई दें।

इस लिये राष्ट्रपति को किसी अन्य उपबन्ध को निलम्बित करने की शक्ति नहीं दी गई है। यह निलम्बन उद्घोषणा के उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक और आनुषंगिक होना चाहिये। इस मामले में उद्घोषणा का उद्देश्य नागालैंड में प्रशासन चलाना है, क्योंकि वहां ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं

जिन के कारण विधान मण्डल तथा मंत्रिमंडल द्वारा प्रशासन चलाना असंभव हो गया है। इसलिये उद्घोषणा का उद्देश्य विधान मंडल तथा मंत्रिमंडल की शक्तियों का निलम्बन करना है, अन्य किसी संवैधानिक उपबन्ध का नहीं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 311 का, जो कि सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों से सम्बन्धित है, निलम्बन नहीं कर सकता। इसी तरह अनुच्छेद 356 के अधीन अनुच्छेद 19 का निलम्बन नहीं किया जा सकता। अतः इस मामले में राज्य की दो मुख्य मदों, अर्थात् सार्वजनिक रोजगार की देखभाल करने वाले लोक सेवा आयोग तथा सार्वजनिक व्यय की जांच करने वाले भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को संसद् के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना, वैध नहीं है, क्योंकि इन का राज्य के दिन प्रतिदिन के प्रशासन से जिस के लिये उद्घोषणा जारी की गई है, कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं इस मामले की तकनीकी बातों में नहीं जाना चाहता। जैसा कि श्री सेझियान ने कहा है उदघोषणा के कुछ प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध के नाम पर संविधान के कुछ उपबन्धों के निलम्बन का आदेश दिया गया है। हमें इस पर आपत्ति नहीं है, परन्तु जब हम नागालैंड के बारे में जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश की पांडिचेरी के बारे में जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश से तुलना करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि उस आदेश में संसद् के समक्ष रखे जाने वाले नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से सम्बन्धित अनुच्छेद का निलम्बन नहीं किया गया है। हम सरकार के मार्ग में, विशेषतया नागालैंड के बारे में, कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहते, परन्तु मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें कि नागालैंड के मामले में जारी की गई उद्घोषणा में पांडिचेरी के बारे में जारी की गई उद्घोषणा के विपरीत यह उपबन्ध क्यों किया गया है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मेरे माननीय मित्र श्री सेझियान ने अनुच्छेद 356 के संगत अंश का उल्लेख किया था। अनुच्छेद 356(1)(ग) इस प्रकार है :—

> "राज्य में के किसी निकाय या प्राधिकारी से सम्बद्ध इस संविधान के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अंशतः निलम्बित करने के लिये उपबन्ध सहित ऐसे प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध बना सकेगा जैसा कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिये आवश्यक या वांछनीय दिखाई दें।"

अब अनुच्छेद 151(2) को देखिये, जो इस प्रकार है :—

> "भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के राज्य के लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनों को राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उन को उस राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा।"

मेरा निवेदन यह है कि अनुच्छेद 151(2) को, जिस का सम्बन्ध भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करने से है, निलम्बित किया गया है तथा शेष सब यथा तथ्य है। कई उद्घषणाओं के सम्बन्ध में ऐसा किया गया है तथा विधि विभाग ने हमें परामर्श दिया है कि यह बिल्कुल कानूनी और वैध है। जैसा कि आप को ज्ञात है कि इस विधान सभा का निलम्बन किया गया है, विघटन नहीं। निलम्बन की अवधि के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह राज्य की स्थिति पर निर्भर है फिर भी इस बात को देखते हुए कि विधान सभा का निलम्बन किया गया है, विघटन नहीं, प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री सेझियान : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि विधान सभा का निलम्बन किया गया है, विघटन नहीं और इसी लिये प्रतिवेदनों का सभा पर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा गया। उन्होंने यह भी कहा है कि इस समय यह नहीं बतया जा सकता कि विधान सभा कितने समय तक निलम्बित रहेगी। इस सन्दर्भ में मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 22 फरवरी, 1968 को अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा का निलम्ब ही किया गया था, विघटन नहीं, परन्तु उस समय अनुच्छेद 151(2) का निलम्बन नहीं किया गया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्वयं उद्घोषणा में कहा गया है कि संविधान में राज्यपाल को कोई निदेश राष्ट्रपति को तथा विधान मंडल को कोई निदेश संसद् को समझा जायेगा। इस लिये अनुच्छेद 151(2) को रखा जाना चाहिये था। निलम्बन की अवधि का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि विधान मण्डल का क्षेत्राधिकार अपने आप संसद् का क्षेत्राधिकार बन जाता है। अतः यह विषमता जानबूझ कर की गई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : सभी सदस्यों ने एक समान प्रश्न पूछा है, लेकिन उस का उत्तर नहीं दिया गया। जहां तक उद्घोषणा का प्रश्न है प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्धों को समान रूप से होना चाहिये। इस बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि क्या संसद् को इस मामले में अपने दायित्वों में कमी करनी चाहिये। संसदीय प्रणाली का मूल वित्तीय नियंत्रण होता है। यदि वित्तीय नियंत्रण ही नहीं रहता तो संसद् को जिम्मेदारी सौंपने का कोई अर्थ ही नहीं है। यदि महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने को बाध्य नहीं है जो कि इसे सभा पटल पर रखवाये, तो इस पर संसद् का वित्तीय नियंत्रण कैसे हुआ ? इस बात पर अध्यक्ष महोदय को विचार करना होगा कि क्या सरकार को इस शक्ति के, जोकि वित्तीय नियंत्रण के लिये आवश्यक है, निलम्बित करने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : वर्ष 1972–73 का नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन नागालैंड विधान सभा के समक्ष रखा जा चुका है तथा वर्ष 1973–74 का प्रतिवेदन पेश किये जाने का अभी समय नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश तथा नागालैंड के बारे में जारी की गई अधि-सूचनाओं के सम्बन्ध में विषमता दिखाई देती है। मैंने अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समितियों के सभापतियों के एक सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा था कि जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू हो और राज्य की विधान सभा कार्य न कर रही हो तो ऐसे समय में वह सामान्य कार्यवाइयां जिन पर कि विधान सभा विचार करती है, अनदेखी या बिना जांच के ही नहीं रह जानी चाहिये। कुछ ऐसे नियम बनाये जाने चाहियें जिन के अन्तर्गत या तो उनकी जांच संसदीय समिति द्वारा की जाये या उद्घोषणा वापस लिये जाने के बाद राज्य में सामान्य स्थिति होने पर राज्य की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा उस की जांच की जाये। मैंने सरकार को एक संकेत दिया है। अध्यक्ष कोई ऐसा निदेश नहीं दे सकता कि उद्घोषणा का यह रूप होना चाहिये। मैं समझता हूं कि मेरा संकेत उन्हें स्वीकार्य होगा। संकल्प प्रस्तुत हुआ :—

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में 22 मार्च, 1975 को जारी की गयी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1975–76 के लिये निम्नलिखित लेखानुदानों की मांगें (नागालैंड) प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	राज्य विधान मंडल . . .	5,75,000	..
3	मंत्रि परिषद	12,50,000	..
4	न्याय प्रशासन . . .	3,37,500	..
5	शिक्षा	4,88,700	..
6	भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण . .	4,26,500	..
7	राज्य उत्पाद शुल्क . . .	1,87,500	..
8	बिक्री कर . . .	1,50,000	..
9	मोटरगाड़ियों पर कर . .	1,15,000	..
12	सिविल सचिवालय . . .	26,75,000	..
13	जिला प्रशासन विशेष कल्याण स्कीम और आदि-वासी परिषद्	42,00,000	..
14	राजकोष और प्रशासन . .	3,87,500	..
15	शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष व्यय जिसमें पेंशन तथा उपदान, अंशदान भी शामिल है	17,00,000	..
16	ग्राम गार्ड . . .	9,37,000	..
17	सिविल पुलिस तथा फ़ायर सर्विस यूनिट	1,30,75,000	
18	जेल . .	9,55,000	..
19	लेखन सामग्री .	6,62,500	..
20	सतर्कता आयोग .	25,000	
21	वर्कशाप संक संगठन .	4,12,500	..
22	नागालैंड गृह	1,55,000	..
23	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान . .	1,37,500	..

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
24	राज्य लाटरी . . .	2,26,200	..
25	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	1,41,000	..
26	शिक्षा	1,32,94,500	..
27	कला तथा संस्कृति और गजट यूनिट	2,71,300	..
28	चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	76,71,000	..
29	शहरी विकास . . .	3,62,500	
30	सूचना, प्रचार तथा पर्यटन .	8,20,000	
31	रोजगार कार्यालय . .	53,700	
32	श्रम	32,700	
33	आदिवासी विकास ब्लाक, समुदाय परियोजना आदि	20,95,000	..
34	समाज कल्याण . .	8,81,200	..
35	सिपाही, नाविक और विमानचालक बोर्ड .	16,200	
36	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और समुदाय सेवाएं	2,75,700	
37	मूल्यांकन यूनिट . . .	40,000	..
38	सहकारिता .	6,20,000	3,17,500
39	सांख्यकीय .	3,62,500	
40	तोल और माप .	92,700	
41	कलकत्ता में पूर्ति कार्यालय .	44,200	..
42	कृषि, लघु सिंचाई, मत्स्य पालन आदि	56,08,700	..
43	भू संरक्षण . . .	10,12,500	..
44	अनाज पूर्ति योजना . .	13,37,500	75,00,000
45	पशु पालन और डेरी विकास .	26,83,200	35,000
46	वन . .	19,97,500	..
47	उद्योग . . .	13,67,500	55,62,500
48	खनिज विकास . . .	6,31,200	..
49	विद्युत परियोजनायें . . .	71,07,800	39,81,600

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
50	सड़क परिवहन . . .	15,75,000	8,75,000
51	वित्तीय निगम सेल . . .	1,25,000	..
52	ग्रावास ऋण ग्रौर सरकारी कर्मचारियों को ऋण	..	19,50,000
53	सार्वजनिक निर्माण कार्य, ग्रावास, सड़क ग्रौर पुल	4,51,29,500	1,10,66,200
54	फ़ंक्शनल भवन ग्रौर ग्रन्य विकास योजनायें .	..	39,08,300
55	जल पूर्ति योजनायें . . .	25,32,900	26,25,000

ग्रध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1974–75 के लिए निम्नलिखित ग्रनुदानों की ग्रनुपूरक मांगों (नागालेंड) प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	राज्य विधान मण्डल .	12,14,000	—
3.	मन्त्रि परिषद् . . .	26,62,000	—
5.	निर्वाचन . . .	2,51,000	—
7.	राज्य उत्पाद शुल्क .	20,000	—
9.	वाहनों पर कर . . .	65,000	—
12.	सिविल सचिवालय . . .	7,58,000	—
15.	शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष व्यय जिसमें पेंशन तथा उपदान के लिए ग्रंशदान भी शामिल है	46,32,000	—
16.	ग्राम गार्ड . . .	3,00,000	—
17.	सिविल पुलिस तथा फायर सर्विस यूनिट	95,00,000	—

1	2		3
18.	जेल	5,80,000	—
20.	लोक निर्माण, आवास, सड़कें तथा पुल .	3,50,58,000	—
22.	वर्कशाप संगठन .	5,00,000	—
23.	नागालैंड गृह . .	50,000	—
24.	प्रशासनिक प्रशिणक्ष संस्थान	1,31,000	—
27.	शिक्षा . .	6,71,000	—
29.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	51,83,000	—
30.	जल पूर्ति योजना . . .	38,50,000	—
31.	नगर विकास . . .	50,000	—
37.	राहत, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सेवाएं	17,18,000	—
45.	भू संरक्षण	70,000	—
46.	अनाज पूर्ति योजना . .	—	1,50,40,000
49.	उद्योग . . .	—	18,84,000
51.	विद्युत् परियोजनाएं . . .	1,07,50,000	92,80,000
52.	सड़क परिवहन योजनाएं . .	12,00,000	—
54.	आवास ऋण और सरकारी कर्मचारियों को ऋण	—	2,77,000

श्री दशरथ देव : (त्रिपुरा—पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, नागालैंड में राष्ट्रपति का शासन लागू करना सत्ताधारी दल द्वारा उस राज्य की गैर-कांग्रेसी सरकार को जानबूझ कर गिराने का एक प्रयास है। गैर-कांग्रेसी सरकार को गिराने के लिये केन्द्र की कांग्रेस सरकार कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं हिचकिचाती।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

नागालैंड में श्री विजोल को अध्यक्षता में बनी संयुक्त प्रजातंत्र मोर्चे का सरकार को नागा राष्ट्रवादी संगठन, जो कि कांग्रेस से सम्बन्ध है द्वारा जबरदस्ती हटाया गया है। श्री विजोल ने अपने वक्तव्य में शिकायत की है कि उनके दल के 5 विधायकों का, नागालैंड राष्ट्रीय संगठन द्वारा सुरक्षा बल क सहायता से अपहरण किया गया है। इस ढंग से नागालैंड में श्री जसोकी की अध्यक्षता में नागालैंड राष्ट्रवादी संगठन को सरकार बनी है।

विघटित मंत्री मंडल ने पद संभालने पर नागालैंड की भूमिगत संघ सरकार से 27 वर्ष पुरानी समस्या को, जो कि उस क्षेत्र की शांति भंग करती रही है, बातचीत के द्वारा सुलझाने की कोशिश की थी। परन्तु ऐसा लगता है कि केन्द्र वहां शान्ति स्थापित नहीं करना चाहता। इस लिये उन्होंने संयुक्त प्रजातंत्र मोर्चे की सरकार को उलटने की कोशिश की और वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया।

अब वह सरकार जिले कांग्रेस ने जबरदस्ती पदासीन किया था, अपने पद पर 11 दिन से अधिक नहीं बनी रह सकी। जैसे ही सभा की बैठक हुई उन्होंने अध्यक्ष को बताया कि नागालैंड राष्ट्रपति संगठन के 10 सदस्य, जिन में 3 मंत्री भी शामिल थे, को जबरदस्ती रोक के रखा हुआ था तथा ऐसी स्थिति में सदन में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। परन्तु इस का अर्थ यह तो नहीं है कि तुरन्त राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाये।

उन्हें कम से कम थोड़े समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये थी और यह देखना चाहिये था कि क्या कोई अन्य दल मंत्रिमंडल बनाने में समर्थ है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस से स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारों को हटा कर अपनी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है।

यह कहा गया है कि नागालैंड का यह विशिष्ट आदिवासी क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है और हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये जिन से पेचिदगियां पैदा हों। लेकिन हमें यह जानना कि क्या आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को उन के अधिकार प्राप्त हैं। अन्ततः उनकी भी कुछ मांगें हैं, कुछ महत्वाकांक्षायें हैं। उन को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है और इसी लिये वे संवेदनशील हो गये हैं। चाहे नागालैंड हो, अथवा अरुणाचल अथवा मिजोराम आदिवासी लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अरुणाचल और नागालैंड में जनता के लिये मार्ग बनाये गये हैं, लेकिन असैनिक लोगों को उन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। उन का प्रयोग केवल सेना के लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। उन पर ऐसी लिपि थोपी जा रही है, जिसे वे नहीं चाहते। क्या उन्हें अपनी भाषा का विकास करने का अधिकार नहीं है। जब लोगों को उन के मौलिक मानवीय अधिकारों से वंचित रखा जाता है तो वे अत्यन्त संवेदनशील बन जाते हैं और क्रांति पर उतर आते हैं।

अब मैं अपने राज्य के बारे में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने राज्य के बारे में न कहिये। आप अपनी बात नागालैंड तक ही सीमित रखिये।

श्री दशरथ देव : आपने नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। त्रिपुरा विधान सभा में भी ऐसी ही स्थिति हैं। वहां मुख्य मंत्री बिना किसी चर्चा के एक जन-विरोधी और आदिवासी विरोधी विधेयक पास कराना चाहते थे . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने से क्या सम्बन्ध है ?

श्री दशरथ देव : त्रिपुरा विधान सभा में 30 सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया, कांग्रेस के सदस्यों ने भी विरोध किया और मुख्य मंत्री इसे पास नहीं करवा सके . . . .

श्री वलायार रवि : क्या हम इस सदन में किसी दूसरे विधान मण्डल के आचरण पर चर्चा कर सकते हैं। यह मेरा औचित्य प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने एक औचित्य प्रश्न उठाया है कि क्या हम इस सदन में दूसरे सदन की घटनाओं पर चर्चा कर सकते हैं ? यदि दूसरा सदन या राज्य विधान सभा कार्य कर रही हो तो हम ऐसा नहीं करते। यह हमारा नियम है। किन्तु जब राज्य विधान सभा को किसी भी कारण-वंश अपना कर्तव्य निभाने नहीं दिया जाता तो क्या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय प्राधिकरण का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह देखे कि राज्य का कार्य संचालन संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार हो। हम

सम्बन्ध में मेरा निर्णय यह है कि त्रिपुरा राज्य विधान सभा में होने वाली किसी भी घटना का यहां उल्लेख नहीं किया जा सकता क्योंकि त्रिपुरा विधान सभा अभी कार्य कर रही है। मैं चाहूंगा कि इस बात पर सभा में विचार किया जाये कि जब राज्य विधान सभा को अपना कर्तव्य निभाने नहीं दिया जाता तो केन्द्रीय सरकार और संसद् का क्या कर्तव्य है।

श्री दशरथ देव : मैं बता रहा था कि सरकार किस प्रकार का बर्ताव कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : त्रिपुरा सरकार नहीं।

श्री दशरथ देव : उन्हें तो अपने सदस्यों का विश्वास भी प्राप्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप नागालैंड के मामले पर हो रही चर्चा के दौरान त्रिपुरा की बात कहेंगे तो मुझे आपसे अपना भाषण समाप्त करने के लिये कहना पड़ेगा। यहां त्रिपुरा पर चर्चा नहीं हो रही है। कृपया नागालैंड के बारे में बोलिये।

श्री दशरथ देव : जब मैं नागालैंड के विषय में बात करता हूं तो मुझे सभी आदिवासी लोगों का जिक्र करना चाहिये। नागालैंड देश को कोई अलग समस्या नहीं है। सम्भवतः, सरकार देश के किसी भी भाग में गैर-कांग्रेसी सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर कोई जानता है कि नागालैंड राष्ट्रवादी संगठन का कांग्रेस सरकार के साथ गठबन्धन है। शिलोंग में चर्चा के उपरान्त मंत्रिमण्डल को बरखास्त कर दिया गया।

इस बजट में व्यय की मुख्य मद पुलिस तथा सेना है और इन पर धन व्यय करने से जनता को कोई लाभ नहीं होगा। 46.32 लाख रुपये के अनुपूरक व्यय की मांग की गई है। सरकार अपने समूचे तंत्र का प्रयोग कर्मचारी वर्ग और आदिवासी लोगों के दमन के लिये कर रही है। विशेष पुलिस के लिये 56 लाख रुपये की मांग की गई है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि सेना के लोग नागा औरतों और ग्रामवासियों से कैसा व्यवहार करते हैं। वे हर किसी पर शक करते हैं और समझते हैं कि वे भूमिगत नागाओं से मिले हुए हैं। पुलिस और सेना के अधिकारी जनता को तंग कर रहे हैं।

अब सरकार को मामले पर विचार करके उसे निपटाने का कोशिश करना चाहिये। आदिवासी लोगों का मांगें उचित ही हैं। सरकार को राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत वहां शान्ति स्थापित करना चाहिये।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : ब्रिटिश शासन से पहले नागालैंड के लोगों के मैदान के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध थे। आजादी से पहले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कुछ भागों को अलग रखा गया जिससे लोगों में सन्देह पैदा हो गया।

आजादी के समय नागालैंड रानो के नेतृत्व में आया। 12 अन्य नागा नेताओं के साथ उन्होंने यहां आकर जानना चाहा कि भारत की आजादी के बाद नागालैंड की क्या स्थिति होगी। सरकार उनके दौरे के उद्देश्य को न समझ सके और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब उन्हें पता चला कि उन्हें सरकार के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं मिल रही तो उन्होंने इस बारे में संगठन से बातचीत करना ठीक समझा।

उसके बाद श्री ढेबर भाई फिजो से बातचीत करने आये लेकिन जब बातचीत हो रही थी तो प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री की अनुमति के बिना ही दिल्ली से आदेश आया कि ढेबर भाई को फिजो से बातचीत न करने दिया जाये। सारे मामले का निष्कर्ष यही है। उसके बाद ही सन्देह पैदा हुआ और नागालैंड के लिये पृथक राज्य का गठन करना पड़ा।

अब वहां एन० एन० ओ० और संयुक्त प्रजातंत्रीय मोर्चा नामक दो गुट हैं। संयुक्त प्रजातंत्रीय मोर्चा एक भूमिगत दल है। वह बाहर आया और उसने कुछ समय शासन चलाया। जब वह शासन न चला सका तो नागालैंड राष्ट्रवाद संगठन (एन० एन० ओ०) आया। जब यह भी असफल रहा तो अध्यक्ष को सभा स्थगित करनी पड़ी और अब उद्घोषणा जारी हुई है। प्रश्न प्रशासन चलाने का नहीं बल्कि इस बात का है कि पूर्वी क्षेत्र के आदिवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाये। आदिवासियों को कानून तथा सैनिक बल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिये। उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये। गृह मंत्री को देखना चाहिये कि नागालैंड की स्थिति क्या है। जब सरकार ने देखा कि संयुक्त प्रजातंत्रीय मोर्चा वहा कानून और व्यवस्था कायम रखने में असमर्थ है तो सरकार को यह काम अपने हाथ में ले लेना चाहिये था।

श्री मोहसिन यदि यह समझते है कि केवल सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों के बल पर हो आप वहां के लोगों पर शासन चला सकते हैं, तो यह अच्छा नहीं है। इससे समस्याओं का समाधान नही हो सकता। गृह मंत्री महोदय को सम्पूर्ण स्थिति उपयुक्त परिपेक्ष में देखनी चाहिये। दिल्ली बैठे बैठे स्थिति का उचित अनुमान लगा पाना कठिन है।

नागा लोग अन्य आदिवासी लोगों की तुलना में अधिक बहादुर है, उनकी अपनी अलग सभ्यता है, उनकी अपनी अलग संस्कृति है। आदिवासी लोग भी असभ्य नही है। अतः मेरा निवेदन यही है कि गृह मंत्री महोदय को केवल प्रशासन, सेना तथा अधिकारियों द्वारा ही शासन नही चलाना चाहिये अपितु उन्हें इस बात का भी सदा ध्यान रखना चाहिये कि यह लोग वहां के लोगों का शोषण न करते रहे और उन्हें शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के उचित अवसर उपलब्ध हों।

श्री ए० केवीसुचा (नागालैण्ड) : अभी हाल ही में नागालैण्ड में जो दल बदल हुआ उससे राज्य की गरिमा को कुछ धक्का लगा है। अभी तो नागालैण्ड विधान सभा भंग पड़ी है। विधान सभा के समक्ष जन शक्ति परीक्षण का क्षण आया तो उस समय 60 सदस्यों की सभा के 33 सदस्य विरोधी दल की ओर थे। सभा के अध्यक्ष ने, जो कुछ ही समय पूर्व संयुक्त प्रजातन्त्र मोर्चे से दल बदल कर गये थे, ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर, हमारे लोकतन्त्र के समक्ष एक भीषण खतरा उत्पन्न कर दिया।

दल बदल से पूर्व की घटनाओं को देखने पर यह पता चलता है कि प्रारम्भिक दल बदल के लिए बाहर से सहायता प्राप्त हुई। मार्च के पहले सप्ताह में नागालैण्ड के दूरस्थ भागों में संयुक्त प्रजातन्त्र मोर्चे के पांच विधायकों को भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार के एक केबिनेट मंत्री श्री तोखेहोसेमा के मिलने के लिए दीमापुर बुलाया गया श्री तोखेहेसेमा द्वारा दल बदल करने का संदेह जनवरी के अन्तिम सप्ताह से ही चला आ रहा था। राज्यपाल के हस्तक्षेप पर इन छः लोगों को कोहिमा के निकट एक सीमा सुरक्षा बल के केम्प में ले जाया गया। इसके बाद उन्हें जासोकी के घर पर ले जाया गया जिस से श्री जासोकी ने लाभ उठाया तथा वह श्री बिजोल के बाद मुख्य मंत्री बने।

अब नागा लैण्ड में राष्ट्रपति शासन है। सयुक्त प्रजातन्त्रीय मोर्चा सरकार के पतन के बाद कुछ अधिकारियों को श्रेय तथा बधाइयों का पात्र बनाया गया। वर्ष 1971 के आम चुनावों के उपरान्त भी कुछ लोगों ने घोषणा की थी कि संयुक्त प्रजातन्त्रीय मोर्चे

को सरकार नहीं बनाने दी जायेगी चाहे उन्हें कितना भी बहुमत क्यों न मिले। यदि यह अधिकारी राष्ट्रपति के शासन के दौरान भी इसी प्रकार दलीय आधारों पर काम करते रहे तो प्रशासन लोगों का विश्वास खो बैठेगा। तथा नागालैण्ड में प्रजातन्त्र केवल एक धोखा बन कर रह जायेगा।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मैं नागालैण्ड में राष्ट्रपति का शासन लागू करने का समर्थन करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रपति शासन को अच्छा समझता हूं। अपितु इसलिए कि इस समय वहां परिस्थितियां राष्ट्रपति शासन के लिए बहुत उपयुक्त थी। अब समय आ गया है जबकि हमें समुचे उत्तर पूर्व क्षेत्र के सन्दर्भ में नागालैण्ड की समस्याओं पर गहराई से विचार करना होगा।

नागालैण्ड, मेघालय तथा मिज़ोराम यह सभी आदिवासी क्षेत्र ही हैं परन्तु इनमें अन्तर केवल इतना ही है कि आसाम, मनीपुर तथा त्रिपुरा में कुछ आदिवासी रहते हैं और कुछ गैर-आदिवासी। सरकार को इन आदिवासी राज्यों के बारे में नये तरीके से विचार कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें इस बात के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ष 1964 से, जब से नागालैण्ड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तो क्या इसे भारतीय राजनीति की मुख्य विचार धारा के साथ पूर्ण रूप से जोड़ने के लिए भी कोई प्रयत्न किया गया है?

गृह मंत्री महोदय ने दूसरे सदन में दिये गये अपने भाषण में कहा है कि विभिन्न योजनाओं तथा विशेषकर पांचवीं योजना के लिए प्रर्याप्त धनराशि का नियतन किया गया है। परन्तु खेद की बात तो यह है कि इस धनराशि का उपयोग जन साधारण को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस हेतु गृह मंत्रालय में नागालैण्ड ही नहीं अपितु सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्थाई व्यवस्था की जानी चाहिए। मनीपुर, त्रिपुरा तथा आसाम, इन सभी राज्यों की समस्याएं समान है। इन सभी राज्यों के मामले में वित्तीय तथा राजनैतिक दर्जे के मामलों में हमने विभिन्न मापदण्डों से काम लिया है जोकि उपयुक्त नहीं था। छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए नियत की गयी धनराशि का पूर्ण व्यय किये जाने के लिए स्थाई व्यवस्था की जानी चाहिए।

यह कहना ठीक ही है कि पुलिस पर होने वाले व्यय में वृद्धि हुई है। ऐसा केवल नागालैण्ड के सम्बन्ध में ही नहीं हुआ अपितु सम्पूर्ण देश के या अन्य राज्यों के मामले में भी हुआ है। हम अनुभव करते हैं कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के छोटे छोटे भागों के बारे में गृह मंत्रालय को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वहां के लोगों की शिक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए धन खर्च किया जा सके। गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।

अब मैं एक दो बातें ऐसी ऐसी कहना चाहता हूं जो कि पहले ही कही जानी चाहिए थी। हमारे बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो मनीपुर तथा नागालैण्ड की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी नहीं जानते हैं। कभी कभी वह इस सम्बन्ध में बहुत अजीब प्रश्न पूछते हैं जिस से हमारे मन मस्तिष्क पर यह प्रभाव पडता है कि यह लोग अभी तक हमारे को अपने से

काफ़ी दूर समझते हैं। सरकार ने राजनीतिक दृष्टि से जो ध्यान हमारी ओर दिया है उसके सम्बन्ध में हमें कोई शिकायत नहीं है परन्तु सरकार को हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण को ओर भी उपयुक्त ध्यान देना चाहिये।

आदिवासी क्षेत्र सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं तथा इनमें स्थिरता का होना परम आवश्यक है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश उपयुक्त समय पर ही की। अब हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि नागालैण्ड में राजनीतिज्ञ तथा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से कार्य करते रहे। बड़े अधिकारी अपनी स्वेच्छा का अधिक उपयोग न कर पायें। इन शब्दों के साथ मैं नागालैण्ड में राष्ट्रपति के शासन का समर्थन करता हूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुःख की बात है कि वर्ष 1950 से लेकर अब तक नागालैण्ड जैसे छोटे से राज्य में अनेक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। मुझे नागा लोगों के निकट रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वे अन्य लोगों की अपेक्षा निर्भीक हैं, अधिक सच बोलने वाले हैं। खेद की बात केवल यह है कि यह लोग भी अब इस देश के दूषित वातावरण में दूषित हो गये हैं।

राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि एक वर्ष पूर्व से लेकर अब तक जब से संयुक्त मोर्चा बना है यहां दल बदल चलता आ रहा है। कई मंत्री तो इस अवधि में तीन-तीन बार दल-बदल कर चुके हैं। हाल ही में श्री विजोल तथा श्री जासोकी के मंत्रिमण्डल इसी दलबदल के परिणामस्वरूप ही बने या गिरे। अतः इन परिस्थितियों में हमारी संसदीय प्रजातन्त्र प्रणाली किस प्रकार चल पायेगी ?भगवान ही यह जनता है नागालैण्ड तथा देश के लोगों के भाग्य में क्या होगा ?

यदि संसदीय प्रजातन्त्र इसी तरह चलता है तो भगवान ही जानता है कि नागालैण्ड तथा देश के लोगों के भाग्य में क्या है।

बजट से पता चलता है कि सरकार नागालैण्ड के लोगों के दुखों तथा कष्टों को दूर नहीं करना चाहती। आदिवासी विकास खण्ड सामुदायिक परियोजनायें बनानी, उद्योगों बिजली परियोजनाओं तथा समाज कल्याण के लिये 5·23 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है और दूसरी ओर अकेले पुलिस के लिये 5 करोड़ का आवंटन किया गया है जबकि और व्यवस्था का बहुत सा कार्य सेना भी करती है। नागालैण्ड की सरकार चलाने का यह कोई तरीका नहीं है। इस तरह हम उन लोगों में लोकप्रिय नहीं बन सकते जिनकी समस्याएं सारे देश के भविष्य के लिये विकट हैं। पहले तो प्रधान मंत्री नागालैण्ड के मामलों पर विरोधी पक्ष का विश्वास प्राप्त किया करती थीं। नागालैण्ड में दल बदल इस प्रकार से चलता रहा और सरकार ने इस सम्बन्ध में संसद को भी विश्वास में नहीं लिया है। इस बारे में जो रिकार्ड सभा में प्रस्तुत किये गये हैं उनसे यह प्रकट नहीं होता कि दल बदल में सरकार का हाथ नहीं है। यदि अध्यक्ष महोदय इसी प्रकार कार्य करते रहे। यदि अध्यक्ष मंत्री बनना चाहते हैं तो .....

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है यहां पर ऐसा नहीं होगा।

श्री एच० एन० मुखर्जी : नागालैंड विधान सभा पर पुलिस का घेरा था और पत्रकारों को भीतर नहीं आने दिया गया । यह संसदीय प्रणाली का उपहास करना है ।

नागालैंड के लोगों का केन्द्र से कोई सम्पर्क नहीं है । नागालैंड ऐसा क्षेत्र है जिस की स्थिति से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय तत्व लाभ उठाना चाहते हैं । हमें सरकार की असफलता की कड़ी निन्दा करनी चाहिए । लेकिन हमें ऐसा नागालैंड जैसे क्षेत्र के बारे में सोच विचार कर करना चाहिए ।

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का ऐसा स्वागत नहीं किया जैसा नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का सभी लोगों तथा राजनीतिक दलों द्वारा किया गया है । नागालैंड में दो ही दल हैं, संयुक्त प्रजातांत्रिक मोर्चा तथा राष्ट्रवादी नागालैंड संगठन । इन दोनों दलों ने राष्ट्रपति शासन का स्वागत किया है ।

गत चुनाव में इन दोनों दलों को बहुमत नहीं मिला । 60 में से एक को 25 और दूसरे को 23 सीटें मिलीं और शेष 12 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलीं । यह कहना ठीक नहीं कि कांग्रेस ने ही नागालैंड में दल-बदल करवाये हैं । नागालैंड में चुनाव के बाद ही उस समय दल बदल शुरू हुए जब राष्ट्रवादी नागालैंड संगठन के तीन सदस्य संयुक्त लोकतांत्रिक संगठन में शामिल हुए । वास्तविकता यही है कि दल बदल के लिये दोनों ही दल जिम्मेवार हैं । दल बदल और सरकार की अस्थिरता से राज्य की प्रगति को बाधा पहुंची है ।

नागालैंड सामारिक महत्व का ऐसा क्षेत्र है जिसकी उपेक्षा ब्रिटिश शासन काल में भी की गई । आजादी के बाद भी 1964 तक इस क्षेत्र की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया । नागालैंड के लोगों के असंतोष का मुख्य कारण यही है । नागा लोगों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के साथ लाने के लिये केन्द्रीय सरकार प्रयत्न तो करती आई है लेकिन इससे अभी तक सफलता नहीं मिली । ऐसा कृषि, संचार औद्योगिकरण की तीव्र प्रगति द्वारा ही सम्भव है । नागालैंड में रेल सुविधायें अपर्याप्त हैं । आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ।

इस बात की चिन्ता हम सभी को है कि गैर कानूनी तथा हिंसात्मक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है । इन सब बातों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है । उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि सारे देश में अराजकता पैदा करने के लिये एक क्रम बद्ध योजना चल रही है । सारे देश में सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है । इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur): There was U.D.F. Government in Nagaland which lost it majority due to defections. It is the Central Government and the ruling party which are responsible for the present elimate of instability in the country. They have been encouraging defections for their own party gains. What happened in Delhi Municipal Corporation is clear proof of Government designs. The election of the Mayor were to be held on 23rd March, but they were afraid of the result of the elections. Similar thing has happened in Nagaland. They never wanted to test the strength in the Assembly or in

Corporation. It was decided in Speakers conference that the question whether a party has a majority or not snould be decided on the floor of the House and not in Raj Bhawans. Why was that decision not followed before the President rule was imposed in Nagaland.

It is clear that the Government has failed to bring the people of Nagaland into the mainstream of the country. People of Nagaland have not been made to feel that they are own people. The policy of the Government in respect of Nagaland is a failure. Naturally the people are angry. They want their own Government, but President's rule has been imposed.

The people of Nagaland feel that they have been neglected. Even in the matter like entertainment, we find that here is only one cinema in Kohima. There too the people can go with permission of military. The Government is mistaken to think that the problem can be solved through military alone. What is necessary in Nagaland is to win the hearts of the people there.

The President's rule must be revoked as early as possible and the Assembly be convened for testing the strength of different parties.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मैं किसी भी राज्य में, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्र में जहां लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को उपयोग करना चाहिए, राष्ट्रपति के शासन का सामान्यत: पक्ष नहीं लेता हूं । लेकिन यदि नागालैंड की स्थिति पर दृष्टि डाली जाये तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिवा और कोई विकल्प हीं नहीं दीखता । पिछले चुनावों के मतदान से यह पता चलता है कि वहां अस्थिरता अत्यधिक व्याप्त है । क्योंकि सत्ताधारी दल को 30.13, दूसरे दल को 35.79 प्रतिशत तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को 34 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे ।

चुनावों के तुरन्त बाद 12 निर्दलीय सदस्य जो सन्तुलन बनाये रखने में बड़ी भारी भूमिका निभा सकते थे, एक दल से दूसरे दल में दलबदल करते रहे । सात निर्दलीय सदस्य यूनाइटिड डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल हो गये और 5 सदस्य नागालैंड नेशनल आर्गेनाइजेशन में शामिल हो गये थे और नागालैंड नागालैंड नेशनल आर्गेनाइजेशन की सरकार बनी । लेकिन 8 दिन बाद ही कुछ सदस्य जो एन० एन० ओ० में आ गये थे और मंत्री पद पर आरूढ़ हो गये थे, पुन: अपने दल वापिस चले गये । इसके बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के श्री जमीर ने दावा किया कि उन्हें 33 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है और उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिये । राज्यपाल यह चाहते थे कि बहुमत का प्रश्न का सभा में ही निर्णय हो । 20-3-75 को राज्य विधान सभा की बैठक आयोजित की गई । अध्यक्ष के विधान सभा अनिश्चित काल के लिये भंग किये जाने पर एक नाटकीय घटना घटी । तब भी राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घघोषणा के लिए सूचना नहीं दी । वह यह चाहते थे कि विधान सभा का सत्र आरम्भ कराया जाये और बजट पास किया जाये । लेकिन अध्यक्ष ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जीवन खतरे में है और अन्य सदस्यों का जीवन भी खतरे में है । राज्यपाल ने श्री जमीर और श्री जैसोकी से अनुरोध किया कि वे दोनों साथ बैठकर यदि सम्भव हो तो, कोई सर्वसम्मत हल निकालें । और जब उन्होंने इसे असम्भव बताया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी । इन

सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल के विरुद्ध कैसे कोई आरोप लगाया जा सकता है ? नागालैंड की परिस्थिति को देखते हुए अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत वहां राष्ट्रपति की उद्घोषणा अपरिहार्य हो गई थी ।

इस क्षेत्र में अस्थिरता को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता । वहां कुछ तत्व व्यवस्था एवं प्रशासन को भंग करने में लगे रहते हैं और राष्ट्रपति के शासन से कुछ स्थिरता लाई गई है ।

नागालैंड और समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचार व्यवस्था का बहुत अभाव है। विकास का अनिवार्य आधारभूत ढांचा ही वहां विद्यमान नहीं है । इन लोगों तथा देश के अन्य लोगों को बीच संचार साधन ही ऐसा नहीं है । इन बातों पर ध्यान देना गृह मंत्री का कर्त्तव्य है । हम चाहते हैं कि यह क्षेत्र समृद्धिशाली बने । हमें यह देखना चाहिए कि विद्रोह का वातावरण वहां पनपने न पाये । गृह मंत्री को इन सभी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ में राष्ट्रपति की उद्घोषणा का स्वागत करता हूं ।

श्री सेझियान : राज्यपाल की रिपोर्ट से बड़ी गम्भीर स्थिति का पता चलता है जब उन्होंने यह कहा है कि उन्हें दावों और प्रतिदावों का सामना करना पड़ा है । उन्होंने दोनों दलों के नेताओं को सलाह दी कि वे विधान मण्डल में ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें । दोनों ने ही यह बात स्वीकार की । राज्यपाल की यह पुष्ट सलाह क्रियन्वित क्यों नहीं की गई, इस बात पर विचार किया जाना है । एक आधारभूत मामला है जिसे हमें ध्यान में रखना है । जब किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष अनिश्चित काल के लिये उस सभा को स्थगित कर दे तो उस समय क्या किया जा सकता है । यह आधारभूत संवैधानिक समस्या किसी विधान खण्ड के नियमों या पीठासीन अधिकारियों की दया पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए । 1958 में हुए अध्यक्षों के सम्मेलन के पश्चात् कुछ राज्यों की विधान सभाओं ने अपने कुछ नियमों में संशोधन किये जिससे विधान सभा के लिये यह अनिवार्य हो गया कि जब वह विधान सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करना चाहे तो ऐसा सदन में प्रस्ताव पेश करने और पास होने के पश्चात ही किया जा सकता है ।

हम 1952-53 से यह देखते आ रहे हैं कि दल बदल की प्रवृत्ति कैसे चल रही है । यह प्रवृत्ति गम्भीर परिस्थिति की सूचक है । हमारे देश के राजनीतिक ढांचे को कौन प्रभावित कर रहा है । कांग्रेस दल को बहुमत का दल होने के नाते अधिक उत्तर-दायित्व और कारगर भूमिका निभानी चाहिए और यदि कांग्रेस की स्थिति ठीक रहे तो अन्य दल भी उसी का अनुसरण कर सकते हैं ।

दल बदल द्वारा सरकारें गिरा दी जाती हैं । श्री गोस्वामी ने मतों के प्रतिशत और प्राप्त किये गये स्थानों का उल्लेख किया है । यह स्वागत योग्य है कि यह दल भी अब सही बात स्वीकार करने लगा है । हम इस मामले को इस दृष्टि से नहीं उठा रहे हैं ताकि सरकार की कठिनाई बढ़े । हम तो यह चाहते हैं कि वित्तीय मामलों के बारे में जो नियम बनाये जायें उनका पालन हो । संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में यह बहुत सहायक होता है और साथ ही आवश्यक भी ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के फलस्वरूप इन कागजातों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जा रही है ।

श्री सेझियान : मेरा कहना यह है कि माना कुछ बड़ी-बड़ी गलतियां रह जाती है और हम मांगों को पारित कर लेते हैं तो क्या होगा । यदि इन त्रुटियों का पता बाद में लग भी जाये तो फिर हम क्या कर सकते हैं ।

उदाहरण के लिए अनुपूरक मांगों के प्रथम पृष्ठ पर मद संख्या में जो धनराशि विधान सभा द्वारा पहले ही मंजूर की गई हैं, वह इस प्रकार दिखाई गई है :

प्रभार—90,000 रुपये और अनुपूरक राशि 3.80 लाख रुपये दिखाई गई है । अनुपूरक मांगों को दृष्टि में रखते हुए इसका अर्थ यह है कि 31 मार्च से पहले 3.80 लाख रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिए । स्पष्टीकरण में कहा गया है कि यह राशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा खर्च इत्यादि की राशि है ? मेरा अनुमान है कि अब जितनी राशि की आवश्यकता है, उतनी पहले ही व्यय कर दी गई है । यदि यह सच है तो अनुपूरक मांगों के विरुद्ध जो खर्च की जाने वाली राशि के लिए है, वह पहले ही खर्च की गई राशि के लिए नहीं है ।

सभा जो भी निर्णय करे मैं इन त्रुटियों को सभा के समक्ष लाना चाहता था । मुझ आशा है कि भविष्य में इनका पालन किया जायेगा ।

Shri Shankar Deb (Bihar): Mr. Speaker while supporting the President's rule in Nagaland, I want to point out that there is an atmosphere of violence and lawlessness in the country. Till we do not overcome such atmosphere, we cannot establish peace in the country. Democracy cannot have deep roots. Mahatma Gandhi had said that politics should be spiritualise. If we want to maintain peace in our country, it is imperative that the politics should be spiritualise.

Mr. Deputy Speaker: Talk about Nagaland.

Shri Shankar Dev: Same situation is existing in the country as in Nagaland. Shri Jai Prakash Narain tried to create the atmosphere of violence and lawlessness *(interruptions)*.

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है ? इसकी सीमा होनी चाहिए । आप चर्चाधीन विषय पर बोलिए । असंगत बातें कहां तक सहन की जा सकती हैं ? आप नागालैंड पर बोलिए ।

Shri Shankar Dev: The President's rule has been imposed in Nagaland due to lawlessness there and until this problem of violence and indiscipline is solved, the things cannot improve. We have to do away with defection, indiscipline, vested interests and lust for power.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : दुख की बात है कि हमें नागालैंड विधान सभा के अधिकारों पर जबरदस्ती नियंत्रण करना पड़ा है और नागालैंड का बजट पारित करना पड़ रहा है । दूसरी लोक सभा के समय ही सरकार को नागालैंड की समस्याओं का पता है । पंडित नेहरू का दृष्टिकोण नागालैंड की समस्याओं के प्रति बड़ा सहानुभूतिपूर्ण था । वह

जानते थे कि उनकी समस्यायें न्यायोचित हैं। वह जानते थे कि वहां के लोग वीर हैं और साहसी हैं। यही कारण है कि 1962 में नागालैंड को केन्द्रीय शासित क्षेत्र बनाया गया और 1964 में उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया।

तब से हम नागालैंड के सर्वांगीण विकास की आशा करते रहे हैं। किन्तु देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली से वहां के विधायकों में दल-बदल की जा रही है। राज्यपाल से वहां गैर-कांग्रेसी सरकार को गिराने का कार्य किया जा रहा है। ऐसा 37वीं बार हो रहा है। हम चाहते हैं कि नागालैंड में लोकतांत्रिक ढंग से शासन चले।

गत चुनावों में वहां किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अतः 25 सदस्यों वाले दल को वहां सरकार बनाने के लिए कहा गया। इसके बाद वहां दल-बदल की बातें आरम्भ हो गईं और इसके फलस्वरूप आज राज्यपाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां एक भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। जब श्री जमीर कहते हैं कि 60 सदस्यों की सभा में 33 सदस्य उनके साथ हैं तो उन्हें अपनी ताकत आजमाने और सरकार बनाने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता ? किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। विभिन्न दलों में आस्था रखने वाले विधायकों की गिनती राज भवन की बजाय विधान सभा में की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए यही उचित स्थान होता है। अध्यक्षों के सम्मेलन में यही निर्णय लिया गया था। आश्चर्य की बात है कि नागालैंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने सम्बन्धी निर्णय में नागालैंड विधान सभा के अध्यक्ष ने भी निर्णय दिया। उन्होंने कई कारण बताये हैं। उन्होंने कहा कि विधान सभा में अत्यधिक तनाव होने के कारण सभा की कार्यवाही को चलाना संभव नहीं था।

नागालैंड के महा अधिवक्ता ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के सम्बन्ध में राज्यपाल की सिफारिश का समर्थन किया है। यहां पर उड़ीसा उच्च न्यायालय का ठीक ही उल्लेख किया गया कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उड़ीसा के तत्कालीन राज्यपाल श्री बी० डी० जत्ती की इस कारण निन्दा की कि उन्होंने विपक्ष को उड़ीसा विधान सभा में अपने बहुमत को साबित करने का अवसर नहीं दिया। राज्यपाल के पद को विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

राज्यपाल की ऐसी स्थिति होती है कि उस पर महा अभियोग नहीं लगाया जा सकता। उसका मार्ग निर्देशन गृह मंत्रालय द्वारा होता है। गृह मंत्रालय उससे अपनी इच्छानुसार रिपोर्ट मांगता है।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि यह रिपोर्ट बिल्कुल बेकार है। इसे कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। नागालैंड विधान सभा को शीघ्र बुलाया जाना चाहिए और श्री जमीर को अपने दल के बहुमत को साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें बहुमत मिलता है तो फिर उन्हें सरकार बनाने के लिए कहा जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूं।

वहां का बजट पारित करने में हमें अत्यधिक दुख होता है। बेहतर यही है कि यह बजट नागालैंड विधान सभा में पुनः पेश किया जाये ताकि वे अपने कार्यक्रमों के अनुसार निर्णय लें।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : नागालैंड के राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसरण में नागालैंड विधान सभा को 2 महीने के लिए अवलम्बित कर दिया गया ।

नागालैंड विधान सभा की स्थिति तो चुनाव परिणामों में ही परिलक्षित हो गई थी । 60 सदस्यीय सदन में निर्दलीय 12 सदस्य थे । नागालैंड विधान सभा और नागालैंड सरकार अपने नेताओं की नीयत से वहां की राजनीति की परिस्थितियों की कहीं अधिक शिकार हुई है ।

गृह मंत्रालय को स्थगित विधान मंडल के सदस्यों को आमंत्रित करना चाहिए और समूची स्थिति पर नए सिरे से विचार करना चाहिए । या मंत्रिमंडल का कोई वरिष्ठ सदस्य नई दिल्ली से वहां जाये और वहां के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उनकी कठिनाइयों को दूर करे ताकि नागालैंड राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था संभव हो सके । राष्ट्रपति का शासन लागू करने वाले पत्र में एक कारण तो स्पष्ट उल्लिखित है कि विनियोग विधेयक 31 मार्च, 1975 तक पारित न होने के कारण सरकार के समूचे तंत्र का कार्य ठप्प हो जायेगा । यदि 31 मार्च इतना निकट न होता तो नागालैंड विधान सभा को एक महीने के लिए अनिश्चित काल तक स्थगित करने का समय रहता और इस अवधि में समस्या भी हल हो जाती । इस परिस्थिति से निपटने के लिए कोई संवैधानिक उपाय निकालना चाहिए ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से वहां परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं । समूचे विश्व में, विशेषकर प्रगतिशील राष्ट्रों में लोकतंत्र प्रायः संकट के दौर से गुजरता है और नागालैंड वाली बात से सकट निरंतर तो बना ही रहता है साथ में उससे लोकतंत्र को खतरा भी पहुंच सकता है । अतः मेरे विचार से वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना कोई अच्छी बात नहीं है । किन्तु राज्यपाल की रिपोर्ट तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों से ऐसे लगता है कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था ।

खेद की बात है कि 1950 से लेकर 1975 तक इस राज्य में 37 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है इससे राजनीतिक नैतिकता या राजनीतिक परिपक्वता नहीं आती । यदि नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर ही दिया गया है तो हमें आशा है कि इससे वहां का राजनीतिक वातावरण साफ होगा और राजनीतिक अनैतिकता में सुधार होगा । एक वर्ष ही पूर्व ही वहां चुनाव हुए हैं और एक वर्ष के ही अन्दर वहां इस प्रकार की घटना हो गई । यह कोई उचित बात नहीं है ।

हमें वहां की इस समस्या को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना कि कौन सा दल सत्तारूढ़ हुआ है और कौन सा दल सत्ता से हटा है, अपितु हमें इस दृष्टिकोण से देखना है कि इस तरह के सीमावर्ती राज्य में इस तरह की परिस्थिति के क्या परिणाम होंगे । नागालैंड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट सरकार के एक वर्ष के शासन से वहां स्थिरता का आभास मात्र आया था जो शीघ्र ही समाप्त भी हो गया ।

नागालैंड सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है । यह कई दृष्टिकोणों से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है । वहां के सीधे-सादे, परिश्रमी लोग बहुत पहले से कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं । ईमानदारी तथा साधारण रहन-सहन उनकी विशेषता थी । युद्ध में सर्वप्रथम सचाई का ह्रास होता है । जब उस क्षेत्र में युद्ध आरम्भ हुआ, तो लोग ईमानदार और सच्चे थे । परन्तु अब उनके वे गुण समाप्त हो गये हैं । नागा लोग अपनी आचार संहिता तथा वैयक्तिक और सामाजिक नैतिकता के लिये प्रसिद्ध थे, जिससे वे स्वार्थी नहीं होते थे । परन्तु उनके ये श्रेष्ठ गुण इसलिये समाप्त हो गये हैं, क्योंकि वहां राजनीतिज्ञों की संख्या बढ़ गई है, जो शक्ति प्राप्त करने के लिये महत्वाकांक्षी और लालची हो गये हैं । दल बदल की प्रवृति से तो स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई है । राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस वस्तु स्थिति से कि इन दस दिनों में छः सदस्य, जिन में कुछ मंत्री भी शामिल हैं, दो बार दल बदल चुके हैं, उनके नितान्त सिद्धान्तहीन रवैये का पता चलता है ।

वस्तुतः यह बड़े दुख की बात है कि हरियाणा की आयाराम गयाराम की बीमारी नागालैंड तक पहुंच गई है । परन्तु इसका उपचार क्या है ? दल बदल समाप्त करने सम्बन्धी एक विधेयक संयुक्त समिति के समक्ष है । इस विधेयक से समस्याओं का उन्मूलन नहीं होगा । उस विधेयक सम्बन्धी सब रिपोर्टों को पढ़ने पर हम इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पाये हैं कि क्या हम यह उपबन्ध कर सकते हैं कि किसी दलबदलू को मंत्री न बनाया जाये तथा सभा का मंत्रिमंडल उस सभा के कुल सदस्यों की संख्या की तुलना में एक विशेष अनुपात में हो । नागालैंड की घटनाओं ने हमें यह सोचने के लिये मजबूर कर दिया है कि हमें मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या इस प्रकार से सीमित करनी चाहिये कि किसी व्यक्ति को सत्ता का लालच न होने पाये ।

मैं संयुक्त प्रजातंत्र मोर्चे तथा नागा राष्ट्रवादी संगठन की दलगत राजनीति में नहीं जाना चाहता, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि नागालैंड में दल बदल की ये घटनायें किस प्रकार हमारे संसदीय लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रहे हैं ।

मेरे माननीय मित्र श्री नायक ने कहा था कि नागालैंड विधान सभा में दल बदल की समस्या निर्दलीय सदस्यों के कारण है । उन की संख्या 12 है तथा उन के दल बदलने से समस्या खड़ी हो जाती है । मैं उन सदस्यों को निर्दलीय अथवा स्वतंत्र नहीं कह सकता, क्योंकि स्वतंत्र सदस्य तो वे होते हैं, जो किसी के दबाव में न हों, जब कि वे केवल मौके की ताक में रहते हैं ।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि कुछ समय बाद नागालैंड में नये चुनाव कराने का मौका मिलेगा और वहां नई विधान सभा और नई सरकार बनेगी, जो इस राज्य को दल बदल की बीमारी से मुक्त करायेगी ।

श्री पाओकाई हाओकिप (बाह्य मनीपुर) : सर्वप्रथम मैं मंत्री महोदय को नागालैंड राज्य का बजट पेश करने के लिये बधाई देना चाहता हूं । नागालैंड के लोगों के लिये यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न था ।

यह आश्चर्य की बात है कि नागालैंड में दल बदल की बीमारी ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया है । कुछ माननीय सदस्यों की यह आदत है कि वे राष्ट्रपति का शासन लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराते हैं । नागालैंड में पहली बार राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है । जहां तक मेरी जानकारी है कि जिस दिन अध्यक्ष ने सभा को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने का निश्चय किया उसी दिन सदस्य सदन में ही एकत्र हो गये । एक ओर श्री जमीर के नेतृत्व में 33 सदस्य थे और दूसरी ओर इस से कम । आश्चर्य की बात तो यह है कि जब वे सब वहां उपस्थित थे तो अध्यक्ष ने यह निश्चित करने का निर्णय क्यों नहीं किया कि किस गुट का बहुमत है । उन्होंने सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने का निश्चय क्यों किया ।

मैं आशा करता हूं कि नागालैंड में राष्ट्रपति के शासन की अवधि यथासंभव कम होगी और जनता के निर्वाचित सदस्यों को शीघ्र ही निर्णय लेने का अवसर दिया जायेगा ।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने माननीय सदस्यों के भाषण बहुत ध्यान से सुने है । माननीय सदस्य को याद होगा कि नागा नेताओं तथा अन्य व्यक्तियों से सविस्तार विचार विमर्श करने के बाद 16 सूत्री समझौता हुआ था तथा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था । तब से अब तक कई वर्ष व्यतीत हो गये हैं तथा वहां लोकप्रिय सरकारें बनाई गई हैं तथा वे सरकार काफी हद तक नागालैंड के विकास के लिये सराहनीय कार्य करती रही हैं ।

महोदय, जहां तक वहां वर्तमान स्थिति का प्रश्न है यह मामला कई बार प्रश्नकाल में भी उठाया गया है । वस्तुस्थिति यह है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिये जाने के बाद बहुत से भूमिगत नागा बाहर आ गये थे और वायदे के अनुसार उनमें से बहुतों को पुन: बसाया गया था । परन्तु यह बहुत दुख की बात है कि उनमें से कुछ सौ नागा लोग विदेशी शक्तियों से सम्बन्ध बनाये हुए हैं और शस्त्र आदि प्राप्त कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में पुलिस तथा सुरक्षा अधिकारियों के लिये यह आवश्यक है कि वह समुचित कार्यवाही करें ।

राज्यपाल के प्रतिवेदन से पता चलता है कि सम्बन्धित दलों की शक्ति का परीक्षण करने के प्रयत्न किये जाने के बावजूद वास्तविक स्थिति का पता लगाना संभव नहीं हो सका तथा इस बात को देखते हुए कि बजट तथा विनियोग विधेयक आदि पास किये जाने हैं, राज्यपाल को राष्ट्रपति का शासन लागू करने की सिफारिश करने के लिये बाध्य होना पड़ा ।

यह बड़े दुख की बात है कि माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि नागालैंड सरकार को केन्द्र के हस्तक्षेप से गिराया गया है । मैं सभा को विश्वास में लेते हुए सत्यनिष्ठा से कहता हूं कि केन्द्र ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया । घटनायें इतनी तेजी से घटी कि राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलने तक हमें भी यह पता न था कि जसोकी और विजोल दोनों अपना वहुमत खो चुके हैं ।

संयुक्त प्रजातंत्र मोर्चे की नेता श्रीमती सेंजा ने कहा है, "यद्यपि उद्घोषणा के समय संयुक्त प्रजातंत्र मोर्चे का बहुमत था, परन्तु हमारा दल स्थायी सरकार बनाने के लिए समय देने के उद्देश्य से विधान सभा को निलम्बित किये जाने के राज्यपाल के कार्य से सहमत है। इतना ही नहीं संयुक्त प्रजातंत्र मोर्चे के नेता श्री जमीर ने दल की ओर से नागालैंड विधान सभा को निलम्बित किए जाने की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा है।

यह टिप्पणी की गई है कि नागालैंड बजट में पुलिस पर बहुत अधिक व्यय की व्यवस्था की गई है। परन्तु आप देखिए विद्युत परियोजनाओं के लिए 4.43 करोड़ रुपये, जल पूर्ति के लिए 2 करोड़ रुपये तथा कृषि और सिंचाई के लिए 2.77 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। वास्तविकता यह है कि राज्य में पुलिस पर व्यय राज्य के कुल व्यय का 1/13 भाग है। राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए यह व्यय अधिक नहीं है।

राज्यपाल दिन-प्रतिदिन का शासन ही नहीं चलायेगा अपितु वह विकास के लिए भी प्रयत्न जारी रखेगा। नागालैंड में हाल ही में एक चीनी मिल गया है। नागालैंड में विकास की सम्भावना बहुत अधिक है, बशर्ते कि विध्वंसक गतिविधियां कम हो जायें।

नागा लोग अपने क्षेत्र का विकास करने के उत्सुक हैं। जितनी जल्दी हमें यह पता चलता है कि विध्वंसक गतिविधियां कम हो रही हैं और नागा लोग अच्छे कार्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उतना ही अच्छा होगा। यह नागाओं के लिए ही नहीं अपितु समूचे देश के लिए अच्छा होगा।

दल बदल निवारण विधेयक संसद् की संयुक्त समिति के समक्ष है। इसकी कई बैठकें हो चुकी हैं और आशा है कि वह शीघ्र ही इस पर अपनी चर्चा समाप्त कर लेंगी तथा शीघ्र ही प्रतिवेदन विचार किये जाने के लिए संसद् में पेश किया जायेगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे बजट पेश करने की, हांलाकि बजट के स्वरूप में कुछ त्रुटि था। वाद-विवाद में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों ने राजनीतिक बातों का उल्लेख किया था, जिन का उत्तर मेरे माननीय साथी ने दिया है।

माननीय सदस्यों ने आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में दो अथवा तीन बातें उठाई थीं। श्री सेझियान द्वारा उठाई गई बातों के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने यह अनुभव किया है कि वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को मार्गदर्शी आदेश जारी किए जायें। विभिन्न राज्यों में वित्तीय व्यवस्था समान रूप से बेहतर हो। निस्सन्देह इसके लिए राज्य विशेष की समस्याओं को ध्यान में अवश्य रखा जाये। यदि ऐसा हुआ तो वर्तमान स्थिति से बचा जा सकता है।

इस वर्ष हम योजना के लिए कुछ अधिक राशि आबंटित कर पाये हैं, हांलांकि वह बहुत अधिक नहीं है। पिछले वर्ष योजना को जब कि 14 करोड़ रुपया दिया गया था, इस वर्ष यह राशि 15.24 करोड़ रूपये है। पिछले वर्ष केन्द्र की सहायता 7.12 करोड़ रुपये थ, जब कि इस वर्ष 9.12 करोड़ रुपये है। इसलिए यह कहना गलत है कि सरकार नागालैंड पर पुलिस के जोर से शासन कर रहा है और उस के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है। केन्द्र द्वारा कागज़ परियोजना सहित कई परियोजनायें हाथ में ली गई हैं तथा ली जाने वाली हैं।

श्री हीरेन मुकर्जी की इस टिप्पणी कि नागालैंड में पुलिस पर बहुत अधिक खर्च किया जा रहा है, माननीय गृह मंत्री ने दे दिया है कि वहां पुलिस पर अधिक खर्च नहीं किया जा रहा है ? उदाहरण के लिए नागालैंड जैसे छोटे राज्य में भी इस वर्ष 4,43,57,600 रुपये बिजली परियोजनाओं के लिए रखे गये हैं।

इस बजट की अन्य मुख्य बात है कि ग्रिडो का उपबन्ध जब कि अन्य विकसित राज्य इस ओर ध्यान नहीं दे सके नागालैंड के ग्रिड के लिए 3,53,60,000 रुपये रखे गये हैं। कुछ और विकास योजनायें भी उस क्षेत्र के लिए चालू की गई हैं।

नागालैंड में साक्षरता का भी उल्लेख किया गया था। नागालैंड में साक्षरता अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। 56 करोड़ के बजट में साक्षरता के लिए लगभग 5 करोड़ रुपया रखा गया है। इस-लिए इस मद में अन्य राज्यों की तुलना में कम राशि नहीं रखी गई है।

आशा है कि राष्ट्रपति के शासन की अवधि यथा सम्भव कम होगी और नागालैंड वासी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र अपनी सरकार बना लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ

The Resolution was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1975-76 के लिये नागालैंड राज्य के बजट के सम्बन्ध में लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें सभा में मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands for vote on Account in respect of Nagaland were put and adopted:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	राज्य विधान मंडल	5,75,000	—
3.	मंत्रि परिषद्	12,50,000	—
4.	न्याय प्रशासन	3,37,500	—
5.	शिक्षा	4,88,700	—
6.	भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण	4,26,500	—

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
7	राज्य उत्पाद शुल्क . .	1,87,500	—
8	बिक्री कर . . .	1,50,000	—
9	मोटर गाड़ियों पर कर .	1,15,000	—
12	सिविल सचिवालय . . .	26,75,000	—
13	जिला प्रशासन विशेष कल्याण स्कीम और आदिवासी परिषद् . . .	42,00,000	—
14	राजकोष और लेखा प्रशासन . .	3,87,500	—
15	शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष व्यय जिसमें पेंशन तथा उपदान अंशदान भी शामिल है	17,00,000	—
16	ग्राम गार्ड	9,37,500	—
17	सिविल पुलिस तथा फायर सर्विस यूनिट .	1,30,75,000	—
18	जेल	9,55,000	—
19	लेखन सामग्री	6,62,500	—
20	सतर्कता आयोग	25,000	—
21	वर्कशाप संक संगठन . .	4,12,500	—
22	नागालैंड गृह	1,55,000	—
23	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान . .	1,37,500	—
24	राज्य लाटरी	2,26,200	—
25	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ . .	1,41,000	—
26	शिक्षा	1,32,94,500	—
27	कला तथा संस्कृति और गजट यूनिट . .	2,71,300	—
28	चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	76,71,000	—
29	शहरी विकास . . .	3,62,500	—
30	सूचना, प्रचार तथा पर्यटन . .	8,20,000	—
31	रोजगार कार्यालय . .	53,700	—
32	श्रम	32,700	—
33	आदिवासी विकास ब्लाक, समुदाय परियोजना आदि	20,95,000	—
34	समाज कल्याण . . .	8,81,200	—

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
35	सिपाही, नाविक और विमान चालक बोर्ड .	16,200	—
36	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और समुदाय सेवाएं .	2,75,700	—
37	मूल्यांकन यूनिट . . .	40,000	—
38	सहकारिता . . .	6,20,000	3,17,500
39	सांख्यकीय	3,62,500	—
40	तोल और माप	92,700	—
41	कलकत्ता में पूर्ति कार्यालय . .	44,200	—
42	कृषि, लघु सिंचाई, मत्स्य पालन आदि .	56,08,700	—
43	भू-संरक्षण . . .	10,12,500	—
44	अनाज पूर्ति योजना . . .	13,37,500	75,00,000
45	पशु पालन और डेरी विकास . .	26,83,200	35,000
46	वन	19,97,500	—
47	उद्योग . .	13,67,500	55,62,500
48	खनिज विकास	6,31,200	—
49	विद्युत् परियोजनाएं . .	71,07,800	39,81,600
50	सड़क परिवहन	15,75,000	8,75,000
51	वित्तीय निगम सेल . .	1,25,000	—
52	आवास ऋण और सरकारी कर्मचारियों को ऋण	—	19,50,000
53	सार्वजनिक निर्माण कार्य, आवास, सड़क और पुल	4,51,29,500	1,10,66,200
54	फंकशनल भवन और अन्य विकास योजनायें .	—	39,08,300
55	जल पूर्ति योजनाएं . . .	25,32,900	26,25,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नागालैंड के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following supplementary Demands for Grants in respect of Nagaland were put and adopted:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	राज्य विधान मण्डल . .	12,14,000	—
2	मंत्रि परिषद् . . .	26,62,000	—
5	निर्वाचन .	2,51,000	—
7	राज्य उत्पाद शुल्क . . .	20,000	—
9	वाहनों पर कर	65,000	—
12	सिविल सचिवालय . . .	7,58,000	—
15	शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष व्यय जिसमें पेंशन तथा उपदान के लिए अंशदान भी शामिल है . . .	46,32,000	—
16	ग्राम गार्ड	3,00,000	—
17	सिविल पुलिस तथा फायर सर्विस यूनिट	95,00,000	—
18	जेल	5,80,000	—
20	लोक निर्माण, आवास, सड़कें तथा पुल	3,50,58,000	—
22	वर्कशाप संगठन .	5,00,000	—
23	नागालैंड गृह . .	50,000	—
24	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान .	1,31,000	—
27	शिक्षा . . .	6,71,000	—
29	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य .	51,83,000	—
30	जल पूर्ति योजना .	38,50,000	—
31	नगर विकास सामाजिक .	50,000	—
37	राहत, सुरक्षा और कल्याण सेवाएं . .	17,18,000	—
45	भू-संरक्षण	70,000	—

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
46	अनाज पूर्ति योजना	--	1,50,40,000
49	उद्योग . .	--	18,84,000
51	विद्युत् परियोजनाएं . .	1,07,50,000	92,80,000
52	सड़क परिवहन योजनाएं . .	12,00,000	--
54	आवास ऋण और सरकारी कर्मचारियों को ऋण	--	2,77,000

नागालैण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1975

Nagaland Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओं के लिये नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओं के लिये नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओं के लिये नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि वित्तीय वर्ष 1975-76 के एक भाग की सेवाओं के लिये नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नागालैण्ड विनियोग विधेयक, 1975

Nagaland Appropriation Bill, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग के प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग, का प्राधिकृत करने वाले विधेवक का पुरा स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 की सेवाओं के लिये नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये नागालैण्ड राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

वायु सेना और थल सेना विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा वायु सेना और थल सेना विधि (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF AIRFORCE AND ARMY LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1975 AND AIR FORCE AND ARMY LAWS (AMENDMENT) BILL

Shri R. R. Sharma (Banda): Mr. Deputy Speaker, Sir, I move the following Resolution:—

"This House disapproves of the Air Force and Army Laws (Amendment) Ordinance, 1975 (Ordinance No. 3 of 1975) promulgated by the President on the 25th January, 1975.

[**श्री इसहाक संम्भली पीठासीन हुये**]

Shri Ishaque Sambhali in the Chair.

It is a very small amendment and I have nothing against the amendment. The amendment has been brought rather late and it should have been brought

much earlier. My main objection is against the way in which it has been brought. It has been brought through an ordinance. This shows that the Government is ruling the country through ordinances. The present case is not the solitary example, but there are numerous other instances in which ordinances have been promulgated. I condemn this tendency on the part of the Government.

The amendment though small is very important. It seeks to delete the words 'outer than the State of Jammu and Kashmir' from the Bill. This is of great significance. In fact this should have been done long ago. The problem of Kashmir is getting more and more complicated day by day. It is not known why Article 370 has not been abrogated of late there has been great decline in the Army and Air Force, so far as discipline is concerned. It is because promotion to officers and other ranks are given on the basis of their political activities. In its reply, the Government gave a list which showed that 191 Army Officers, 25 Air Force Officers and 94 Naval Officers sought pre-matured retirement, due to supersession. How strange it is that a man who fails to fulfil the aspiration of the Government is superceeded. That is why the standard of our services is deteriorating and servicemen are losing the high sense of duration which they had.

With these words, I present my Bill and request the House to extend its full support to it.

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित वायु सेना तथा स्थल सेना विधियां (संशोधन) अध्यादेश 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि स्थल सेना और वायु सेना अधिनियम 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये।"

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य स्थल सेना और वायु सेना अधिनियम में उपयुक्त संशोधन कर उसे सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू करने के उपयुक्त बनाना है। इस समय सशस्त्र सेनाओं द्वारा किये गये दीवानी अपराधों पर मुकदमा चलाते समय कश्मीर और शेष देश में भेद रखा जाता है।

वास्तविक स्थिति यह है कि 1950 के वायु सेना और स्थल सेना अधिनियमों में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं था। इसका परिणाम यह होता था कि उस राज्य में किसी भी सैनिक द्वारा किए गये दीवानी अपराध को शेष भारत से बाहर समझा जाता रहा। इस सम्बन्ध में सरकार के समक्ष अनेक कठिनाइयां आईं। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के इस निर्णय से कि इस राज्य में किए गये अपराध की जांच सैनिक अदालत नहीं अपितु राज्य की दाण्डिक अदालत ही कर सकती है। इससे स्थिति में काफी अन्तर आ गया। अतः सैनिक अधिकारियों को दीवानी अपराधों सम्बन्धी मुकदमों से बचाने तथा उनमें अधिक विश्वास तथा अनुशासन सम्बन्धी भावना जागृत करने के उद्देश्य से अधिनियम में यह संशोधन करना अनिवार्य हो गया है। इस सम्बन्ध में सरकार ने उच्चतम न्यायलाय में अपील की थी। इस बीच सैनिक अधिकारियों के मामले इकट्ठे किये। अब इन सभी को दृष्टिगत रखते हुये सरकार को अधिनियमों में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत किया गया है। पहले यह विधेयक राज्यसभा में लाया गया था परन्तु संसद भंग हो जाने के कारण यह पारित नहीं हो पाया। यही कारण है कि हमें

इसके लिए अध्यादेश का सहारा लेना पड़ा। विधेयक के सम्बन्ध में कुछ संशोधन दिये गये हैं जैसे पहले जारी किये गये संशोधन का निरसन करने का तथा दूसरे इसका वर्ष बदलने का। मैं माननीय सदस्यों से संशोधन वापिस लेने की अपील करता हूं।

पी० जी० मावलंकर : (अहमदाबाद) : यदि आप अनुमति दें तो मैं वर्तमान विधेयक के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सरकार वर्तमान विधेयक स्थल सेना और वायु सेना अधिनियमन 1950 के कुछ उपबन्धों को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू करने के उद्देश्य से लाई है। जम्मू तथा कश्मीर उच्च न्यायालय पहले ही यह निर्णय कर चुका है कि यह उपबन्ध वहां लागू नहीं होंगे। सरकार इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में अपील कर चुकी है। ऐसी हालत में सरकार ने उच्च तम न्यायालय में अपील कर रखी है तो फिर यह कानून किस प्रकार से पारित किया जा सकता है? यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो इसका तात्पर्य उच्चतम न्यायालय को एक विशेष रुख अपनाने के लिए बाध्य करना होगा।

जहां तक मुझे जानकारी है, जम्मू तथा कश्मीर उच्च न्यायालय की पूरी पीठ ने यह निर्णय दिया है कि ऐसे मामलों को सैनिक अदालतों में नहीं चलाया जा सकता। इन पर जम्मू तथा कश्मीर राज्य के कानून के अनुसार ही मुकदमा चलाया जा सकता है। इस प्रकार के मामले 37 हैं जिनके लिए सरकार यह विधेयक लाई है। मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करने से पूव कुछ करना न्यायपालिका पर दबाव डालना ही होगा।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री आर० बी० बड़े : (खारगोन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब यह मामला न्यायालय में बिचाराधीन है तो हमें यहां इस पर विचार नहीं करना चाहिये।

Mr. Chairman: That is not a point of order.

श्री दिनेश जोरदार (माल्दा) : मेरे माननीय साथी श्री मावलंकर द्वारा विधि सम्बन्धी जो प्रश्न उठाये गये हैं उनके अतिरिक्त एक अपील भी सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही यह विधेयक यहां लाना उपयुक्त था। यह प्रथा भी ठीक नहीं है कि सरकार पहले अध्यादेश के रूप में कानून बना लेती है तथा फिर बाद में सम्बद्ध विधेयक ले आती है।

हमें स्वतन्त्रता प्राप्त किये अनेक वर्ष हो गये हैं। परन्तु अभी तक सेना न्यायालयों में वही पुरानी प्रक्रिया चली आ रही है। छोटे अधिकारियों अथवा छोटे दर्जे के अधिकारियों को सेना न्यायालयों से कभी कभी ही निर्णय मिलता है। बड़े बड़े अधिकारियों को सेना न्यायालयों से सुनवायी के लिए नहीं भेजा जाता चाहे उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनुशासन हीनता जैसे अपराध ही क्यों न हों। इतना ही नहीं, सेना न्यायालय सर्वोच्च है और यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो इसे रोकने के लिए या उसके विरुद्ध अपील करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा होता यदि उनकी अपील सुनने के लिए संसद सदस्यों तथा न्यायिक अधिकारियों की कोई समिति बनाई जाती। कुछ अपराधों के मामलों में किसी बड़ी संस्था द्वारा सेना न्यायालय में निणयों का पुनरीक्षण किया जाना जरूरी है। आज देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अतः इन बदली हुई परिस्थितियों में भी अभी तक ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के समय से चली आ रही प्राचीन संहिता को लागू रखना कैसे उपयुक्त हो सकता है। अतः सेना न्यायालयों में अपेक्षित परिवर्तन किये ही जाने चाहिये जिससे कि छोटी श्रेणी के अधिकारी तथा कम वेतन भोगी कर्मचारी न्याय प्राप्त कर सकें।

तीनों सेवाओं के सेवा संहिता में कुछ आधारभूत परिवर्तन करने को मांग भी की गई है। अभी तक तीनों सेनाओं के वेतनभातों, पदोन्नति तथा भर्ती नियमों में समानता नहीं है। इस सम्बन्ध में चली आ रही असमानताओं तथा विषमताओं को दूर करने का प्रयास भी किया जाना चाहिये। इसी प्रकार सुरक्षा कर्मचारियों का उपयोग लोकप्रिय आन्दोलनों, जैसे कि गत वर्ष को रेल हड़ताल को कुचलने के लिए नहीं किया जाना चाहिये।

हम विधेयक की भावना का विरोध नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि सैनिक न्यायालयों द्वारा दण्ड प्राप्त सुरक्षा कर्मचारियों को भी न्याय मिले तथा उन्हें भी अपील का अवसर प्राप्त हो सके।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि संसद की सत्ता सर्वोच्च है तथा वह कभी भो किसी भी विषय के बारे में कानून बना सकती है।

मैं सेना तथा वायु सेना (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर शब्दों का लोप करने सम्बन्धी जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह सराहनीय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जम्मू तथा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस संशोधन से भारत के लोगों के संदेह दूर हो गये हैं क्योंकि अब यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर पर भी समान रूप से लागू होगा। मेरा विचार तो यह है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुनवाई सेना न्यायालयों द्वारा ही की जानी चाहिये। न कि सिविल न्यायालयों द्वारा क्योंकि सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया काफी पेचीदा तथा लम्बी है। इसी प्रकार मेरा विचार यह भी है कि अधिनियम में हमें कुछ इस प्रकार का संशोधन करना चाहिये जिससे कि सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई भो अधिकारी या कर्मचारी किसी भी सैनिक न्यायालय द्वारा दी गई सजा को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती न दे सके। अब अधिनियम में इस प्रकार की कोई त्रुटि शेष नहीं रह जानी चाहिये। अभी हाल ही में वायु सेना के जिस स्क्वाड्रन लीडर का मामला सामने आया है उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि वह अनुशासन सम्बन्धी एक भावी उदाहरण बन जाये।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों को अधिनियम से पूर्णतया अवगत करावाया जाना चाहिये तथा उनके मार्ग दर्शन हेतु उन्हीं की मातृभाषा में प्रकाशित पुस्तिकायें उन्हें उपलब्ध करवाई जानी चाहिये।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : सदन में बारबार आपत्ति उठाये जाने के उपरान्त भी हम देखते हैं कि सरकार ने अध्यादेशों के माध्यम से राज्य चलाना अपने शासन का एक अंग ही बना लिया है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय 11 महीने पूर्व दिया था तब से अब तक संसद के दो सत्र व्यतीत हो गये हैं क्या इस दौरान विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था? इस प्रकार अध्यादेशों के माध्यम से विधेयक लाना अच्छी लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुरूप नहीं है।

रक्षा मंत्रालय के मंत्री महोदय का सम्बन्ध उड़ीसा से है अत: मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा स्थित बरहामपुर भर्ती केन्द्र को बंद क्यों कर दिया गया है? इस केन्द्र को पुन: खोलने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये। इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्र फुलबनी में भी एक भर्ती केन्द्र खोला जाना चाहिये।

मुझे वर्तमान संशोधन विधेयक के म्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में प्रतिरक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा की गई है, इस ओर शीघ्र ही आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 27 वर्ष बाद भी अभी तक हम अपने सुरक्षा सम्बन्धी साधारण उपकरणों का निर्माण करने में आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं इस ओर उपयुक्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह चाहता हूं कि हमारे सैनिकों को लोगों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने की उपयुक्त शिक्षा की जानी चाहिये ताकि वे अपने आप को देश की आम जनता का ही अभिन्न अंग समझें।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी): 28 मार्च, 1974 को जम्मू तथा कश्मीर उच्च न्यायालय ने अपने बहुमत निर्णय से सैनिक न्यायालय को उस राज्य पर लागू करने के निर्णय को अस्वीकार कर दिया। विधेयक से सम्बद्ध उद्देश्य तथा कारणों के कथन में यह स्पष्ट किया गया। सशस्त्र सेनाओं के लोगों को अधिक अनुशासन प्रिय बनाने तथा उनके विरुद्ध मामलों की शीघ्र जांच करने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर के लिए एक रणबीर दण्ड संहिता है जो असैनिक अपराधों पर लागू होती है। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित किये जाने के बाद भारत सरकार ने लगभग 11 महीने तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मामला ले गई। यह ठीक ही है कि जब कोई मामला न्यायालय में विचारार्थ हो तो उस पर आगे की कार्यवाही निर्णय के बाद ही की जाननी चाहिये। हम यह मानते हैं कि सर्वोच्च विधानमंडल तथा सर्वोच्च न्यायपालिका के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिये।

स्थल सेना और वायु सेना अधिनियम 1950 का जो लक्षण दिया गया है उसमें कुछ त्रुटि है। इसकी धारा 3 के उपखण्ड (8) में कहा गया है कि 'आपराधिक न्यायालय' का तात्पर्य है: जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त भारत के किसी भी भाग में आपराधिक न्यायालय, अब परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है तथा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित परिवर्तन किया जाना चाहिये। हाल ही में भारत ने जो विश्व हाकी कप जीता है उस पर अंकित भारत के नक्शे में भी जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं दिखाया गया है। अब जब वह कप हमारे पास है तो उसमें अपेक्षित परिवर्तन दिखाये जाने चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सेना न्यायालय में ऐसे व्यक्ति रखे जायें जिन्हें कानून का अपेक्षित ज्ञान तथा अनुभव हो। अपील तथा पुनरीक्षण के लिए भी उचित प्रावधान होना चाहिये। इस कानून के संशोधित होने के बाद सेना न्यायालय, जिसे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है, इसके अन्तर्गत सभी दण्डित लोगों को सेवा में वापिस ले लिया जाना चाहिये, परन्तु ऐसी स्थिति में उन लोगों का क्या होगा जिन्हें प्राण दण्ड तथा फांसी दे दी गई है?

अन्ततः मैं निम्न सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

(i) तीनों सेनाओं के लिए समान संहिता होनी चहिये।

(ii) सेना न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय होना चाहिये।

(iii) सेना में उड़ीसा के कम प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुये सेना में एक उड़ीसा रेजिमेंट होनी चाहिये तथा भुवनेश्वर में एक सैनिक छावनी स्थापित की जानी चाहिये ।

मंत्री महोदय को इनके बारे में आश्वासन देना चाहिये ।

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : माननीय सदस्यों ने विधेयक का जो आम समर्थन किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने अध्यादेश तथा सैनिक न्यायालयों के प्रावधान तथा रक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में टिप्पणियां की हैं । जहां तक अध्यादेश का सम्बन्ध है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं । अतः यही कारण है कि सम्बद्ध विधेयक गत सत्र में राज्य सभा के समक्ष लाया गया था परन्तु कुछ कारणों से यह विधेयक पारित नहीं हो पाया था । यही कारण है कि अब हमें इसे अध्यादेश के रूप में लागू करना पड़ा. . . . .

मेरे मित्र श्री मावलंकर तथा अन्य लोगों का कहना है कि यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन मामलों के लिए हानिकारक है ।

बात ऐसी नहीं है । इस विधेयक द्वारा सरकार सर्वोच्च न्यायालय से संघर्ष नहीं कर रही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन अपील द्वारा कानून पास करने संबंधी संसद् के अधिकार प्रभावित नहीं होते। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन अपील उस वर्तमान प्रावधान से सम्बन्धित है जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर सेना न्यायालय को केवल देश के बाहर का न्यायालय समझा जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य उस असंगति को दूर करना है। विधेयक का उद्देश्य जम्मू-काश्मीर में भी उसी प्रकार के सेना न्यायालय स्थापित करना है जैसे कि देश के अन्य भागों में हैं।

ऐसा भी कहा गया है कि सेना न्यायालय लोकतांत्रिक नहीं है और इससे अधिकारियों तथा जवानों को न्याय नहीं मिलता । सेना न्यायालय की सारी प्रक्रिया का उद्देश्य शीघ्राति-शीघ्र न्याय प्रदान करना है। विश्व की सभी सशस्त्र सेनाओं के सेना न्यायालयों ने इसी प्रकार की प्रक्रियाएं अपनायी हैं। हमारे देश के लिये यह कोई नई बात नहीं है।

भ्रष्टाचार के बारे में भी कुछ चर्चा की गयी है जो कि नहीं की जानी चाहिये थी। इस बात का ध्यान रखना हमारा कर्त्तव्य है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं का मनोबल बना रहे, सरकार के पास जब भी कोई मामले आते हैं उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

भर्ती सम्बन्धी नीति के बारे में भी आलोचना हुई है । भर्ती सम्बन्धी सरकार की नीति स्पष्ट है। जिन क्षेत्रों को अब तक उपेक्षा हुई है वहां से अधिकाधिक लोगों को भर्ती करने के लिये हम कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri R. R. Sharma (Banda): Mr. Chairman, many senior officers in Army Air-Force and Navy have been superceded by their juniors. It is not a healthy practice. Hon'ble Minister is not prepared to clarify as to how senior persons have been left out and junior ones got promotions.

Our Armed Forces are also affected by the social conditions in the country. If corruption has crept in our Armed Forces, Government should take necessary steps to root it out.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित वायु सेना और थल सेना विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 3) का निरनुमोदन करती हैं।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

The resolution was negatived.

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि वायु सेना अधिनियम, 1950 और थल सेना अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 1, the Enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री जे० बी० पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

1. कि विधेयक को पारित किया जाए।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Corrupt practices have crept in even in the recruitment to the Army. There is a recruiting centre in Danapur. There is lot of corruption there. Two or three persons have been caught and cases are pending against them in the court. The Minister in reply to a question on the 20th March, denied knowledge of any corrupt practices prevailing there. The Minister should again go into the matter and find out the truth.

Army Officers treat jawans like domestic servants. Jawans have to work in the houses of army officers. This practice is not good and should be stopped forthwith.

There are certain difficulties of jawans. The Government should look into these difficulties and take steps to remove them.

The Government makes use of the Army whenever there is a strike by workers or government employees or there is a movement of farmers to get land. The army is meant for the defence of the country. Use of army for suppressing popular movements should be prohibited by passing a legislation.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपूर) : सभापति महोदय मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

गुजरात विद्युत् बोर्ड द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. FIXING OF THE MAXIMUM BORROWING LIMIT OF GUJARAT ELECTRICITY BOARD

सभापति महोदय : अब हम अगली मद को लेते हैं। प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद।

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"जब कि विद्युत् (पूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में गुजरात सरकार ने गुजरात विधान सभा की स्वीकृति से दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० यू०/215/ई०एस०ए०/3460/4236/के० के अन्तर्गत 19 दिसम्बर 1970 से उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ एक सौ करोड़ रुपये की अधिकतम राशि निर्धारित की है;

और जब कि गुजरात सरकार का उपर्युक्त अधिकतम राशि को बढ़ाकर एक सौ पचास करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है;

और जब कि गुजरात विधान सभा भंग कर दी गई है;

और जब कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्‌घोषणा के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल की शक्तियां संसद् द्वारा प्रयोक्तव्य है;

अतः अब, एतद्द्वारा यह संकल्प किया जाता है कि लोक सभा विद्युत् (पूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एक सौ पचास करोड रुपये की अधिकतम राशि, जिसे उक्त धारा

65 की उपधार (1) के अन्तर्गत गुजरात विद्युत् बोर्ड किसी भी समय ऋण के रूप में ले सकेगा, निर्धारित करने के गुजरात सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है ।

विद्युत् (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 65 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, यदि राज्य सरकार राज्य विधान सभा की स्वीकृति से अधिक अधिकतम सीमा निर्धारित न करे तो राज्य विद्युत् बोर्ड उक्त धारा के अन्तर्गत किसी भी समय दस करोड़ रुपये ऋण ले सकता है।

नई विद्युत् योजनाओं तथा विद्यूतीकरण के लिये अधिक ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया है। चालू तथा आगामी वर्ष के कार्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए 100 करोड़ रुपये की वर्तमान सीमा पर्याप्त नहीं है। गुजरात विधान सभा भंग को जा चुकी है और विधान सभा की शक्तियों का प्रयोग संसद् कर रही है। अतः गुजरात विद्युत् बोर्ड का ऋण की सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये करने सम्बन्धी गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर संसद् की स्वीकृति ली जा रही है।

श्री दिनेश जोरदर : (मालदा) : हमारी संसद् को ऋण लेने की क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति देनी होती है । हम नहीं चाहते हैं कि ऋण लेने की क्षमता पर सीमा लगाने से बिजली बोर्ड के कार्यों में कोई बाधा पड़े। परन्तु इस प्रकार कब तक कार्य चल सकेगा ?

अतएव यह आवश्यक है कि गुजरात में शीघ्र चुनाव कराये जायें तथा लोकप्रिय सरकार बनायी जाये ताकि यह सभी कार्य विधान सभा करे। इस प्रकार के कार्यों के लिये हमें लोक प्रिय सरकार के बनने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री पी० जी० मावलंकर : (अहमदाबाद) : यदि गुजरात राज्य में चुनाव कराने संबंधी हमारी निरन्तर की जा रही मांग को स्वीकार कर लिया जाता तो मंत्री महोदय को यह प्रस्ताव यहां पर न लाने पड़ते।

गुजरात विद्युत् बोर्ड की प्रगति और विकास अब तक अनुकरणीय रहा है। उक्त बोर्ड ने अपनी विकास योजना काफी समय पहले से बना ली थी फिर भी वहां पर बिजली अकसर फेल होती है और लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ता है। वहां पर भी बिजली में कटौती की गई है यद्यपि यह कटौती देश के अन्य भागों में की गई कटौती की तुलना में बहुत कम है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र अहमदाबाद में कर्मचारियों को पिछले महीनों से इसी कारण छुट्टियों पर रखना पड़ा है। यह बात अच्छी नहीं है।

यह प्रसन्नता की बात है कि गुजरात विद्युत् बोर्ड को अब पुराने अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम सीमा तक उधार मिल सकेगा, अर्थात् 100 करोड़ रुपया की बजाय 150 करोड़ रुपये तक जिससे वह अपनी विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में समर्थ होंगे।

यद्यपि तारापुर आणविक केन्द्र स्थापित हुआ है फिर भी गुजरात में एक पूर्ण विद्युत् केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को इस कार्य को शीघ्र करना चाहिए।

Shri G. P. Yadav (Kathihar): I welcome the Central Government's proposal to grant one and a half crore rupees grant to Gujarat Electricity Board, It was appropriate for the Government to conduct elections in the State so that such matters could be taken up by the popular Government in the State.

Shri K. S. Chavde (Patna): I appreciate the proposal to increase the limit of borrowing of Gujarat Electricity Board from 100 to 150 crore rupees.

It would have been better if this matter was taken up in the State Assembly. But it appears that ruling party and the Government have no fair intention to hold the elections in the near future.

The power that is being supplied to the cultivators for irrigation purposes is not regular. Steps should be taken to see that power is supplied to the cultivators punctually and regularly. If this is done it would help in bringing a good crop in the next season. The staggering in cities should also be checked.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): यदि गुजरात राज्य में चुनाव कराने सम्बन्धी हमारी निरन्तर की जा रही मांग को स्वीकार कर लिया जाता तो मंत्री महोदय को यह प्रस्ताव यहां पर न लाने पड़ते।

गुजरात विद्युत बोर्ड की प्रगति और विकास अब तक अनुकरणीय रहा है। उक्त बोर्ड ने अपनी विकास योजना काफी समय पहले से बना ली थी फिर भी वहां पर बिजली अक्सर फेल होती है और लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ता है। वहां पर भी बिजली में कटौती की गई है यद्यपि यह कटौती देश के अन्य भागों में की गई कटौती की तुलना में बहुत कम है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र अहमदाबाद में कर्मचारियों को पिछले महीनों से इसी कारण छुट्टियों पर रखना पड़ा है। यह बात अच्छी नहीं है।

यह प्रसन्नता की बात है कि गुजरात विद्युत बोर्ड को अब पुराने अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम सीमा तक उधार मिल सकेगा। अर्थात् 100 करोड़ रुपया की बजाय 150 करोड़ रुपया तक, जिससे वह अपनी विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में समर्थ होंगे।

यद्यपि तारापुर आणविक केन्द्र स्थापित हुआ है फिर भी गुजरात में एक पूर्ण विद्युत केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को इस कार्य को शीघ्र करना चाहिए।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): The former Irrigation and Power Minister Dr. K. L. Rao had suggested that in view of the conditions prevailing in the country a national power grid should be constructed. I think it is very much essential today.

The Government of India should exercise greater general supervision over the electricity boards. The U. P. Electricity Board has incurred a loss of Rs. 86 crores. We are generating electricity to the extent of 52 per cent of the installed capacity.

The designations and pay scales of power workers are different in different States. Wage Guidelines Committee has done some good work to bring about uniformity in their pay scales.

The conditions of Tarapur atomic power plant has been deteriorating. There was a proposal to construct an atomic power plant at Narora in U.P but much progress could not be made for want of funds. Some progress was made in the construction of power plant in Madras but now it has also slowed down.

To supply power to cultivators during night in winter is unjust. They should be given power during day time.

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Parsad): The resolution seeks to enhance the limit of credit that could be drawn by Gujarat Electricity Board from Rs. 100 crores to Rs. 150 crores. But it appears that there is a misunderstanding that the Government of India is now going to give to the Gujarat Government a credit of Rs. 150 crores instead of 100 crores. It is not so. If in view of the programmes of any State Electricity Board it is felt necessary to extend the credit limit under the Fifth Plan, the Government of India would sympathetically consider over that need as we want to give top-most priority to power generation schemes.

I realize the need to bring about improvement in the system of distribution, the administration under Gujarat Electricity Board is quite satisfactory. Efforts are being made for improving the condition of our atomic power plants. The setting up of atomic power plant in Gujarat would be considered watching the success of atomic power plant in Madras.

सभापति महोदय : अब मैं संकल्प को मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"जब वि. विद्युत् (पूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उप-धारा (3) के अनुसरण में गुजरात सरकार ने, गुजरात विधान सभा की स्वीकृति से दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० यू० 215/

ई० एस० ए०/3470/4236/के० के अन्तर्गत 19 दिसम्बर, 1970 से उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ एक सौ करोड़ रुपये की अधिकतम राशि निर्धारित की है ;

और जब कि गुजरात सरकार का उपर्युक्त अधिकतम राशि को बढ़ा कर एक सौ पचास करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है ;

और जब कि गुजरात विधान सभा भंग कर दी गई है ;

और जब कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा प्रयोक्तव्य हैं ;

अतः अब, एतद्द्वारा यह संकल्प किया जाता है कि लोक सभा विद्युत् (पूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एक सौ पचास करोड़ रुपये की अधिकतम राशि, जिसे उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गुजरात विद्युत् बोर्ड किसी भी समय ऋण के रूप में ले सकेगा, निर्धारित करने के गुजरात सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है ।

प्रस्ताव पारित हुआ ।

The motion was adopted.

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत त्रिपुरा में नजरबन्दी के आदेशों के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT *re.* ORDERS OF DETENTION UNDER M.I.S.A. IN TRIPURA

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मुझे त्रिपुरा राज्य में आंसुका के अन्तर्गत की गई नजरबन्दियों के बारे में एक वक्तव्य देना है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : ऐसा सहसा क्यों किया जा रहा है ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सभा को इसकी सूचना दी जानी चाहिये ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : त्रिपुरा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने एक वेतन आयोग नियुक्त किया था जिसकी रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उनके विचाराधीन है । जब राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों की ओर से हड़ताल पर जाने की सूचना मिली तो

मुख्य मंत्री ने कर्मचारियों से अपील की कि कर्मचारियों को ऐसी कार्यवाही तब तक नहीं करनी चाहिये जब तक सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच नहीं कर लेती है और उन पर अपने निर्णय नहीं दे देती है। बड़ी संख्या में राज्य के कर्मचारियों ने मुख्य मंत्री की अपील को मान लिया और कोई हड़ताल करने की अपनी योजनाओं को त्याग दिया। किन्तु कुछ सरकारी कर्मचारियों ने जो त्रिपुरा कर्मचारी समन्वय समिति से प्रभावित थे, 18 मार्च, 1975 की अर्धरात्रि से हड़ताल पर जाने का निश्चय किया। राज्य में आन्दोलन का एक सामान्य कार्यक्रम 3 मार्च, 1975 मे पहले ही शुरू किया जा चुका था। राज्य सरकार ने बताया है कि त्रिपुरा कर्मचारी समन्वय समिति जिसे राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त था और जिसने आम आन्दोलन के अभियान का कार्यक्रम बनाया था अन्य कर्मचारी को जो हड़ताल में भाग लेने के लिये अनइच्छुक थे डरा धमका कर उन पर दबाव डाला। राज्य सरकार को आशंका थी कि यदि तुरन्त तथा कठोर कार्यवाही नहीं की गई होती तो विधि तथा व्यवस्था भंग होने का गम्भीर खतरा हो सकता था। इसलिये राज्य सरकार ने आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन 6 विधायकों तथा 14 सरकारी कर्मचारियों को नजरबन्द करने के आदेश जारी किये थे। ये आदेश 18 तथा 21 मार्च, 1975 के बीच जारी किये गये थे। त्रिपुरा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान मंडल का कोई भी सदस्य विधान सभा के अहाते में गिरफ्तार नहीं किया गया था।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): I have a point of order.

Mr. Chairman: A member can ask for clarification on a question with the permission of the chair.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): यह विशिष्ट समन्वय समिति वास्तविक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है।

श्री के० रघुरमैया: परम्परा के अनुसार प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इसे विशेष व्यवस्था माना जाये।

Mr. Chairman: Hon. Speaker has given permission for clarification on question after the statement of a Minister.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को दबाने के लिये उसी नीति का अनुकरण किया जो केन्द्रीय सरकार ने रेल कर्मचारियों की हड़ताल में अपनाई थी? विधान सभा के सदस्यों को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या सिफारिशों की क्रियान्विति एवं नजरबन्दी व्यक्तियों की रिहाई का अन्तिम निर्णय लिया गया है?

Shri Atal Bihari Vajpayee: When MISA was being introduced in this House it was assured that it would not be used against the political workers. Could not the situation that developed in Tripura be tackled without the use of MISA?

श्री के० ब्रह्मा नन्द रेड्डी : जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में बताया है राज्य सरकार के पास वेतन आयोग का प्रतिवेदन पहुंच गया है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। कर्मचारियों को प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्हें 'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। विरोध स्वरूप मैं सभा त्यागता हूं।

(श्री एस० एम० बनर्जी तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से उठ कर चले गये)

(At this stage, Shri S. M. Banerjee and same other hon. Members left the House)

यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य कोई ऐसी कार्यवाही करता है उस पर आंसुका के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 मार्च, 1975/5 चैत्र, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।)

(The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 26, 1975/Chaitra 5, 1897 (Saka).

GMGIPND-L-814 LS—200.